


भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

मार्च 1997 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

संघ सरकार (सिविल)
अन्य स्वायत्त निकाय
1998 की संख्या 4



विषय सूची

	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्रस्तावनात्मक टिप्पणी		vii
विहंगावलोकन		ix
अध्याय I		
सामान्य		
स्वायत्त निकायों के वार्षिक लेखे	1	1
उपयोग प्रमाण पत्र	2	3
अध्याय II		
वाणिज्य मंत्रालय		
कॉफी बोर्ड		
नियमों को गलत लागू करने के कारण वेतन एवं भत्तों का अधिक भुगतान-1.19 करोड़ रु	3	5
भारतीय विदेश व्यापार संस्थान		
परिहार्य व्यय	4	6
अध्याय III		
वित्त मंत्रालय		
राजस्व विभाग		
भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड, मुम्बई		
निरीक्षण प्रभारों पर परिहार्य व्यय	5	8
अध्याय IV		
मानव संसाधन विकास मंत्रालय		
संस्कृति विभाग		
एशियाई समिति, कलकत्ता	6	9
साइंस सिटी, कलकत्ता	7	18
विक्टोरिया मैमोरियल हाल		
परियोजना शुरू करने में विलम्ब	8	24
संचालन में हानि	9	25
शिक्षा विभाग		
इंदिरा गान्धी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	10	27
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय		
अधूरे कार्यों पर निधियों का अवरोधन	11	49

अध्याय IX

विद्युत मंत्रालय

राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद

आवश्यकता के बिना मशीनरी की प्राप्ति

24

84

अध्याय X

ग्रामीण क्षेत्र और रोज़गार मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक कार्रवाई एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रगति परिषद

25

85

जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियां

जवाहर रोज़गार योजना के अन्तर्गत गलत शेष सूचित करने के कारण अनुदान का अधिक दावा

26

103

इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत मकानों के निर्माण पर अनियमित व्यय

27

104

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता का अनियमित उपयोग

28

105

ग्रामीण रोज़गार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग

जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी

रोज़गार आश्वासन योजना में से निधियों का अनियमित उपयोग

29

106

रोज़गार आश्वासन योजना के अन्तर्गत प्रदान की गई निधियों का दुरुपयोग

30

107

अध्याय XI

भूतल परिवहन मंत्रालय

पत्तन विंग

कलकत्ता पत्तन न्यास

निधियों का अवरोधन

31

109

ब्याज का परिहार्य भुगतान

32

110

निधियों का अवरोधन

33

111

प्राप्य राशि की वसूली न होना

34

112

चेन्नई पत्तन न्यास

आन्तरिक बन्दरगाह में बर्थ को पट्टे पर देते समय दिखाये गए

35

113

पक्षपात के कारण हानि

चुंगी की गैर वसूली

36

115

कोचीन पत्तन न्यास

डिब्बा रखने के अहाते के विलम्बित उपयोग तथा पट्टा किराये के

37

116

घटी दरों पर उद्ग्रहण के कारण राजस्व की हानि

दो बोलाई कर्षणावों की अधिप्राप्ति	38	117
राजस्व की हानि	39	119
प्रयोक्ता भाड़े का संशोधन करने में विफलता के कारण राजस्व की हानि	40	120
विस्तार प्रदान करने में चूक के कारण हानि	41	122
किराये के गलत निर्धारण के कारण हानि	42	123
जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास		
घाट-शुल्क की वसूली न करने के कारण 8.23 करोड़ रु के राजस्व की हानि	43	125
व्हील लोडरों की खरीद पर निष्फल व्यय	44	126
परिसर किराये पर लेने पर निष्फल व्यय	45	127
मॉरमुगाव पत्तन न्यास		
अनवरत नौका विसर्जकों के असंतोषप्रद निष्पादन के कारण हानि	46	128
मुम्बई पत्तन न्यास		
राजस्व की हानि	47	130
किराये की गैर वसूली	48	130
2.27 करोड़ रु के राजस्व की हानि	49	131
1.77 करोड़ रु का बकाया लाइसेंस-शुल्क	50	132
माल की कम सुपुर्दगी के कारण 98.36 लाख रु की हानि	51	133
पारादीप पत्तन न्यास		
निष्क्रिय उपस्कर	52	134
विशाखापत्तनम पत्तन न्यास		
री-रेलिंग उपस्कर की खरीद पर निष्फल व्यय	53	135
निविदाओं को अंतिम रूप देने में विलम्ब के कारण अतिरिक्त व्यय	54	136
अध्याय XII		
शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय		
दिल्ली विकास प्राधिकरण		
1.19 करोड़ रु का अवरोधन	55	138
10.19 लाख रु का परिहार्य व्यय	56	138
अध्याय XIII		
कल्याण मंत्रालय		
राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान		
20.49 लाख रु का व्यर्थ निवेश	57	140
अध्याय XIV		
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही-संक्षिप्त स्थिति	58	141

परिशिष्ट

परिशिष्ट I	स्वायत्त निकायों द्वारा वार्षिक लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	143
परिशिष्ट II	स्वायत्त निकायों द्वारा वार्षिक लेखाओं का प्रस्तुत न किया जाना	145
परिशिष्ट III	1996-97 के दौरान केन्द्रीय स्वायत्त निकायों, जिनकी लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. (क.श. से.) अधिनियम 1971, की धारा 19(2) तथा 20(1) के अन्तर्गत की गई है, द्वारा प्राप्त किये गए अनुदानों/कर्जों का विवरण	146
परिशिष्ट IV	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा 1996-97 के दौरान प्राप्त अनुदानों के विवरण	156
परिशिष्ट V	निकायों का विवरण जिनके लेखे/सूचनाएं 31 दिसम्बर 1997 तक प्राप्त नहीं हुये-नि.म.ले.प. (क.श.से.) अधिनियम, 1971 की धारा 19 और 20 के अन्तर्गत लेखापरीक्षित	157
परिशिष्ट VI	नि.म.ले.प. (क.श.से.) अधिनियम, 1971 की धारा 14(1) एवं 14(2) के अन्तर्गत लेखापरीक्षित केन्द्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा 1996-97 के दौरान प्राप्त अनुदानों के विवरण	158
परिशिष्ट VII	नि.म.ले.प. (क.श.से.) अधिनियम 1971 की धारा 14(1) एवं 14(2) के अन्तर्गत लेखापरीक्षित निकायों के विवरण जिनसे लेखे/सूचना प्राप्त नहीं हुये	161
परिशिष्ट VIII	बकाया उपयोग प्रमाण पत्र	166
परिशिष्ट IX	दस्तावेजों की सूची जो स्था.लो.उ.स. के अभिलेख में नहीं है	176
परिशिष्ट X	1991-97 की अवधि के दौरान लो.का.ग्रा.प्रा.प्र.प. द्वारा कार्यान्वित योजनाओं तथा प्राप्त की गई सहायता के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण	177
परिशिष्ट XI	स्वैच्छिक संगठन जो लो.का.ग्रा.प्रा.प्र.प. की विभिन्न समितियों के सदस्य हैं को सौंपी गई परियोजनाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण	178
परिशिष्ट XII	मॉनीटर द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट न/विलम्ब से भेजने का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण	181
परिशिष्ट XIII	ऐसे मामलों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण जिनमें अनियमितताओं का पता चला	183
परिशिष्ट XIV	1993-96 की अवधि के दौरान उसके विपरीत किए गए उपरिव्यय के साथ संवितरणों के वर्षवार विवरण	188
परिशिष्ट XV	31.12.1997 को बकाया कार्यवाही टिप्पणियां	189

31 मार्च 1997 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन, संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत, राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय स्वायत्त निकायों (1998 के प्रतिवेदन सं. 5 में शामिल वैज्ञानिक विभागों के अन्तर्गत आने वाले निकायों के अतिरिक्त) के वित्तीय लेनदेनों की नमूना लेखापरीक्षा के परिणाम, इस प्रतिवेदन में प्रदर्शित किए गए हैं। इस प्रतिवेदन में 53 पैरे तथा निम्नलिखित पर 5 पुनरीक्षण शामिल हैं:

- (क) एशियाई समिति, कलकत्ता
- (ख) सांइस सिटी, कलकत्ता
- (ग) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
- (घ) स्था.लो.उ.स. मीनार परियोजना
- (ड.) लोक कार्रवाई एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रगति परिषद, नई दिल्ली

2. लेखापरीक्षित संगठन विभिन्न स्वरूप और शाखा के स्वायत्त निकाय हैं। इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले 1996-97 और 1997-98 के पहले भाग तथा पिछले वर्षों में की गई नमूना लेखापरीक्षा के दौरान देखने में आए थे।

31 मार्च 1997 को समाप्त हुये वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में 53 पैराग्राफ और 5 पुनरीक्षण शामिल हैं। प्रतिवेदन में शामिल मुख्य बातों का सारांश नीचे दिया गया है:

सामान्य

स्वायत्त निकायों के वार्षिक लेखे

i) वर्ष 1995-96 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों सहित 200 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखापरीक्षित लेखे संसद के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने थे। इनमें से 73 निकायों के लेखे अनुबन्धित अवधि के भीतर उपलब्ध करवाये गये थे, जबकि 51 निकायों के लेखे एक माह तक के तथा 70 निकायों के लेखे, एक से 15 माह के विलम्ब के बाद उपलब्ध कराये गये थे। 6 निकायों के लेखे सम्बद्ध संगठनों द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गए थे।

ii) भारत सरकार ने वर्ष 1996-97 के दौरान 189 स्वायत्त निकायों, जिनके लेखाओं की लेखापरीक्षा नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) तथा 20(1) के अन्तर्गत की जानी थी, को 3287.66 करोड़ रु अनुदान के रूप में तथा 417.45 करोड़ रु कर्ज के रूप में दिये थे। शेष 12 निकायों के सम्बन्ध में 1996-97 के वार्षिक लेखाओं को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था और इसलिए उनके द्वारा प्राप्त की गई सरकारी अनुदान की राशि उपलब्ध नहीं थी।

123 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों (वैज्ञानिक विभागों के अन्तर्गत आने वालों के अतिरिक्त) जिनके लेखे, अधिनियम की धारा 14(1) और 14(2) के अन्तर्गत लेखापरीक्षित किये जाते हैं, में से 87 निकायों के वार्षिक लेखाओं को भी सम्बद्ध निकायों द्वारा अन्तिम रूप नहीं दिया गया था। शेष 36 निकायों ने संघ सरकार से 147.40 करोड़ रु की राशि के अनुदान प्राप्त किये।

(पैराग्राफ 1)

उपयोग प्रमाण पत्र

सांविधिक निकायों और गैर-सरकारी संस्थाओं को, 1976-77 से 1993-94 के दौरान जारी अनुदानों के सम्बन्ध में मार्च 1997 के अन्त तक 500.34 करोड़

रु की राशि के 17281 उपयोग प्रमाण पत्र बकाया थे। ये उपयोग प्रमाणपत्रों की प्राप्ति के लिए अपर्याप्त मानीटरिंग का द्योतक है।

(पैराग्राफ 2)

वाणिज्य मंत्रालय

कॉफी बोर्ड

कॉफी बोर्ड द्वारा नियमों के अनुचित प्रयोग के परिणामस्वरूप जनवरी 1989 से जून 1996 की अवधि हेतु वेतन- एवं-भत्तों पर 1.19 करोड़ रु का अधिक भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 3)

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान

अपनी ऊर्जा मांगों का उपयुक्त निर्धारण किये बिना लम्बी अवधि का अनुबंध करने में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (भा.वि.व्या.सं.) की अविवेकपूर्ण कार्यवाही के परिणामस्वरूप 34.46 लाख रु का परिहार्य व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 4)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

संस्कृति विभाग

एशियाई समिति, कलकत्ता

एशियाई समिति ने सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना 1992-97 के दौरान 81.16 लाख रु योजनागत अनुदानों से योजनेत्तर व्ययों के लिए विपथित किये।

अत्यधिक प्राचीन मान्यता की पुरानी तथा दुर्लभ हस्तलिपियों, सिक्कों, चित्रों तथा अभिलेखों का मूल्यांकन नहीं किया गया था तथा वे समिति के वार्षिक लेखाओं में नहीं लिये गए थे।

समिति ने बिना मार्गदर्शकों/पर्यवेक्षकों के अनुसंधान कार्यों को चालू रखने के लिए फैलो/सहयोगियों की नियुक्ति की तथा अनुमत किया और 1992-97 के दौरान 68 में से पांच अनुसंधान फैलो द्वारा किये गए अनुसंधान के परिणामों के भाग को ही प्रकाशित किया।

1994-95 के दौरान आरम्भ की गई 'विश्वकोष एशियाटिका' की एक योजना 9.92 लाख रु का व्यय करने के पश्चात भी मार्च 1997 की लक्षित तिथि तक भी पूरी नहीं हुई थी।

समिति ने गुम/चोरी हुई तथा गलत जगह पर रखी गई संग्रहालय की मूल्यवान वस्तुओं को ढूँढने या वापस की गई वस्तुओं की प्रामाणिकता की जांच अथवा उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की थी।

समिति द्वारा 19.35 लाख रु की लागत पर अप्रैल 1994 में अधिप्राप्त किया गया उन्नत पुस्तकालय प्रबन्ध पैकेज बिना उपयोग के पड़ा रहा।

अपने प्रकाशनों के सम्बन्ध में निश्चित योजना के अभाव के परिणामस्वरूप 1996-97 तक 44.28 लाख रु के बिना बिके प्रकाशनों का अम्बार इकट्ठा हो गया।

समिति ने मार्च 1995 में 9.74 लाख रु की लागत पर एक दूसरा माइक्रोफिल्म कैमरा अधिप्राप्त किया यद्यपि पिछले तीन वर्षों के दौरान माइक्रोफिल्म की कोई मद नहीं बनाई गई थी।

(पैराग्राफ 6)

साइंस सिटी, कलकत्ता

परियोजना 'साइंस सिटी' कलकत्ता राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (रा.वि.सं.प.) द्वारा 1993 में आरम्भ की गई थी। यद्यपि परियोजना 50 करोड़ रु से बढ़ गई थी तो भी आर्थिक कार्यों पर संसदीय समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था।

परियोजना के निर्माण तथा अनुरक्षण के लिए रा.वि.सं.प. ने अपने संसाधनों से 22.65 करोड़ रु साइंस सिटी को विपथित किये।

रा.वि.सं.प. द्वारा वास्तव में अधिप्राप्त सामग्री पर प्रतिशतता प्रभारों के परिहार्य भुगतान के परिणामस्वरूप ठेकेदार फर्म को 1.34 करोड़ रु का अनुचित भुगतान हुआ।

स्पेस ओडिसी के कार्य के लिए एक ठेकेदार को 18.07 लाख रु के संग्रहण अग्रिम का अनियमित भुगतान किया गया था। यद्यपि सम्मेलन केन्द्र के निर्माण के लिए किये गए अनुबन्ध में, अनुसूचित मदों के लिए दिल्ली दर अनुसूची के

अनुसार भुगतान की व्यवस्था की गई थी, एक मद के सम्बन्ध में वास्तविक मूल्य के आधार पर भुगतान करने के परिणामस्वरूप ठेकेदार को 42.07 लाख रु का अधिक भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 7)

विक्टोरिया मैमोरियल हॉल

परियोजना "सोन-एट-ल्यूमिरे" के गैर अनुरक्षण तथा स्ववित्त पोषण के आधार पर चलाने के लिए पहल की कमी के कारण 1992-98 के दौरान संचालन में 29.42 लाख रु की हानि हुई।

(पैराग्राफ 9)

शिक्षा विभाग

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना मुक्त विश्वविद्यालय तथा दूरस्थ शैक्षिक प्रणाली को प्रारम्भ करने तथा प्रोत्साहित करने के लिए संसद के अधिनियम द्वारा सितम्बर 1985 में की गई तथा जिसने वर्ष 1997 तक 36 कार्यक्रम प्रस्तावित किये थे।

1990-97 के दौरान कुल किये गये व्यय में से विद्यार्थी सहायता सेवा पर केवल 32 प्रतिशत व्यय किया गया था। ग्रामीण तथा अ.जा./अ.ज.जा. क्षेत्रों से छात्रों की भर्ती 1991 में 22.85 प्रतिशत तथा 6.79/2.69 प्रतिशत से घटकर क्रमशः 1997 में 8.79 प्रतिशत तथा 4.32/1.69 प्रतिशत हो गई, जिससे ग्रामीण तथा अलाभान्वित वर्ग को उच्चतर शिक्षा मुहैया कराने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

निधियों के विशिष्ट प्रावधान के बावजूद नए कार्यक्रम शुरू करने, पाठ्य सामग्री को तैयार करने, भेजने एवं परिणाम घोषित करने में 60 महीनों तक का विलम्ब हुआ था।

नये क्षेत्रीय केन्द्र तथा अध्ययन केन्द्र खोलने में कमियां थी। ग्रामीण/तहसील स्तर पर कोई अध्ययन केन्द्र नहीं खोला गया था।

श्रव्य एवं दृश्य उपकरण सन्दर्भ पुस्तकालय तथा परामर्श प्रबन्ध जैसी सुविधायें उपलब्ध करवाने के बावजूद अध्ययन केन्द्रों पर छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं की गई थी तथा विद्यार्थियों की उपस्थिति बहुत कम थी। यद्यपि

मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली के लिए प्रसारण माध्यम संचार के एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में माना गया था, तो भी रेडियो तथा टेलिविजन सुविधाओं का बहुत कम उपयोग किया गया था।

इलैक्ट्रॉनिक मीडिया प्रस्तुति केन्द्र पर सुविधाओं का बहुत ही कम उपयोग किया गया था, श्रव्य/दृश्य कार्यक्रमों के निर्माण में 24 तथा 92 प्रतिशत के बीच की कमी थी।

तीन मुक्त विश्वविद्यालयों को 1991-96 के दौरान जारी 3.32 करोड़ रु में से 2.40 करोड़ रु के लेखाओं की लेखापरीक्षित विवरणियां अभी अपेक्षित थी।

अवसंरचना की कमी के कारण विश्वविद्यालय के पास 38.45 लाख रु मूल्य के उपस्कर 1988 से निष्क्रिय पड़े थे।

(पैराग्राफ 10)

विश्व भारती

विश्व भारती विश्वविद्यालय में सामान्य तथा विभागीय पूल आवास दोनों के लिए समान दर पर लाइसेंस फीस के संशोधन न करने के परिणामस्वरूप जुलाई 1987 से दिसम्बर 1997 की अवधि के लिए 25.40 लाख रु की वसूली नहीं हुई।

(पैराग्राफ 14)

उद्योग मंत्रालय

खादी और ग्रामोद्योग आयोग

गोदाम के निर्माण के लिए अधिग्रहीत भूमि पर अवैध कब्जा रोकने में खा. ग्रा.उ.आ. की विफलता के परिणामस्वरूप 36.58 लाख रु के ब्याज की हानि के अतिरिक्त 25.97 लाख रु की निधियों का अवरोधन हुआ।

(पैराग्राफ 17)

फाइबर डिजाइन तथा विकास केन्द्र के निर्माण के लिए योजना तथा अनुमानों के अनुमोदन से पूर्व निधियों के अनियमित रूप से जारी करने के परिणामस्वरूप 35.40 लाख रु की निधियों का अवरोधन हुआ।

(पैराग्राफ 19)

लोक उद्यम विभाग

स्था.लो.उ.स. मीनार परियोजना

स्थायी लोक उद्यम सम्मेलन (स्था.लो.उ.स.), एक पंजीकृत संस्था ने एक विशाल सम्मिलित कार्यालय परिसर में पूल आधार पर लोक क्षेत्र उद्यमों को उनके स्वयं के भवनों का निर्माण करने में सहयोग करने का निर्णय लिया तथा तदनुसार 1978 में मीनार परियोजना के नाम से एक कार्यालय परिसर के निर्माण का निर्णय लिया। लक्ष्मी नगर, दिल्ली में 1982 में सरकार द्वारा आबंटित भूमि पर विकसित किये जाने वाला कार्यालय परिसर भागीदार उद्यमों द्वारा वित्तपोषित किया गया था।

डिज़ाइन, योजना, निष्पादन, पर्यवेक्षण तथा 74.38 करोड़ रु की प्रक्षेपित लागत के भीतर समय पर कार्य पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए एक वास्तुकार (भारद्वाज एवं भारद्वाज एसोशियेट्स) तथा एक समन्वयक (राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम) की नियुक्ति की गई थी। परियोजना जो कि 1991 तक पूरी होनी चाहिए थी दिसम्बर 1997 तक प्रगति में थी। परियोजना की अनुमानित लागत 1996 तक 183.25 करोड़ रु तक बढ़ गई थी, परियोजनाओं के विभिन्न संघटकों के निष्पादन में 81 से 84 माह का समय बढ़ गया था।

फीस की अनुचित वृद्धि तथा अन्य अनियमित/अग्राह्य भुगतानों के माध्यम से एक वास्तुकार को 1.64 करोड़ रु का अदेय वित्तीय लाभ पहुंचाया गया था।

स्थल को सौंपने में विलम्ब तथा श्रम वृद्धि फार्मूले के अनुचित ढंग से बीचोंबीच बदलने से सिविल ठेकेदार को 6.52 करोड़ रु का तथा अन्य विभाग के ठेकेदारों को 2.38 करोड़ रु का लाभ पहुंचाया।

परियोजना के समय पर पूरा होने को सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया गया परियोजना समन्वयक समय तथा लागत वृद्धि को रोकने में विफल रहा तथा ठेके की त्रुटिपूर्ण तथा अस्पष्ट शर्तों के कारण उसे 2.75 करोड़ रु का अनुचित लाभ पहुंचा।

सिविल कार्यों के चलते रक्षक दीवार की डिज़ाइन में परिवर्तन करने के परिणामस्वरूप 1.94 करोड़ रु का अतिरिक्त भार पड़ा।

स्था.लो.उ.सं. ने 8.93 करोड़ रु का ब्याज मुक्त विशेष अग्रिम दिया था जो कि अनुबन्ध के क्षेत्र से बाहर था। इसके अतिरिक्त आठ ठेकेदारों को आदर्शी राशि के अतिरिक्त 1.44 करोड़ रु के ब्याज मुक्त संग्रहण अग्रिम दिये गये थे।

(पैराग्राफ 20)

श्रम मंत्रालय

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, मुम्बई

अधिक प्रेषण प्रभारों को भारतीय स्टेट बैंक से समायोजित कराने में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, मुम्बई की समयबद्ध कार्यवाही की कमी के परिणामस्वरूप 31.84 लाख रु का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 21)

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक कार्रवाई एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रगति परिषद

लोक कार्रवाई एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रगति परिषद की स्थापना सितम्बर 1986 में, ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में स्वैच्छिक कार्यवाही को उत्साहित, उन्नत तथा सहायता करने के उद्देश्य से एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी।

परिषद द्वारा 1991-97 के दौरान 298.10 करोड़ रु के अनुदानों का व्यय किया गया था जबकि इस अवधि के दौरान अव्ययित अनुदान 15 प्रतिशत से 47 प्रतिशत के बीच रहे। ऊपरी व्यय 1993-94 में संवितरण के 5.9 प्रतिशत से बढ़कर 1995-96 में 12.45 प्रतिशत हो गया, यद्यपि इसी अवधि के दौरान संस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या में भारी कमी हुई थी।

परिषद ने परियोजनाएं, निर्धारित मानदण्डों का पालन किये बिना तथा पात्रता, विश्वसनीयता व्यावसायिक सक्षमता तथा स्वैच्छिक संगठनों (स्वै.सं.) द्वारा प्रस्तुत किये गए दस्तावेजों की प्रामाणिकता की जांच किये बिना, संस्वीकृत की।

परिषद ने दिसम्बर 1997 तक 16 राज्यों में 248 स्वै.सं. को काली सूची में डाला। इन स्वै.सं. को दी गई 4.05 करोड़ रु की सहायता में से 2.42 करोड़

रु अथवा 60 प्रतिशत का दुरूपयोग किया गया था। इसके अतिरिक्त 226 स्वै.सं. जिन्हें 2.25 करोड़ रु जारी किये गये थे, को मॉनीटरों इत्यादि की प्रतिकूल रिपोर्टों के आधार पर "अगली सहायता रोकी गई" श्रेणी में डाला गया था। परिषद ने सरकारी निधियों के ठगने, जालसाजी, आपराधिक षड़यंत्रों तथा दुर्विनियोजन में मॉनीटरों सहित परिषद के कर्मचारियों के बीच के सम्बन्धों को स्वीकार किया।

1995-96 तक संस्वीकृत 224.07 करोड़ रु के मूल्य की परियोजनाओं की 92 प्रतिशत जुलाई 1997 तक अधूरी पड़ी थी, यद्यपि परिषद द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं का 95 प्रतिशत छः माह से एक वर्ष की लघु अवधि का था।

उत्तर प्रदेश में त्वरित-ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के कार्यान्वयन के नमूना मूल्यांकन से पता चला कि 33 प्रतिशत हैंडपम्पों ने अपर्याप्त पानी दिया, 31 प्रतिशत चुने हुये व्यक्तियों की पसंद के स्थानों पर लगाए गये थे, 68 प्रतिशत हैंडपम्पों के सम्बन्ध में अनुरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी तथा 50 प्रतिशत मामलों में अनुरक्षण के लिए कोई प्रशिक्षण मुहैया नहीं कराया गया था।

केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के नमूना मूल्यांकन से पता चला कि 75 प्रतिशत शौचालय अपात्र परिवारों को दिये गये थे, निर्मित शौचालय निम्न स्तर के थे तथा नालियां इत्यादि बनाकर गांव की सम्पूर्ण स्वच्छता का कार्यक्रम आरम्भ नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 25)

ज़िला ग्रामीण विकास एजेन्सी (जि.ग्रा.वि.ए.)

हरियाणा में जि.ग्रा.वि.ए. द्वारा जवाहर रोजागर योजना के अन्तर्गत 3.88 करोड़ रु के वास्तविक उपयोग के प्रति राज्य सरकार की 9.22 करोड़ रु की निधियों का उपयोग सूचित किया गया। उपयोग/शेषों के गलत सूचित करने के परिणामस्वरूप 1996-97 के दौरान 4.83 करोड़ रु के अनुदान का अधिक दावा हुआ।

(पैराग्राफ 26)

योजना दिशानिर्देशों के विचलन के परिणामस्वरूप इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत मकानों के निर्माण पर 2.80 करोड़ रु का अनियमित व्यय हुआ तथा हरियाणा सरकार से 76.86 लाख रु की वसूली योग्य राशि हुई।

(पैराग्राफ 27)

हरियाणा राज्य सरकार ने अपनी राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू करने के लिए राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत प्राप्त की गई 3.39 करोड़ रु की केन्द्रीय सहायता का उपयोग किया जिसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय निधियों का विपथन हुआ।

(पैराग्राफ 28)

भूतल परिवहन मंत्रालय

कलकत्ता पत्तन न्यास (क.प.न्या)

संचालन स्कीम की घटिया संसाधन योजना तथा परित्याग के परिणामस्वरूप 52.65 लाख रु के ब्याज की हानि के अतिरिक्त तीन वर्षों के लिए 80 लाख रु की निधियों का अवरोधन हुआ।

(पैराग्राफ 31)

भारत सरकार को कर्जे की मूल राशि की किश्तों के नियत तिथियों के भीतर भुगतान न करने के कारण क.प.न्या. को मई 1992 से मार्च 1997 की अवधि के दौरान 68.11 लाख रु के परिहार्य अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करना पड़ा।

(पैराग्राफ 32)

समुद्री सर्वेक्षण जहाज के निर्माण के लिए भुगतान किये गए अग्रिम की वसूली के लिए क.प.न्या. की निष्क्रियता के परिणामस्वरूप 26.93 लाख रु के ब्याज की हानि के अतिरिक्त 37.40 लाख रु, चार से अधिक वर्षों के लिये अवरुद्ध रहे।

(पैराग्राफ 33)

संशोधन याचिका दायर करने में पांच से अधिक वर्षों के विलम्ब के कारण तथा परिणामतः न्यायालय डिग्री के गैर-निष्पादन के कारण क.प.न्या. कुल 43.39 लाख रु के किराया बकाया, क्षतिपूर्तियां, बढ़े हुये किराये तथा ब्याज का संग्रहण करने तथा उन्नत क्षेत्र में अपने भू-खण्ड का पुनः कब्जा लेने में असमर्थ था।

(पैराग्राफ 34)

चेन्नई पत्तन न्यास

चेन्नई पत्तन न्यास ने सभी फर्मों को, जिन्होंने निविदा में भाग लिया था, बराबर का मौका दिये बिना एक ही फर्म को पश्चिमी घाट I तथा II में 200 मीटर का बर्थ पट्टे पर दिया जिससे प्रतिवर्ष 1.38 करोड़ रु की हानि उठानी पड़ी।

(पैराग्राफ 35)

कोचीन पत्तन न्यास

कोचीन पत्तन न्यास द्वारा अन्तर्देशीय कन्टेनर डिपो अहाते के विलम्बित उपयोग के परिणामस्वरूप जनवरी 1994 से अप्रैल 1995 तक 1.87 करोड़ रु के राजस्व की हानि हुई। इसके साथ ही अनुमोदित दर से कम दर के अपनाने के कारण जुलाई 1995 से जून 1996 के दौरान 74.89 लाख रु के राजस्व की अतिरिक्त हानि हुई।

(पैराग्राफ 37)

जहाज सम्बन्धी प्रभारों को यू एस डालर की शर्तों के अनुसार अधिसूचित करने के निर्णय तथा उसे भारतीय रुपये के बराबर एकत्रित करने के कारण कोचीन पत्तन न्यास ने अप्रैल 1993 से प्रभार बाजार खरीद दर के आधार पर एकत्रित किये जो कि बिक्री दर से कम था। इस सम्बन्ध में 1993-97 के दौरान उठाई गई हानि 73.93 लाख रु की थी।

(पैराग्राफ 39)

यद्यपि सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम द्वारा उपयोग की गई बर्थ से सम्बन्धित बर्थ किराया प्रभारों का आवधिक संशोधन जून 1994 में होना नियत था, कोचीन पत्तन न्यास द्वारा दरें अप्रैल 1996 तक संशोधित नहीं करने के परिणामस्वरूप जून 1994 से मार्च 1996 तक की अवधि के लिए 72.34 लाख रु के राजस्व की हानि हुई।

(पैराग्राफ 40)

कोचीन पत्तन न्यास (को.प.न्या.) के पूर्ण विकसित कन्टेनर टर्मिनल के सिविल निर्माण कार्यों के पूरा होने की अनुबंधित अवधि दिसम्बर 1990 थी जिस के प्रति वे दिसम्बर 1992 में पूरे हुए थे। चूंकि कार्यों को पूरा होने के लिए कोई उपयुक्त समय सीमा निर्धारित किये बिना को.प.न्या. ने पूर्ण करने की तिथि उन्हीं

दरों तथा ठेके की शर्तों पर पांच बार बढ़ाई थी, यह कार्य के पूरा होने में विलम्ब के लिए 34.46 लाख रु के निर्णीत हजनि का दावा सफलता पूर्वक नहीं कर सका।

(पैराग्राफ 41)

जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास

दो फर्मों के सम्बन्ध में दी गई न्यूनतम गारन्टी में कमी के कारण घाट शुल्क प्रभारों की गैर-वसूली के परिणामस्वरूप 8.23 करोड़ रु के राजस्व की हानि हुई।

(पैराग्राफ 43)

पुर्जों की उपलब्धता तथा उनके अनुरक्षण के साथ ही इसकी उपयोगिता को सुनिश्चित किये बिना 1988 में एक व्हील लोडर की अधिप्राप्ति के परिणामस्वरूप 33.48 लाख रु का निष्फल व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 44)

भण्डार किये जाने वाले जहाजी माल के प्रकार का विश्लेषण किये बिना आवृत क्षेत्र को किराये पर लेने तथा इसके अनुपयोग के परिणामस्वरूप 30.24 लाख रु का निष्फल व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 45)

मुम्बई पत्तन न्यास

मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 61 की शर्तों के अनुसार प्राप्य किराये की वसूली अथवा दो माह की नियत अवधि के भीतर जहाजी माल के निपटान करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप 10.18 करोड़ रु के राजस्व तथा प्रतिवर्ष 1.83 करोड़ रु के व्याज की हानि हुई।

(पैराग्राफ 47)

1966-90 वर्षों के दौरान बंधित मालगोदाम में भण्डार किये गए 8387 पैकेजों के लिए निर्धारित भण्डार शुल्क की वसूली करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप 1.77 करोड़ रु के किराये का संग्रहण तथा प्रतिवर्ष 31.81 लाख रु के ब्याज की हानि हुई।

(पैराग्राफ 50)

1994-97 के दौरान नीलाम किए गए 70 खेपों के संबंध में घोषित तथा सुपुर्द किए गए माल की मात्रा के बीच कमी के परिणामस्वरूप खरीददारों से पहले ही संग्रहीत किए गए 98.36 लाख रु की वापसी की गई।

(पैराग्राफ 51)

पारादीप पत्तन न्यास

पारादीप पत्तन में रात्रि नौसंचालन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पारादीप पत्तन न्यास द्वारा 25.86 लाख रु की लागत पर प्राप्त किये गये उपकरण तथा अतिरिक्त पुर्जे बेकार रहे क्योंकि पत्तन में कोई रात्रि नौ संचालन नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 52)

कल्याण मंत्रालय

राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान

राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान ने उचित नियोजन के बिना 20.49 लाख रु की कुल लागत पर एक परिष्कृत उपकरण 'सी-आर्म इमेज इंटेन्सीफायर' का आयात किया जिसके परिणामस्वरूप उपकरण चार वर्षों से अधिक समय तक बेकार रहा।

(पैराग्राफ 57)

1. स्वायत्त निकायों के वार्षिक लेखे

सदन के पटल पर रखे जाने वाले कागज-पत्रों की समिति ने अपने प्रथम प्रतिवेदन (5वीं लोक सभा) 1975-76 में यह सिफारिश की कि लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद प्रत्येक स्वायत्त निकाय को तीन महीनों की अवधि के भीतर अपने लेखे पूर्ण कर लेने चाहिए तथा उन्हें लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराना चाहिए और प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे, लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ महीनों के भीतर संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

i) वर्ष 1995-96 के लिए 200 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) व 20(1) के अंतर्गत की जानी थी तथा ये लेखापरीक्षित लेखे 31 दिसम्बर 1996 तक संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने थे। इनमें से केवल 73 स्वायत्त निकायों के लेखे, लेखावर्ष की समाप्ति के बाद तीन महीनों की निर्धारित सीमा के भीतर लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध कराए गए थे। शेष 127 स्वायत्त निकायों के लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब हुआ, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है :-

*	एक माह तक विलम्ब	51
*	एक माह से अधिक तीन माह तक का विलम्ब	40
*	तीन माह से अधिक छः माह तक का विलम्ब	17
*	छः माह से अधिक का विलम्ब	13
*	प्राप्त न हुए लेखे/सूचना	06
		127

परिशिष्ट-I में, स्वायत्त निकायों, जिनके लेखे तीन से छः माह के बीच तथा छः माह से अधिक तक विलम्बित थे, की स्थिति दी गई है। परिशिष्ट-II में उन निकायों की सूची दी गई है, जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे।

(ii) 1996-97 के दौरान केन्द्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा प्राप्त अनुदान/कर्जे निम्न तालिका में दिए गए हैं :-

1996-97 के दौरान स्वायत्त निकायों द्वारा प्राप्त अनुदानों/कर्जों का सार

नि.म.ले.प. के (क.श.से.), अधिनियम 1971 की धारा जिसके अन्तर्गत लेखापरीक्षा की गई	केन्द्रीय स्वायत्त निकायों की संख्या	अनुदान (लाख रु. में)	कर्ज (लाख रु. में)	अभ्युक्तियां
19(2) एवं 20(1)	201	328766.46	41744.61	राशि केवल 189 निकायों से सम्बन्धित है। शेष 12 निकायों के लेखे प्रस्तुत नहीं किये गए।
14(1) एवं 14(2)	123	14739.88	-	राशि केवल 36 निकायों से सम्बन्धित है। शेष 87 निकायों के वार्षिक लेखाओं को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

31 मार्च 1997 को 15 विश्वविद्यालयों सहित 201 केन्द्रीय स्वायत्त निकाय (वैज्ञानिक विभागों के अंतर्गत आने वालों के अतिरिक्त) थे जिनके वार्षिक लेखे नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19 (2) तथा 20(1) के अंतर्गत एकमात्र लेखापरीक्षक के रूप में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित किए जाने थे। संघ सरकार द्वारा 1996-97 के दौरान 189 स्वायत्त निकायों को क्रमशः 3287.66 करोड़ रु. तथा 417.45 करोड़ रु. राशि के अनुदान तथा ऋण दिए गए थे (परिशिष्ट III)। इनमें से 13 विश्वविद्यालयों द्वारा 320.55 करोड़ रु. की सीमा तक के अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/केन्द्रीय सरकार से प्राप्त किए गए थे (परिशिष्ट-IV)। दो विश्वविद्यालयों सहित शेष 12 निकायों के संबंध में 1996-97 के वार्षिक लेखाओं को संबंधित निकायों द्वारा अन्तिम रूप नहीं दिया गया है तथा इस प्रकार उनके द्वारा प्राप्त की गई सरकारी अनुदान की राशि जनवरी 1998 तक उपलब्ध नहीं है (परिशिष्ट-V)।

(iii) 31 मार्च 1997 को 123 अन्य केन्द्रीय स्वायत्त निकाय (वैज्ञानिक विभागों के अंतर्गत आने वालों के अतिरिक्त) थे जिनके वार्षिक लेखे प्रारंभ में चार्टर्ड लेखाकारों आदि द्वारा लेखापरीक्षित किए जाते हैं तथा अनुपूरक लेखापरीक्षा, अधिनियम की धारा 14(1) तथा 14(2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। जनवरी 1998 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार इन निकायों में से 36 निकायों ने 1996-97 के दौरान संघ सरकार से 147.40 करोड़ रु राशि के अनुदान तथा कर्जे प्राप्त किए (परिशिष्ट-VI)। इन निकायों में से 87 निकायों के संबंध में वार्षिक लेखाओं को संबंधित निकायों द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया गया था (परिशिष्ट-VII)।

2. उपयोग प्रमाण-पत्र

1976 में लेखाओं के विभागीयकरण के परिणामस्वरूप सांविधिक निकायों, गैर-सरकारी संस्थानों आदि को जारी किए गए अनुदानों के संबंध में संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा लेखा नियंत्रकों को अनुदानों के उपयोग प्रमाणपत्र, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुदानों का उन्हीं प्रयोजन के लिए समुचित रूप से उपयोग किया गया था जिनके लिए वे संस्वीकृत किए गए थे, भेजे जाने अपेक्षित थे। मार्च 1996 के अंत में बकाया उपयोग प्रमाणपत्रों की स्थिति दशनि वाला मंत्रालय/विभाग-वार विवरण परिशिष्ट-VIII में दिया गया है। सूचना और प्रसारण, रसायन एवं पेट्रोरसायन, कल्याण विधि एवं न्याय, भारत का उच्चतम न्यायालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नागर विमानन एवं पर्यटन, नागरिक आपूर्ति के मंत्रालयों/विभागों तथा संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ ने अपेक्षित सूचना नहीं भेजी है।

मार्च 1997 के अंत में दस प्रमुख मंत्रालयों/विभागों से 2936.40 करोड़ रु. राशि के बकाया कुल 23431 उपयोग प्रमाणपत्रों में से 500.34 करोड़ रु. राशि के 17281 प्रमाणपत्र 1993-94 तक जारी किए गए अनुदानों से संबंधित है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :-

31 मार्च 1997 को बकाया उपयोग प्रमाणपत्र

(करोड़ रु में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	सितम्बर 1995 तक जारी किए गए अनुदानों के संबंध में		1993-94 तक जारी किए गए अनुदानों के संबंध में	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	कृषि	364	247.14	243	68.71
2.	अंडमान व निकोबार प्रशासन	31	4.84	11	1.07
3.	वाणिज्य एवं वस्त्र				
	(i) वाणिज्य	73	88.08	61	5.30
	(ii) हस्तशिल्प विकास आयुक्त, दिल्ली	734	13.20	373	7.94
4.	खाद्य संसाधन उद्योग	201	16.80	120	11.25
5.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण				
	(i) स्वास्थ्य	952	265.61	593	94.28
	(ii) परिवार कल्याण	780	67.91	210	5.80
6.	मानव संसाधन विकास				
	(i) महिला एवं बाल विकास	6321	725.76	4965	5.11
	(ii) युवा मामले एवं खेल	2216	106.20	1625	46.70
	(iii) शिक्षा	7887	1021.05	6521	5.53
	(iv) संस्कृति	2783	179.50	2024	125.03
7.	श्रम	407	15.18	108	1.56
8.	योजना एवं सांख्यिकी				
	(i) योजना आयोग एवं राष्ट्रीय सूचनात्मक केन्द्र	137	9.99	71	0.82
9.	विद्युत	114	28.52	70	10.84
10.	शहरी मामले एवं रोजगार	431	146.62	286	110.40
	जोड़	23431	2936.40	17281	500.34

इससे यह प्रकट होता है कि सांविधिक निकायों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को अनुदान जारी करने वाले प्राधिकरणों ने अनुदानों के उचित उपयोग को मॉनीटर नहीं किया।

3. नियमों को गलत लागू करने के कारण वेतन एवं भत्तों का अधिक भुगतान - 1.19 करोड़ रु

अ.जा./अ.ज.जा. समुदाय को लागू निर्धारित 40 प्वाइंट रोस्टर की अनुपालना में आरक्षण आदेशों को लागू करते समय काँफी बोर्ड ने 1969 से विभिन्न पदों पर प्वाइंट से प्वाइंट के आधार पर पदोन्नतियां कीं। तथापि बाद में यह ध्यान में आया (1983) कि प्वाइंट से प्वाइंट के आधार पर पदों के भरने की क्रियाविधि ब्रोचर के प्रावधानों के विपरीत थी क्योंकि रोस्टर अ.जा./अ.ज.जा. समुदाय के लिए अभिनिर्धारित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए थे न कि नियुक्ति अथवा वरिष्ठता के क्रम का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए। परिणामतः बोर्ड द्वारा 1985 तक सभी संवर्गों में की गई पदोन्नतियों का जनवरी 1989 में “पुनरीक्षण विभागीय पदोन्नति समिति” द्वारा पुनरीक्षण किया गया था। पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप 337 अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्नतियों की तिथियां आगे बढ़ गईं। तथापि मू.नि. 31 (क) के अन्तर्गत भारत सरकार के आदेशों के विपरीत बोर्ड ने किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को प्रत्यावर्तित नहीं किया तथा पदों को अतिरिक्त मान लिया और उन्हें बिना कटौती के ही अपना वेतन आहरित करने की अनुमति दे दी इसके परिणामस्वरूप जनवरी 1989 से जून 1996 की अवधि के लिए 1.19 करोड़ रु. का अधिक भुगतान हुआ।

बोर्ड ने मू.नि.31 (क) के अन्तर्गत भारत सरकार के आदेशों को लागू करने में छूट देकर अधिक किये गए भुगतान को छोड़ देने के लिए अनुमोदन देने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया था (अप्रैल 1996)। उत्तर में मंत्रालय ने काँफी बोर्ड को सम्बद्ध कर्मचारियों तथा भूतपूर्व कर्मचारियों को किये गए अधिक भुगतान की वसूली के लिए कार्यवाही करने के निर्देश दिये (जुलाई 1997)। सितम्बर 1997 तक इस मामले में अगली प्रगति की प्रतीक्षा थी।

4. परिहार्य व्यय

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (भा.वि.व्या.सं.) के समस्त भवन को केन्द्रीय वातानुकूलित करने के लिए मंत्रालय के अनुमोदन की प्रत्याशा में उसने प्राइवेट विद्युत ठेकेदार द्वारा निर्धारित विद्युत भार प्राप्त किया तथा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (दि.वि.प्र.सं.) के साथ 1647 के.वी.ए. की न्यूनतम संविदा मांग के आधार पर बिजली की आपूर्ति हेतु दिसम्बर 1985 में पांच वर्ष की अवधि के लिए एक अनुबंध किया।

तथापि, मंत्रालय ने भवन के केवल पहले तीन तलों को वातानुकूलित करने का अनुमोदन किया। भा.वि.व्या.सं. के वास्तुकार ने मार्च 1986 में विद्युत भार की आवश्यकताओं का पुनर्निर्धारण किया तथा 1000 के.वी.ए. के भार की सिफारिश की। तथापि, दि.वि.प्र.सं., केवल पांच वर्ष के अनुबंध की समाप्ति के बाद ही ठेके की कटौती के मामले की पुनरीक्षा करने के लिए सहमत हुआ। परिणामतः भा.वि.व्या.सं. के दि.वि.प्र. सं. को 1647 के.वी.ए. के संविदाकृत भार के आधार पर नियत प्रभारों के भुगतान करने पड़े थे जिसके परिणामस्वरूप दिसम्बर 1985-20 मार्च 1991 के दौरान 11.24 लाख रु का परिहार्य व्यय हुआ।

दि.वि.प्र.सं. ने 21 मार्च 1991 से मांग को 1000 के.वी.ए. तक कम कर दिया। अगस्त 1996 में ऊर्जा प्रबन्ध सैल, पी.एच.डी.- वाणिज्य एवं उद्योग चैम्बर, नई दिल्ली द्वारा वास्तविक ऊर्जा मांग का एक अध्ययन किया गया था जिसने यह सूचित किया कि 1000 के.वी.ए. की संविदा मांग बहुत अधिक थी जिसके कारण भा.वि.व्या.सं. से बहुत अधिक वित्त का निष्कर्षण हुआ था। उसने मांग को पूरा करने के लिए केवल 600 के.वी.ए. के भार की सिफारिश की।

मंत्रालय ने जून 1997 में बताया कि दि.वि.प्र.सं. द्वारा 21 फरवरी 1997 से विद्युत भार 1000 के.वी.ए. से घटाकर 600 के.वी.ए. कर दिया गया था। 21 मार्च 1991 से 20 फरवरी 1997 की अवधि के दौरान 400 के.वी.ए. का अत्यधिक विद्युत भार था जिसके परिणामस्वरूप 23.22 लाख रु का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

उचित ढंग से ऊर्जा मांग को निर्धारित करवाए बिना दीर्घकालिक अनुबंध करने में भा.वि.व्या.सं. की अविवेकपूर्ण कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप 34.46 लाख रु का परिहार्य व्यय हुआ।

5 निरीक्षण प्रभारों पर परिहार्य व्यय

भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (भा.प्र.वि.बो.) अधिनियम 1992 की धारा 11(2) (ट) भा.प्र.वि.बो को इसके साथ पंजीकृत म्युचुअल फंड के निरीक्षण तथा लेखापरीक्षा करने के लिए शुल्क तथा अन्य प्रभार उगाहने की शक्ति प्रदान करता है।

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 1994-95 से पूर्व सात म्युचुअल निधियां थी जिनका भा.प्र.वि.बो द्वारा निरीक्षण किया गया था। 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान म्युचुअल फंड की संख्या 26 तथा 37 तक बढ़ गई। चूंकि निरीक्षण करने के लिए भा.प्र.वि.बो. की अपनी पर्याप्त शक्ति नहीं थी, 1994-96 के दौरान निरीक्षण चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों के माध्यम से किये गए जिसके लिए उन्हें 33 म्युचुअल फंडों के सम्बन्ध में निरीक्षण प्रभारों के लिए 60.08 लाख रु का भुगतान किया गया था। भा.प्र.वि.बो. के अधिनियम, 1992 की धारा 11(2)(ट) के अन्तर्गत ऐसा करने की शक्ति होने के बावजूद म्युचुअल फंड से इन प्रभारों को वसूल करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप 60.08 लाख रु का परिहार्य व्यय हुआ।

मामला मंत्रालय को जून 1997 में भेजा गया था; जनवरी 1998 तक उनका उत्तर प्रतिक्षित था।

6. एशियाई समिति, कलकत्ता

6.1 प्रस्तावना

एशियाई समिति, कलकत्ता की स्थापना जनवरी 1784 में हुई थी तथा उसका पंजीकरण 1860 के समिति पंजीकरण अधिनियम XXI के अन्तर्गत हुआ था। 1861 के पश्चिमी बंगाल समिति पंजीकरण अधिनियम (XXVI) के अधिनियमन तथा पूर्वोक्त अधिनियम के रद्द कर दिए जाने के साथ ही समिति नए अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत मान ली गई थी। इसे जून 1984 से प्रभावी संसद के अधिनियम (एशियाई समिति अधिनियम) के द्वारा जनवरी 1984 में “राष्ट्रीय महत्व का संस्थान” घोषित कर दिया गया था।

समिति के मुख्य कार्य तथा उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ एशिया की भौगोलिक सीमाओं के अन्दर प्रकृति द्वारा उत्पादित अथवा मानव द्वारा निष्पादित सीमा तक मानविकी तथा विज्ञान में अनुसंधान आयोजित, प्रारंभ तथा प्रोत्साहित करना; अनुसंधान संस्थान, पठन कक्ष, संग्रहालय, कला दीर्घाएं, सभा भवन तथा व्याख्यान हॉल स्थापित करना, अनुरक्षित करना तथा चलाना; समिति के उद्देश्यों के सहायतार्थ व्याख्यान, संगोष्ठियां, चर्चा, बैठकें तथा मैडलों के पुरस्कार, इनाम तथा छात्रवृत्तियां आयोजित करना; समिति द्वारा उसके उद्देश्यों के प्रोत्साहन हेतु सही मानी जाने वाली पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि प्राप्त करना, वित्तपोषित करना अथवा प्रकाशित करना तथा समिति के उद्देश्यों के प्रोत्साहन हेतु न्यास निधियों की स्थायी निधियां सर्जित करना हैं।

6.2 लेखापरीक्षा का कार्य-क्षेत्र

समिति के उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए 1992-97 की अवधि के लिए समिति के मुख्य क्रियाकलापों का जून/जुलाई 1997 के दौरान समिति के अभिलेखों की नमूना जांच के द्वारा लेखापरीक्षा में पुनरीक्षण किया गया था।

6.3 संगठनात्मक ढांचा

समिति के कार्यों का प्रशासन, संचालन तथा प्रबंध, एक अध्यक्ष, चार उपाध्यक्षों, एक महासचिव, एक कोषाध्यक्ष तथा परिषद द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए समय-समय पर नामित अतिरिक्त सचिवों को शामिल करते हुए न्यूनतम

18 तथा अधिकतम 26 सदस्यों वाली एक परिषद को सौंपा गया है। समिति की स्थायी वित्त समिति, सभी वित्तीय मामलों पर परिषद के साथ विचार करती है तथा उसे परामर्श देती है। इसके अतिरिक्त परिषद, ऐसी प्रशासनिक तथा विशिष्ट समितियों का गठन तथा नियंत्रण कर सकती है जो समिति के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए अपेक्षित हैं।

6.4 मुख्य बातें

- 1992-97 की अवधि के दौरान, समिति ने कुल 81.16 लाख रु की निधि को योजनागत से योजनेत्तर को अंतरित कर दिया था ताकि स्टाफ पर होने वाले व्यय को पूरा किया जा सके।

(पैराग्राफ 6.5.1)

- अनुसंधान गतिविधियों तथा योजनाओं के अन्तर्गत यद्यपि 68 सदस्य/सहयोगी नियुक्त किए गए थे तथा 103.13 लाख रु खर्च किए गए थे, तथापि परिणाम और वह भी केवल 5 सदस्यों/सहयोगियों के अनुसंधान निष्कर्ष के भाग के रूप में ही प्रकाशित किए गए थे। प्रारम्भ किए गए कार्य की कोई प्रगति रिपोर्टें सदस्यों/सहयोगियों द्वारा पर्यवेक्षी मार्गदर्शक/पर्यवेक्षक को प्रस्तुत नहीं की गई थी।

(पैराग्राफ 6.6.1)

- परियोजना विश्वकोष एशियाटिका यद्यपि मार्च 1997 तक पूरी की जानी थी, तथापि उसने आमंत्रित निबंधों के केवल 58 प्रतिशत निबंध ही प्राप्त किए थे। इसके अतिरिक्त मूल्यांकन, चयन कार्य आरम्भ किए जाने थे। खण्ड VI-X के सम्बंध में कोई कार्य शुरू नहीं हुआ था (दिसम्बर 1997)।

(पैराग्राफ 6.6.2)

- संग्रहालय क्रियाकलापों के अन्तर्गत कुल 45616 हस्तलिपियों में से, केवल 36285 प्राप्त हुई थी तथा 22440 सूचीबद्ध तथा मुद्रित की गई थी। यद्यपि कुछ संग्रहालय पदार्थ गुम अथवा लापता हो गए थे, उन्हें ढूंढने, वापिस प्राप्त पदार्थों की यथार्थता की जांच करने अथवा हानि का उत्तरदायित्व नियत करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

(पैराग्राफ 6.7.1)

- समिति के पुस्तकालय ने उसके पास रखी 144110 पुस्तकों में से केवल 23853 पुस्तकें ही अनुवृद्धि पंजिका में दर्ज की थीं। पुस्तकों का कोई प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 6.8.1)

- पुस्तकालय स्वचालन कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए 19.35 लाख रु की लागत पर प्राप्त तथा प्रतिष्ठापित कम्प्यूटर बेकार पड़े थे तथा समुचित सॉफ्टवेयर के अभाव में उनका उपयोग नहीं हो रहा था।

(पैराग्राफ 6.8.2)

- पत्रिकाओं तथा पुस्तकों के प्रकाशन पर किए गए 39.67 लाख रु के व्यय के प्रति, बिक्री प्राप्तियों से केवल 8.58 लाख रु की राशि ही वसूल की गई थी तथा अनबिके प्रकाशन का एक बड़ा स्टॉक पड़ा था जो कि प्रकाशन से संबंधित स्पष्ट नीति के अभाव का सूचक था।

(पैराग्राफ 6.9.1)

- दूसरा माइक्रोफिल्म कैमरा रैप्रोग्राफी यूनिट द्वारा 9.74 लाख रु की लागत पर मार्च 1995 में प्राप्त किया गया था, तो भी पिछले तीन वर्षों के दौरान एक भी चीज की माइक्रोफिल्म नहीं बनाई गई थी।

(पैराग्राफ 6.10)

6.5 वित्त

समिति का वित्तपोषण मुख्यतः भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदानों से किया जाता है। यह सदस्यता अंशदानों, किराए, लाइसेंस-शुल्क, छात्रावास-प्रभारों, प्रकाशनों की बिक्री, माइक्रोफिल्मिंग तथा सामग्री की फोटोप्रति आदि के लिए सेवा-प्रभारों के माध्यम से भी निधियां प्राप्त अथवा उपार्जित करता है।

6.5.1 1992-97 के वर्षों के दौरान समिति की प्राप्तियां तथा भुगतान निम्नानुसार थे :

(लाख रु में)

वर्ष	अन्य शेष	प्राप्तियाँ			कुल प्राप्तियाँ
		योजनागत	योजनेत्तर	अन्य	
1992-93	4.60	79.99	86.77	23.03	194.39
1993-94	5.62	129.65	91.95	30.00	257.22
1994-95	3.45	235.80	126.47	42.13	407.85
1995-96	29.61	220.00	129.00	46.96	425.57
1996-97	18.06	166.14	77.25	54.45	315.90

(लाख रु में)

वर्ष	भुगतान		कुल भुगतान	अन्त शेष
	योजनागत	योजनेत्तर		
1992-93	72.13	116.64	188.77	5.62
1993-94	121.43	132.34	253.77	3.45
1994-95	213.53	164.71	378.24	29.61
1995-96	227.79	179.72	407.51	18.06
1996-97	117.97	196.47	314.44	1.46

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि 81.16 लाख रु के योग के योजनागत अनुदानों का 1992-97 के वर्षों के दौरान योजनेत्तर व्यय के लिए विपथन किया गया था। निधियों के विपथन हेतु भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। दिसम्बर 1997 में तथ्यों को स्वीकार करते समय समिति ने बताया कि यह विपथन स्टाफ को दिए जाने वाले वेतन के व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक था।

6.5.2 समिति के पास अत्यधिक प्राचीन मान्यता की पुरानी तथा दुर्लभ हस्तलिपियों, सिक्कों, चित्रों, अभिलेखों आदि का बड़ा भण्डार था। इन पदार्थों में से किसी का भी मूल्य नहीं लगाया गया था तथा इसीलिए उन्हें समिति के वार्षिक लेखाओं में नहीं दर्शाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप समिति की परिसम्पत्तियों को काफी मात्रा में कम दर्शाया गया था। समिति ने बताया (दिसम्बर 1997) कि मामला विचार तथा निर्णय हेतु मंत्रालय के साथ उठाया जाएगा।

6.6 अनुसंधान क्रियाकलाप तथा योजनाएं

समिति ने विद्वान लोगों का ध्यान भारतीय सभ्यता के विविध रूपों तथा भारतीय सांस्कृतिक परम्परा की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से दक्षिण पूर्वी एशियन अध्ययन, इस्लामिक संस्कृति तथा सभ्यता, लोक साहित्य, विज्ञान का इतिहास, भेषज इतिहास, भाषा तथा भाषाविज्ञान, सर्वव्यापक आध्यात्मिक मूल्यों, प्राच्य अध्ययन, भारत-विद्या, तिब्बती अध्ययन, टैगोर अध्ययन, शब्दकोष परियोजना तथा एशियाई समिति के इतिहास के क्षेत्र में कई अनुसंधान कार्यक्रम प्रारम्भ किए।

6.6.1 समिति ने इन अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए 1992-97 के दौरान 68 सदस्य/सहयोगी नियुक्त किए तथा पांच वर्षों के दौरान समस्त क्रियाकलापों पर 1.03 करोड़ रु खर्च किए जिनका विवरण नीचे दिया गया है :

वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में सदस्य/सहयोगी	भाग लेने वाले सदस्य/सहयोगी	जोड़	छोड़ने वाले सदस्यों/सहयोगियों की सं.	वर्ष के अन्त में सदस्य/सहयोगी	व्यय (लाख रु में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1992-93	10	31	41	4	37	5.24
1993-94	37	21	58	5	53	14.19
1994-95	53	9	62	7	55	25.37
1995-96	55	2	57	10	47	28.74
1996-97	47	5	52	9	43	29.59
जोड़		68		35		103.13

(i) यह देखा गया कि 1992-97 के वर्षों के दौरान समिति ने 68 अनुसंधान सदस्यों में से 5 सदस्यों द्वारा किए गए अनुसंधान का मात्र आंशिक परिणाम प्रकाशित किया।

(ii) समिति के उप-नियमों में यह प्रावधान है कि अनुसंधान सदस्यों/सहायकों द्वारा किए गए कार्य की प्रगति का मार्गदर्शक/पर्यवेक्षक द्वारा पर्यवेक्षण किया जाएगा जो प्रत्येक छः मास के पश्चात् प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। अभिलेखों से ज्ञात हुआ कि समिति ने मार्च 1997 तक किसी भी सदस्य/सहायक अथवा पर्यवेक्षक से उनके द्वारा किए गए कार्यों की कोई प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं की थी।

अभिलेखों के पुनरीक्षण से यह भी ज्ञात हुआ कि सदस्य/सहायक नियुक्त कर लिए गए थे तथा उन्हें 8 से 44 महीने की अवधि के लिए मार्गदर्शक/पर्यवेक्षकों के बिना अनुसंधान जारी रखने की अनुमति दे दी गई थी।

6.6.2 1994-95 के दौरान “विश्वकोष एशियाटिका” नाम की एक परियोजना प्रारम्भ की गई थी जिसका उद्देश्य मानव-जाति, भौतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, प्रौद्योगिकी तथा ऐसे अन्य क्षेत्रों में एशिया तथा एशियाई लोगों के महत्वपूर्ण अंशदान को उजागर करने के लिए नौ खण्डों की श्रृंखला प्रकाशित करना था। मार्च 1997 तक परियोजना को पूरा करने के लिए काम को विकेंद्रित कर दिया गया था तथा उसे आठ वृत्तिछात्रों में बांट दिया गया था तथा प्रत्येक ने एक खण्ड प्रकाशित करना था तथापि, यद्यपि मानदेय तथा प्रासंगिक प्रभारों पर 1996-97 तक 9.92 लाख रु का व्यय किया जा चुका था, मार्च 1997 की निर्धारित तिथि तक केवल 58 प्रतिशत आमंत्रित निबंध ही प्राप्त हुए थे जिनका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :

भाग सं	शीर्ष	आमंत्रित निबंधों की सं	प्राप्त निबंधों की सं
I	भूमि तथा लोग	242	193
II	इतिहास	97	15
III	सामाजिक तथा राजनैतिक संस्थाएं	35	27
IV	भाषा तथा साहित्य	235	231
V	धर्म, दर्शन तथा आध्यात्मिकता	429	132
VI	कला
VII	अर्थ व्यवस्था
VIII	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी
IX	इंडाइसेज़
	कुल	1038	598

इसके अतिरिक्त प्राप्त निबंधों का मूल्यांकन, चयन, सम्पादन तथा प्रकाशन अभी प्रारम्भ किया जाना था। खण्ड VI से IX के संबंध में निबंधों को आमंत्रित करने का प्रारम्भिक कार्य भी अभी तक (दिसम्बर 1997) प्रारम्भ नहीं किया गया था।

6.7 संग्रहालय क्रियाकलाप

6.7.1 मार्च 1997 तक समिति के पास बहुत सी हस्तलिपियां, अभिलेख, प्रतिमाएं, सिक्के, चित्र, फोटोग्राफ, नक्काशी, प्रिन्ट, पत्र आदि थे। लेखापरीक्षा जांच से ज्ञात हुआ कि समिति द्वारा दावित कुल 45616 हस्तलिपियों में से दिसम्बर 1997 तक केवल 36285 पंजीकृत की गई थीं तथा 22440 सूचीबद्ध तथा मुद्रित की गई थीं तथा क्रमशः 9331 तथा 23176 हस्तलिपियां अपंजीकृत तथा सूचीबद्ध थी। समिति ने इसका कारण हस्तलिपियों को पुरानी अलमारियों से नए सुसंबद्ध भण्डारण यूनिटों को अंतरण बताया (दिसम्बर 1997) जिन्हें अभी पूरा किया जाना था। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि उनकी प्राप्ति तथा सूची पहले ही बन जानी चाहिए थी क्योंकि हस्तलिपियां समिति के पास लम्बे समय से पड़ी हुई थीं।

6.7.2 निम्नलिखित संग्रहालय पदार्थों में से यद्यपि कई नष्ट तथा गुम हो गए थे, तथापि समिति द्वारा उन्हें ढूँढने अथवा वापिस किए गए पदार्थों की यथार्थता की जांच के लिए अथवा उत्तरदायित्व नियत करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

(i) समिति के “अस्त्रसहश्रिका प्रोजना पैरामिटा” हस्तलिपि के “तारा तथा उपदेशकर्ता बुद्ध” के प्रबोधन के साथ ही दो नेपाली ताड़पत्र पन्ने जो गुम मान लिए गए थे, बाद में महानगर कला संग्रहालय, न्यूयार्क में पाए गए थे। पन्नों की वापसी से संबंधित विवरण/अभिलेख, प्राप्ति की तिथि अथवा विशेषज्ञों द्वारा पन्नों की यथार्थता को प्रमाणित करते हुए लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

(ii) 1906 तक कुछ सोने के सिक्के समिति के कब्जे में आए, परन्तु 1949 तक इन सिक्कों की कोई सूची नहीं बनाई गई थी। समिति की अभिरक्षा में सोने के सिक्कों की संख्या 1949 में 118 थी। तथापि, 1969 की ‘ईयर-बुक’ (भाग-XII-1970) में यह संख्या 123 दर्शाई गई थी। सोने के सिक्कों का पिछला प्रत्यक्ष सत्यापन 1983 के दौरान किया गया था जिसकी सूची में 112 सोने के सिक्के, दो छोटे टूटे हुए टुकड़े तथा छः बहुत छोटे-छोटे टुकड़े दर्शाए गए थे। यह भी समझा गया कि सात सोने के सिक्के खो गए होंगे। समिति ने दिसम्बर 1997 में

बताया कि मोहरबन्द तहखाने में रखे गए सिक्कों का अभी हाल ही में प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था तथा उसकी रिपोर्ट दिसम्बर 1997 तक प्रतीक्षित थी।

6.8 पुस्तकालय

6.8.1 पुस्तकालय के पास मार्च 1997 तक 144110 पुस्तकें तथा 77583 जिल्दबंद जर्नल थे। लेखापरीक्षा को प्रस्तुत अभिलेखों से ज्ञात हुआ कि अनुवृद्धि पंजिका में केवल 23853 पुस्तकें ही दर्ज की गई थीं तथा 120257 पुस्तकें (83.45 प्रतिशत) दर्ज नहीं की गई थी। यह भी देखा गया था कि पुनरीक्षणाधीन 5 वर्षों के दौरान पुस्तकों तथा जर्नलों का कोई प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था।

इस प्रकार, एक विशाल तथा अमूल्य दाय वाली पुरातन तथा ख्याति प्राप्त समिति अपनी संग्रहीत पुस्तकों तथा जर्नलों के एक बड़े भाग का अस्तित्व सुनिश्चित नहीं कर सकी।

6.8.2 एक पुस्तकालय स्वचालन कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए समिति ने भारत सरकार के एक उपक्रम कम्प्यूटर अनुरक्षण निगम (क.अ.नि.) से एक उन्नत पुस्तकालय प्रबन्ध पैकेज को प्राप्त करने का निर्णय लिया (1992-93)। हार्डवेयर सर्वरों तथा टर्मिनलों सहित पैकेज अप्रैल 1994 में प्रतिष्ठापित किया गया तथा कम्पनी को 19.35 लाख रु का भुगतान किया गया। पैकेज को चलाने के लिए अपेक्षित समुचित सॉफ्टवेयर की कमी के कारण चालू नहीं किया जा सका तथा उसे बाद में दिसम्बर 1996 में समिति द्वारा रद्द कर दिया गया था। इस उद्देश्य के लिए प्राप्त कम्प्यूटरों तथा सहायक पुरजों का उपयोग करने के लिए एक वैकल्पिक पैकेज/प्रोग्राम को शुरू करने के लिए कोई प्रगति नहीं हुई थी। इस प्रकार, जिस उद्देश्य के लिए परियोजना शुरू हुई थी उसे प्राप्त नहीं किया जा सका और कम्प्यूटरों तथा सहायक पुरजों का आज तक (दिसम्बर 1997) कोई उपयोग नहीं किया जा सका।

6.9 प्रकाशन

6.9.1 समिति का एक मुख्य उद्देश्य उसके क्रियाकलापों की प्रौन्नति हेतु पत्रिकाएं/पुस्तकें तथा अन्य साहित्य प्राप्त करना, वित्तपोषित करना तथा प्रकाशित करना था। प्रकाशनों के स्टॉक रजिस्ट्रों के पुनरीक्षण से ज्ञात हुआ कि 1992-97 के दौरान समिति ने 39.67 लाख रु की कुल लागत पर 67 पुस्तकें तथा जर्नल

प्रकाशित किए जिनमें से 13 पिछले प्रकाशनों के पुनर्मुद्रण थे। आज तक प्रकाशनों की कुल संख्या 500 थी (दिसम्बर 1997)। 1997 तक पांच वर्षों के दौरान वसूल की गई बिक्री प्राप्तियां केवल 8.58 लाख रु थी क्योंकि काफी संख्या में प्रकाशनों की बिक्री नहीं हुई थी।

अन्य बातों के साथ-साथ प्रकाशित किए जाने वाले क्रियाकलापों के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करने वाले उसके प्रकाशनों से संबंधित योजना/नीति के अभाव में, मांग के निर्धारण तथा स्टॉक की बिक्री के प्रोत्साहन के नहीं होने के परिणामस्वरूप 1996-97 तक 44.28 लाख रु की लागत के विभिन्न प्रकाशनों के अनबिके स्टॉक का संचय हुआ।

6.9.2 समिति ने अपने प्रकाशन यूनिट के लिए मई 1994 में 4.10 लाख रु की लागत से एक डेस्क टॉप प्रकाशन प्रणाली (डे.टॉ.प्र.) तथा मार्च 1997 में 4.36 लाख रु की लागत से दूसरी प्रणाली खरीदी। प्रकाशन यूनिट ने आज तक डे.टॉ.प्र. का उपयोग नहीं किया था। 8.46 लाख रु की लागत की दोनों डे.टॉ.प्र. बेकार पड़ी हुई थीं जिससे इनकी प्राप्ति का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका तथा इसके अतिरिक्त निवेश का भी कोई लाभ नहीं हुआ।

6.10 रेप्रोग्राफी

समिति के रेप्रोग्राफी यूनिट की स्थापना 1964 में हुई थी तथा उसके पुराने तथा दुर्लभ संग्रहण के प्रलेखन तथा संरक्षण के उद्देश्य से माइक्रोफिल्म कैमरा, माइक्रोफिचेज़ तथा अन्य इलैक्ट्रॉनिक यन्त्र जैसे आधुनिक तथा परिष्कृत उपकरण खरीद कर 1985 में उसे और बढ़ाया गया था।

समिति, जिसके पास एक माइक्रोफिल्म कैमरा था, ने यूनिट के आधुनिकीकरण हेतु 9.74 लाख रु की लागत से मार्च 1995 में एक और माइक्रोफिल्म कैमरे की खरीद की। तथापि, यह देखा गया था कि 1992-95 के दौरान, एक भी मद की माइक्रोफिल्म नहीं बनाई गई थी; अतः एक और परिष्कृत कैमरा खरीदने का कोई औचित्य नहीं था।

समिति ने उत्तर दिया (दिसम्बर 1997) कि 1995-97 के दौरान माइक्रोफिल्म कैमरे से कुछ फोटो लिए गए थे।

मामला मंत्रालय को अक्टूबर 1997 में भेजा गया था; उनका उत्तर जनवरी 1998 तक प्रतीक्षित था।

7. साइंस सिटी, कलकत्ता

7.1 प्रस्तावना

राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (रा.वि.सं.प) कलकत्ता, भारत सरकार, संस्कृति विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय, है, तथा इसके अंतर्गत अनेक विज्ञान केन्द्र हैं। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, परिस्थितिक विज्ञान तथा आम आदमी के जीवन से सम्बन्धित अन्य विषयों में हुई नवीनतम प्रगति को प्रभावशाली तथा व्यक्तिगत अनुभव आधारित प्रस्तुतीकरण के जरिए प्रकाश में लाने के उद्देश्य से रा.वि.सं.प. ने अगस्त 1993 में कलकत्ता में साइंस सिटी की स्थापना की।

7.2 संगठनात्मक ढांचा

साइंस सिटी कलकत्ता, महानिदेशक (म.नि.) रा.वि.सं.प, के प्रत्यक्ष नियंत्रण में एक संस्थागत परियोजना है जिसने परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक परियोजना अधिकारी की नियुक्ति की।

साइंस सिटी की वैचारिक तथा व्यावहारिक योजना, विकास तथा प्रदर्शनियों की स्थापना तथा अन्य गतिविधियों के लिए महानिदेशक रा.वि.सं.प. के अधीन रा. वि.सं.प. के मुख्यालय कार्यालय में एक पृथक सैल की स्थापना की गई थी।

7.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

साइंस सिटी की लेखापरीक्षा नियंत्रक महालेखापरीक्षा (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 20 (1) के अन्तर्गत की जाती है। साइंस सिटी की स्थापना, वित्तपोषण, ठेके प्रदान करने तथा निर्माण कार्य की समीक्षा, लेखापरीक्षा द्वारा 1992-97 की अवधि के अभिलेखों की नमूना जांच करके अप्रैल-मई 1997 के दौरान की गई थी।

7.4 विशिष्टताएं

- यद्यपि परियोजना लागत 50 करोड़ रु से बढ़ गई थी, साइंस सिटी परियोजना के लिए आर्थिक कार्य मंत्रिमण्डलीय समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 7.5)

- साइंस सिटी के लिए निर्धारित 30 करोड़ रु के प्रति, रा.वि.सं.प. द्वारा 49.12 करोड़ रु की राशि अन्तरित कर दी गई थी।

(पैराग्राफ 7.6)

- रा.वि.सं.प. द्वारा अन्य इकाईयों/केन्द्रों/परियोजनाओं से 22.65 करोड़ रु हटाकर साइंस सिटी परियोजना में लगा दिए गये थे।

(पैराग्राफ 7.7)

- रा.वि.सं.प. द्वारा वास्तव में अधिप्राप्त सामग्री की लागत पर प्रतिशतता प्रभारों के परिहार्य भुगतान के परिणामस्वरूप एक ठेकेदार फर्म को 1.34 करोड़ रु का अनुचित भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 7.9क)

- ठेकेदार को 18.07 लाख रु के संग्रहण अग्रिम का अनियमित भुगतान किया गया था।

(पैराग्राफ 7.9 ख (i))

- 80.36 लाख रु के ब्याज मुक्त संग्रहण अग्रिम के अनियमित भुगतान के परिणामस्वरूप 6.84 लाख रु के ब्याज की हानि हुई।

(पैराग्राफ 7.9 ख (ii))

- यद्यपि सम्मेलन केन्द्र के निर्माण के अनुबन्ध में दिल्ली दर अनुसूची के अनुसार अनुसूचित मदों के लिए भुगतान की व्यवस्था थी, वास्तविक मदों के आधार पर भुगतान के परिणामस्वरूप एक मद के सम्बन्ध में ठेकेदार को 42.07 लाख रु का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 7.9 ख (iii))

- दर्शकों को सुखसुविधायें उपलब्ध करवाने के लिए निर्मित की गई सत्रह में से चौदह किओस्क किराये पर नहीं दी गई थीं तथा खाली पड़ी थीं।

(पैराग्राफ 7.9 ग)

7.5 परियोजना रिपोर्ट तथा लागत

साइंस सिटी 1992-97 के दौरान चालू की गई थी तथा जन साधारण के लिए जुलाई 1997 में खोली गई थी। म.नि., रा.वि.सं.प. के 15 मार्च 1993 के संक्षिप्त परियोजना प्रस्ताव में साइंस सिटी के पूरे होने का निर्धारित समय 1998 उल्लिखित किया गया था। लेखापरीक्षा को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करवाई गई थी।

साइंस सिटी की परियोजना लागत 60 करोड़ रु अनुमानित की गई थी, जिसमें से 30 करोड़ रु अथवा 50 प्रतिशत की व्यवस्था रा.वि.सं.प. द्वारा अपनी बचतों, बढ़ी हुई प्राप्तियों तथा प्राइवेट साधनों से की जानी थी। शेष 30 करोड़ रु में से 15 करोड़ रु प्रत्येक वर्ष रा.वि.सं.प. के माध्यम से मंत्रालय की बचतों से किश्तों में तथा 15 करोड़ रु योजना आयोग से विशेष अनुदान के रूप में दिये जाने थे।

चूंकि परियोजना की लागत 50 करोड़ रु से बढ़ गई थी इसलिए आर्थिक कार्य मंत्रिमण्डलीय समिति का पूर्व अनुमोदन अनिवार्य था परन्तु यह प्राप्त नहीं किया गया। साइंस सिटी पृथक लेखे रखता है जो कि रा.वि.सं.प. के समेकित लेखाओं में प्रदर्शित होते हैं।

7.6 निधियों का अन्तर्वाह तथा बाहिर्वाह

साइंस सिटी के लिए 1992-97 के पांच वर्षों के दौरान निधियों का अन्तर्वाह तथा बाहिर्वाह निम्न प्रकार था :

रोकड़ प्रबन्धन तथा निधियों का प्रवाह

प्राप्तियाँ

(लाख रु में)

वर्ष	अथ शेष	रा.वि.सं.प. से अन्तरित निधि	साइंस सिटी के लिए विशिष्ट अनुदान	अन्य प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ
1992-93	---	113.83	---	---	113.83
1993-94	110.00	803.17	90.00	9.53	1012.70
1994-95	31.29	1090.13	180.00	61.19	1362.61
1995-96	288.08	1456.81	300.00	561.32	2606.21
1996-97	102.17	878.79	---	397.34	1378.30
जोड़	531.54	4342.73	570.00	1029.38	6473.65

भुगतान

(लाख रु में)

वर्ष	पूंजीगत व्यय/अग्रिम/कर्जा/प्रेषण	राजस्व व्यय	लघु अवधि सावधि जमा में निवेश	कुल व्यय	अन्त शेष
1992-93	3.46	0.37	---	3.83	110.00
1993-94	369.07	9.17	603.17	981.41	31.29
1994-95	1368.82	34.88	274.00	1677.70	288.08
1995-96	2394.91	51.14	331.99	2778.04	102.17
1996-97	1527.45	69.18	14.25	1610.88	99.41
जोड़	5663.71	164.74	1223.41	7051.86	630.95

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित बातें ध्यान में आई :

- i) 1992-97 की कार्यान्वयन अवधि के दौरान रा.वि.सं.प. के कुल अनुदान में से साईस सिटी को कुल 49.12 करोड़ रु अन्तरित किये गये थे जो कि मार्च 1993 में मंत्रालय द्वारा सहमत हुये 30 करोड़ रु से बहुत अधिक थे।
- ii) मार्च 1993 में सहमत हुये 30 करोड़ रु के प्रति मार्च 1997 तक प्राइवेट साधनों से कोई निधि उपलब्ध नहीं करवाई गई थी।
- iii) साईस सिटी परियोजना को जारी की गई निधियां वर्ष के दौरान वास्तविक मांग से अधिक थीं जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक वर्ष के अन्त में भारी अव्ययित नकद शेष तथा लघु अवधि सावधि जमा हो गए।

7.7 निधियों का विपथन

1992-97 की अवधि के दौरान साईस सिटी परियोजना के लिए मंत्रालय से प्राप्त की गई राशि 25.22 करोड़ रु की थी। अवधि के दौरान आन्तरिक प्राप्तियां 5.95 करोड़ रु थी। इस प्रकार साईस सिटी के निर्माण के लिए उपलब्ध कुल निधि 31.17 करोड़ रु की थी। जिसके प्रति भुगतान किये गए अग्रिम सहित 53.82 करोड़ रु का व्यय किया गया था। तदनुसार, रा.वि.सं.प. द्वारा 22.65 करोड़ रु इसकी अन्य इकाईयों/केन्द्रों/परियोजनाओं से विपथित किये गये थे।

7.8 भूमि का अधिग्रहण

7.8.1 कलकत्ता नगर निगम (क.न.नि.) ने परियोजना को 30 एकड़ भूमि निःशुल्क आबंटित की तथा इसके अतिरिक्त निम्न प्रकार से तीन किश्तों में भुगतान योग्य 5 करोड़ रु के प्रीमियम पर 19.6 एकड़ भूमि पट्टे पर दी।

1993-94	2.50 करोड़ रु
1994-95	1.25 करोड़ रु
1995-96	1.25 करोड़ रु

पट्टा अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार भुगतान अनुसूची का पालन करने में विफल रहने पर क.न.नि. भूमि के आनुपातिक हिस्से का पुनः अधिग्रहण करने का हकदार होगा। तथापि यद्यपि 2.50 करोड़ रु की पहली किश्त का भुगतान क.न.नि. को मार्च 1994 तक कर दिया गया था, मई 1997 तक शेष दो किश्तों का भुगतान अभी किया जाना था।

7.9 निर्माण कार्य

क) सिविल निर्माण कार्य

रा.वि.सं.प. ने मुख्य सिविल कार्य भारत सरकार के उपक्रम मै. ब्रिज एण्ड रूफ क. तथा पश्चिम बंगाल सरकार के उपक्रम मै. मैकिनतोष बर्न लिमिटेड को लागत जमा के आधार पर दिया और इसके लिए खुली निविदा के ज़रिए मदवार दर संविदा का सहारा नहीं लिया, जिसके लिए कोई कारण दर्ज नहीं किए गए थे। चूंकि “लागत जमा” संविदाएं किसी अन्य तुलनीय प्रस्तावों के लाभ के बिना चुनिन्दा आधार पर दी गई थी, इसलिए निर्माण कार्य की लागत प्रभावकारिता की लेखापरीक्षा में जांच नहीं की जा सकी।

रा.वि.सं.प. ने दिल्ली दर अनुसूची 1993 के आधार पर, लागत जमा संविदा तथा लागत प्रतिशतता में वृद्धि तथा अनुसूचित और गैर-अनुसूचित मदों पर क्रमशः 15 तथा 17.5 प्रतिशत प्रतिशतता प्रभारों को स्वीकार किया। मै. ब्रिज एण्ड रूफ तथा मै. मैकिनतोष बर्न लिमिटेड के साथ निष्पादित समझौते के अनुसार प्रस्तावों में निर्माण कार्य के लिए आवश्यक सामग्री अर्थात् सीमेंट तथा स्टील की लागत सम्मिलित थी। तथापि, रा.वि.सं.प. ने बाद में (सितम्बर 1997) संशोधन करके सीमेंट तथा स्टील की अधिप्राप्ति के लिए सीधे भुगतान करने आरम्भ कर दिये जो कि उस समय ठेकेदारों के बाद के चल लेखा बिलों से काटे जाने थे। यद्यपि इन दो सामग्रियों की अधिप्राप्ति के लिए दायित्व रा.वि.सं.प. द्वारा लिया तथा वहन किया गया था, दो फर्मों को प्रतिशतता प्रभारों का भुगतान जारी रहा। मै.ब्रिज एण्ड रूफ द्वारा निर्माण कार्य के निष्पादन के लिए 7.70 करोड़ रु का अग्रिम भुगतान तथा मै. मैकिनतोष बर्न लिमिटेड द्वारा डायनामेशन केन्द्र भवन के निर्माण के लिए सामग्री की लागत हेतु रा.वि.सं.प. द्वारा 1.19 करोड़ रु के अग्रिम का भुगतान किया गया था। प्रतिशतता प्रभार के रूप में न्यूनतम 15 प्रतिशत पर सीमेंट तथा स्टील की लागत पर यह तत्व 1.34 करोड़ रु का था। चूंकि सामग्री की पूरी लागत रा.वि.सं.प. द्वारा वहन की गई थी, 1.34 करोड़ रु का भुगतान अनुचित था तथा दो फर्मों से वसूली योग्य था।

ख) ठेकेदार को सहायता

i) के.लो.नि.वि.नियम पुस्तक कुछ विशिष्ट तथा पूंजी सघन निर्माण कार्य जो कि एक करोड़ रु से कम की लागत का न हो, की निविदा की अनुमानित लागत का अधिकतम 10 प्रतिशत अथवा एक करोड़ रु, जो भी कम हो, के संबंध में संग्रहण अग्रिम तथा अग्रिम में दी गई राशि पर निर्धारित ब्याज प्रभारित करने की अनुमति प्रदान करता है। मै. एन्ड्र्यू यूल एण्ड क.लि. को आपूर्ति कार्य तथा विविध विद्युत उपकरणों को लगाने तथा स्पेस ओडिसी चरण I तथा चरण II के लिए विद्युत शक्ति की व्यवस्था के लिए क्रमशः 10.59 लाख रु तथा 7.48 लाख रु के संग्रहण अग्रिम का भुगतान किया गया था (जून-सितम्बर 1996)। दो चरणों में कार्य की अनुमानित/निविदागत लागत 95.00 लाख रु तथा 74.84 लाख रु थी। क्योंकि निविदा किये गये प्रत्येक कार्य की लागत एक करोड़ रु से कम थी तथा कार्य विशिष्ट प्रकृति का अथवा पूंजी सघन प्रकृति की नहीं थी, 18.07 लाख रु के संग्रहण अग्रिम का भुगतान अनियमित था तथा चूंकि कोई ब्याज प्रभारित नहीं किया गया था साईंस सिटी ने 1.90 लाख रु के राजस्व की हानि उठाई।

ii) अन्य कार्यों के सम्बन्ध में भी कुल 80.36 लाख रु के ब्याज मुक्त संग्रहण अग्रिमों का भुगतान किया गया था, परिणामतः इस सम्बन्ध में 6.84 लाख रु के राजस्व की हानि हुई।

iii) 'सम्मेलन केन्द्र' के निर्माण के लिए सितम्बर 1994 में ठेकेदार के साथ हस्ताक्षरित समझौते में मई 1994 के मूल मूल्यों को लेते हुये दिल्ली दर अनुसूची (दि.द.अ.) के अनुसार अनुसूचित मदों के लिए भुगतान तथा भारतीय रिजर्व बैंक के सूचकांक के अनुसार वृद्धि के लिए समायोजित किए जाने की व्यवस्था थी। स्पेस ओडिसी तथा डायनामेशन केन्द्र भवन के निर्माण के लिए भी वही शर्तें लागू थीं। तथापि, इन शर्तों के विपरीत आर.सी.सी.कार्यों में उपयोग किये गए विशिष्ट आकार के पत्थर चिप्स के मामले में ठेकेदार को वास्तविक मात्रा के आधार पर दरों की गणना करने की अनुमति दी गई जिसके परिणामस्वरूप 42.07 लाख रु का अतिरिक्त भुगतान हुआ। साईंस सिटी ने अप्रैल 1997 में बताया कि वास्तविक तथा पत्थर चिप्स की लागत के बीच भिन्नता के लिए ठेकेदार की क्षतिपूर्ति करने

के लिए यह अनिवार्य था। उत्तर मान्य नहीं है। क्योंकि अन्य मदों के लिए भुगतान सूचकांकित दि.द.अ. के अनुसार संगणित दरों से किया गया था।

ग) अन्य निर्माण कार्य

साइंस सिटी के दर्शकों को सुविधायें उपलब्ध करवाने के लिए मई 1996 तथा जनवरी 1997 के बीच 16.50 लाख रु की लागत पर 17 किओस्कों (वृष्टि शैडों सहित) का निर्माण किया गया था। यद्यपि जनवरी 1997 तक सभी किओस्कों तैयार हो चुकी थीं केवल 3 किओस्कें दो जुलाई 1997 तथा एक अक्टूबर 1997 में क्रमशः 5.00 लाख रु 5.43 लाख रु तथा 1.01 लाख रु के त्रैमासिक किराये पर उठाई गई थीं। तीसरी किओस्क का किराया कम होने का कारण अभिलेख में उपलब्ध नहीं था। फरवरी 1997 तक शेष 14 किओस्कें अभी किराये पर दी जानी थीं जिसके परिणामस्वरूप पूंजी का अवरोधन तथा राजस्व की हानि हुई (दिसम्बर 1997)।

7.10 मॉडल, प्रदर्शित वस्तुएं तथा वैज्ञानिक उपकरण

31 मार्च 1997 को तैयार मॉडलों निर्माणाधीन प्रदर्शित वस्तुओं का मूल्य केवल 2.91 लाख रु था जबकि निर्माणाधीन मॉडलों तथा प्रदर्शित वस्तुओं का मूल्य 582.24 लाख रु था। स्थापित किये जाने वाले मॉडलों तथा प्रदर्शित वस्तुओं की सूची, उनकी अनुमानित लागत, उनके अधिप्रापण, निर्माण तथा स्थापना की समय अनुसूची तथा व्यय के आंबटन की तुलना में प्रत्येक कार्य की स्थिति उपलब्ध नहीं थी और इसलिए लेखापरीक्षा में जांच नहीं की जा सकी।

मामला मंत्रालय को अक्टूबर 1997 में भेजा गया था; जनवरी 1998 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

विक्टोरिया मैमोरियल हॉल

8 परियोजना शुरू करने में विलम्ब

विक्टोरिया मैमोरियल हॉल (वि.मै.हॉ) के न्यासियों ने 1780 तथा 1830 के बीच भारत में काम करने वाले यूरोपियन कलाकारों द्वारा शानदार चित्रों को प्रत्यावर्तित तथा संरक्षित रखने के लिए प्रत्यावर्तन कार्यशाला परियोजना में संयुक्त रूप से काम करने के लिए कलकत्ता त्रिशताब्दी न्यास (क.त्रि.न्या.) लन्दन के साथ जुलाई 1990 में एक अनुबंध किया। लगभग 100 ऑयल चित्रों तथा 400 पानी वाले रंगों का पांच वर्षों की अवधि के अन्दर प्रत्यावर्तन किया जाना था तथा

उसके पश्चात् उन्हें 1995 के अन्त तक वि.मै.हॉ. की फिर से चमकाई गई दीर्घाओं में प्रदर्शित किया जाना था। ब्रिटिश प्रत्यावर्तकों के खाने, रहने तथा परिवहन से संबंधित खर्चा वि.मै.हॉ. द्वारा वहन किया जाना था। क.त्रि.न्या. ने जनवरी 1991 में प्रत्यावर्तन कार्य प्रारंभ किया था।

वि.मै.हॉ. ने नियंत्रित स्थिति में चित्रों का सुरक्षित प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए दीर्घा की क्षतिग्रस्त छत की मरम्मत का कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (भा.पु.स.) को सौंप दिया (अक्तूबर-दिसम्बर 1993)। भा.पु.स. को अक्तूबर-दिसम्बर 1993 में 14.20 लाख रु की पेशगी दी गई थी। तथापि, मई 1994 तक पूरा किया जाने वाला कार्य पूरा नहीं हुआ (अक्तूबर 1997)। इसी बीच, क.त्रि.न्या. ने मई 1997 तक 82 चित्र पूर्ण रूप से अथवा अंशतः तैयार किए थे, परन्तु दीर्घा, जहां पर प्रत्यावर्तित चित्र प्रदर्शित किए जाने थे, भा.पु.स. द्वारा मरम्मत कार्य पूरा न किए जाने के कारण चमकाई नहीं गई थी तथा प्रत्यावर्तित चित्र प्रदर्शित नहीं किए जा सके। वि.मै.हॉ. ने 1990-97 के दौरान ब्रिटिश प्रत्यावर्तकों के खाने, रहने तथा परिवहन पर 34.35 लाख रु खर्च किए थे।

मंत्रालय ने नवम्बर 1997 में बताया कि गैलरियों की मरम्मत, कर्मचारियों के आन्दोलन के कारण पूरी नहीं की जा सकी।

इस प्रकार दीर्घाओं का मरम्मत कार्य अगस्त 1997 तक पूरा न होने के कारण, प्रत्यावर्तकों पर किया गया 34.35 लाख रु का व्यय तथा भा.पु.स. के पास जमा कराए गए 14.20 लाख रु निष्फल सिद्ध हुए। इसके अतिरिक्त, पहले से प्रत्यावर्तित परन्तु नियंत्रित स्थितियों में प्रदर्शित न किए गए चित्रों का प्रतिकूल वातावरण में क्षतिग्रस्त होने का खतरा बना रहा। प्रत्यावर्तकों अथवा भा.पु.स. के साथ काम को शीघ्रता से करने के लिए वि.मै.हॉ. द्वारा की गई कार्यवाही, यदि कोई हो, को दशनि के लिए अभिलेख में कुछ नहीं था।

9 संचालन में हानि

बंगाल चेम्बर त्रिशताब्दी न्यास (न्यास) तथा विक्टोरिया मैमोरियल हॉल (वि.मै.हॉ.) के बीच जुलाई-अगस्त 1989 में हुये समझौते के अनुसार वि.मै.हॉ. ने नवम्बर 1991 में उपहार के रूप में स्वर और प्रकाश एवं श्रव्य दृश्य की सम्पूर्ण प्रणाली से बनी 'सोन-एट-ल्यूमिरे' की पूर्ण परियोजना प्राप्त की। 'गर्व एवं गौरव'

नामक शीर्षक की परियोजना कलकत्ता की कहानी पर थी तथा जन-साधारण को शैक्षिक मनोरंजन प्रदान करने के लिए थी। परियोजना का संचालन वि.मै.हॉ द्वारा स्वयं वित्त पोषण आधार पर किया जाना अपेक्षित था।

वि.मै.हॉ. ने 207360 दर्शकों को दिखाने के लिए 432 शो (प्रत्येक वर्ष अक्टूबर से जून के दौरान) संचालित करने की योजना तैयार की तथा क्रमशः 14.25 लाख रु तथा 14.15 लाख रु की वार्षिक आय तथा व्यय का अनुमान लगाया। शो फरवरी 1992 से आरम्भ हुये। 1992-97 (अक्टूबर 1997) तक पांच वर्षों के वित्तीय परिणामों का विवरण निम्न प्रकार है :-

(लाख रु में)

वर्ष	संचालित किये गए शो	दर्शकों की संख्या	व्यय	आय	हानि
1992-93	408	80756	6.37	5.35	1.02
1993-94	348	67526	7.63	4.56	3.07
1994-95	262	34792	6.40	2.34	4.06
1995-96	382	78562	8.61	4.04	4.57
1996-97	135	14819	10.38	1.06	9.32
1997-98	शून्य	शून्य	7.38	शून्य	7.38
					29.42

संचालित किये गए शो की संख्या समस्त साढ़े पांच वर्ष के संचालन में कभी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंची। मुख्यतः स्टाफ के वेतन घटक जो कि परियोजना के कुल व्यय का 43 से 69 प्रतिशत बनता था, के कारण व्यय में वृद्धि दर्ज की गई। इसके परिणामस्वरूप 1997-98 (अक्टूबर 1997 तक) में एक भी शो का संचालन किए बिना कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के कारण 7.38 लाख रु तक व्यय बढ़ गया। वि.मै.हॉ. ने कमी को अनुरक्षण तथा स्टाफ के सम्बन्ध में प्रशासनिक समस्याओं तथा स्लाइड तथा प्रोजेक्शन प्रणाली में खराबी के लिए अनुबन्ध के निष्पादन न करने पर आरोपित किया। तथापि यह दिखाने के लिए अभिलेख में कुछ नहीं था कि वि. मै. हॉ. ने संचालन से आय बढ़ाने तथा परियोजना को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए कोई कार्यवाही की थी। इसके

परिणामस्वरूप अक्टूबर 1996 से 'ध्वनि प्रकाश शो' का कोई संचालन नहीं हुआ है (अक्टूबर 1997)।

इस प्रकार परियोजना के अनुचित अनुरक्षण तथा स्वयं वित्त पोषण आधार पर परियोजना चलाने के लिए किसी ठोस पहल की कमी के कारण संचालन में कुल 29.42 लाख रु की हानि हुई (अक्टूबर 1997)। यह हानि संगठन की सामान्य निधि को प्रभारित की जा रही थी जो कि मुख्य रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित थी। शो के बन्द हो जाने से जन साधारण शैक्षिक मनोरंजन तथा राज्य पर्यटन उद्योग के विकास के लिए एक आकर्षण, जिसके लिए 'ध्वनि प्रकाश' की परियोजना ट्रस्ट द्वारा तैयार गई थी तथा वि.मै.हॉ को उपहार में दी गई थी, से वंचित रह गया।

मामला मंत्रालय को जुलाई 1997 में भेजा गया था; उनका उत्तर जनवरी 1998 तक प्रतीक्षित था।

शिक्षा विभाग

10. इन्दिरागांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

10.1 प्रस्तावना

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (विश्वविद्यालय) की स्थापना देश की शैक्षिक पद्धति में मुक्त विश्वविद्यालय तथा दूरस्थ शैक्षिक प्रणाली को प्रारम्भ करने तथा प्रोत्साहित करने के लिए तथा उस पद्धति में मानदण्ड के समन्वयन तथा निर्धारण के लिए संसद के अधिनियम द्वारा सितम्बर 1985 में की गई थी।

इस विश्वविद्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य "विश्वविद्यालय प्रणाली से बाहर रहने वाले जनसमुदाय के बड़े समूह" को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करना था। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे :

- विविध साधनों द्वारा विद्या तथा ज्ञान को उन्नत तथा प्रसारित करना;
- जनसमुदाय के एक बड़े भाग को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करना;
- समुदाय के शैक्षिक हित को व्यापक रूप से प्रोत्साहित करना;
- देश की शैक्षिक पद्धति में मुक्त विश्वविद्यालय तथा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करना; तथा

– इन प्रणालियों में मानदण्डों को समन्वित तथा निर्धारित करना;

10.2 संगठनात्मक ढांचा

नई दिल्ली स्थित विश्वविद्यालय के मुख्यालय में 14 मंडल तथा नौ अध्ययन विद्यालय हैं तथा इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालयों के रूप में उसके 17 क्षेत्रीय केन्द्र तथा 268 अध्ययन केन्द्र हैं (31 मार्च 1997 को)। भारत का राष्ट्रपति विश्वविद्यालय का विज़िटर तथा प्रबन्ध बोर्ड, शैक्षिक परिषद, योजना बोर्ड, वित्त समिति तथा दूरस्थ शिक्षा परिषद प्रमुख कार्यकारी, शैक्षिक, योजना तथा वित्तीय निकाय हैं। उप-कुलपति प्रमुख शैक्षिक तथा कार्यकारी अधिकारी होता है।

10.3 लेखापरीक्षा का कार्य-क्षेत्र

1991-97 की अवधि को शामिल करते हुए विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली का पुनरीक्षण लेखापरीक्षा द्वारा मैदानगढ़ी स्थित विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में अभिलेखों की नमूना जांच के द्वारा किया गया था जिसमें दिल्ली में 14 मंडल, नौ अध्ययन विद्यालय तथा एक क्षेत्रीय केन्द्र शामिल थे।

10.4 मुख्य बातें

– 1990-97 के दौरान किए गए 168.27 करोड़ रु के व्यय में से, विद्यार्थी सहायता सेवा पर केवल 54.44 करोड़ रु (32 प्रतिशत) ही खर्च किए गए थे।

(पैराग्राफ 10.5.1)

– विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों में ग्रामीण तथा अ.जा./अ.ज.जा. विद्यार्थियों की भर्ती की प्रतिशतता 1991 में 22.85 तथा 6.79/2.69 प्रतिशत से घटकर 1997 में क्रमशः 8.79 तथा 4.32/1.69 प्रतिशत हो गई जिससे समाज के अलाभान्वित वर्ग को शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

(पैराग्राफ 10.6)

– निधियों के विशिष्ट प्रावधान के बावजूद, नए कार्यक्रम शुरू करने में पांच वर्ष तक का विलम्ब हुआ था। मार्च 1997 तक एम.फिल./पी.एच.डी. के कोई अनुसंधान कार्यक्रम प्रारम्भ नहीं किए गए थे।

(पैराग्राफ 10.7.1 से 10.7.2)

- पाठ्यक्रम/कार्यक्रम प्रारम्भ करने के बावजूद, पाठ्यक्रम सामग्री को प्रेषित करने में चार महीने तक का विलम्ब था।

(पैराग्राफ 10.8.2)

- 1990-97 के दौरान परिणाम की घोषणा में तीन से नौ मास तक का विलम्ब था जिससे एक वर्ष में दो बार परीक्षा लेने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

(पैराग्राफ 10.8.3)

- क्षेत्रीय केन्द्र तथा अध्ययन केन्द्र खोलने में कमियां थीं तथा ग्रामीण/तहसील स्तर पर कोई अध्ययन केन्द्र नहीं खोला गया था।

(पैराग्राफ 10.9.1)

- यद्यपि, दृश्य-श्रव्य उपकरण तथा परामर्शी प्रबन्ध जैसी पर्याप्त सुविधाएं अध्ययन केन्द्रों पर प्रदान की गई थीं, विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं की गई थी। अध्ययन केन्द्रों पर विद्यार्थी उपस्थिति की प्रतिशतता बहुत कम थी। विभिन्न अध्ययन केन्द्रों पर परामर्शी सत्र आयोजित नहीं किए गए थे।

(पैराग्राफ 10.9.3.1)

- प्रसारण मीडिया को संचार का शक्तिशाली माध्यम मानने के बावजूद, रेडियो तथा टेलिविज़न सुविधाओं का बहुत सीमित उपयोग किया गया था।

(पैराग्राफ 10.10.1)

- यद्यपि, 1995 से टेलिकॉन्फ्रेंसिंग, विद्यार्थी सहायता का एक नियमित कार्य बन गया था, मार्च 1997 तक 268 में से केवल 13 अध्ययन केन्द्र सम्बद्ध किए जा सकेंगे। प्रदान की गई सुविधाएं स्तरीय नहीं थीं।

(पैराग्राफ 10.10.3)

- 1991-96 के दौरान तीन मुक्त विश्वविद्यालयों को जारी किए गए 3.32 करोड़ रु में से 2.40 करोड़ रु के लेखापरीक्षित विवरण अभी भी प्रतीक्षित थे।

(पैराग्राफ 10.12.1)

- 2.31 करोड़ रु मूल्य के घटिया कागज़ की खरीद त्रुटियों से परिपूर्ण थी तथा वह खरीद निम्नतम निविदा की अवहेलना कर के की गई थी।

(पैराग्राफ 10.13.1)

- 38.45 लाख रु मूल्य का उपकरण, अवस्थापना की कमी के कारण 1989 से बेकार पड़ा हुआ था।

(पैराग्राफ 10.13.2)

- शैक्षिक परिसर भवन के निर्माण का ठेका देने में विलम्ब के कारण, 8.11 करोड़ रु की हानि हुई थी।

(पैराग्राफ 10.13.3)

- अव्ययित अनुदानों के समायोजन से बचने के लिए 22.27 करोड़ रु के योग की निधियां, 1993-97 के दौरान योजनेत्तर से योजनागत शीर्ष को अन्तरित की गई थीं।

(पैराग्राफ 10.14.1)

- 1990-97 के दौरान वाहनों की खरीद तथा वरि.सहायकों/निजी सहायकों ग्रेड-II के वेतनमानों के संशोधन पर 96.36 लाख रु अप्राधिकृत रूप से/मंत्रालय के अनुमोदन के बिना खर्च किए गए थे।

(पैराग्राफ 10.14.2 से 14.3)

10.5 वित्त तथा लेखे

विश्वविद्यालय का वित्तपोषण मुख्यतः भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मा.सं.वि.मं.) से अनुदानों द्वारा किया जाता है। यह विशिष्ट प्रयोजनों हेतु प्रत्यक्ष रूप से कृषि मंत्रालय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग से भी अनुदान प्राप्त करती है। विश्वविद्यालय की आन्तरिक प्राप्तियां भी हैं जैसे कि विद्यार्थियों से शुल्क, प्रकाशनों, फार्मों की बिक्री से प्राप्तियां तथा अन्य विविध प्राप्तियां। 1995-96 के दौरान इलैक्ट्रॉनिक मीडिया प्रस्तुति केन्द्र (इ.मी.प्र.के.) की स्थापना के लिए जापान सरकार से 68 करोड़ रु का एक विशेष अनुदान भी प्राप्त हुआ था। 1990-97 की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय की कुल प्राप्ति 331.46 करोड़ रु थी जिसमें से 117.66 करोड़ रु मा.सं.वि.मं. से अनुदानों के रूप में, 82.68 करोड़ रु शुल्क/फार्मों की बिक्री के रूप में तथा 131.12 करोड़ रु अन्य प्राप्तियों के रूप में प्राप्त हुए थे। इसके प्रति, विश्वविद्यालय द्वारा किया गया खर्च 331.13 करोड़ रु (143.01 करोड़ रु राजस्व व्यय तथा पेशगियों, जमाओं आदि सहित 188.12 करोड़ रु पूंजीगत व्यय के रूप में) था।

10.5.1 व्यय का विश्लेषण

व्यय के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि 1990-97 के दौरान किए गए 168.27 करोड़ रु के व्यय के प्रति विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थी सहायता सेवा (वि.स.से) पर केवल 54.44 करोड़ रु (32 प्रतिशत) तथा शेष 113.83 करोड़ रु (68 प्रतिशत) मुख्यतः वेतन तथा भत्तों तथा पूंजीगत मदों की खरीद सहित अवस्थापना के विकास पर खर्च किया गया था। यद्यपि, विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 में हुई थी, अवस्थापना पर व्यय निरन्तर बढ़ रहा था, जो कि यह दर्शाता था कि विद्यार्थी सहायता सेवा के बजाय अवस्थापना के विकास पर गलत बल दिया जा रहा था।


विश्वविद्यालय ने दिसम्बर 1997 में बताया कि कार्यरत स्टाफ का एक बहुत बड़ा भाग केवल विद्यार्थियों की सहायता के लिए था तथा प्रशासनिक व्यय के अन्तर्गत शामिल व्यय की बहुत सी मदें जैसे कि कागज मुद्रण की लागत, मीडियापैकेज, सामग्री की उत्पादन/वितरण लागत, परीक्षा लागत आदि विद्यार्थी सहायता सेवा से संबंधित थी। उत्तर वास्तव में सही नहीं था क्योंकि इन मदों पर व्यय वि.स.से. के अन्तर्गत दर्शाया गया था न कि प्रशासनिक शीर्ष के अन्तर्गत। मंत्रालय ने विश्वविद्यालय के विचारों का समर्थन करते हुए जनवरी 1998 में कहा कि विश्वविद्यालय को एक अधिक विस्तृत लेखांकन संलेख विकसित करने का परामर्श दिया गया था ताकि विश्वविद्यालय के लेखे अपनी नीतियों को और प्रभावी ढंग से दिखला सकें।

10.6 उद्देश्यों की पूर्ति न होना

विश्वविद्यालय का एक उद्देश्य यह था कि जनसंख्या के एक बड़े भाग के लिए और विशेष रूप से ऐसे वर्ग के लिए जिन्हें शिक्षा का लाभ नहीं मिला है अर्थात् ऐसे लोग जो दूरदराज तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं उनके लिए उच्च शिक्षा प्रदान कराई जाए। इसमें श्रमिक, गृहिणियां तथा ऐसे अन्य वयस्क शामिल हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन के ज़रिए ज्ञान प्राप्त करने अथवा उसे बढ़ाने की इच्छा रखते हैं।

1997 में विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों में नामांकित 1.62 लाख विद्यार्थियों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र से विद्यार्थियों के नामांकन की प्रतिशतता 1991 में 22.85 प्रतिशत से घट कर 1997 में 8.79 प्रतिशत हो गई थी। इसी

प्रकार अ.जा/अ.ज.जा. विद्यार्थियों का नामांकन 6.79/2.69 प्रतिशत से घट कर कमशः 4.32/1.69 प्रतिशत हो गया था।



आगे, विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों में नामांकित विद्यार्थियों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि यद्यपि, प्रबन्धन कार्यक्रम 1991-97 के दौरान नामांकित कुल विद्यार्थियों के 28 प्रतिशत से 48 प्रतिशत तक लेखाबद्ध किया गया था, इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों का ग्रामीण औसत नामांकन, शहरी नामांकन की तुलना में 12 प्रतिशत से भी कम था।

विश्वविद्यालय ने दिसम्बर 1997 में बताया कि ग्रामीण तथा दूरस्थ स्थानों से अपेक्षाकृत अधिक नामांकन को प्रोत्साहित करने के लिए वह 1997-98 के दौरान दूरस्थ शिक्षा सुसाधकों के माध्यम से कार्यक्रमों को पहुंचाने की प्रणालियों को बदलने का प्रयास कर रहा था तथा इस साधन के विस्तार पर विचार उसकी प्रभावकारिता को देखने के बाद ही किया जा सकता है।

सामाजिक, आर्थिक अथवा भौगोलिक दृष्टि से अपहृत तथा लाभ प्राप्त न करने वाले लोगों के वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, विश्वविद्यालय ने विभिन्न विस्तार शिक्षा कार्यक्रम चलाने के लिए 1995 में एक विस्तार शिक्षा केन्द्र (वि.शि.के.) की स्थापना की परन्तु उसकी स्थापना के दो वर्ष पश्चात् भी यह पूर्ण रूप से चालू नहीं हुआ था तथा दिसम्बर 1997 तक कोई कार्यक्रम/पाठ्यक्रम शुरू नहीं किया गया था। इस प्रकार, विश्वविद्यालय दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को शिक्षा प्रदान करने में विफल रहा।

विश्वविद्यालय/मंत्रालय ने दिसम्बर 1997/जनवरी 1998 में बताया कि ये कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों से ज्यादा नामांकन आकर्षित नहीं कर सके क्योंकि देश में प्रबन्धकीय जन-शक्ति शहरों तथा कस्बों में स्थित उद्यमों में काम कर रही थी तथा जब तक वि.शि.के. को उसे पूर्ण रूप से कार्यशील बनाने के लिए कोई पद संस्वीकृत नहीं किए जाते, इस अवधि के दौरान कोई पहल करना सम्भव नहीं था। तथापि, सच यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों की मांग का स्वयं निर्धारण करके विश्वविद्यालय ने वि.शि.के. की तो स्थापना कर दी थी, परन्तु वह ग्रामीण युवकों को आकर्षित करने के लिए ऐसा कोई पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए प्रभावी कार्यवाही नहीं कर सका।

10.7 शैक्षिक कार्यक्रम

विश्वविद्यालय ने वर्ष 1997 तक 36 कार्यक्रम प्रस्तावित किए, जिनमें से 6 प्रमाण-पत्र स्तर के 18 डिप्लोमा स्तर के, 8 स्नातक डिग्री स्तर के तथा 4 स्नातकोत्तर डिग्री स्तर के थे।

10.7.1 कार्यक्रम प्रारम्भ करने में कमी

सितम्बर 1995 में योजना बोर्ड द्वारा अनुमोदित संदर्श योजना 1995-98 के अनुसार, सभी 9 स्कूलों द्वारा नए कार्यक्रम/पाठ्यक्रम शुरू किए जाने अपेक्षित थे। यह देखा गया था कि संदर्श योजना में प्रस्तावित 60 नए पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में से, मार्च 1997 तक केवल 3 (5 प्रतिशत) पाठ्यक्रम/कार्यक्रम ही शुरू किए गए थे। प्रति वर्ष बजट अनुमानों में निधियों के विशिष्ट प्रावधानों के बावजूद कार्यक्रम/पाठ्यक्रम शुरू करने में एक से पांच वर्ष तक का विलम्ब भी किया गया था।

विश्वविद्यालय ने दिसम्बर 1997 में बताया कि पिछले दस वर्षों के अनुभव से, शैक्षिक कार्यक्रम विकसित तथा प्रस्तुत करने के लिए न्यूनतम 2 से 3 वर्ष तक की तथा व्यावसायिक कार्यक्रमों के लिए 3 से 4 वर्ष तक की अवधि की आवश्यकता होगी। मंत्रालय ने भी विश्वविद्यालय के उत्तर का समर्थन किया। तथापि, उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि कुछ शैक्षिक कार्यक्रमों, जैसे कि शिक्षाप्रद कार्यक्रम में स्नातक तथा सामग्री प्रबन्ध में डिप्लोमा के मामले में निधियों/मदों के आबंटन के बावजूद इन्हें शुरू करने में 3 से 5 वर्ष तक का विलम्ब था।

10.7.2 अनुसन्धान कार्यक्रम

मूल परियोजना दस्तावेज के अनुसार, एम.फिल. तथा पी.एच.डी. डिग्रियों तथा पश्च-डाक्टरी अनुसंधान को प्रोत्साहित करने वाले अनुसंधान कार्यक्रम विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण कार्य माने गए थे। विश्वविद्यालय ने अनुसंधान नीति विवरण को केवल 1995-96 में अपनाया जिसने मुक्त विश्वविद्यालय के शैक्षिक केन्द्र के संदर्भ में अनुसंधान के क्षेत्र तथा भूमिका को सुस्पष्ट किया। अनुसंधान नीति के कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित कार्य योजना में (i) एम.फिल. तथा पी.एच.डी. कार्यक्रम शुरू करने, (ii) व्यक्तियों, दलों तथा/अथवा संस्थाओं द्वारा अनुसंधान परियोजनाओं के निधिकरण (iii) अनुसंधान अध्ययता वृत्तियों तथा सहचारिता तथा (iv) अध्ययन तथा अनुसंधान तथ्यों के प्रकाशन पर भी विचार किया गया था। तथापि, लघु अवधि संदर्श योजना (1995-98) तथा आठवीं योजना के प्रस्तावों (1992-97) में विभिन्न शिक्षणों में एम.फिल./पी.एच.डी. कार्यक्रमों के लिए 5 स्कूलों द्वारा लक्ष्य निर्धारित करने के बावजूद इस विषय में मार्च 1997 तक कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

विश्वविद्यालय ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए दिसम्बर 1997 में कहा कि आठवीं योजना में नए शैक्षिक पद स्वीकृत करने में विलम्ब तथा पहले से ही तय कार्यक्रमों को विकसित करने के दबाव के कारण कोई नया कार्यक्रम शुरू करना कठिन था तथा इस प्रकार मार्च 1997 तक कोई अनुसंधान कार्यक्रम शुरू नहीं किया जा सका। मंत्रालय ने जनवरी 1998 में बताया कि मुक्त विश्वविद्यालयों में अनुसंधान कार्यक्रमों को मुख्य केन्द्र बिन्दु तब तक नहीं बनाया जाना चाहिए जब तक कि यह दूरस्थ शिक्षा की कार्यप्रणालियों तथा समस्याओं को प्रभावित न करे। मंत्रालय का उत्तर बताये गये उद्देश्यों के विरुद्ध है तथा बाद में आया विचार है।

10.8 पाठ्यक्रम सामग्री प्रस्तुतिकरण

विश्वविद्यालय के उद्देश्य में विश्वविद्यालय स्तर शिक्षा की नवीकरण प्रणाली शामिल थी तथा इस उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालय से अध्यापकों तथा विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली पाठ्यपुस्तक तथा अन्य श्रव्य/दृश्य सामग्री को विकसित किया जाना अपेक्षित था। विश्वविद्यालय ने निजी एजेंसियों के माध्यम से पाठ्यक्रम सामग्री के मुद्रण पर 1990-97 के दौरान 9.70 करोड़ रु (6.64

करोड़ रु योजनेत्तर से तथा 3.06 करोड़ रु योजनागत शीर्ष के अन्तर्गत) खर्च किए थे।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि 1992 में गठित विश्वविद्यालय के प्रकाशन बोर्ड से योजना, निविदाओं तथा फर्मों तथा उनकी दरों के अनुमोदन के समय कोई परामर्श नहीं किया गया था। 1991 से पूर्व, मुद्रण का कार्य संबंधित रजिस्ट्रार द्वारा उसके विवेक पर किसी भी मुद्रक को आबंटित कर दिया गया था। यद्यपि, उप-कुलपति का अनुमोदन आवश्यक था, वह 1993-94 की अवधि से संबंधित नमूना जांच किए गए 14 में से 13 मामलों में व्यक्तिगत मुद्रण कार्य देते समय प्राप्त नहीं किया गया था। मूल पाठ तथा उदाहरण सहित संयुक्त कवर डिजाईन की दरें पिछली दरों के अन्यायोचित नियतन को दर्शाते हुए 1500 रु (1986-93 के दौरान) की पिछली दरों के प्रति मई 1993 में 150 रु की दर से नियत की गई थी।

मंत्रालय ने जनवरी 1998 में बताया कि विश्वविद्यालय ने मुद्रण/दरों आदि की स्वीकृति की समस्त प्रक्रिया की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया था। तथापि, समिति की रिपोर्ट को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया था।

10.8.1 पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करने में विलम्ब

सितम्बर 1995 में योजना बोर्ड द्वारा अनुमोदित संशोधित प्रक्रिया के अनुसार समस्त प्रारम्भिक कार्य जैसे कि पाठ्यक्रम सामग्री का मुद्रण, अध्ययन केन्द्रों का चयन, परामर्शदाताओं की नियुक्ति तथा उनके प्रशिक्षण आदि को कार्यक्रम की घोषणा से पूर्ण ही अन्तिम रूप दिया जाना था। तथापि, यह देखा गया था कि निम्नलिखित मामलों में, यद्यपि, कार्यक्रम शुरू कर दिए गए थे तथा दाखिला भी 1995-96 के दौरान शुरू कर दिया गया था, तथापि, स्कूलों द्वारा पाठ्यक्रम सामग्री तैयार नहीं रखी गई थी जिसके परिणामस्वरूप सामग्री के प्रेषण में विलम्ब हुआ।

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	विद्यालय
1.	डी.सी.ओ. (हिन्दी)	कम्प्यूटर तथा सूचना विज्ञान
2.	सी.आई.सी. (हिन्दी)	कम्प्यूटर तथा सूचना विज्ञान
3.	डी.एन.एच.ई. (हिन्दी)	सतत शिक्षा
4.	बी.एस.सी. (नर्सिंग) तृतीय वर्ष	स्वास्थ्य विज्ञान
5.	डी.एम.सी.एच.	स्वास्थ्य विज्ञान
6.	एम.एच.-3 तथा एम.एस.-66 (संशोधन के कारण)	प्रबन्ध अध्ययन
7.	सी.टी.ई.-04/05	मानविकी
8.	टी. एस.-06	समाज विज्ञान
9.	पी.एच.ई.-11	विज्ञान
10.	ए.डी.सी.एम./ए.डी.डब्ल्यू.आर.ई.	अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी

मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए जनवरी 1998 में बताया कि मंत्रालय को पाठ्यक्रम सामग्री की तैयारी तथा उसके मुद्रण में उत्तर-दायित्व तथा लेखादेय निर्धारित करते हुए एक अधिक विस्तृत ढांचा तैयार करने के लिए कहा गया था।

10.8.2 पाठ्यक्रम सामग्री के प्रेषण में विलम्ब :

सामग्री तैयारी तथा वितरण मंडल (सा.तै.वि.मं.) का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों, क्षेत्रीय केन्द्रों तथा अध्ययन केन्द्रों को समय पर अध्ययन सामग्री का वितरण सुनिश्चित करना था। यद्यपि, विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषणों की समय सीमा दिसम्बर/जून निर्धारित की गई थी, यह देखा गया था कि अध्ययन सामग्री मार्च/अप्रैल तथा सितम्बर/अक्तूबर तक प्रेषित की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप प्रेषण में 2 से 4 महीने तक का विलम्ब हुआ था। चूंकि अध्ययन केन्द्र पर उपस्थिति आवश्यक नहीं की गई थी तथा विद्यार्थियों से उनकी स्वअनुदेशीय सामग्री के माध्यम से सीखने की अपेक्षा की गई थी, सामग्री के विलम्बित प्रेषण से न केवल अध्ययन केन्द्रों का परामर्शी कार्यक्रम ही प्रभावित हुआ था बल्कि इसका विद्यार्थियों पर उनके अध्ययन तथा परीक्षाओं की योजना तथा तैयारी में भी प्रभाव पड़ा था।

सा.तै.वि.मं.ने सामग्री के प्रेषण में विलम्ब के लिए समय पर प्रवेश को अन्तिम रूप न देना, कम्प्यूटर प्रभाग से पते के लेबल उपलब्ध न होना, अध्ययन सामग्री उपलब्ध न होना तथा प्रेषणों का निपटान करने में डाक-घर की कम

क्षमता को आरोपित किया (जुलाई 1997)। यद्यपि, इन सभी कारणों पर समुचित योजना तथा समन्वय से नियंत्रण किया जा सकता था, अभी भी प्रेषण में विलम्ब हो रहा था। मंत्रालय ने जनवरी 1998 में बताया कि इस संबंध में मंत्रालय को परामर्श दिया जा रहा था ताकि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित त्रुटियों का समुचित रूप से सुधार किया जा सके।

10.8.3 परिणामों की घोषणा में विलम्ब

नीति के अनुसार, विद्यार्थी पंजीकरण तथा मूल्यांकन मंडल (वि.पं.मू.मं.) ने समय का अधिकतम उपयोग करने के लिए जून तथा दिसम्बर के महीने में सभी पाठ्यक्रमों के लिए एक वर्ष में दो बार सत्रों के अंत में परीक्षा ली थी। इन परीक्षाओं के परिणामों की वि.पं.मू.मं. द्वारा परीक्षा के पश्चात् 8 से 10 सप्ताहों के अन्दर घोषणा की जानी अपेक्षित थी। तथापि यह देखा गया था कि 1991-96 के दौरान 89 प्रतिशत मामलों में परिणामों की घोषणा में 3 से 9 महीने तक का विलम्ब हुआ था। कुछ मामलों में (24 प्रतिशत) परिणामों की घोषणा भी अगली अवधि की परीक्षा के पश्चात् की गई थी, जिसके कारण विद्यार्थियों को अगली अवधि के अन्त में परीक्षा में बैठने का अवसर नहीं मिला।

विश्वविद्यालय ने दिसम्बर 1997 में बताया कि 250 परीक्षा केन्द्रों, डाक समस्याओं, परीक्षाएं कराने तथा उत्तर पुस्तिकाओं आदि के मूल्यांकन हेतु बाह्य संसाधनों आदि पर निर्भरता के कारण, परिणामों की निर्धारित अवधि के अन्दर घोषणा नहीं की जा सकी। मंत्रालय ने विश्वविद्यालय के उत्तर का समर्थन करते हुए जनवरी 1998 में बताया कि परीक्षा संबंधी सुधार एक सतत प्रक्रिया थी तथा प्रणाली की त्रुटियों को दूर करने के लिए संयुक्त प्रयास किए जा रहे थे। तथापि, विश्वविद्यालय/मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि बताए गए कारण विश्वविद्यालय के कार्य के प्रसंग में नियमित कार्य थे।

10.9 विद्यार्थी सहायता सेवा (वि.स.से.)

10.9.1 लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी

देश के अन्दर फैले विभिन्न छात्रों को शैक्षिक, प्रशासनिक तथा सूचनात्मक सहायता प्रदान करने की दृष्टि से विश्वविद्यालय ने मुख्यालय में क्षेत्रीय सेवा मंडल (क्षे.से.मं.) के समस्त उत्तरदायित्व के अधीन त्रिश्रेणीय ढांचे की स्थापना की जिसमें मुख्यालय क्षेत्रीय केन्द्र (क्षे.के.) तथा अध्ययन केन्द्र (अ.के.) शामिल थे।

दिशानिर्देशों के अनुसार देश में प्रत्येक राज्य के लिए एक क्षेत्र के की स्थापना का प्रावधान था, जिसके प्रति मार्च 1997 तक 17 क्षेत्र के ही खोले गए थे। उसी प्रकार, 1991-97 के दौरान 186 अ.के. के लक्ष्य के प्रति, विश्वविद्यालय ने केवल 99 अ.के. खोले थे।

आगे, दिशानिर्देशों के अनुसार नामांकन पर प्रत्येक विद्यार्थी को उसके निवास स्थान अथवा कार्य के स्थान के निकट एक अ.के. आबंटित किया जाना था। तथापि, विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि मार्च 1997 तक खोले गए 268 अ.के.में से 63 (23 प्रतिशत) राज्य राजधानियों में तथा 205 (77 प्रतिशत) जिला मुख्यालय स्तर पर खोले गए थे। विश्वविद्यालय द्वारा ग्रामीण/तहसील स्तर पर एक भी अ.के. नहीं खोला गया था।

विश्वविद्यालय ने दिसम्बर 1997 में बताया कि अ.जा. के लिए अपेक्षित कुछ शैक्षिक सेवाएं केवल वर्तमान उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं से ही उपलब्ध थीं जो कि जिला स्तर के शहरों में ही स्थित थे तथा लोगों को इन केन्द्रों की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए काफी दूर से आना पड़ता था। मंत्रालय ने विश्वविद्यालय के उत्तर का समर्थन किया। तथापि, उत्तर, परियोजना रिपोर्ट में बताए गए उद्देश्य के विपरीत था।

10.9.2 क्षेत्रीय केन्द्र (क्षे.के.)

क्षे.के. की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय केन्द्रों के कार्य तथा अन्य शैक्षिक, प्रशासनिक तथा प्रोत्साहन क्रियाकलापों के निष्पादन का समन्वयन तथा पर्यवेक्षण करना था।

वर्तमान शैक्षिक कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने तथा नए शैक्षिक कार्यक्रमों की रूप-रेखा बनाने तथा उसके विकास में विश्वविद्यालय की सहायता करने की दृष्टि से क्षेत्र के पर एक चल रहे कार्य के रूप में अनुसंधान मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित था। तथापि, 1991-97 के दौरान क्षेत्र के दिल्ली पर ऐसा कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त अध्ययन केन्द्रों के कार्य का अनुश्रवण, क्षेत्र के का मुख्य कार्य था। तथापि, यह भी देखा गया था कि अनुश्रवण त्रुटिपूर्ण था क्योंकि प्रत्येक मास की 5 ता: तक अ.के. से प्राप्त किए जाने वाले विवरण नियमित रूप से प्राप्त/विश्लेषित नहीं किए गए थे तथा प्रत्येक मास की

10 ता: तक क्षे.से.म. को प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां नियमित रूप से नहीं भेजी गई थी।

विश्वविद्यालय ने त्रुटियों को स्वीकार करते हुए दिसम्बर 1997 में बताया कि क्षे.से.म. ने क्षे.के. तथा अ.के. के अनुश्रवण हेतु अधिकारी भेज कर अनुश्रवण कार्य को मजबूत कर लिया था।

10.9.3 अध्ययन केन्द्र (अ.के.)

10.9.3.1 अध्ययन केन्द्रों पर परामर्श सत्र

630 समन्वयक/सहायक समन्वयक तथा 16364 शैक्षिक सलाहकार नियुक्त करके श्रव्य-दृश्य उपकरण, संदर्भ पुस्तकालय स्वागत तथा परामर्श प्रबन्ध जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के बावजूद, 1997 तक प्रयोग संबंधी कार्यक्रमों के अतिरिक्त, अ.के. पर विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं की गई थी।

1990 तथा 1991 के वर्षों के दौरान क्षे.से.मं. द्वारा की गई दो अध्ययन रिपोर्टों से ज्ञात हुआ कि 78 अध्ययन केन्द्रों में, परामर्श-सत्रों की औसत प्रतिशतता तथा विद्यार्थी उपस्थिति की प्रतिशतता केवल क्रमशः 54 प्रतिशत तथा 4 प्रतिशत थी तथा इनमें से विद्यार्थियों की उपस्थिति 31 मामलों में शून्य, 14 मामलों में 1 से 5 प्रतिशत, 30 मामलों में 6 से 9 प्रतिशत तथा 3 मामलों में 10 से 16 प्रतिशत थी।

अध्ययन रिपोर्टों ने कम उपस्थिति के ये कारण बताए (i) परामर्श सत्र तथा अध्ययन सामग्री के लिए कार्यक्रम समय पर प्राप्त नहीं हुए, (ii) सत्र की उपस्थिति में दूरी, यात्रा लागत कारणों आदि का ग्रस्त होना, (iii) पहले किसी परामर्श सत्र में भाग लेने में विद्यार्थियों का खराब अनुभव, (iv) शैक्षिक सलाहकारों का अभाव तथा (v) अप्रभावी काउंसलिंग अथवा शैक्षिक सलाहकारों का अरुचिकर रुख।

विश्वविद्यालय ने दिसम्बर 1997 में बताया कि एक दूरस्थ शिक्षण संस्था होने के कारण, उसे विभिन्न अ.के. पर विभिन्न सुविधाएं प्रदान करनी पड़ीं तथा ये अनुदेश जारी कर दिए गए थे कि यदि एक विशेष सत्र के लिए कम से कम 10 विद्यार्थी उपलब्ध न हों तो परामर्श सत्र आयोजित न किए जाएं। मंत्रालय ने जनवरी 1998 में बताया कि दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य "छात्रोन्मुख" था न कि 'शिक्षक अभिमुख' तथा कक्षा की शिक्षा का मुक्त-विश्वविद्यालय पद्धति में कम

महत्व था। ऐसा लगता था कि अधिकारी विद्यार्थियों को उत्तरदायी ठहरा रहे थे जबकि उनके द्वारा अधिकृत जांच रिपोर्ट से यह पता लगा कि वे स्वयं उत्तरदायी थे।

10.10 संचार मंडल

10.10.1 श्रव्य/दृश्य कार्यक्रमों का प्रसारण

विश्वविद्यालय का एक उद्देश्य संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग सहित साधनों की विविधता द्वारा शिक्षा तथा ज्ञान को उन्नत करना तथा उसका प्रचार करना था। प्रसारण माध्यम अर्थात् रेडियो तथा टी.वी. को विद्यार्थियों के विषम लक्षण की दृष्टि से मुक्त विश्वविद्यालय पद्धति में दूरस्थ प्रणाली के माध्यम से संचार का एक अनिवार्य माध्यम समझा गया था।

तथापि, यह देखा गया था कि विश्वविद्यालय की स्थापना के 10 वर्ष के पश्चात् भी, श्रव्य कार्यक्रम के प्रसारण के प्रबन्ध केवल दो आकाशवाणी स्टेशनों अर्थात् मुम्बई तथा शिलोंग से ही किए जा सके। इस प्रकार इस शक्तिशाली संचार माध्यम का बहुत कम उपयोग किया गया। उसी प्रकार दृश्य कार्यक्रम आधे घण्टे के लिए सप्ताह में तीन बार दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर ही प्रसारित किए गए थे तथा दूरदर्शन के माध्यम से अधिक कवरेज के लिए किसी पृथक चैनल का प्रबन्ध नहीं किया गया था। रेडियो तथा टी.वी. दोनों पर उपलब्ध खाली समय का लाभ उठाने के लिये कोई प्रयास नहीं किये गये थे।

विश्वविद्यालय ने दिसम्बर 1997 में बताया कि वह अपने शिक्षा चैनल की स्थापना नहीं कर सका था तथा वह समस्त रूप से सरकार की नीति पर निर्भर था। मंत्रालय ने विश्वविद्यालय के उत्तर का समर्थन किया। उत्तर अस्वीकार्य था क्योंकि प्राधिकारियों द्वारा इस माध्यम के उपयोग हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया था।

10.10.2 संचार मंडल/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रस्तुति केन्द्र (इ.मी.प्र.के.)

68 करोड़ रु की राशि के जापानी अनुदान की सहायता से एक संचार केन्द्र भवन के निर्माण के परिणामस्वरूप, विश्वविद्यालय के संचार मंडल को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रस्तुति केन्द्र (इ.मी.प्र.के.) के नाम से मार्च 1996 में

पुनर्नामित किया गया था। विश्वविद्यालय की अपनी स्वयं की निर्माण आवश्यकताओं को पूरा करने के अतिरिक्त, अन्य शैक्षिक संस्थाओं तथा राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों के उपयोग हेतु इ.मी.प्रं.के. की उपलब्ध थी।

दृश्य/श्रव्य कार्यक्रमों के रूप में तैयार किए जाने वाले पाठों का विश्वविद्यालय के विभिन्न स्कूलों द्वारा चयन किया जाना था तथा कार्यक्रमों का एक स्क्रिप्ट तैयार किया जाना था। श्रव्य/दृश्य सुविधाएं भी कार्यक्रम के निर्माण हेतु विश्वविद्यालय ने बड़ी संख्या में निर्माता नियुक्त किए तथा लक्ष्यों के अनुसार, प्रत्येक निर्माता से प्रति वर्ष 6 दृश्य तथा 12 श्रव्य कार्यक्रमों का निर्माण अपेक्षित था। तदनुसार पिछले छः वर्षों के लिए लक्ष्य तथा उपलब्धियां निम्नानुसार थीं :

वर्ष	निर्माताओं की संख्या	लक्ष्य श्रव्य	लक्ष्य दृश्य	उपलब्धियां श्रव्य	उपलब्धियां दृश्य	कमी श्रव्य	कमी दृश्य	प्रतिशत श्रव्य	प्रतिशत दृश्य
1991-92	14	168	84	79	64	89	20	53	24
1992-93	14	168	84	102	39	66	45	39	54
1993-94	14	168	84	52	111	116	-	69	-
1994-95	16	192	96	40	50	152	46	79	48
1995-96	21	252	126	27	31	225	95	89	75
1996-97	23	276	138	21	72	255	66	92	48

श्रव्य कार्यक्रम की उपलब्धियों में कमी 39 से 92 प्रतिशत तथा दृश्य कार्यक्रम में 24 से 75 प्रतिशत तक थी।

इसके अतिरिक्त, प्रतिष्ठापित की गई तकनीकी सुविधाओं के साथ, इ.मी.प्र. के. से एकल शिफ्ट आधार पर प्रति वर्ष 200 दृश्य तथा 425 श्रव्य कार्यक्रमों की निर्माण क्षमता की आशा थी। तथापि, यह देखा गया कि 23 वरिष्ठ निर्माताओं/निर्माताओं/निर्माण सहायकों के दल के बावजूद, सुविधाओं का बहुत कम उपयोग दृश्य हेतु हुआ उसने 1996-97 के दौरान 21 श्रव्य तथा 72 दृश्य कार्यक्रमों का निर्माण किया।

विश्वविद्यालय ने दिसम्बर 1997 में बताया कि प्रति निर्माता कोई निर्माण लक्ष्य नियत नहीं किए गए थे क्योंकि निर्माण कार्य स्कूलों से आने वाली मांग पर निर्भर था। मंत्रालय ने जनवरी 1998 में बताया कि निर्माताओं का कार्यभार निर्माण अथवा श्रव्य/दृश्य कार्यक्रमों पर निर्भर नहीं था बल्कि टेलिकांफ्रेंसिंग पर

निर्भर था। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि विश्वविद्यालय ने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि टेलिकांफ्रेंसिंग प्रयोजनों के लिए एक समय में केवल एक निर्माता की ही आवश्यकता थी। उत्तर में सुविधाओं के कम उपयोग अथवा स्कूलों से मांग प्राप्त करने के प्रयासों के विषय में कुछ नहीं कहा गया था।

10.10.3 टेलिकांफ्रेंसिंग

पढ़ने-पढ़ाने की प्रणाली को सुधारने तथा बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय ने दूरस्थ शिक्षा के लिए 1995 में एकतरफा दृश्य तथा दोतरफा श्रव्य टेलिकांफ्रेंसिंग प्रारम्भ की। इसे कार्यान्वित करने के लिए, एक प्रशिक्षण तथा विकास संचार चैनल (प्र.वि.सं.चै.) चालू किया गया था।

तथापि, अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया था कि यद्यपि, टेलिकांफ्रेंसिंग 1995 से वि.स.से. विश्वविद्यालय का एक नियमित अंग बन चुकी थी, तथापि, मार्च 1997 तक 16 क्षे.के. के अतिरिक्त, 268 में से केवल 13 अ.के. ही लिंक किए गए थे। टेलिकांफ्रेंसिंग का अधिकतर अ.के. पर ही प्रबन्ध किया गया था; तथा विद्यार्थियों को विशेष रूप से टेलिकांफ्रेंसिंग में भाग लेने के लिए अपने मूल निवास स्थान से क्षे.के. में आना पड़ता था। फरवरी 1997 तक विश्वविद्यालय ने टेलिकांफ्रेंसिंग के 422 घंटे आयोजित किए तथा अधिकतर टेलिकांफ्रेंसिंग की विभिन्न प्रतिपुष्टि के अनुसार विद्यार्थियों की भागीदारी या तो शून्य थी या फिर बहुत नाममात्र ही थी तथा टेलिकांफ्रेंसिंग की तकनीकी गुणवत्ता घटिया चित्र गुणवत्ता के दृष्टांतों के साथ सन्तोषजनक पाई गई थी।

विश्वविद्यालय ने दिसम्बर 1997 में बताया कि टेलिकांफ्रेंसिंग की प्रभावकारिता को बढ़ाने के लिए नियमित अनुसंधान किया जा रहा था। तथापि, मंत्रालय ने जनवरी 1998 में बताया कि विश्वविद्यालय ने यह मान लिया था कि वर्तमान परिस्थिति में टेलिकांफ्रेंसिंग विधि का और बढ़ाना संभव नहीं होगा।

10.11 पुस्तकालय तथा प्रलेखन मंडल

विश्वविद्यालय में एक सुसज्जित पुस्तकालय तथा प्रलेखन सुविधा थी जिसमें मुख्यालय में 52224 पुस्तकें तथा विभिन्न क्षे.के. तथा अ.के. पुस्तकालयों में 176872 पुस्तकें थी। इन पुस्तकों की कुल लागत 2.56 करोड़ रु थी। परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, यह अपेक्षा की गई थी कि प्रत्येक अ.के.में अनिवार्य रूप से एक पुस्तकालय होना चाहिए जिसे अनिवार्य तथा ऐच्छिक पढ़ाई के लिए विश्वविद्यालय

द्वारा अनुशंसित सभी पुस्तकें उपलब्ध करानी चाहिए तथा विद्यार्थियों के द्वारा जमानती धनराशि जमा कराने के पश्चात् पुस्तकालय से पुस्तकें लेने की सुविधा होनी चाहिए। तथापि, यह देखा गया था कि यद्यपि, पुस्तकें विश्वविद्यालय स्टाफ को जारी की गई थी; क्षे.के./अ.के. पर विद्यार्थियों को पुस्तकें जारी करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया था जिससे क्षे.के./अ.के. पर पुस्तकालय स्थापित करने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त 1991-992 तथा 1992-93 में भेजी गई 39204 तथा 19048 पुस्तकों के प्रति 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान क्षे.के./अ.के. को क्रमशः केवल 2450 तथा 413 पुस्तकें भेजी गई थीं। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि के बावजूद क्षे.के./अ.के. को भेजी गई पुस्तकों की संख्या में बहुत अधिक कमी थी। इसके अतिरिक्त 1987-88 से पुस्तकालय पुस्तकों का प्रत्यक्ष सत्यापन कभी नहीं किया गया था।

विश्वविद्यालय ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए दिसम्बर 1997 में बताया कि क्षे.के./अ.के. को भेजी गई पुस्तकों का मूल्य धीरे-धीरे घटा था क्योंकि इन पुस्तकालयों का पूरा लाभ नहीं उठाया जा रहा था क्योंकि परामर्श सत्रों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या नामांकन की तुलना में बहुत कम थी। मंत्रालय ने विश्वविद्यालय के उत्तर का समर्थन किया।

10.12 दूरस्थ शिक्षा परिषद (दू.शि.प.)

मार्च 1991 में नियुक्त एक उप-समिति ने उन प्राथमिकता क्षेत्रों की पहचान करने के लिए जिनमें दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए तथा ग्राहक गुणों तथा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के प्रकारों की पहचान करने के लिए एक दूरस्थ शिक्षा परिषद (दू.शि.प.) की स्थापना की सिफारिश की।

तथापि, यह देखा गया था कि 1992 में दू.शि.प. की स्थापना के बावजूद न तो प्राथमिक क्षेत्र, न विशिष्ट ग्राहक गुणों तथा उनके लिए आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की पहचान की गई थी। उसी प्रकार मुक्त विश्वविद्यालय/ दूरस्थ शिक्षा संस्थाओं के निष्पादन के अध्ययन तथा आकलन हेतु किसी पुनरीक्षण समिति की स्थापना भी नहीं की गई थी।

विश्वविद्यालय ने दिसम्बर 1997 में बताया कि नौवी योजना अवधि के लिए विकास के निर्देशों को अन्तिम रूप देने में दू.शि.प. ने मुख्य भूमिका निभाई थी। मंत्रालय ने विश्वविद्यालय के उत्तर का समर्थन किया।

10.12.1 उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करना

तकनीकी तथा वित्तीय सहायता हेतु राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को विकास सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, दू.शि.प. ने विकास, अनुसंधान परियोजनाओं तथा अनिर्धारित अनुदानों के लिए तीन मुक्त विश्वविद्यालयों को 1991-96 के दौरान 5.44 करोड़ रु जारी किए। तथापि, यह देखा गया था कि 1995-96 तक जारी किए गए 3.32 करोड़ रु के प्रति 1.45 करोड़ रु के उपयोग प्रमाण-पत्र तथा 2.40 करोड़ रु के लेखापरीक्षित लेखा विवरण अभी भी (जुलाई 1997) तीन विश्वविद्यालयों अर्थात् डा.बी.आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, कोटा मुक्त विश्वविद्यालय तथा यशवन्तराव चव्हाण मुक्त विश्वविद्यालय से प्रतीक्षित थे।

यह देखा गया था कि अनुदानों को जल्दी पूरा करने तथा उन्हें अपेक्षित लेखापरीक्षित लेखा विवरण के साथ आगे सम्बद्ध करने के लिए दू.शि.प. में कोई पद्धति नहीं थी। आगे दू.शि.प. ने भी यह विश्लेषण नहीं किया कि जिस उद्देश्य के लिए अनुदान जारी किए गए थे क्या वह पूर्ण रूप से प्राप्त हो गया था।

विश्वविद्यालय ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए दिसम्बर 1997 में बताया कि जारी किए गए समस्त अनुदानों के लिए लेखापरीक्षित लेखा/उपयोग प्रमाण-पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुए थे तथा अनुदानों का मौके पर निर्धारण करने के लिए निपुण समितियां विश्वविद्यालयों को भेजी जाएंगी।

10.13. अन्य रूचिकर विषय

10.13.1 घटिया मुद्रण कागज़ तथा कला कागज़ की खरीद

(क) 1990-91 के दौरान निम्नस्तरीय तथा घटिया कोटि के कागज़ की आपूर्ति के लिए अनुबन्ध में त्रुटियों के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 1993 को समाप्त वर्ष के प्रतिवेदन (1994 की सं.11) के पैरा 9 में उल्लेख किया गया था। अन्तिम कार्यवाही टिप्पणियां प्रस्तुत करते समय दिसम्बर 1996 में

मंत्रालय ने बताया कि विश्वविद्यालय ने अपनी वर्तमान पद्धति का पुनरीक्षण किया था तथा वह भविष्य में अधिक स्टॉक नहीं रखेगी ताकि निधियां अवरुद्ध न रहें।

आश्वासन के बावजूद, 1995-96 के दौरान विश्वविद्यालय ने निम्नस्तरीय कागज की आवश्यकता से अधिक खरीद की। विश्वविद्यालय ने 1.45 करोड़ रु मूल्य के 500 मी.ट. कागज की आपूर्ति के लिए 4 मार्च 1996 को निम्नतम निविदाकर्ता को आदेश दिया। विश्वविद्यालय ने पुनः 20 मार्च 1996 को उसी फर्म को 86.85 लाख रु के 300 मी.ट. कागज का आदेश दिया, यद्यपि, विश्वविद्यालय के पास वर्ष 1996 की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 900 मी.ट. कागज उपलब्ध था। इसके परिणामस्वरूप, एक वर्ष के लिए 86.85 लाख रु की राशि की निधियों के अतिरिक्त, 10.38 लाख रु (12 प्रतिशत प्र.व. की दर पर परिकलित) की राशि के ब्याज की हानि हुई। विश्वविद्यालय ने दिसम्बर 1997 में बताया कि उसने पाठ्यक्रम सामग्री के प्रापण/मुद्रण में लिए गए समय के कारण कम से कम 12 मास पूर्व ही शिक्षण पैकेजों की सूची बनानी शुरू कर दी थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि विश्वविद्यालय के पास 500 मी.ट., जिसके लिए मार्च 1996 में आदेश दिए गए थे, के अतिरिक्त पहले से ही पर्याप्त स्टॉक (900 मी.ट.) उपलब्ध था।

आगे, शर्तों के अनुसार, कागज की कोटि आपूर्ति अनुबन्ध की मुख्य शर्त थी जिसकी विफलता पर समस्त मात्रा आपूर्ति-कर्ता के जोखिम तथा लागत पर रद्द/लौटाई जा सकती थी। यद्यपि, सरकारी प्रयोगशालाओं द्वारा किए गए नमूना-परीक्षणों के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा चमक तथा कॉब-मूल्य में बड़ी कमियां पाई गई थीं तथापि, विश्वविद्यालय ने निम्न-स्तरीय कागज को ले लिया तथा 2.31 करोड़ रु की कुल खरीद के प्रति 1 प्रतिशत की दर पर 2.31 लाख रु की राशि का अपर्याप्त अर्थदण्ड लगाया। मंत्रालय ने जनवरी 1998 में बताया कि इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा एक शिकायत प्राप्त की गई थी। इस संबंध में आगे की प्रगति जनवरी 1998 तक प्रतीक्षित थी।

10.13.2 व्यर्थ पड़ा उपस्कर

लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि मैदान गद्दी में किए जाने वाले विभिन्न अनुसंधान क्रियाकलापों में प्रयोग करने के लिए वर्ष 1987-88 में 38.45 लाख रु मूल्य का विज्ञान अनुसंधान उपस्कर 10 वर्ष से भी अधिक समय से

प्रयोग नहीं किया जा रहा था। उपस्कर का प्रयोग प्रयोगशाला अवस्थापना, जिसे विश्वविद्यालय मुख्यालय पर उपलब्ध करने की अपेक्षा की गई थी, के न होने के कारण नहीं किया जा सका। अवस्थापना के निर्माण की बजाए उपस्कर पहले खरीदने के कारण, जिस उद्देश्य के लिए उपस्कर खरीदा गया था उसे प्राप्त नहीं किया जा सका। विश्वविद्यालय ने दिसम्बर 1997 में बताया कि इस उपस्कर का प्रायोगिक कार्य के लिए तथा नौवीं योजना के दौरान उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए प्रयोग किया जाएगा।

10.13.3 निधियों का अवरोधन-8.11 करोड़ रु की हानि

पुस्तकालय भवन, कम्प्यूटर केन्द्र, अध्ययन विद्यालय, अतिथि गृह, क्षेत्रीय केन्द्र भवन तथा बैंक भवन को शामिल करते हुए एक शैक्षिक परिसर के निर्माण हेतु आरेखण/अभिन्यास योजना तैयार करने तथा दिल्ली नगर निगम (दि.न.नि.) तथा दिल्ली शहरी कला आयोग (दि.श.क.आ.) से अनुमोदन प्राप्त करने का कार्य दिसम्बर 1992 में एक निजी वास्तुकार 'क' को सौंपा गया था। वास्तुकार ने मार्च 1994 में 5.89 करोड़ रु की राशि के विस्तृत अनुमान प्रस्तुत किए। इसके आधार पर के.लो.नि.वि. ने फरवरी/मार्च 1994 में अग्रिम जमा के रूप में 7.25 करोड़ रु की मांग की, जिसके प्रति विश्वविद्यालय ने मार्च 1994 में 3.75 करोड़ रु जमा कराए। वास्तुकार द्वारा दि.न.नि./दि.श.क.आ. से अभिन्यास योजनाओं/भवनों के अनुमोदन की पूर्वाशा में, के.लो.नि.वि. ने मई 1994 में निविदा आमंत्रित की तथा विश्वविद्यालय को दि.न.नि. से अनुमोदित भवन योजना/आरेखण प्रस्तुत करने के लिए कहा। निविदा की अनुमानित लागत 4.55 करोड़ रु थी जिसके प्रति निर्णीत निविदा की लागत 5.37 करोड़ रु थी। तथापि, वास्तुकार द्वारा दि.न.नि./दि.श.क.आ. से मार्च 1995 तक भवन योजना/आरेखण अनुमोदित नहीं कराए जा सके तथा के.लो.नि.वि. ने अग्रिम जमा के रूप में 6.61 करोड़ रु की अतिरिक्त राशि की मांग की। यद्यपि 3.75 करोड़ रु विश्वविद्यालय द्वारा पहले ही जमा करा दिए गए थे तथा भवन योजना दि.न.नि. द्वारा अनुमोदित नहीं की गई थी, विश्वविद्यालय ने 31 मार्च 1995 को 3 करोड़ रु की और राशि जारी कर दी।

भवन आरेखणों/अभिन्यास योजना का अन्तिम अनुमोदन वास्तुकार द्वारा फरवरी 1996 में दिया गया था। तथापि, अनुमोदित आरेखण प्रस्तुत करने के पश्चात् भी के.लो.नि.वि., वास्तुकार द्वारा ढांचागत आरेखणों में बार-बार परिवर्तन

करने के कारण निविदा आमंत्रित नहीं कर सका तथा अन्ततः विश्वविद्यालय के परामर्श पर 11.40 करोड़ रु की अनुमानित कार्य लागत की निविदा आमंत्रण सूचना सीमित निविदाकर्ताओं को मार्च 1997 में जारी कर दी गई थी। यह पिछली निविदागत/निर्णीत राशि से 6.03 करोड़ रु अधिक थी। तथापि, दिसम्बर 1997 तक कोई कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ था।

इस प्रकार, किए गए कार्य की प्रगति का मूल्यांकन किए बिना 6.75 करोड़ रु जारी किए गए थे। यदि धन को लघु अवधि/दीर्घावधि जमाओं में रखा जाता तो विश्वविद्यालय 2.08 करोड़ रु (12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर परिकलित) का ब्याज अर्जित कर सकता था। विश्वविद्यालय ने दिसम्बर 1997 में बताया कि यद्यपि स्थानीय निकायों द्वारा आरेखणों के अनुमोदन की पूर्वाशा में मई 1994 में निविदाएं आमंत्रित की गई थीं, परन्तु जटिल पद्धति के अपनाने के कारण उसे सितम्बर 1995 में क्लीयर किया गया था। मंत्रालय ने विश्वविद्यालय के उत्तर का समर्थन किया। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि विलम्ब, वास्तुकार द्वारा ढांचागत आरेखण प्रस्तुत न करने के कारण हुआ था। तथापि, दि.न.नि./दि. श.क.आ. द्वारा सितम्बर 1995 में क्लीयरेंस प्राप्त करने के पश्चात् भी, दिसम्बर 1997 तक अनुबन्ध न देने के लिए कोई औचित्य प्रस्तुत नहीं किया गया था।

10.14 अन्य वित्तीय अनियमितताएं

10.14.1 निधियों का अनियमित अन्तरण

आवर्ती अनुदानों के संबंध में सा.वि.नि. के नियम 151(1) के अनुसार मंत्रालय को आगे आने वाले वर्ष के लिए अनुदान जारी करने से पूर्व पिछले वर्ष के लिए जारी अनुदानों के समुचित उपयोग के विषय में स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए।

तथापि, यह देखा गया था कि भविष्य के अनुदानों से खर्च न किए गए अनुदान के समायोजन से बचने के लिए विश्वविद्यालय ने 1993-97 के दौरान योजनेत्तर से योजनागत शीर्ष को 22.27 करोड़ रु के योग की राशि अन्तरित की तथा इन अन्तरणों के विषय में मंत्रालय की आपत्ति के बावजूद उस राशि को पूंजीगत मदों तथा अवस्थापना के विकास पर खर्च किया।

10.14.2 वाहनों की खरीद

विश्वविद्यालय ने 1990-97 के दौरान वाहनों की खरीद पर 66.46 लाख रु खर्च किए जिसके लिए वित्त मंत्रालय अथवा मा.सं.वि.मं. से कोई पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। 1995-96 के दौरान, 2.00 लाख रु तथा 18.00 लाख रु के क्रमशः बजट अनुमानों तथा संशोधित अनुमानों के प्रति, विश्वविद्यालय ने वाहनों की खरीद पर 42.29 लाख रु खर्च किए जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ जिसे मा.सं.वि.अ. से नियमित नहीं करवाया गया था।

विश्वविद्यालय ने दिसम्बर 1997 में बताया कि विश्वविद्यालय के अधिनियम तथा संविधान को इस उद्देश्य के लिए कोई व्यय करने के लिए सरकार से किसी विशेष अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी। प्रबन्ध-बोर्ड ऐसा व्यय करने के लिए अधिकृत था तथा मा.सं.वि.मं. अथवा वित्त मंत्रालय की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं थी। तथापि, मंत्रालय के निर्देशानुसार वाहनों की खरीद के लिए केन्द्रीय सरकार का पूर्वानुमोदन आवश्यक था।

10.14.3 वरि.सहायकों/कार्मिक सहायकों-ग्रेड-II के वेतन मानों का संशोधन

अक्तूबर 1990 तथा नवम्बर 1991 में मा.सं.वि.मं. द्वारा विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किए गए इस स्पष्टीकरण के बावजूद कि वेतनमानों को बढ़ाने के लिए जुलाई 1990 के आदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के वरि.सहायकों/आशुलिपिकों पर लागू नहीं थे, क्योंकि वे स्तर तथा नियुक्ति के ढंग दोनों के हिसाब से केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायकों/आशुलिपिकों के बराबर नहीं थे, विश्वविद्यालय के प्रबन्ध-बोर्ड ने वरि.सहायकों/कार्मिक सहायकों ग्रे-II के वेतन मान बढ़ाने के लिए नवम्बर 1991 में एक प्रस्ताव पास किया तथा जनवरी 1986 से बकाया का भुगतान कर दिया। जनवरी 1986 से मार्च 1997 तक के बकाया सहित इस विषय में किया गया कुल भुगतान 29.90 लाख रु था। मंत्रालय द्वारा बार-बार निर्देश देने के बावजूद विश्वविद्यालय ने किए गए अधिक भुगतान की वसूली नहीं की।

विश्वविद्यालय ने दिसम्बर 1997 में बताया कि विश्वविद्यालय के ग्रुप 'ख' तथा 'घ' कर्मचारियों के वेतनमान तदनुरूपी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के

बराबर थे तथा दृष्टि से वरि. सहायकों तथा निजी सहायकों के वेतन मानों का संशोधन पूर्णतः न्यायोचित था।

10.15. अनुश्रवण

10.15.1 विश्वविद्यालय के शैक्षिक क्रियाकलापों के अनुश्रवण हेतु एक योजना तथा विकास मंडल विद्यमान था। तथापि, यह देखा गया था कि मंडल, नए कार्यक्रमों के संबंध में कार्यक्रम कार्यान्वयन की प्रगति का अनुश्रवण नहीं कर रहा था। उसी प्रकार, यद्यपि, अध्ययन सामग्री के प्रेषण सहित विभिन्न क्रियाकलापों के अनुश्रवण हेतु एक परियोजना नियंत्रण अनुभाग विद्यमान था, फिर भी प्रेषण में विलम्ब हो रहा था, जो कि अपर्याप्त अनुश्रवण का सूचक था।

10.16. मूल्यांकन

विश्वविद्यालय ने इस बात का विश्लेषण करने के लिए कि क्या विश्वविद्यालय के लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए थे, कोई स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं किया था। विश्वविद्यालय के निष्पादन के पुनरीक्षण हेतु जून 1994 में नियुक्त पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई थी।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

11 अधूरे कार्यों पर निधियों का अवरोधन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अधीन जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के परिसर में सातवीं योजना के दौरान एक अस्पताल ब्लॉक के निर्माण हेतु एक योजना संस्वीकृत की (मार्च 1988) तथा इस प्रयोजन हेतु जून 1992 में 50 लाख रु तथा सितम्बर 1993 में 40 लाख रु जारी किए। इसके अतिरिक्त विद्युतिकरण हेतु विद्युतीय अभियंता (आपूर्ति सेवाएं) को 6.26 लाख रु भी दिए गए थे। विश्वविद्यालय ने इस कार्य को 92.26 लाख रु की अनुमानित लागत पर जमा निर्माण कार्य के रूप में के.लो.नि. वि. को सौंप दिया तथा अगस्त 1992-जनवरी 1994 की अवधि के दौरान 90 लाख रु जारी किए। भवन का निर्माण कार्य जून 1993 तक पूरा किया जाना था। तथापि चार वर्षों से अधिक समय बीतने के पश्चात् भी भवन के.लो.नि.वि. द्वारा अभी तक नहीं सौंपा गया था।

विश्वविद्यालय (चिकित्सा अधीक्षक) ने सितम्बर 1996 में बताया कि भवन पूरा था तथा उसे सौंपने/संभालने का कार्य प्रगति पर था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि के.लो.नि.वि. शेष निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए 40 लाख रु के और जमा पर बल दे रहा था। के.लो.नि.वि. द्वारा संशोधित अनुमान न तो अनुमोदित किया गया था और न ही के.लो.नि.वि. द्वारा मांगी गई किसी अन्य राशि का मार्च 1997 तक भुगतान किया गया था। निर्माण कार्य के पूर्ण होने में विलम्ब के परिणामस्वरूप निधियां एक योजना से दूसरी योजना में फिसलती रही। निर्धारित अवधि के भीतर निर्माण कार्य को पूरा करवाने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा किए गए प्रयास भी अभिलेख में नहीं थे। इसके फलस्वरूप चार वर्षों से अधिक की अवधि के लिए 96.26 लाख रु की निधियों का अवरोधन हुआ।

मामला मंत्रालय को मई 1996 में भेजा गया था; उनका उत्तर जनवरी 1998 तक प्रतीक्षित था।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई

12 विशेष वेतनवृद्धि की संस्वीकृति के कारण परिहार्य व्यय

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई (संस्थान), की वित्त समिति की सिफारिशों (नवम्बर 1994) के आधार पर संस्थान के शासक-बोर्ड (बोर्ड) ने मई 1995 में, कर्मचारियों को 25 वर्षों की सेवा पूरी होने पर एक विशेष वेतनवृद्धि देने के प्रस्तावों का अनुमोदन किया। यह वेतनवृद्धि 1 जनवरी 1986 अथवा 25 वर्ष की सेवा पूरी होने की तिथि के बाद कैलेण्डर मास की पहली तारीख जो भी बाद में हो, से दी जानी थी। तदनुसार, संस्थान ने जुलाई 1995 से अक्टूबर 1995 के दौरान 771 कर्मचारियों को विशेष वेतनवृद्धि संस्वीकृत की। इसमें 380 कर्मचारी जो पूर्वव्यापी प्रभाव से विशेष वेतनवृद्धि के लिए पात्र थे तथा 291 कर्मचारी जिनके लिए प्रत्याशित तिथि (अर्थात् अगस्त 1995 तथा अक्टूबर 1995 के बीच) से वेतनवृद्धि दी जानी थी, शामिल थे।

वित्त समिति, की कार्यवाहियों की पुनरीक्षा करते समय मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मा.सं.वि.मं.), शिक्षा विभाग, नई दिल्ली ने यह पाया (फरवरी 1995) कि प्रस्ताव भारत सरकार के आदेशों के अनुसार नहीं था। तदन्तर बोर्ड ने नवम्बर 1995 में उस स्तर, जिस पर मामला था, पर विशेष वेतनवृद्धि की संस्वीकृति को रोकने का निर्णय किया तथा नवम्बर 1995 से इस प्रकार की

वेतनवृद्धि को संस्वीकृत करना रोक दिया था। तथापि, 771 कर्मचारियों को पहले से संस्वीकृत वेतनवृद्धियों को वापस नहीं लिया गया था।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि मा.सं.वि.मं. से मई 1991 में जारी उनके पत्र में निहित स्पष्ट आपत्ति के बावजूद, बोर्ड द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (मा.प्रौ.सं.) दिल्ली में पहले से प्रचालित इसी प्रकार की योजना के आधार पर विशेष वेतनवृद्धि की संस्वीकृति हेतु योजना का अनुमोदन किया गया था। योजना का अनुमोदन करते समय बोर्ड के समक्ष मा.सं.वि.मं. द्वारा फरवरी 1995 में जारी पत्र, जिसमें यह बताया गया था कि योजना भारत सरकार के आदेशों के विपरीत होगी, भी था।

मा.सं.वि.मं. की अभ्युक्तियों के बावजूद योजना के कार्यान्वयन के लिए बोर्ड के निर्णय के परिणामस्वरूप संस्थान के 771 कर्मचारियों को एक वेतनवृद्धि संस्वीकृत की गई थी। संस्थान ने 380 कर्मचारियों, जिन्हें जुलाई 1995 के दौरान पूर्वव्यापी प्रभाव से वेतनवृद्धि संस्वीकृत की गई थी, को 24.39 लाख रु की राशि के बकाया का भुगतान किया। मासिक वेतन बिलों में इस कारण अगस्त 1995 से अक्टूबर 1995 तक किया गया व्यय लेखापरीक्षा को नहीं भेजा गया था। 50 रु प्रति मास प्रति कर्मचारी की औसत वेतनवृद्धि की दर पर परिकल्पित व्यय तथा जुलाई 1995 से लागू 138 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता 2.75 लाख रु बना।

771 कर्मचारियों को पहले से संस्वीकृत वेतनवृद्धि को वापस लिए बिना उसी समय नवम्बर 1995 से योजना को रोकने के निर्णय के परिणामस्वरूप एक ही स्तर के कर्मचारियों के बीच असमानता हो गई थी। नवम्बर 1995 के बाद भी उन कर्मचारियों को वेतनवृद्धि जारी रखने के परिणामस्वरूप संस्थान में नवम्बर 1995 से मई 1997 तक की अवधि के दौरान 17.43 लाख रु का परिहार्य व्यय हुआ।

मामला मंत्रालय को जून 1997 में भेजा गया था; उनका उत्तर सितम्बर 1997 तक प्रतीक्षित था।

13 केन्द्रीय विद्यालय मास्को की कार्यप्रणाली

केन्द्रीय विश्वविद्यालय (के.वि.) मास्को मिशन में रह रहे कर्मचारियों, के वि. शिक्षकों भारतीय व्यापारी समुदाय (भा.व्या.स.) के बच्चों के तथा दूसरों के खान-पान की व्यवस्था कर रहा था तथा 1994-97 के दौरान छात्रों की संख्या 191 से 228 के बीच थी।

(क) विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी (वि.मै.क.) द्वारा सितम्बर 1987 में अनुमोदित विभिन्न श्रेणियों को प्रभार्य शिक्षा शुल्क का जून 1995 में निम्न प्रकार संशोधन किया गया था :

विदेशी छात्र	5600 यू एस डालर प्रतिवर्ष
भारतीय दूतावास कर्मचारियों तथा स्थानीय भारतीय व्यापारी समुदाय के बच्चे	2640 यू.एस.डालर प्रतिवर्ष
उपर्युक्त के तीसरे तथा बाद के बच्चे के लिए	300 यू.एस.डालर प्रतिवर्ष
हिन्दुस्तानी समाज से सम्बन्धित बच्चे (केवल 1994-95 में)	100 यू.एस. डालर प्रतिवर्ष
के.वि.शिक्षकों के आश्रित	निःशुल्क (उनके द्वारा भारत में सुविधा का लाभ उठाने के कारण)।

इस प्रकार वही शुल्क संरचना मिशन के कर्मचारियों तथा स्थानीय भा. व्या.स. के बच्चों पर लागू था। स्थानीय भा.व्या.स. बच्चों से विदेशी बच्चों को लागू शुल्क लेने की बजाए उन्हें भारतीय दूतावास कर्मचारियों के बच्चों के बराबर मानना उचित नहीं था क्योंकि के.वि. की स्थापना मुख्यतः केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की शिक्षा के लिए की गई थी। उनसे 5600 यू.एस.डालर प्रतिवर्ष का पूर्ण शुल्क प्रभारित न करने के कारण 1994-95 से 1996-97 तक के वर्षों में 704480 यू.एस.डालर (1 यू.एस. डालर=₹35.50 रु की वर्तमान सरकारी विनिमय दर पर 2.50 करोड़ रु के बराबर) के राजस्व की हानि हुई।

(ख) लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह भी पता चला कि भारतीय विदेश सेवा (वेतन, अवकाश, प्रतिपूरक भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें) नियम, 1961 में मिशन के

कर्मचारियों के केवल दो बच्चों के शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था है। 2640 यू.एस.डालर प्रतिवर्ष के साधारण शुल्क के प्रति मिशन के कर्मचारियों के तीसरे तथा बाद वाले बच्चे के लिए प्रति बच्चा 300 यू.एस.डालर प्रतिवर्ष का शुल्क प्रभारित करने की रियायत जो कि नियम में अपेक्षित नहीं थी, प्रदान की गई थी। इसके साथ ही रियायत हिन्दुस्तानी समाज के बच्चों तथा विदेशी मिशन के बच्चों को भी दी गई थी।

1996-97 तक तीन वर्षों में भारत सरकार के अनुमोदन के बिना दी गई कुल रियायत, 12.52 लाख रु (1 यू.एस.डालर = 35.50 रु की सरकारी विनिमय दर) थी।

के.वि.ने बताया (अगस्त 1996) कि कुछ विद्यार्थियों को रियायती शुल्क स्वीकृत किया गया था जैसा कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन की लेखा संहिता के अनुच्छेद 63 (क) एवं (ख) में अनुमत है, जो कि समिति के कार्यक्षेत्र में था तथा रियायत छात्रों की कुल संख्या के 20 प्रतिशत की निर्धारित सीमा से अधिक नहीं दी गई थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि यह ऐसी रियायत प्रदान करने के कारणों के बारे में मौन है जो दूतावास कर्मचारियों के मामलों में भा.वि.से. (वे.अ. प्र.भ.) नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए वित्तीय सहायता के बढ़ाने को प्रभावित करे।

(ग) लेखापरीक्षा में यह देखने में आया कि यद्यपि के.वि. को स्वयं वित्त पोषण आधार पर कार्य करना था, भारतीय मूल के कर्मचारियों की वापसी स्थानान्तरण पारगमन लागत सहित इसके सभी स्थापना व्यय भारत में उस के.वि., जिसमें वे कर्मचारी तैनात किये गये थे, को डेबिट किये जा रहे थे।

संगठन ने लेखापरीक्षा अनुशंसाओं को मान लिया तथा अप्रैल 1997 में बताया कि उन्होंने अलग से आदेश दे दिये हैं कि के.वि. मास्को को आने तथा जाने दोनों प्रकार की यात्रा के लिए स्थानान्तरण यात्रा भत्ते पर व्यय को वहन करना चाहिए।

(घ) के.वि. के भवन के लिए किराये का भी जुलाई 1993 से भुगतान नहीं किया गया था तथा 1995-96 के अन्त तक कुल बकाया राशि 29.82 लाख रु थी। भुगतान न किये गए किराये की इस देयता को लेखाओं में नहीं दिखाया गया

था। पट्टा अनुबन्ध जो कि 31 दिसम्बर 1994 को समाप्त हो गया था, का न तो नवीकरण किया गया था और न ही नए अनुबन्ध को अंतिम रूप दिया गया था।

(ड.) 1994-95 तथा 1995-96 के वर्षों के दौरान क्रमशः 38243 यू.एस.डालर तथा 37410 यू.एस.डालर के मासिक औसत नकद अन्तर्वाह तथा बाहिर्वाह के प्रति मास्को तथा नई दिल्ली के के.वि. द्वारा अनुरक्षित चालू खातों में नकद शेष 1.67 लाख यू.एस.डालर तथा 2.20 लाख यू.एस.डालर के बीच थे। इतनी बड़ी राशि को बैंक के चालू खाते में रखने की बजाए इसके बड़े भाग को लघु अवधि जमा (91 दिवस) में निवेश किया जा सकता था जो कि किसी भी उद्देश्य के लिए नकदी की अचानक मांग को पूरा करने के साथ-साथ इसके लिए भारी आय अर्जित करती। डैश मार्क में उसकी विद्यमान सावधि जमा पर लागू ब्याज की दरों (3.5 प्रतिशत) तथा रुपये में (8 प्रतिशत) अप्रैल 1994 से जून 1996 के दौरान कम से कम सम्भावित 1.5 लाख यू.एस.डालर तथा 35 लाख रु के जमा पर ब्याज की हानि की राशि 10.83 लाख रु बनती है।

संगठन ने अप्रैल 1997 में बताया कि कुछ उपयुक्त राशि को लघु अवधि जमा में निवेश करने के लिए कार्यवाही की जा रही थी।

विश्व-भारती गान्तिनिकेतन

14 लाइसेंस-शुल्क का संशोधन न करना

चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर, केन्द्रीय सरकार ने समान्य पूल तथा विभागीय पूल दोनों आवासीय स्थानों कि लिए समान-दर पर लाइसेंस-शुल्क नियत करने के आदेश जारी किए तथा समान-दर पर लाइसेंस-शुल्क की वसूली, जुलाई 1987 से प्रारम्भ हुई। शुल्क पुनः जुलाई 1990 तथा जुलाई 1993 में संशोधित हुआ। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय होने के कारण केन्द्रीय सरकार के ये आदेश विश्व-भारती विश्वविद्यालय पर भी लागू होते थे।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि विश्वविद्यालय ने अपने विभिन्न टाइप के क्वार्टरों के लिए लाइसेंस-शुल्क की वसूली हेतु अभी तक समान दरें पुनर्निधारित तथा नियत नहीं की थी। इसके परिणामस्वरूप, रिहायशी क्षेत्रों में समान-दर के आधार के बजाय पूंजीगत लागत के आधार पर वर्ष 1977 में नियत

मानक किराया वसूल किया जाता रहा। दिसम्बर 1994 में, लाइसेंस-शुल्क के संशोधन के उद्देश्य से गठित एक समिति ने सभी टाइप के क्वार्टरों पर वर्तमान शुल्क पर 50 प्रतिशत की वृद्धि की सिफारिश की। इस सिफारिश को भी कार्यान्वित नहीं किया गया था। तथापि, विश्वविद्यालय ने केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों जिन्हें मार्च 1991 से क्वार्टर नहीं दिए गए हैं, का मकान किराया भत्ता बढ़ाने की चौथे वेतन आयोग की सिफारिश लागू कर दी थी।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए, विश्वविद्यालय ने सितम्बर 1997 में बताया कि स्टाफ एसोसिएशन के प्रतिरोध के कारण चौथे वेतन आयोग की सिफारिश को लागू नहीं किया जा सका।

इस प्रकार, जुलाई 1987 से रिहायशी क्षेत्रों में लाइसेंस-शुल्क का समान-दर पर संशोधन न किए जाने के कारण, विश्वविद्यालय ने जुलाई 1987 से दिसम्बर 1997 तक 25.40 लाख रु के राजस्व की हानि उठाई। यदि लाइसेंस-शुल्क में 50 प्रतिशत की वृद्धि की सिफारिश को दिसम्बर 1994 से लागू कर दिया जाता तो हानि को कम किया जा सकता था।

मामला मंत्रालय को जुलाई 1997 में भेजा गया था; उनका उत्तर जनवरी 1998 तक प्रतीक्षित था।

महिला तथा बाल विकास विभाग

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड

15 व्यर्थ निवेश

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (बोर्ड) ने सभापति के लिए निवास के रूप में उपयोग हेतु 14.58 लाख रु की लागत पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.) से एशियन खेल ग्राम परिसर में एक फ्लैट खरीदा (जुलाई 1988)। दि.वि.प्रा. से फ्लैट का कब्जा सितम्बर 1988 में लिया गया था। बोर्ड ने स्टांप शुल्क, फ्लैट की मरम्मत/नवीकरण पर भी 6.25 लाख रु का खर्च किया।

तथापि, लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि फ्लैट कब्जे की तिथि से अभी तक (सितम्बर 1997) खाली पड़ा था। बोर्ड ने मंत्रालय से फ्लैट के अतिथि गृह के रूप में उपयोग की सिफारिश की (मई 1992) क्योंकि अधिकतर नियुक्त सभापतियों के पास या तो सरकारी निवास या दिल्ली में उनके अपने मकान होते

थे, परन्तु मंत्रालय ने इस पर अपनी सहमति नहीं दी थी क्योंकि इसे विशिष्ट प्रयोजन हेतु सरकारी अनुदानों से अर्जित किया गया था। बोर्ड को उसे अतिथि गृह के रूप में बदलने के लिए अन्तिम प्रस्ताव भेजने से पूर्व बोर्ड की अधिशासी समिति का अनुमोदन प्राप्त करने की सलाह दी गई थी। तथापि अभी तक (सितम्बर 1997) बोर्ड द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया था।

इस प्रकार, 20.83 लाख रु का किया गया व्यय नौ वर्षों से भी अधिक समय तक अवरूद्ध रहा। इसके परिणामस्वरूप 13.85 लाख रु के ब्याज की भी हानि हुई थी।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने सितम्बर 1997 में बताया कि फ्लैट को अतिथि गृह के रूप में बदलने का प्रस्ताव बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा था। यदि यह प्रस्ताव उचित समय के भीतर स्वीकार नहीं हुआ तो फ्लैट को बेच देना होगा।

16 निधियों के रक्षोपाय न करना

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (खा.ग्रा.आ.) कर्जा नियमों के नियम 9 के अनुसार कर्जा उधार लेने वाले की अचल सम्पत्ति को बन्धक रख के तथा/अथवा आवेदन किये गए कर्जे की प्रतिभूति के रूप में चल सम्पत्ति को रहन रखकर/अथवा बन्धक रख कर प्रदान किया जा सकता है। इसके अलावा खा.ग्रा. आ. द्वारा निर्धारित पात्रता कसौटी के अनुसार एक संस्था अपनी पूंजी के 10 गुणा तक कर्जा ले सकती थी।

खा.ग्रा.आ.मुम्बई ने ग्राम स्वराज्य संगम कुरनूल हैदराबाद, प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त संस्था को दिसम्बर 1994 के अन्त तक पूंजीगत व्यय कर्जे तथा कार्यशील पूंजी कर्जे के प्रति कुल 1.09 करोड़ रु की राशि संस्वीकृत तथा जारी की। यह राशि 1.12 लाख रु की उसकी अपनी पूंजीगत निधि की तुलना में कर्जा प्राप्त करने की उसकी पात्रता से 97.49 लाख रु अधिक थी। इसके अतिरिक्त संस्था ने सिवाय 6.90 लाख रु मूल्य की सम्पत्ति के अपनी अचल सम्पत्ति बन्धक नहीं रखी थी, इसमें से भी केवल 1.63 लाख रु मूल्य की सम्पत्ति ऋणभार से मुक्त थी।

संस्था के निष्पादन का राज्य के कार्यालय द्वारा नवम्बर 1993 में पुनरीक्षण किया गया था तथा निरन्तर उपगत हानि, आन्तरिक प्रबन्धन में मतभेद, निधियों का विपथन तथा कर्मचारियों द्वारा दुर्विनियोजन की दृष्टि से इसे सन्देहास्पद माना गया था। 1995-96 के अन्त में संचित हानि 65.25 लाख रु थी। नवम्बर 1993 के दौरान अनियमितताओं का पता चलने के बावजूद संस्था को सामान्य खादी कार्यक्रमों, विशेष रोजगार कार्यक्रमों तथा नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 1994-95 में 15.10 लाख रु का और कर्ज दिया गया था। मार्च 1997 तक संस्था से 1.10 करोड़ रु की राशि वसूली योग्य थी।

इस प्रकार नियमों तथा निर्धारित कसौटी के उल्लंघन में निधियों के अंधाधुंध/अनियमित जारी करने तथा अभी भी संस्था को हो रही हानि के कारण कर्जे की वसूली सन्देहास्पद थी।

तथ्यों को स्वीकार करते हुये खा.ग्रा.आ. ने अगस्त 1997 में बताया कि चूंकि संस्था की सम्पत्तियों का नवम्बर 1995 में 43.78 लाख रु का पुनर्मूल्यांकन किया गया था, संस्था में निवेश की गई खा.ग्रा.आ. की निधियां सुरक्षित थीं। मंत्रालय ने खा.ग्रा.आ. के उत्तर का समर्थन किया (अगस्त 1997)। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि संस्था ने अपनी सारी सम्पत्तियां खा.ग्रा.आ. के पास बन्धक नहीं रखी थी और इसके अतिरिक्त बन्धक रखने हेतु पेश की गई सम्पत्ति का हिस्सा भी ऋण भार से मुक्त नहीं था।

17 निधियों का अवरोधन

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (खा.ग्रा.आ.) के अधीन कार्यरत खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली ने ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस-II, नई दिल्ली में एक गोदाम के निर्माण हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.) से दो एकड़ माप का एक भूखण्ड 1976 में चिरस्थायी पट्टे पर अधिग्रहीत किया। दि.वि.प्रा. को नवम्बर 1974 तथा जून 1978 के बीच 13.17 लाख रु का भुगतान किया गया था तथा भूमि का कब्जा सितम्बर 1976 में लिया गया था। तथापि, गोदाम के निर्माण हेतु प्रस्ताव को अन्तिम रूप देने के पश्चात् इस प्रयोजन हेतु एक समिति का गठन, वास्तुकारों की नियुक्ति तथा निविदाओं का आमंत्रण, पट्टा विलेख अक्टूबर 1982 में निष्पादित किया गया था, उस समय तक समस्त भूखण्ड पर स्लम निवासियों (झुगियों) द्वारा कब्जा कर लिया गया था। जनवरी 1987 में दि.वि.प्रा. ने प्रस्ताव रखा कि यदि खा.ग्रा.आ. झुगियां हटाने के लिए 10,000 रु प्रति परिवार देने के लिए सहमत हो तो वह झुगियों को हटाने का उत्तरदायित्व ले लेगा। तदनुसार खा.ग्रा.आ. ने झुगियां हटवाने के लिए नवम्बर 1988 में दि.वि.प्रा. के पास 12.80 लाख रु जमा करवा दिए।

अक्टूबर 1995 में, दि.वि.प्रा. ने न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिए जाने के कारण भूखण्ड को खाली करवाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की तथा कहा कि झुगी-निवासियों के पुनर्वास की योजना की देख-रेख, दिल्ली नगर निगम (दि.न.नि.) के स्लम विंग द्वारा की जा रही थी तथा स्लम निवासियों को हटाने के उद्देश्य के लिए उससे बात की जानी चाहिए। इसी बीच, दि.वि.प्रा. के पास जमा 12.80 लाख रु की राशि को वापिस लेने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

तथ्यों को स्वीकार करते समय खा.ग्रा.आ. ने अगस्त 1997 में बताया कि अब यह निर्णय ले लिया गया था कि 12.80 लाख रु की समस्त राशि दि.न.नि. के स्लम विंग को दि.वि.प्रा. द्वारा ही दे दी जाएगी। मंत्रालय ने भी अगस्त 1997 में खा.ग्रा.आ.के उत्तर का समर्थन किया।

सितम्बर 1976 में भूखण्ड का कब्जा लेने के पश्चात् उसे अतिक्रमण से बचाने के लिए तत्काल कार्यवाही करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप 25.97 लाख रु की निधियों का अवरोधन हुआ तथा 36.58 लाख रु के ब्याज की हानि हुई। इसके अतिरिक्त जिस उद्देश्य के लिए निधि जारी की गई थी, वह भी पूरा नहीं हुआ।

18 निधियों का अवरोधन

खादी ग्रामोद्योग आयोग (खा.ग्रा.आ.) ने, खादी ग्रामोद्योग भवन (खा.ग्रा.भ.) इर्नाकुलम, केरल को उस भवन, जिसमें वह किराए के आधार पर कार्य कर रहा था, को प्राप्त करने के लिए मार्च 1991 में 45 लाख रु की ब्याज रहित राशि जारी की। ग्राम उद्योग निधियों में से संस्वीकृत किया गया 45 लाख रु का ऋण इस शर्त के अधीन था कि खा.ग्रा.भ. ब्याज सहायता योजना के प्रति बैंक ऋण प्राप्त करने के बाद 22.50 लाख रु वापस कर देगा।

यद्यपि खा.ग्रा.भ. इर्नाकुलम ने बिक्री अनुबंध के अनुसार नवम्बर 1991 तक भवन के मालिक को 45 लाख रु का भुगतान कर दिया था तथा सितम्बर 1992 में अंतिम बिक्री विलेख पर हस्ताक्षर कर दिए थे तथापि, उसने छः वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद तक खा.ग्रा.आ. को 22.50 लाख रु की राशि अभी वापस करनी थी। ऋण को वापस लेने के लिए खा.ग्रा.आ. द्वारा कोई कार्यवाई नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप छः वर्ष से अधिक समय के लिए 22.50 लाख रु की निधियों का अवरोधन हुआ तथा खा.ग्रा.आ. को 13.50 लाख रु के ब्याज की सैद्धांतिक हानि हुई थी।

मंत्रालय ने अगस्त 1997 में बताया कि खा.ग्रा.भ. ऋण वापस नहीं कर सका क्योंकि सम्पत्ति भारत सरकार के पक्ष में खरीदी जाने के कारण वह कैश क्रेडिट लेने के लिए समर्थ नहीं था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि खा.ग्रा.आ. मार्च 1991 में ऋण की संस्वीकृति के समय पर भी इस तथ्य से अवगत था।

19 योजना तथा अनुमान के अनुमोदन से पूर्व निधियां जारी करने के कारण निधियों का अवरोधन

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (खा.ग्रा.आ.) ने फाइबर डिजाइन तथा विकास केन्द्र, जो कि 500/= k रु के मासिक किराए पर लिए गए भवन में कार्य कर रहा था, के लिए एक नए भवन के निर्माण हेतु 2.60 लाख रु की लागत पर कुलाथूर, तिरुवनन्तपुरम में 1.3 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया (फरवरी 1992)। भवन के लिए 29.58 लाख रु की लागत की योजना तथा अनुमान, तिरुवनन्तपुरम के राज्य कार्यालय द्वारा खा.ग्रा.आ को अक्टूबर 1994 में प्रस्तुत किए गए थे परन्तु निर्मिती केन्द्र, निर्माण एजेंसी से स्पष्टीकरण प्राप्त न होने के कारण खा.ग्रा.आ. द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए थे (सितम्बर 1997)।

फिर भी, भवन के निर्माण हेतु खा.ग्रा.आ. द्वारा 20.01 लाख रु तथा 15.39 लाख रु क्रमशः मार्च 1994 तथा अप्रैल 1996 में जारी किए गए थे। जारी किए गए 35.40 लाख रु में से, 10.07 लाख रु केन्द्र के स्टाफ को वेतन का भुगतान करने के लिए प्रयोग किए गए थे (मार्च 1996)। अनुमोदन की स्वीकृति में विलम्ब के कारण भी, केन्द्र किराए के स्थान से ही कार्य करता रहा जिसके कारण फरवरी 1992 से जून 1997 की अवधि के लिए किराए के प्रति 0.33 लाख रु का अतिरिक्त व्यय हुआ।

इस प्रकार योजना तथा अनुमानों के अनुमोदन से पूर्व निधियां अनियमित रूप से जारी करने के कारण 35.40 लाख रु की निधियों का अवरोधन/विपथन हुआ।

खा.ग्रा.आ. ने अगस्त 1997 में बताया कि निर्मिती केन्द्र द्वारा कुछ औपचारिकताओं को पूरा करने में विलम्ब के कारण भवन के निर्माण में विलम्ब हुआ था तथा यद्यपि आवर्ती अनुदान के अन्तर्गत वेतन के भुगतान हेतु बजट प्रावधान उपलब्ध था, चूंकि राज्य निदेशक के पास अनावर्ती अनुदान के अन्तर्गत निधियां व्यर्थ पड़ी हुई थी, आवर्ती व्यय इसी अनुदान से ही किया गया था। खा.ग्रा.आ. द्वारा अगस्त 1997 में इसी उत्तर का समर्थन किया गया था।

तथापि सच यही है कि योजना तथा अनुमानों के अनुमोदन में विलम्ब के कारण निधियों का अवरोधन हुआ था, जिसके भाग का अनियमित विपथन भी हुआ था।

20. स्था.लो.उ.स. मीनार परियोजना

20.1 प्रस्तावना

स्थायी लोक उद्यम सम्मेलन (स्था.लो.उ.स.), लोक क्षेत्र को उसके सम्पूर्ण कार्य-निष्पादन को सुधारने में सहयोग देने के उद्देश्य से 1970 में, एक पंजीकृत समिति के रूप में स्थापित किया गया था।

इस तथ्य, कि कई लोक उद्यमों को अपने कार्यालय दिल्ली में रखने अपेक्षित होते हैं जिनके लिए किराए के रूप में भारी व्यय किया जा रहा था, को ध्यान में रखते हुए सरकार ने, उद्यमों को, पूल आधार पर उनके स्वयं के भवनों का निर्माण करने में सहयोग देने का निर्णय किया। एक विशाल संयुक्त कार्यालय परिसर का निर्माण करने पर विचार किया गया था। इस योजना के अंतर्गत, सरकार ने भूमि आबंटित की तथा कार्यालय परिसर के निर्माण की लागत का प्रतिभागी उद्यमों से प्राप्त अंशदान द्वारा वित्तपोषण हुआ था। स्था.लो.उ.स. द्वारा हैंडिल की गई प्रथम ऐसी परियोजना लोदी रोड क्षेत्र में आरंभ हुई। तदन्तर, कई और लोक क्षेत्र उद्यम इस परिसर में आने के इच्छुक थे लेकिन उन सभी को, सीमित स्थान होने के कारण स्थान नहीं दिया जा सका। तदनुसार, स्था.लो.उ.स. ने, 1978 में, एक अन्य कार्यालय परिसर जिसके लिए सरकार द्वारा 1982 में लक्ष्मी नगर में भूमि आबंटित की गई थी, का निर्माण करने का निर्णय किया तथा उसके बाद मीनार परियोजना आरंभ की गई थी।

20.2 संगठनात्मक ढांचा

मीनार परियोजना के कार्यों की व्यवस्था के लिए प्रतिभागी लोक क्षेत्र उद्यमों ने एक लोक उद्यम सेवा संस्था (लो.उ.से.सं.) बनाई जो उस समय समिति अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत की गई थी। तथापि, चूंकि परिसर के निर्माण की प्रगति बहुत धीमी थी इसलिए प्रबन्ध की एक उपयुक्त प्रणाली स्थापित करने का निर्णय किया गया था तथा तदनुसार, लो.उ.से.सं. को जुलाई 1987 में समाप्त कर दिया गया था और सरकारी निर्देशों के अनुसार स्था.लो.उ.स. ने परिसम्पत्तियां तथा देयताएं अपने अधिकार में ले लीं। दिसम्बर 1987 में स्था.लो. उ.स. ने एक भवन समिति का गठन किया जो मीनार परियोजना के कार्यों की व्यवस्था के लिए पूर्ण वित्तीय, प्रशासनिक, तकनीकी तथा कार्यकारी शक्तियों वाली

स्था.लो.उ.स. के कार्यकारी बोर्ड की एक चैयरमैन तथा छः सदस्यों की एक अधिकार प्राप्त समिति थी। यद्यपि निधियां सा.क्षे.उ. से प्राप्त हुई थी तथा स्था.लो. उ.स. परियोजना के निष्पादन हेतु भारी लोक निधियों का संचालन कर रहा था, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों, जिनके अधीन सा.क्षे.उ. काम कर रहे थे, के लिये यह लेखादेय नहीं था। इस उत्तरदायित्व को सही ढंग से नहीं निभाया गया था जो कि परियोजना के निष्पादन में विलम्ब का एक मुख्य कारण था।

20.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

स्था.लो.उ.स.की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, अधिकार व सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत की जा रही है। मीनार परियोजना के कार्य-निष्पादन से संबंधित अभिलेखों की दिसम्बर 1996 से जुलाई 1997 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा में नमूना जांच की गई थी।

20.4 विशिष्टताएं

- 1986 में अनुमानित मीनार परियोजना की 74.38 करोड़ रु की लागत 1996 तक 183.25 करोड़ रु तक बढ़ गई थी। 1991 तक पूर्ण की जाने वाली परियोजना जनवरी 1998 तक प्रगति पर थी। परियोजना के विभिन्न मुख्य संघटकों के निष्पादन में लागत 26.64 करोड़ रु तक तथा समय 81 से 84 माह तक बढ़ गया था।

(पैराग्राफ 20.5)

- स्था.लो.उ.स. ने वास्तुकारों (मै.बी.बी.ए.) को फीस में अन्यायोचित वृद्धि, स्थापना तथा ऊपरी प्रभारों के अनियमित भुगतान, विलम्बित सिविल निर्माण कार्यों पर वृद्धि के लिए अग्राह्य भुगतान तथा श्रम वृद्धि फार्मूले में संशोधन के कारण भुगतान के माध्यम से 1.64 करोड़ रु का अनुचित लाभ दिया।

(पैराग्राफ 20.8.1.1)

- परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए नियुक्त परियोजना समन्वयक (मै.रा.औ.वि.नि.) लागत को कम करने तथा समय को बढ़ाने से रोकने में असफल रहा तथा उसे ठेके की दोषपूर्ण/अस्पष्ट शर्तों के कारण 2.75 करोड़ रु तक अनुचित लाभ प्राप्त हुआ।

(पैराग्राफ 20.8.2)

- ठेकेदार को मुक्त स्थल सौंपने में विलम्ब तथा विद्युत की अनुपलब्धता के परिणामस्वरूप सिविल ठेकेदार (मै. एल.एन्ड टी.) को 2.15 करोड़ रु का वित्तीय लाभ हुआ। श्रम वृद्धि फार्मूले में, बीच में अन्यायोचित संशोधन करने के कारण सिविल ठेकेदार को 4.37 करोड़ रु तक और लाभ हुआ। तीन अन्य सेवा ठेकेदारों (मै.यू.ई.आई,बी.ई. तथा एन.एस.पी.एल.) को इसी कारण 2.38 करोड़ रु तक लाभ हुआ।

(पैराग्राफ 20.8.3)

- सिविल निर्माणकार्य असीमित विलम्ब के कारण रुके हुए थे जिसका सभी सहयोगी निर्माण कार्यों पर प्रपतन प्रभाव पड़ा था। वास्तुकारों के परामर्श पर ठेकेदार से वसूल किया गया 52.55 लाख रु का स्तर-वार अर्थदण्ड अभी वापस किया जाना था।

(पैराग्राफ 20.8.3(घ))

- सिविल निर्माणकार्य में रक्षक दीवार के डिजाइन में बीच में परिवर्तन करने के परिणामस्वरूप पुराने खंडों को तोड़ने तथा नए खंडों के प्रतिस्थापन की लागत के कारण 1.94 करोड़ रु की अतिरिक्त देयता हुई।

(पैराग्राफ 20.8.1.1(ज))

- 31 लाख रु की लागत पर प्रतिष्ठापित अग्निशमन तथा छिड़काव पम्प विनिर्देशनों के अनुरूप नहीं थे। मापन-पत्रक में झूठी प्रविष्टियां सन्निहित थी जिन्हें वास्तुकारों द्वारा प्रमाणित किया गया था।

(पैराग्राफ 20.8.4(घ))

- आठ ठेकेदारों को मानकीय राशि के अतिरिक्त 1.44 करोड़ रु के ब्याज रहित संग्रहण अग्रिम दिए गए थे। इसके अतिरिक्त स्था.लो.उ.स. ने 8.93 करोड़ रु के ब्याज रहित विशेष अग्रिमों का भुगतान किया जो ठेके की सीमा से बाहर थे।

(पैराग्राफ 20.9(क),9(ख))

20.5 परियोजना का डिजाइन तथा लागत

(क) परियोजना में, 1.03 लाख वर्ग मी. के निर्मित क्षेत्र सहित 25 मंजिल ऊंची भवनसमूहों का निर्माण 1991 तक पूर्ण करने का विचार किया गया था। प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार परियोजना की लागत 74.38 करोड़ रु थी। भवन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजना की अनुमानित लागत 1996 में 183.25 करोड़ रु

थी। तथापि, वास्तव में अतिरिक्त तहखाना तथा मध्य फ्लोर सहित उत्तरी मीनार (21 तल) तथा दक्षिणी मीनार (17 तल) के निर्माण का उत्तरदायित्व लिया गया था।

परियोजना एक स्वयं वित्तपोषित योजना थी जो लो.क्षे.उ. के संघटकों द्वारा निधिबद्ध की जानी थी। मार्च 1996 तक, स्था.लो.उ.स. ने लो.क्षे.उ. के 40 संघटकों से 167.89 करोड़ रु एकत्र किए। इसमें ऐसे चार सा.क्षे.उ. सम्मिलित थे जिन्हें 1992-95 वर्षों के दौरान हानियां हुई थी तथा उन्होंने 6.17 करोड़ रु का अंशदान दिया था।

20.6 परियोजना का निष्पादन

परियोजना के निर्माणकार्य को उसके प्रारंभ से ही वास्तुकारों की एक फर्म मैसर्स भारद्वाज एंड भारद्वाज एसोसिएट्स (भा.भा.ए.) द्वारा पर्यवेक्षित किया गया था। मार्च 1988 में, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम (रा.औ.वि.नि.) को परियोजना समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया था। फरवरी तथा अक्टूबर 1988 के बीच स्था.लो.उ.स. ने परियोजना के विभिन्न संघटकों के लिए सिविल, इलैक्ट्रिकल्स तथा दो सर्विस ठेकेदारों के साथ 45.99 करोड़ रु के कुल ठेका मूल्य पर पृथक ठेके किए।

20.6.1 नियुक्तियां

क) वास्तुकार (भा.भा.ए.)

स्था.लो.उ.स. ने जुलाई 1983 में भा.भा.ए. के साथ एक अनुबंध किया। चयन के लिए सामान्यतया अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार वास्तुकार का, उनके पिछले कार्य-निष्पादन अथवा सुविज्ञता के आधार पर सूचीबद्ध की गई फर्मों के पैनल से, चयन करने के लिए कोई छानबीन समिति नहीं बनाई गई थी। वास्तुकारों की नियुक्ति करते समय ऐसी प्रक्रिया इस तर्क पर छोड़ दी गई थी कि प्रस्तावित स्था.लो.उ.स. मीनारों के डिज़ाइन सहित समस्त कॉम्प्लैक्स के लिए योजना स्वयं उन वास्तुकारों द्वारा ही बनाई गई थी।

ख) परियोजना-समन्वयक (रा.औ.वि.नि.)

स्था.लो.उ.स. ने मार्च 1988 में रा.औ.वि.नि. को समय पर निर्माणकार्य पूर्ण करने को सुनिश्चित करने, भवन समिति की लागत को नियंत्रणाधीन रखने, लेखाओं के अनुरक्षण का परामर्श देने, स्था.लो.उ.स. को सामग्रियों की

जांच-पड़ताल करने में सहयोग देने तथा मात्रा-मापन पर 10 प्रतिशत की रोक कार्यान्वित करने के लिए परियोजना समन्वयक के रूप में नियुक्त किया। यह अनुबंध तीन वर्ष के लिए वैध था।

ग) सिविल ठेकेदार (मैसर्स लारसन एण्ड टुबरो लिमिटेड) स्था.लो.उ.स. ने, सिविल निर्माण कार्य फरवरी 1988 में 27.48 करोड़ रु की संविदागत राशि पर ला.एण्ड टो. को सौंपे तथा ये अप्रैल 1990 तक पूर्ण किए जाने थे। मार्च 1988 में एल.एण्ड टी ने एक अन्य ठेकेदार को 'स्कोप' के अनुमोदन के बिना 12.08 करोड़ रु की राशि के कार्य की कुछ मदें उपठेके पर दी।

घ) सर्विस ठेकेदार

स्था.लो.उ.स. ने अक्टूबर 1988 में सफाई, पानी तथा अग्निशमन निर्माणकार्यों का ठेका, जून 1990 तक पूर्ण किए जाने के लिए 3.85 करोड़ रु की लागत पर मैसर्स नॉर्दन सेनीटेशन प्राइवेट लिमि. (ना.से.प्रा.लि.) को तथा वातानुकूलन तथा यांत्रिक संवातन हेतु ठेका जून 1990 तक पूर्ण किए जाने के लिए 7.80 करोड़ रु की लागत पर मैसर्स यूटिलिटी इंजीनियर्स इंडिया लिमि. (यू.इं.इ.) को प्रदान किया। जून 1990 में पूर्ण किए जाने वाले आंतरिक विद्युतीकरण तथा सब-स्टेशन निर्माणकार्य के लिए ठेका अक्टूबर 1988 में 6.86 करोड़ रु की लागत पर मैसर्स भारत इलैक्ट्रिकल्स (भा.इ.) को दिया गया था।

20.6.2 सिविल तथा सर्विस ठेकेदारों के चयन के आधार की लेखापरीक्षा में जांच नहीं की जा सकी क्योंकि सुसंगत कागजात लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

तथापि, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के मुख्य तकनीकी परीक्षक ने मैसर्स लॉ. एण्ड टु. के मामले में यह देखा कि :

- स्था.लो.उ.स.ने, मै. लॉ.एण्ड टु. को 28.42 करोड़ रु की मूल निविदागत राशि पर प्रस्तावित 6.5 प्रतिशत की छूट का लाभ प्राप्त किए बिना 26.57 करोड़ रु की बजाय 27.48 करोड़ रु की राशि पर निर्माण कार्य सौंपा था।
- अनुमान, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् निविदागत समिति/भवन समिति द्वारा तकनीकी रूप से संस्वीकृत नहीं किए गए थे।

– निर्माण कार्य सौंपने से पहले दरों की उपयुक्तता को प्रमाणित भी नहीं किया गया था।

स्था.लो.उ.स. ने जून 1997 में स्वीकार किया कि निर्माणकार्य के नियोजन तथा निष्पादन पर मूल अभिलेख जैसे विस्तृत अनुमान, निविदाओं पर तुलनात्मक विवरण तथा हिन्ड्रेन्स रजिस्टर तथा प्राप्त की जाने वाली उपलब्धि दशति हुए सम्पूर्ण परियोजना के लिए समय अनुसूची या तो तैयार नहीं किए गए थे या स्था.ले.उ.स. में उनका पता नहीं था और इसलिए उन्हें लेखापरीक्षा को नहीं भेजा गया था। इन अभिलेखों की विस्तृत सूची अनुबंध IX में दी गई है।

20.7 निर्माणकार्य की प्रगति : अधिक लागत और समय

1991 तक पूर्ण की जाने वाली परियोजना अभी तक प्रगति पर थी (दिसम्बर 1997)। सा.औ.वि.नि. द्वारा तैयार मार्च 1997 तक चार प्रमुख निर्माणकार्यों की स्थिति निम्नानुसार थी :

निर्माण कार्यों के नाम	संविदा मूल्य (करोड़ रु में)	किए गए निर्माण कार्य का मूल्य (करोड़ रु में)	निर्माणकार्य पूर्ण होने की प्रत्यक्ष प्रतिशतता	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	लागत में वृद्धि (करोड़ रु में)	समय में वृद्धि (माह)
सिविल निर्माणकार्य	27.48	29.16	91.63	03.04.90	13.34	84
आंतरिक विद्युतिकरण	6.86	4.09	60.00	19.06.90	4.72	81
प्लम्बरी तथा अग्निशमन	3.85	2.18	56.80	05.06.90	2.89	82
वातानुकूलन तथा यांत्रिक संवातन	7.80	3.38	47.80	25.06.90	5.69	81

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि प्रमुख निर्माणकार्यों के पूर्ण होने में विलम्ब होने के परिणामस्वरूप मूल संविदा मूल्य तथा पूर्ण होने की निर्धारित तिथियों की तुलना में लागत 26.64 करोड़ रु बढ़ी तथा समय 81 से 84 महीनों तक बढ़ गया। स्था.लो.उ.स. ने नवम्बर 1995 में लागत तथा समय

* बढ़ी हुई लागत मार्च 1997 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन में दर्शाई गई निर्माण कार्य की प्रत्यक्ष प्राप्ति के आनुपातिक आधार पर परिकलित की गई।

बढ़ने के कारणों का विवरण देने वाला एक कागज़-पत्र तैयार करने का निर्णय किया जो जुलाई 1997 तक तैयार नहीं था।

1983 में स्था.लो.उ.स. ने लो.क्षे.उ. को 300 रु प्रति वर्ग फुट की दर पर निर्माण की लागत के लिए प्रस्तावित किया था। जनवरी 1996 में, स्था.लो.उ.स. ने इस लागत का 1323 रु प्रति वर्ग फुट की दर पर अनुमान लगाया, जबकि प्रचलित बाजार दर 835 रु से 1020 रु प्रति वर्ग फुट थी तथा उच्च लागत, भवन के अद्वितीय विशिष्टता तथा उत्तम विनिर्देशन सामग्रियों का उपयोग करने के कारण बताई गई थी। तथापि, पिछले व्यय को चालू के.लो.नि. वि.लागत सूचकांक के अनुसार बढ़ाने पर यह देखा गया कि निर्माण लागत, अद्वितीय विशिष्टता तथा उत्तम विनिर्देशन के कारण लागत को कम करने के बाद भी 2201 रु प्रति व.मी. अथवा प्रचलित बाजार दर का 2.4 गुणा बनेगी।

20.8 भुगतान

20.8.1 वास्तुकार : भा.भा.ए.

(क) स्था.लो.उ.स. ने वास्तुकार के साथ निर्माणकार्य की आंतरिक सजावट तथा निर्माण के संबंध में व्यापक व्यावसायिक परामर्श तथा वास्तुशिल्पीय और इंजीनियरिंग सेवाएं देने के लिए जुलाई 1993 में एक अनुबंध किया। वास्तुकार के कर्तव्यों में व्यापक उत्तरदायित्व अर्थात् अनुमानों की तैयारी, आरेखण तथा डिज़ाइन, निविदाएं जारी करना, निर्माणकार्य सौंपने की सिफारिश करना, उसका पर्यवेक्षण करना तथा ठेकेदारों के बिलों का प्रमाणीकरण करना सभी सम्मिलित थे।

जुलाई 1983 के प्रारंभिक अनुबंध में निर्माण कार्य की लागत के 3.5 प्रतिशत की दर पर फीस का भुगतान करने की शर्त थी। वास्तुकारों के साथ सितम्बर 1986 में किए गए अनुपूरक अनुबंध में 1.20 करोड़ रु की सीमा नियत की गई थी जिसे बाद में फरवरी 1988 में अनुपूरक अनुबंध करने में समाप्त कर दिया गया था जिसमें लागत तत्व को नियत नहीं किया गया था।

निर्माण-कार्य की संरचनात्मक मजबूती; विभिन्न सरकार तथा सांविधिक निकायों की अपेक्षा के अनुसार निर्माणकार्यों की डिज़ाइन करने, गुणवत्ता तथा लागत पर नियंत्रण की जांच तथा समय के तत्वों के लिए पूर्ण पर्यवेक्षण करने का उत्तरदायित्व शामिल करने के लिए सेवाओं के कार्यक्षेत्र में वृद्धि करने के आधार

पर 1988 में शुल्क, 3.5 से 4 प्रतिशत तक बढ़ाया गया था। दरों में वृद्धि करना न्यायोचित नहीं था क्योंकि ऊपर बताए गए कर्तव्यों का पूर्व अनुबंधों में भी स्पष्ट उल्लेख किया गया था। 1988 में, रा.औ.वि.नि. को परियोजना-समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया था तथा इससे पिछले अनुबंधों में उल्लिखित वास्तुकारों के, विशेष रूप से लेखाओं के प्रमाणीकरण तथा मापन-जांच के संबंध में, उत्तरदायित्व और कम हुए। वास्तव में, रा.औ.वि.नि. को कर्तव्यों का हस्तांतरण होने से यह वास्तुकार के फीस का अधोगामी संशोधन का एक मामला था। यद्यपि फीस, 1988 से बढ़ी हुई दर के आधार पर बढ़ाई गई थी तथापि 1983-88 की अवधि के दौरान पूर्ण किए गए निर्माणकार्य के स्तरों को, 1988 में नया ठेका करने में भी शामिल किया गया था। चूंकि उसने उन अवधियों जब वास्तुकारों को “अतिरिक्त उत्तरदायित्व” नहीं सौंपे गए थे, को शामिल करते हुए पूर्वव्यापी तिथि से फीस बढ़ाई थी इसलिए ठेके से वास्तुकारों को अनुचित लाभ हुआ। फीस में इस वृद्धि तथा अतिव्याप्ति के कारण मार्च 1997 तक 38.60 लाख रु का अधिक भुगतान परिकलित किया गया था।

(ख) 1988 में अनुबंध में, यदि निर्माण कार्य फरवरी 1991 के बाद बढ़ जाता है तो के.लो.नि.वि. का लागत सूचकांक अधिक होने से बढ़ी हुई फीस, स्थल पर वास्तव में तैनात स्टाफ के वेतन पर किए गए खर्च तथा ऊपरी खर्चों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 50 प्रतिशत का भुगतान करने की व्यवस्था थी। यदि विलम्ब प्रत्यक्ष रूप से वास्तुकारों पर आरोपित हो तो ये भुगतान देय नहीं थे।

सिविल निर्माणकार्यों के कुछ विवाद मई 1992 के दौरान मध्यस्थों को भेजे गए थे तथा मध्यस्थ निर्णय में 9.66 करोड़ रु के नौ मामलों में वास्तुकारों को उत्तरदायी ठहराया गया था। इसके बावजूद स्था.लो.उ.स. ने फरवरी 1991 से मार्च 1997 की अवधि के लिए स्थल कार्यरत स्टाफ के वेतन तथा ऊपरी खर्चों के लिए वास्तुकारों को 96.82 लाख रु का भुगतान किया।

(ग) वास्तुकारों ने, जून 1993 में वर्तमान सूचकांक के अनुसार फीस में वृद्धि होने के कारण 13.32 लाख रु के दावे प्रस्तुत किए। फरवरी 1991 से पूर्व निष्पादित किए गए निर्माणकार्य को सम्मिलित करते हुए, पूर्वव्यापी प्रभाव से, वृद्धि का दावा किया गया था। रा.औ.वि.नि. ने देय फीस की गणना करने के आधार के

बारे में आपत्ति की। स्था.लो.उ.स. ने वास्तुकारों को, विभिन्न ठेकेदारों को प्रदत्त बड़े हुए शुल्क के रूप में 20.07 लाख रु (रा.औ.वि.नि.द्वारा आपत्ति किए गए 13.32 लाख रु सहित) का भुगतान किया।

(घ) स्था.लो.उ.स. ने, विलम्बित निर्माणकार्यों की क्षतिपूर्ति के लिए सिविल निर्माणकार्य का निष्पादन करने वाले ठेकेदार के साथ हस्ताक्षरित पैकेज डील पर वास्तुकारों को 8.60 लाख रु का भुगतान किया। यह अनुबंध (1988) की धारा 5(ii)के अनुसार अग्राह्य था, जिसमें यह निर्धारित था कि वास्तुकारों को, निर्माणकार्य सौंपने के बाद लागत में वृद्धि के कारण ठेकेदारों को किए गए भुगतान के रूप में अतिरिक्त लागत का भुगतान नहीं किया जाएगा। रा.औ.वि.नि. ने उसी आधार पर भुगतान करने की आपत्ति भी की थी।

(ङ.) स्था.लो.उ.स. ने ठेकेदारों को प्रदत्त 5.79 करोड़ रु के रक्षित अग्रिमों पर वास्तुकारों को 4 प्रतिशत की दर पर फीस जारी की, हालांकि अनुबंध की धारा 6 (vii) के अनुसार इस प्रकार की फीस केवल निष्पादित किए गए निर्माणकार्य के मूल्य पर और न कि रक्षित अग्रिमों पर जारी की जानी थी। चूंकि ये भुगतान अनुबंध के अंतर्गत ग्राह्य नहीं थे इसलिए उनका जारी किया जाना वास्तुकारों को अप्राधिकृत वित्तीय सहायता देने के बराबर हुआ।

(च) स्था.लो.उ.स./वास्तुकारों ने, जनवरी 1997 तक, भवनों के डिज़ाइनों को अंतिम रूप अभी देना था। स्था.लो.उ.स. ने अगस्त 1996 में माना कि वास्तुकारों ने डिज़ाइन में, बीच में परिवर्तन कर दिए जिसके कारण पर्याप्त विलम्ब तथा अतिरिक्त लागत हुई। रा.औ.वि.नि. ने मार्च 1997 में टिप्पणी की कि अनुस्मारकों के बावजूद, वास्तुकारों ने सभी ठेकों के औचित्य के साथ परिवर्तन विवरण तथा अतिरिक्त/प्रतिस्थापित मदों के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए थे।

नक्शों तथा डिज़ाइनों को अंतिम रूप देने में विलम्ब होने से निर्माणकार्य के कार्यक्षेत्र में पर्याप्त परिवर्तन हुए। स्था.लो.उ.स. ने वास्तुकारों के साथ ठेके में देयता-शर्त, जिसमें यदि वास्तुकार अनुमोदित समय-अनुसूची के भीतर निर्माणकार्य पूर्ण करने में असफल रहता तो ठेके की क्षतियों तथा समाप्ति के लिए व्यवस्था होती, को शामिल नहीं किया था।

(छ) स्था.लो.उ.स./वास्तुकारों ने स्वीकार किया कि निर्माण कार्य घटिया था तथा दो ठेकेदारों अर्थात् नॉर्दर्न सेनीटेशन (प्रा) लिमि. [पैराग्राफ 8.4(घ)] तथा यूटिलिटी इंजीनियर्स (इंडिया) लिमि. [पैरा 20.8.5(क)] द्वारा निष्पादित निर्माणकार्य में विनिर्देशनों के अनुसार न होने वाली सामग्रियों के प्रतिष्ठापन की अनुमति दी गई थी। इससे वास्तुकारों द्वारा अनुरक्षित/प्रमाणित अभिलेखे की विश्वसनीयता तथा उनके द्वारा पर्यवेक्षित निर्माणकार्य की गुणवत्ता पर संदेह हुआ।

(ज) अक्टूबर 1993 में सिविल ठेकेदार के एक उप-ठेकेदार, जिसको एल्युमीनियम फेब्रीकेशन का कार्य सौंपा गया था, ने रक्षक दीवार पद्धति की मजबूती पर दिल्ली के वायुदाब का मुकाबला करने में उसकी समर्थता के संबंध में संदेह व्यक्त किया। वास्तुकारों तथा सिविल ठेकेदार द्वारा अनुमोदित मूल डिजाइनों में, फरवरी 1995 में, संशोधन किए गए थे, उस समय तक एल्युमीनियम ढांचे का 90 प्रतिशत कार्य मूल डिजाइनों के अनुसार किया जा चुका था। अनुबंधों के अनुसार, सिविल ठेकेदार को मार्च 1997 तक शीशे और एल्युमीनियम कार्यों के लिए 4.45 करोड़ रु का भुगतान कर दिया गया था। अक्टूबर 1995 में, ला.एण्ड टु. ने पुराने खंडों को तोड़ने के लिए 15.67 लाख रु तथा नए खंडों के प्रतिष्ठापन हेतु 1.79 करोड़ रु का दावा किया जो स्था.लो.उ.स. के पास लम्बित था।

वास्तुकार के साथ किए गए ठेके में “वायु तथा भूकम्पीय भार” के संबंध में ढांचे की मजबूती के लिए उनको स्पष्ट तथा सम्पूर्ण रूप से जिम्मेदार बनाया गया था। इस कारण हुई हानि के लिए जनवरी 1997 तक कोई जिम्मेदारी नियत नहीं की गई थी।

20.8.2 परियोजना-समन्वयक (रा.औ.वि.नि.)

स्था.लो.उ.स., परियोजना के निष्पादन के लिए परियोजना की अंतिम निष्पादित लागत का 1.55 प्रतिशत की दर से फीस का तीन चरणों अर्थात् अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय अग्रिम के रूप में फीस का 15 प्रतिशत, अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तिथि से आरंभ होने वाली 35 बराबर मासिक किश्तों में फीस का 77.5 प्रतिशत तथा रा.औ.वि.नि. द्वारा निर्माण कार्य के पूरा होने पर फीस का शेष 7.5 प्रतिशत का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया।

(क) मार्च 1988 में रा.औ.वि.नि. के साथ किए गए ठेके में, भुगतानों को जारी करने के लिए एक मासिक अनुसूची निर्धारित की गई थी तथा भुगतानों के जारी करने को वास्तविक निर्माणकार्य की प्रगति के साथ सम्बद्ध नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 1.55 की संविदागत प्रतिशतता के प्रति परियोजना निष्पादन के लिए 4.9 प्रतिशत की दर से फीस का भुगतान किया गया। इस कारण 2.18 करोड़ रु का अधिक भुगतान परिकलित किया गया। इसमें कार्य स्थल पर लाई गई सामग्री की नमूना जांच के लिए मार्च 1997 तक भुगतान की गई फीस सम्मिलित थी, हालांकि रा.औ.वि.नि. ने सामग्री की नमूना जांच नहीं की थी। इस कारण अक्टूबर 1996 में, स्था.लो.उ.स. ने रा.औ.वि.नि. से 17 लाख रु वसूल करने का निर्णय किया लेकिन इसके बजाय भवन समिति¹ ने यह मामला जनवरी 1997 में अधिकृत समिति को भेज दिया था।

(ख) लेखाओं का अनुरक्षण करना 1988 के मूल अनुबंध में सूचीबद्ध रा.औ.वि.नि. की सेवाओं में से एक था। अप्रैल 1989 में उसे अमान्य कर दिया गया था तथा अगस्त 1989 में 3.80 लाख रु की अतिरिक्त फीस पर पुनः आरंभ किया गया था। इस प्रकार, स्था.लो.उ.स. ने मार्च 1997 तक 1.55 प्रतिशत फीस के अतिरिक्त 24.24 लाख रु का भुगतान किया जो स्पष्ट रूप से रा.औ.वि.नि. को अनुचित लाभ था।

(ग) अप्रैल 1989 में स्था.लो.उ.स. ने 'मात्रा मापन पर 10 प्रतिशत की जांच' शामिल करके रा.औ.वि.नि. का कार्यक्षेत्र बढ़ाया जिसके लिए रा.औ.वि.नि. ने 7 लाख रु की अतिरिक्त फीस प्राप्त की। तथापि, रा.औ.वि.नि. ने अपने आपको मात्रा की जांच करने तक ही सीमित रखा तथा यह सुनिश्चित करने के लिए जांच नहीं की कि निष्पादित किए गए निर्माणकार्य विनिर्देशनों के अनुरूप थे। स्था.लो.उ.स. ने इस कार्य के लिए मार्च 1997 तक 33.15 लाख रु का अनुचित वित्तीय लाभ अनुमत किया।

¹ निर्माणकार्य की प्रगति को मानीटर करने के लिए लो.क्षे.उ. के संघटकों के प्रतिनिधियों को 1997 में अधिकृत समिति गठित की गई थी।

(घ) स्था.लो.उ.स. ने, अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करके 7.5 प्रतिशत फीस के बराबर 23.82 लाख रु जारी किए। इस फीस का केवल निर्माणकार्य पूर्ण होने के बाद ही भुगतान किया जाना अपेक्षित था। स्था.लो.उ.स. ने अप्रैल 1997 में निर्णय की इस गलती को स्वीकार किया लेकिन राशि वसूल करने की कार्यवाही करने में असफल रहा।

(ड.) स्था.लो.उ.स. ने वास्तुकारों/ठेकेदारों की गलतियों पर रा.औ.वि.नि. की मासिक प्रगति रिपोर्टों पर कोई कार्यवाही नहीं की थी। इस प्रकार, समय तथा लागत को बढ़ने से रोकने तथा वास्तुकार के कार्य-निष्पादन पर निगरानी करने के लिए रा.औ.वि.नि. को नियुक्त करने का प्रयोजन पूरा नहीं हुआ था। जनवरी 1997 में स्था.लो.उ.स. की भवन समिति ने अधिक भुगतानों की वसूली से संबंधित सभी मामले पुनरीक्षा हेतु अधिकृत समिति जिसमें रा.औ.वि.नि. भी संयोजक/सचिव था, को भेज दिए थे। इस प्रकार, रा.औ.वि.नि. अपने मामले का स्वयं ही जज बन गया था।

20.8.3 सिविल निर्माणकार्य (ला एण्ड टु)

(क) ला एण्ड टु ने, ठेके के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (दि.वि.प्र.सं.) से विद्युत की अनुपलब्धता, दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि. प्रा.) द्वारा कार्यस्थल सौंपने में विलम्ब तथा स्था.लो.उ.स. द्वारा संग्रहण अग्रिमों के भुगतान में विलम्ब होने के कारण सितम्बर 1989 में 3.50 करोड़ रु का क्षतिपूर्ति दावा (अप्रैल 1990 तक पूर्ण किए जाने वाले निर्माणकार्यों के लिए) प्रस्तुत किया। फर्म के साथ बातचीत करने के बाद स्था.लो.उ.स., नवम्बर 1989 में 2.15 करोड़ रु के एकमुश्त सौदे के लिए, उसको विलम्ब हेतु दावे के अंतिम निपटान के रूप में मानते हुए, सहमत हो गया।

एकमुश्त सौदा में, ला.एण्ड टु. को, श्रम वृद्धि का अनुमान लगाने के लिए फार्मूले में संशोधन करने पर भुगतान की गई 1.25 करोड़ रु की राशि शामिल थी। यह संशोधन एक उप-समिति, जिसमें उसके संघटक सदस्य तथा वास्तुकार थे, जो इस प्रकार के परिवर्तन से प्रत्यक्षतः लाभान्वित हुए थे, की सिफारिशों पर किया गया था। भारत सरकार का आदेश, जिसके आधार पर संशोधन किया गया था, भी अप्रैल 1987 में अर्थात् ला. एण्ड टु. के फरवरी 1988 में अनुबंध करने

की बातचीत से पूर्व जारी किया गया था। इस प्रकार, निष्पादन के दौरान बीच में ही फार्मूले में परिवर्तन करने का कोई औचित्य नहीं था। स्था.लो.उ.स.ने मै.ला. एण्ड टु. को मार्च 1997 तक श्रम वृद्धि पर 4.37 करोड़ रु का भुगतान किया। (ख) तीन अन्य ठेकेदारों अर्थात् मै. यूटिलिटी इंजीनियर्स (इंडिया) लिमि., मै. नॉर्दर्न सेनीटेशन (प्रा.) लिमि. तथा मै. भारत इलैक्ट्रिकल्स ने मुकदमे में, अगस्त 1990 में ठेके में इसी प्रकार के परिवर्तनों की मांग की थी। स्था.लो.उ.स. ने, ला. एण्ड टु. के सिविल ठेकेदार के पैटर्न पर, मार्च 1997 तक श्रम वृद्धि फार्मूले में परिवर्तन होने के कारण अन्य तीन सर्विस ठेकेदारों को भी 2.38 करोड़ रु का भुगतान किया था। जैसाकि पहले बताया जा चुका है, वास्तुकारों तथा रा.औ.वि.नि. को भी इस राशि पर प्रतिशतता के आधार पर फीस का भुगतान किया गया था। स्था.लो.उ.स. ने अप्रैल 1997 में यह माना कि उसने ठेकेदारों की मांगों को मानने से पहले संशोधन की वित्तीय विवक्षा का विश्लेषण नहीं किया था।

(ग) ला. एण्ड टु. द्वारा प्रस्तुत कुछ दावें (जिसमें एकमुश्त सौदे से बाहर रखे गए दावे शामिल थे) अप्रैल 1992 में स्था.लो.उ.स. द्वारा अस्वीकृत कर दिए गए थे। मामला मध्यस्थता में चला गया तथा मध्यस्थ ने अक्टूबर 1994 में फर्म को 18 प्रतिशत की दर पर ब्याज को शामिल करते हुए 13.45 करोड़ रु दिए। फर्म के साथ बातचीत करने के बाद स्था.लो.उ.स. ने फरवरी 1995 में एक दूसरा अनुपूरक अनुबंध किया तथा मध्यस्थता दावों का अंतिम रूप से निपटान करने में 13.25 करोड़ रु का भुगतान किया।

यह देखा गया था कि 10.09 करोड़ रु की राशि के नौ दावों को लड़ने के लिए कानूनी विशेषज्ञों की सलाह होने के बावजूद स्था.लो.उ.स. ने इस तर्क पर बातचीत की कि यह मीनार परियोजना का समय पर पूरा होने के हित में था। यह उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ था तथा परियोजना अभी तक निष्पादनाधीन थी। भवन समिति को भी कानूनी राय से अवगत नहीं कराया गया था।

(घ) निर्माणकार्यों में विलम्ब के कारण वास्तुकारों की सिफारिश पर ला. एण्ड टो. पर उद्ग्रहीत 52.55 लाख रु के चरणवार अर्थदण्ड को, रा.औ.वि.नि.से आपत्तियां प्राप्त होने के बावजूद, जुलाई 1990 में वापस किया गया था। तदन्तर,

स्था.लो.उ.स. ने बाद के विलंबों के लिए भी अर्थदण्ड की शर्त को लागू नहीं किया।

20.8.4 सफाई, जल तथा अग्निशमन निर्माणकार्य (नॉ.से.प्रा.लि.)

(क) जब स्था.लो.उ.स. सिविल निर्माणकार्यों को पूर्ण करने में विलम्बों से उत्पन्न होने वाले दावों का निपटान करने में असफल रहा तो नॉ.से.प्रा.लि. अगस्त 1992 में मध्यस्थता में चला गया। मध्यस्थ ने उसके पक्ष में 2.25 करोड़ रु की राशि देने का निर्णय किया। वास्तुकारों द्वारा तैयार किए गए ठेके में अधिनिर्णय² हेतु विस्तृत कारण देते हुए “स्पीकिंग एवार्डस” अनुबद्ध नहीं किया गया था तथा मध्यस्थों ने भी “नॉन स्पीकिंग एवार्डस” दिए, इस प्रकार उच्चतर न्यायालय में अधिनिर्णयों को चुनौती देने में स्था.लो.उ.स. की स्थिति पर प्रतिबंध लग गया। इस राशि का भुगतान कर दिया गया था।

(ख) नॉ.से.प्रा.लि. के साथ किए गए ठेके में विशेष रूप से उल्लिखित था कि निर्माण कार्यों में “मिनीमेक्स मेक” की अग्निशमन सामग्रियों का उपयोग किया जाएगा। मार्च 1993 में, मिनीमेक्स के विनिर्माता ने वास्तुकारों को सूचित किया कि नॉ.से.प्रा.लि. द्वारा उपयोग की गई अग्नि शमन सामग्रियां उनके ब्रांड के नाम में अप्रामाणिक तथा कपटपूर्वक चिन्हित की गई थी तथा भारतीय मानक ब्यूरो (भा.मा.ब्यू.), के पास एक शिकायत भी दर्ज की, जिसने अप्रैल 1994 में स्थल पर निरीक्षण हेतु अपना प्रतिनिधि भेजा। नॉ.से.प्रा.लि. ने निरीक्षण करने की अनुमति नहीं दी तथा कार्यस्थल से शेष सामग्रियां हटा दीं। स्था.लो.उ.स. द्वारा नवम्बर 1994 में गठित एक जांच समिति ने, नवम्बर 1995 की अपनी रिपोर्ट में यह दर्शाया कि प्रस्तुत किए गए वाउचर स्पष्ट रूप से दोषपूर्ण थे तथा उस फर्म के थे जो दिए गए पते पर विद्यमान नहीं थी तथा विनिर्माता द्वारा ‘कल्पनात्मक’ रूप से जारी परीक्षण प्रमाणपत्रों की फोटोप्रतियां बिलों को प्रमाणित करने से पहले वास्तुकारों द्वारा स्वीकार कर ली गई थी। तथापि, भवन समिति ने जांच-समिति के परिणामों पर कोई कार्यवाही नहीं की लेकिन इसके बजाय मार्च 1996 में, मामले की जांच करने के लिए एक अन्य समिति को नियुक्त कर दिया। इसी बीच, स्था.लो.उ.स. ने मामला, जनवरी 1997 में अधिकृत समिति को भेज दिया।

² के.लो.नि.वि.नियमों तथा लोक उद्यम विभाग अनुदेशों के अनुसार 10 लाख रु से अधिक के ठेकों में “स्पीकिंग एवार्डस” पर अनुबन्ध होना चाहिए।

निर्माण कार्य में प्रयुक्त घटिया सामग्री की सही मात्रा का परिमाण नहीं किया जा सका।

(ग) नॉ.से.प्रा.लि. के साथ किए गए ठेके की दिशानिर्देश सूची में यह निर्दिष्ट था कि परियोजना में, भारत स्टील ट्यूबस (भा.स्टी.ट.) तथा भारतीय ट्यूबस कम्पनी (भा.ट.क.-टाटा) में जस्तेदार लोहे की पाइपों का प्रयोग किया जाएगा। नॉ.से.प्रा.लि.ने, निम्नतर ढलाई वाली जिन्दल पाइपों का प्रयोग किया जिसकी स्था.लो.उ.स. के अनुमोदन के बिना वास्तुकारों द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी। मई 1991 में, भवन समिति ने यह निर्णय किया कि जिन्दल मेक पाइपों का उपयोग किया जा सकता है बशर्ते इनको तकनीकी रूप से स्वीकार किया गया होता, तथा टाटा मेक पाइप के संदर्भ में मूल्य अंतर, जिसका 15 लाख रु पर निर्धारण किया गया था, को वसूल किया जाए। तथापि, स्था.लो.उ.स. इस राशि को वसूल करने में असफल रहा (जुलाई 1997)।

(घ) नौ.से.प्रा.लि. द्वारा कार्यस्थल पर 31 लाख रु की लागत पर प्रतिष्ठापित अग्निशमन/छिड़काव मुख्य पम्पों की क्षमता, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के मुख्य तकनीकी परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार विनिर्देशनों के अनुरूप नहीं थी, हालांकि वास्तुकारों द्वारा विधिवत् रूप से जांच तथा प्रमाणित की गई मापन-शीटों में विशेष रूप से उल्लिखित सामग्रियों का प्रतिष्ठापन दशानि वाली प्रविष्टियां की गई थी। जुलाई 1997 तक घटिया मदों के लिए नौ.से.प्रा.लि. से कोई वसूली नहीं की गई थी।

20.8.5 वातानुकूलन तथा यांत्रिक संवातन निर्माणकार्य (यू.इं.इं)

(क) यू.इं.इं. ने फरवरी 1994 में स्था.लो.उ.स. को सूचित किया कि एल्युमीनियम शीटों³ की प्राप्ति में कठिनाई होने के कारण उसे वाहिनी कार्य पूर्ण करने के लिए 10 1/2 महीने की समय अनुसूची का सख्ती से पालन करने में कठिनाई हो रही थी। वास्तुकारों की सिफारिशों पर, स्था.लो.उ.स. ने अक्टूबर 1994 में एल्युमीनियम की शीटों का जस्तेदार लोहे (ज.लो.) की शीटों के रूप में प्रतिस्थापन करने की अनुमति प्रदान की तथा उस समय प्रचलित बाजार दरों पर

³ यू.इं.इं. के साथ ठेके में फाईबर रीइन्फोसड प्लास्टिक (फ.री.प्ला.) डक्ट्स के प्रतिस्थापन की व्यवस्था थी; विकल्प के रूप में एल्युमीनियम डक्ट्स प्रयोग की जा सकती थी। म.प्र., स्था.लो.उ.स. ने स्वीकार किया कि वास्तुकारों ने फा.री.प्ला.डक्ट्स की मद परिचालित न करने के लिए इसका अनुमोदन प्राप्त नहीं किया था।

भुगतान करने के लिए सहमत हुआ। विनिर्देशनों को निम्न करने का निर्णय, निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के हित में लिया गया था, जिसका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ था क्योंकि वाहिनी कार्य, स्था.लो.उ.स. द्वारा सितम्बर 1996 में यू.इं.इं. के साथ ठेका निरस्त करने तक अपूर्ण रहा था। रा.औ.वि.नि.ने इस तर्क पर आपत्ति की थी; उसे विनिर्माता से यह पता लगा कि लीड समय में कमी की गुंजाइश से, विभिन्न मोटाई वाली एल्युमीनियम की शीटें चार सप्ताह में उपलब्ध करायी जा सकेंगी।

चूंकि एल्युमिनियम की शीटों का सस्ती ज.लो. की शीटों में भारी परिवर्तन ठेकेदार के अनुरोध पर किया गया था, इसलिए दरें 1988 तक ज.लो. की शीटों के लिए प्रचलित बाजार दरों पर आधारित होनी चाहिए थी। 1994 में प्रचलित बाजार दरों, जो नवम्बर 1994 के दौरान पर्याप्त रूप से बढ़ी हुई थी, को स्वीकार करते हुए स्था.लो.उ.स. ने यू.इं.इं. को अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचाया।

यू.इं.इं. ने सितम्बर 1996 तक 12 प्रतिशत निर्माणकार्य पूरा कर लिया (जब ठेका निरस्त किया गया था) जिसके लिए स्था.लो.उ.स. ने 19.08 लाख रु का भुगतान किया था।

स्था.लो.उ.स. ने मई 1997 में यह स्वीकार किया था कि यू.इं.इं. ने, श्रेणी IV की ज.लो. की शीटों की अनुपलब्धता के कारण निम्न गुणवत्ता की श्रेणी VI की ज.लो. की शीटों का उपयोग किया उसमें भी कुछ कमियां थी। वास्तुकारों को अभी यह पुष्टि करनी थी कि क्या ये शीटें तकनीकी रूप से स्वीकार्य थी। स्था.लो.उ.स. को अभी शेष निर्माण कार्य की मात्रा तथा की जाने वाली कुल वसूलियों का निर्धारण करना था।

(ख) फैन कॉयल यूनिटों के संबंध में यू.इं.इं. के साथ किए गए ठेके में शर्तों से विचलन हुए थे। जबकि अधिक प्रभावशाली सीलिंग टाइप फैन कॉयल यूनिट प्रतिष्ठापित किए जाने थे लेकिन वास्तुकारों ने फ्लोर टाइप फैन कॉयल यूनिट के प्रतिष्ठापन की अनुमति दी थी जिसके परिणामस्वरूप संघटकों को उपलब्ध स्थान में 5550 वर्गफुट तक कमी हुई थी। स्था.लो.उ.स. ने, डिज़ाइन में परिवर्तन होने के कारण लागत में हुई वृद्धि का परिमाण नहीं लगाया तथा उसने अप्रैल 1997 में बताया कि वास्तुकारों ने उनके पूर्वानुमोदन के बिना ये परिवर्तन किए थे।

20.9 अन्य रुचिकर बातें

(क) लेखाविधि मामले

लोक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित केवल 4 प्रतिशत की अनुज्ञेय दर के प्रति आठ ठेकेदारों को संविदा राशि के 7.8 से 18.7 प्रतिशत तक की दर पर बिना ब्याज संग्रहण अग्रिम दिए गए थे जिसके परिणामस्वरूप मानकीय राशि से 1.44 करोड़ रु अधिक जारी किए गए। स्था.लो.उ.स. ने अप्रैल 1997 में बताया कि लो.उ.वि.के दिशानिर्देश अधिदेशात्मक नहीं थे।

(ख) संग्रहण अग्रिमों के अतिरिक्त, चार ठेकेदारों को उनके साथ किए गए ठेकों की सीमा से बाहर 8.93 करोड़ रु के विशेष बिना ब्याज अग्रिम भी दिए गए थे जो अनियमित था। तदन्तर, अग्रिम, फर्मों की बैंक गारंटी से वसूल किए गए थे।

(ग) 7 करोड़ रु इलेक्ट्रॉनिक व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम (इ.व्या.प्रौ.वि.नि.), के पास अल्पकालिक जमा में निवेश किए गए थे, जिसने जून 1992 से अल्पकालिक जमा के परिपक्वता मूल्य का भुगतान करना रोक दिया जिसके परिणामस्वरूप मार्च 1996 तक 2.17 करोड़ रु के प्रोद्भूत ब्याज सहित 9.17 करोड़ रु का अवरोधन हुआ। (वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया था)। स्था.लो.उ.स. ने इस राशि की वसूली हेतु न्यायालय में एक मुकदमा दायर कर दिया था।

(घ) निगरानी

स्थल पर समस्त सामग्रियों की निगरानी करने पर 22.21 लाख रु का व्यय किया गया था, हालांकि ठेके के अनुसार इस प्रकार का व्यय या तो ठेकेदार द्वारा या वास्तुकारों द्वारा किया जाना था। भवन समिति ने, नवम्बर 1995 में, स्थल की घेराबन्दी करने से संबंधित बिल से 11 लाख रु की वसूली करने के निदेश दिए। स्था.लो.उ.स. ने जनवरी 1998 में सूचित किया कि बिलों से प्रगामी रूप से वसूलियां की जा रही थी।

20.10 आंतरिक नियंत्रण

यद्यपि मीनार परियोजना में लगभग 180 करोड़ रु का निवेश सम्मिलित था, तथापि अभिलेख में ऐसा दशनि के लिए कुछ नहीं था कि ठेकेदारों को निर्माण कार्य आरंभ होने के समय से किए गए भुगतान आंतरिक लेखापरीक्षा के अधीन थे।

मामला मंत्रालय को सितम्बर 1997 में भेजा गया था; उनका उत्तर जनवरी 1998 तक प्रतीक्षित था।

21. प्रेषण प्रभारों का अधिक भुगतान

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (के.भ.नि.आ) नई दिल्ली तथा भारतीय स्टेट बैंक (भा.स्टे.बैं) के मध्य मार्च 1992 में निष्पादित एकमुश्त सौदे के अनुसार भा.स्टे.बैं. की सम्पर्क शाखाओं को प्रत्येक माह प्रेषण प्रभारों तथा विलम्बित क्रेडिटों की गणना करनी थी तथा अन्तर, यदि कोई हो, को कर्मचारी भविष्य निधि (क.भ.नि.) लेखे में डेबिट करना था। बैंक विवरणी प्राप्त होने पर, यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रेषण प्रभारों की गणना तथा डेबिट सही किया गया था, समाधान किया जाना था तथा ध्यान में आई किसी भी कमी को बैंक के साथ तुरन्त मामला उठाया जाना था।

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि भा.स्टे.बैं. ने अप्रैल 1995 से फरवरी 1996 तक की प्राप्तियों पर प्रेषण प्रभारों के सम्बन्ध में बिना कोई सहायक विवरण प्रस्तुत किये क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (क्षे.भ.नि.आ) की खाता संख्या 2 में 1.79 करोड़ रु डेबिट किये थे जबकि सम्बद्ध रोकड़ बहियों में दिखाई गई प्राप्तियों के अनुसार भुगतान योग्य वास्तविक राशि 1.52 करोड़ रु थी अन्तर में सुधार तथा अधिक डेबिट को सरल बनाने के लिए क्षे.भ.नि.आ ने बैंक के साथ कोई मासिक समाधान नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप 27.10 लाख रु के प्रेषण प्रभारों का अधिक भुगतान हुआ।

आगे उप क्षेत्रीय कार्यालय नासिक की रोकड़ बही की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि खाता संख्या 3 के संबंध में, जिस पर वास्तव में कोई प्रभार भुगतान योग्य नहीं था, बैंक ने प्रेषण प्रभारों के सम्बन्ध में 4.74 लाख रु की राशि प्रभारित की थी।

मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि करते समय दिसम्बर 1997 में बताया कि बैंक विवरणी तथा क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई में रखे गए अन्य अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान भारतीय स्टेट बैंक द्वारा किये गये प्रेषण प्रभारों के संबंध में अधिक डेबिट का पता चला था तथा दिसम्बर 1996 में तत्काल बैंक प्राधिकारियों के साथ मामला उठाया गया था। इसने आगे बताया कि बैंक ने क.भ.नि. लेखाओं को

मासिक डेबिट नहीं किया था तथा अप्रैल 1995 से फरवरी 1996 के सम्बन्धित सकल राशि एक समय में ही डेबिट कर दी थी इसलिए मासिक समाधान का प्रश्न ही पैदा नहीं होता था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं हैं क्योंकि बैंक ने अप्रैल 1995 के फरवरी 1996 तक की अवधि के लिए प्रेषण प्रभारों को सितम्बर, अक्टूबर, दिसम्बर 1995 तथा मार्च 1996 में डेबिट किया था तथा एक समय नहीं। तदनुसार मासिक समाधान सम्भव था। आगे यद्यपि बैंक के साथ एकमुश्त सौदे के अनुसार बैंक ने प्रेषण प्रभारों की गणना प्रत्येक माह करनी थी, उसने न तो इसका पालन किया और न ही इस पर उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए क्षे.भ.नि.आ. द्वारा कोई दबाव डाला गया था।

अधिक भुगतान को आगे के महीनों में समायोजित करने के लिए समयबद्ध कार्यवाही के अभाव के परिणामस्वरूप 31.84 लाख रु का अतिरिक्त व्यय हुआ।

22. प्राप्तियों के विलंबित निवेश के कारण ब्याज की हानि

कोयला खान भविष्य निधि संगठन (को.खा.भ.नि.सं) धनबाद अपनी निधि को विभिन्न योजनाओं जैसे राज्य सरकार बांड तथा प्रतिभूतियां, भारतीय स्टेट बैंक (भा.स्टे.बैं.) की मैगनम नियमित आय योजना 1989 सहित सा.ज.प्रा. आदि में निवेश करता है।

कोयला खान भविष्य निधि संगठन (को.खा.भ.नि.सं.) के अभिलेखों की नमूना जांच (जनवरी 1996) से यह पता चला कि उसने भारतीय स्टेट बैंक (भा.स्टे.बैं.) की मैगनम योजना में एक करोड़ रु का निवेश किया था (फरवरी 1989) जिसकी भुगतान तिथि 31 मार्च 1994 थी। निवेश पर 1.54 करोड़ रु राशि की प्राप्ति 1 अप्रैल 1994 तक संग्रहीत की जानी थी। यद्यपि भा.स्टे.बैं. ने मार्च 1994 में 1.54 करोड़ रु का विमोचन वारंट जारी कर दिया था तथापि को.खा.भ.नि.सं. ने विमोचन राशि के सामयिक संग्रहण हेतु राशि की नियत प्राप्य-तिथि पर नजर नहीं रखी। तथापि, वह राशि को.चा.भ.नि.सं. में 390 दिनों के बाद 25 अप्रैल 1995 को प्राप्त हुई थी। इसी बीच चूंकि मैगनम योजना के अंतर्गत नवीकरण का कोई प्रावधान नहीं था इसलिए को.चा.भ.नि.सं. 26 अप्रैल 1995 को सा.ज.प्रा. में 1.54 करोड़ रु की राशि का पुनर्निवेश किया। इस प्रकार, को.खा.भ.नि.सं. की निवेश प्राप्ति को समय पर संग्रहीत करने में विफलता के परिणामस्वरूप 18.08 लाख रु के ब्याज की हानि हुई।

को.खा.भ.नि.सं. ने मई 1997 में बताया कि मामला भा.स्टे.बैं. के साथ उठया गया था।

मामला मंत्रालय को जनवरी 1998 में भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

23 समयोपरि भत्ते का अनियमित भुगतान

भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों (मार्च 1991) के अनुसार समयोपरि कार्य को, उन अपवादिक परिस्थितियों में जहां बहुत ही आवश्यक प्रकृति का कार्य हो, तथा उसे लोकहित में अगले कार्यदिवस तक स्थगित नहीं किया जा सकता हो, अनुमत किया जाना था। उसमें यह भी शर्त थी कि एक कर्मचारी को एक मास में ग्राह्य अधिकतम समयोपरि भत्ता (स.भ.) मासिक कार्य-घंटों के एक-तिहाई के लिए देय स.भ.की तदनुरूपी राशि से अधिक नहीं होना चाहिए।

भारतीय सांख्यिकीय संस्थान ने 1993-96 वर्षों के दौरान 1.01 करोड़ रु राशि के स.भ. का भुगतान किया। लेखापरीक्षा की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि 48 कर्मचारियों के मामले में कुल 11.24 लाख रु के स.भ. का भुगतान निर्धारित सीमा से अधिक था। इसके अतिरिक्त, स.भ. के रूप में भुगतान किए गए 1.01 करोड़ रु में से 44.20 लाख रु का योजनागत लेखे से भुगतान किया गया था हालांकि उस लेखे से स.भ. के भुगतान के लिए कोई प्रावधान नहीं था। यहां तक कि योजनेतर लेखे से स.भ. पर किया गया वास्तविक भुगतान बजट प्रावधान से 19.11 लाख रु तक बढ़ गया था।

इस प्रकार, संस्थान द्वारा नियमों का पालन न करने के परिणामस्वरूप स.भ.पर बजट प्रावधान के बिना 63.31 लाख रु का भुगतान किया गया जिसमें से 11.24 लाख रु निर्धारित सीमा से अधिक था। यह संस्थान द्वारा स.भ. आदि के संबंध में नियमों का पालन न करने पर भा.स. की समिति की पहले प्रतिकूल टीका-टिप्पणी किए जाने के बावजूद, हुआ था। वर्ष 1992-93 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पैराग्राफ 25 में इसी तरह की अनियमितता के बारे में ध्यान दिलाया गया था तथा पैरे पर की गई कार्यवाही टिप्पणी में मंत्रालय ने फरवरी 1995 में कहा कि उसने संस्थान को बजट प्रावधान के भीतर स.भ. पर व्यय प्रतिबंधित करने तथा इस संबंध में सरकारी नियमों का पालन करने के अनुदेश जारी कर दिए थे। तथापि, संस्थान परिषद ने दृढ़तापूर्वक कहा था (नवम्बर 1994) कि

संस्थान को किसी सरकारी कार्यालय के बराबर नहीं होना चाहिए तथा संस्थान के लिए स.भ. पर उसके व्यय को प्रतिबंधित करना संभव नहीं होगा। संस्थान परिषद द्वारा व्यक्त विचार पर मंत्रालय की टिप्पणियां उपलब्ध नहीं थीं।

मामला मंत्रालय को मई 1997 में भेजा गया था; उनका उत्तर जनवरी 1998 तक प्रतीक्षित था।

24 आवश्यकता के बिना मशीनरी की प्राप्ति

क्षेत्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (क्षे.वि.प्र.सं.) नवेली राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (रा.वि.प्र.सं.), फरीदाबाद के अधीन ने विद्युत क्षेत्र में तकनीशियनों को विभिन्न दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण देने के लिए जून 1983 तथा सितम्बर 1985 के बीच 15.71 लाख रु मूल्य की छः मशीनें प्राप्त कीं। तथापि, प्रशिक्षणार्थियों के अभाव में मशीनों का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, विभिन्न स्थानों पर इसी प्रकार का प्रशिक्षण दे रहे थे तथा तकनीशियनों को रोजगार हेतु पात्र बनाने के लिए प्रमाणपत्र भी दे रहे थे जबकि रा.वि.प्र.सं. ऐसा प्रमाणपत्र नहीं दे रहा था।

लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर रा.वि.प्र.सं. फरीदाबाद ने सूचित किया (मई 1997) कि उन्होंने मशीनों का सरकारी प्रक्रिया तथा नियमों के अनुसार निपटान करने का निर्णय लिया था। मामले में अंतिम कार्यवाही अभी की जानी थी (जनवरी, 1998)।

इस प्रकार, दोषपूर्ण योजना बनाने के कारण 15.71 लाख रु मूल्य की मशीनों को 12 से 14 वर्षों तक उपयोग में नहीं लाया गया जिसके परिणामस्वरूप 15.71 लाख रु का निरर्थक व्यय हुआ।

मामला मंत्रालय को जुलाई 1997 में भेजा गया था; उनका उत्तर जनवरी 1998 तक प्रतीक्षित था।

25 लोक कार्रवाई एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रगति परिषद्

25.1 प्रस्तावना

लोक कार्रवाई एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रगति परिषद् (परिषद्) की स्थापना सितम्बर 1986 में, ग्रामीण विकास मंत्रालय (अब ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय) के तत्वावधान के अन्तर्गत समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत स्वायत्त निकाय के रूप में पंजीकृत की गई थी। इसके मुख्य उद्देश्य स्वैच्छिक संगठनों को ग्रामीण विकास योजनाओं को लागू करने तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी तथा इसके प्रसार के विकास के लिए अनुसंधान प्रयासों के लिए सहायता प्रदान करना है।

परिषद् आठ मुख्य योजनाओं के अन्तर्गत स्वैच्छिक संगठनों (स्वै.सं.) को सहायता प्रदान करती है जिनमें से पांच केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं हैं। परिशिष्ट X में योजनाओं तथा उनके व्यय की सूची दी गई है।

25.2 संगठनात्मक ढांचा

परिषद् तीन स्तरीय ढांचे द्वारा प्रबंधित है जिसमें साधारण निकाय, जो कि शीर्ष निकाय है, जो कार्यकारिणी समिति के नीति दिशानिर्देश एवं निर्देशन प्रबन्ध उपलब्ध कराते हुए सभी कार्यकारी तथा वित्तीय शक्तियों का उपयोग करती है तथा महानिदेशक जो कि परिषद् के प्रशासनिक मामलों तथा परिषद् की निधियों के लिए जिम्मेवार व मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, सम्मिलित हैं। 5 लाख रु तक की परियोजनाएं संस्वीकृत करने की शक्ति के साथ, सितम्बर 1994 में छः क्षेत्रीय समितियाँ गठित की गयीं थीं।

25.3 लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र

परिषद् के लेखाओं की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अन्तर्गत की जाती है। वर्तमान पुनरीक्षण परिषद् के 1991-92 से 1996-97¹ तक की अवधि

¹ 1996-97 के लेखाओं की अभी लेखापरीक्षा नहीं की गई है।

के लिए अभिलेखों की नमूना जांच पर आधारित है। तीन मुख्य योजनाएं, जैसे त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (त्व.ग्रा.ज.आ.का.) केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (के.ग्रा.स्व.का.) तथा ग्रामीण प्रौद्योगिक प्रगति योजना (ग्रा.प्रौ.प्र.यो.) जिन पर 1991-97 में प्राप्त सहायता राशि का 47 प्रतिशत व्यय किया गया था, नमूना जांच के लिए चुनी गई थीं।

25.4 विशिष्टताएं

- 1991-97 की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष के अन्त में अनुदानों का 15 से 47 प्रतिशत अव्ययित शेष रहा।

(पैराग्राफ 25.5)

- परिषद् ने पात्रता, विश्वसनीयता, व्यावसायिक क्षमता तथा दस्तावेजों की प्रमाणिकता का सत्यापन किये बिना ही परियोजनाएं संस्वीकृत की।

(पैराग्राफ 25.7.4)

- परिषद् के एक अधिकारी ने अपनी सेवा अवधि के अंतिम माह के दौरान 11.47 करोड़ रु मूल्य की 323 परियोजनाएं संस्वीकृत की जिनमें से 4.31 करोड़ रु मूल्य की 111 परियोजनाएं अंतिम कार्यदिवस को संस्वीकृत की गई थीं जो परिषद में प्रचलित परियोजना मूल्य निर्धारण की प्रणाली की कमी का संकेत देती है। जुलाई 1997 तक इन परियोजनाओं में से केवल 165 के सम्बन्ध में अनुदान जारी किये गये थे।

(पैराग्राफ 25.7.2)

- 75 स्वै सं. जो कि परिषद की विभिन्न समितियों की सदस्य थीं, ने 40 करोड़ रु मूल्य की 677 परियोजनाएं हथिया लीं। इनमें से कुछ स्वै.सं. को एक माह में 7 से 10 परियोजनाएं संस्वीकृत की गई थीं।

(पैराग्राफ 25.7.2)

- आरम्भ से लेकर जुलाई 1997 तक संस्वीकृत की गई परियोजनाओं का केवल 8 प्रतिशत ही पूरा हुआ था यद्यपि, परिषद द्वारा सहायता प्राप्त 95 प्रतिशत परियोजनाएं 6 माह से 1 वर्ष तक की लघु अवधि की थीं। जुलाई 1997 तक 224.07 करोड़ रु की 14082 परियोजनाएं अधूरी थीं।

(पैराग्राफ 25.8)

- परिषद ने 16 राज्यों में 248 स्वै.सं. को काली सूची में डाल दिया। स्वै.सं. को दी गई 4.05 करोड़ रु की सहायता में से 2.42 करोड़ रु अथवा 60 प्रतिशत का दुरुपयोग किया गया था।

(पैराग्राफ 25.8.1)

- 226 स्वै.सं. जिन्होंने 2.25 करोड़ रु प्राप्त किये थे, को मानीटरो इत्यादि की प्रतिकूल सूचना के आधार पर "अगली सहायता रोक दी गई" श्रेणी में डाला गया था।

(पैराग्राफ 25.8.4)

- उत्तर प्रदेश में त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के कार्यान्वयन के नमूना मूल्यांकन से पता चला कि 33 प्रतिशत हैंडपम्पों ने जल की उपयुक्त आपूर्ति नहीं की, 31 प्रतिशत पम्पों की स्थापना चुने हुए व्यक्तियों की पसंद के स्थान पर की गई थी, 68 प्रतिशत हैंडपम्पों के संबंध में रखरखाव हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया था तथा 50 प्रतिशत मामलों में रखरखाव हेतु कोई प्रशिक्षण उपलब्ध नहीं कराया गया था।

(पैराग्राफ 25.9.1)

- केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के नमूना मूल्यांकन से पता चला कि 75 प्रतिशत शौचालय अपात्र परिवारों को दिये गये थे, निर्मित शौचालय घटिया किस्म के थे तथा नालियों आदि का निर्माण कर के गांव की पूर्ण स्वच्छता आरम्भ नहीं की गई थी।

(पैराग्राफ 25.9.2)

- परिषद के 1993-94 में संवितरण का 5.9 प्रतिशत से 1995-96 में 12.45 प्रतिशत तक ऊपरी खर्च बढ़ गया, यद्यपि, संस्कृत परियोजनाओं की संख्या में महत्वपूर्ण कमी आई थी।

(पैराग्राफ 25.10.1)

- 80 लाख रु की लागत पर अधिप्राप्त किया गया परिषद का कार्यालय भवन मई 1995 से बिना उपयोग के पड़ा रहा, यद्यपि, अनुरक्षण पर 3.70 लाख रु का वार्षिक व्यय किया जा रहा था।

(पैराग्राफ 25.10.2)

25.5 वित्तीय प्रबन्धन

1991-97 की अवधि के दौरान प्राप्त अनुदानों, व्यय तथा अव्ययित शेष की वर्षवार स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है :

(करोड़ रु में)

		1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
क	अथ शेष	15.6	5.6	10.5	11.2	35.1	26.4
ख	प्राप्त अनुदान	21.8	44.8	63.9	74.6	51.1	51.1
ग	ब्याज तथा अन्य प्राप्तियां	1.1	1.1	1.7	2.3	2.8	4.7
	कुल प्राप्तियां	38.5	51.5	76.1	88.1	89.0	82.2
घ	संस्वीकृत प्रस्तावों की संख्या	2656	2482	2402	1875	975	1015
ड.	परियोजनाओं पर संवितरित राशि	29.4	37.6	55.9	45.4	54.6	38.5
च	स्थापना तथा परियोजना व्यय	3.5	3.4	9.0	7.6	8.0	5.2
	कुल व्यय	32.9	41.0	64.9	53.0	62.6	43.7
छ	अव्ययित शेष	5.6 (15%)	10.5 (20%)	11.2 (15%)	35.1 (40%)	26.4 (30%)	38.5 (47%)

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि प्रत्येक वर्ष के अन्त में अनुदानों का 15 से 47 प्रतिशत अव्ययित शेष रहा। अव्ययित अनुदानों में वृद्धि निम्न के कारण थी :

- परियोजनाओं की संस्वीकृति की संख्या में 1994-95 में 1875 से 1995-96 में 975 तथा 1996-97 में 1015 तक की कमी हुई जो कि अंतिम दो वर्षों में 46 प्रतिशत की कमी दर्शाती है।
- 1994-97 के तीन वर्षों में मंत्रालय ने औसतन 41 प्रतिशत निधियां मार्च के अन्त में जारी की।
- मंत्रालय ने निधियां जारी करने में कोई नियंत्रण नहीं रखा तथा निधियां, समर्थित दस्तावेजों जैसे चल रही परियोजनाओं की संख्या, वर्ष के दौरान संस्वीकृत की जाने वाली सम्भावित परियोजनाओं की संख्या, पिछले वर्ष का अव्ययित अनुदान

इत्यादि के बिना ही जारी कीं। इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर अव्ययित शेषों की भारी मात्रा इकट्ठी हो गई।

इसके अतिरिक्त लो.का.ग्रा.प्रा.प्र.प. कपाट के उद्देश्यों में से एक ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में स्वयंसेवी कार्यवाही को प्रोत्साहित, उन्नत तथा सहायता प्रदान करना था। निधियों के संवितरण के राज्यवार विश्लेषण से प्रकट हुआ कि 64 प्रतिशत ग्रामीण आबादी वाले सात राज्य (आन्ध्रप्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश तथा पश्चिम बंगाल) कुल जारी निधियों का 73 प्रतिशत बनते थे जबकि 36 प्रतिशत आबादी वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने निधियों का 27 प्रतिशत प्राप्त किया। मध्यप्रदेश, जो सबसे अधिक ग्रामीण आबादी वाला तीसरा राज्य था, ने कुल निधियों का केवल 1.7 प्रतिशत प्राप्त किया। उत्तर-पूर्वी राज्यों (मणिपुर के सिवाय) ने केवल नाममात्र की सहायता प्राप्त की।

25.6 योजनाओं का कार्यान्वयन

अनावृत ग्रामीण जनसंख्या को कुओं की खुदाई हैडपम्पों की स्थापना आदि के माध्यम से सुलभ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए परिषद् द्वारा 1986 में स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाने वाला त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (त्व.ग्रा.ज.आ.का.) आरम्भ किया गया था। परिषद् द्वारा 1991-97 के दौरान 45.39 करोड़ रु की सहायता की 1537 परियोजनाएं संस्वीकृत की गई थी। केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (के.ग्रा.स्व.का.) मुख्यतः गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के लिए कम लागत के व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण, सूखे शौचालयों का कम लागत के स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तन तथा सम्पूर्ण ग्रामीण स्वच्छता के लिए मुहैया करवाया गया था। 1991-97 के दौरान 46.10 करोड़ रु की सहायता की 1868 परियोजनाएं संस्वीकृत की गई थी। प्रवर्तित प्रौद्योगिकी तथा इसके प्रसार के विकास के लिए परिषद् द्वारा ग्रामीण प्रौद्योगिक विकास योजना (ग्रा.प्रौ.वि.यो.) आरम्भ की गई थी। 1991-97 के दौरान 13.80 करोड़ रु की 548 परियोजनाएं संस्वीकृत की गई थीं।

तीन योजनाओं के अन्तर्गत 190 परियोजनाओं के कार्यान्वयन की नमूना जांच के दौरान ध्यान में आई कमियों की निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

25.7 परियोजनाओं की क्लियरेंस तथा मानीटरिंग

25.7.1 परिषद् के दिशानिर्देशों के अनुसार संस्वीकृति से पूर्व निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी अनिवार्य हैं :


- (i) परियोजना धारक के पंजीकरण के तीन वर्ष पूरे होने चाहिए;
- (ii) नए प्रवेशकों के मामले में, स्वैच्छिक संगठन की विश्वसनीयता तथा क्षमता नियत करने के लिये निधियन पूर्व मूल्यांकन;
- (iii) पूर्व में संस्वीकृत की गई परियोजना का निष्पादन सन्तोषजनक होना चाहिए : तथा
- (iv) प्रस्ताव, एक/तीन वर्ष के वार्षिक लेखाओं, परियोजनाओं की लक्ष्यों सहित रिपोर्ट तथा इन्हें पूरा करने के लिए स्वैच्छिक संगठन की नीति तथा जिला प्राधिकारियों के वांछित प्रमाण-पत्रों सहित होना चाहिए।

तथापि, लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि बहुत से मामलों में निधियन पूर्व मूल्यांकन नहीं किया गया था।

के.ग्रा.स्व.का.

योजना के अन्तर्गत 50 में से 49 मामलों में निधियन पूर्व मूल्यांकन नहीं किया गया था तथा त्व.ग्रा.ज. आ.का. योजना के अन्तर्गत नमूना जांच किये गए 110 में से किसी भी मामले में यह नहीं किया गया था। परिषद् ने जनवरी 1998 में बताया कि निधियन पूर्व मूल्यांकन केवल अप्रैल 1997 से ही

अनिवार्य किया गया था। उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि मॉनीटर नियमावली में यह व्यवस्था है कि परियोजना की संस्वीकृति से पहले निधियन पूर्व मूल्यांकन



अनिवार्य रूप से किया जाए। त्व.ग्रा.ज.आ.का. योजना के अन्तर्गत नमूना जांच किये गए 110 मामलों में, 38 मामलों में समस्याग्रस्त ग्राम प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किये गए थे, 88 मामलों में राज्य सरकारों के निर्धारित प्राधिकारियों द्वारा विधिवत् अनुमोदित लागत अनुमानों का अनुपालन नहीं किया गया था, 81 मामलों में स्वै.सं. द्वारा प्रस्तावों सहित भू-जल विज्ञान रिपोर्टें प्रस्तुत नहीं की गई थीं, 33 मामलों में किसी भी स्तर पर मूल्यांकन नहीं किया गया था तथा केवल 5 मामलों में पश्च-मूल्यांकन किया गया था। 22 मामलों में से किसी में भी प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी जबकि 51 मामलों में अनुवर्तन नहीं किया गया था। 76 मामलों में स्थापित किये गए हैंड पम्प सुपुर्द नहीं किये गए थे।

के.ग्रा.स्व.का. योजना के अन्तर्गत नमूना जांच किये गए 50 मामलों में से 18 मामलों में कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था तथा 13 मामलों में प्रगति रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई थी। पश्च मूल्यांकन केवल 2 मामलों में किया गया था।

25.7.2 परिषद् के उप-महानिदेशक ने अक्टूबर 1994 में लगभग 11.47 करोड़ रु मूल्य की सहायता अन्तर्गत होने वाली 323 परियोजनाएं संस्वीकृत कीं जिनमें से 4.31 करोड़ रु की 111 परियोजनाएं उसके परिषद् के कार्यकाल के अंतिम कार्यदिवस (31 अक्टूबर 1994) को संस्वीकृत की गई थीं। उसके द्वारा संस्वीकृत परियोजनाओं के प्रति परिषद् ने जुलाई 1997 तक केवल 165 परियोजनाओं को अनुदान जारी किये। जबकि, परिषद् ने तथ्यों को स्वीकार करते हुये जनवरी 1998 में बताया कि इस मामलों की समीक्षा के परिणामस्वरूप कुछ संस्वीकृतियां रद्द कर दी गई थीं तथा निर्गम रोक दिये गये थे क्योंकि संस्वीकृतियां दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं थीं। यह परिषद् में प्रचलित परियोजना मूल्यांकन प्रणाली में अन्तर्निष्ठ कमी का द्योतक था।

75 स्वै.सं. जो कि परिषद् की विभिन्न समितियों जैसे सामान्य सभा, राष्ट्रीय स्थायी समितियों तथा कार्यकारिणी समितियों की सदस्य थीं को 40.3 करोड़ रु मूल्य की सहायता की 677 परियोजनाएं संस्वीकृत की गई थी। इनमें से 19 स्वै.सं. ने 33 करोड़ रु की 506 परियोजनाएं प्राप्त की थी। बिहार में एक स्वै सं. को तीन माह (अगस्त/अक्टूबर 1989) में पांच परियोजनाएं संस्वीकृत की गई थीं तथा दो माह के अन्तराल के पश्चात् अन्य सात परियोजनाएं संस्वीकृत की गई

थी। गुजरात में अन्य स्वै.सं. को एक माह (जून 1992) में 52 लाख रु मूल्य की सात परियोजनाएं संस्वीकृत की गई थी। कुछ निदर्शी मामले परिशिष्ट XI में दिये गए हैं। लेखापरीक्षा का यह विचार है कि संस्वीकृति की वर्तमान प्रणाली बन्द कर देनी चाहिए क्योंकि इसमें हितों का विरोध है।

परियोजनाओं के निर्धारण के लिए मॉनीटरों की नियुक्ति की गई थी जिनसे उनकी नियुक्ति के 45 दिनों के भीतर उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी अपेक्षित थी। परिशिष्ट XII में 1.56 करोड़ रु की सहायता मूल्य के 22 मामले दिये हैं जिनमें परिषद् ने मूल्यांकन के आदेश दिये थे जिन्हें या तो किया ही नहीं गया अथवा रिपोर्टों के प्रस्तुत करने में 14 माह तक का विलम्ब था। परिषद् ने अप्रैल 1997 में बताया कि चूंकि परियोजना मूल्यांकन कर्ताओं की संख्या संस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या के अनुरूप नहीं थी इसके परिणामस्वरूप मॉनीटरिंग में विलम्ब हुआ तथा मानिटरिंग व मूल्यांकन प्रभाग का नवीकरण किया जा रहा था और चूककर्ता सदस्यों को पैनल से हटा दिया गया था।

25.7.3 टाटा परामर्शी सेवाओं द्वारा नवम्बर 1996 में किये गए अध्ययन से भी पता चला कि :

- (i) निधियन पूर्व मूल्यांकन के लिए मॉनीटरिंग कसौटी उपयुक्त रूप से परिभाषित नहीं थी तथा अधिकांशतः मॉनीटर के निदेश पर निर्भर थी;
- (ii) इसकी विश्वसनीयता तथा व्यावसायिक सक्षमता के सम्बन्ध में पूर्व दानकर्ताओं जिन्होंने हाल ही में कुछ समय पहले स्वैच्छिक संगठन को निधिबद्ध किया था से प्रमाण प्राप्त करने पर बहुत कम बल दिया गया था;
- (iii) चल रही परियोजनाओं तथा स्वैच्छिक एजेन्सियों से सूचना प्राप्त करने की प्रणाली, तदर्थ थी;
- (iv) मॉनीटरों की नियुक्ति के लिए कोई निश्चित पैनल बनाने की नीति नहीं बनाई गई थी तथा अभ्यर्थियों की जांच उनके द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं की विश्वसनीयता का सत्यापन किये बिना ही की गई थी;

- (v) आत्मपरक निर्धारण के लिए काफी गुंजाइश रखते हुए स्वैच्छिक संगठनों के मूल्यांकन तथा मॉनीटरिंग के लिए प्राचल निश्चित नहीं थे;
- (vi) परियोजनाओं के मॉनीटरिंग का कार्य मॉनीटरों की उपयुक्तता के बजाए उपलब्धता के आधार पर सौंपा गया था;

25.7.4 नमूना जांच की गई कुछ परियोजनाएं जहां पर प्राप्त प्रस्ताव स्वै.सं. की पात्रता, विश्वसनीयता, व्यावसायिक क्षमता का सत्यापन किये बिना तथा प्रस्तुत किये गए दस्तावेजों की प्रामाणिकता का सत्यापन किये बिना संस्वीकृत की गई थी, की नीचे चर्चा की गई है। अन्य निदर्शी मामले परिशिष्ट XIII में दिये गए हैं।

25.7.4.1 “ग्रामोदय” नाम के उ.प्र. आधारित एक स्वैच्छिक संगठन को जनवरी 1989 से अप्रैल 1991 के दौरान पंजीकरण के तीन वर्ष की अनिवार्य अवधि पूरी हुए बिना 3.08 लाख रु की तीन परियोजनाएं संस्वीकृत की गई थी। तत्कालीन उपनिदेशक श्री वी.एन.श्रीनिवासन की सिफारिश पर 2.41 लाख रु के लिए अप्रैल 1991 में संस्वीकृत इन परियोजनाओं में से एक परियोजना जो जिला प्राधिकारियों के प्रमाणपत्र के आधार पर लक्षित क्षेत्र को समस्याग्रस्त ग्राम के रूप घोषित करते हुए संस्वीकृत की जानी थी, त्व.ग्रा.ज.अ.का. के अन्तर्गत थी। इस मामले में शर्त में छूट दे दी गई तथा दूसरी किश्त भी बिना मध्यावधि मूल्यांकन के जारी कर दी गई। सितम्बर 1992 में परिषद् ने परियोजना का मूल्यांकन किया मॉनीटर ने असन्तोषजनक निष्पादन की रिपोर्ट दी। रिपोर्ट उप-महानिदेशक के ध्यान में नहीं लाई गई जिसने जून 1992 तथा फरवरी 1993 के बीच स्वै.सं. को 6 लाख रु की तीन और परियोजनाएं संस्वीकृत की थीं। जून 1993 में दूसरे मूल्यांकन में भी गम्भीर अनुपयुक्तताएं तथा कमियां पाई गई। स्वै.सं. के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई बल्कि उसने जुलाई 1993/अगस्त 1994 में 6.28 लाख रु की दो अन्य अतिरिक्त परियोजनाएं प्राप्त कीं।

25.7.4.2 परिषद् ने जम्मू व कश्मीर के चुने हुये सात गांव में 35 हैंडपम्पों की स्थापना के लिए परिषद् ने मार्च 1992 में भू-संसाधन पर्यावरण अभियान्त्रिकी केन्द्र (भू.सं.प.अ.के) को 5.98 लाख रु संस्वीकृत किये। परिषद् ने परियोजना की शर्तों की स्वीकृति जो कि निधियों के निर्गम से पूर्व लेना आवश्यक थी, प्राप्त किये

बिना निधियां जारी कर दीं। जुलाई 1992 से अप्रैल 1994 के दौरान परिषद् ने निम्न प्रकार इकाई लागत बढ़ाई :

दिनांक	स्वैच्छिक संगठन द्वारा मांग की गई दर	परिषद् द्वारा स्वीकृत दर	अभ्यक्तियां
मार्च 1992	17715 रु	16500 रु	स्वै.सं. द्वारा प्रस्तुत किये गए अनुमानों में ज.स्वा.अ.वि. ² का अनुमोदन तथा भू-जल विज्ञान रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं की गई थी।
जुलाई 1992	61000रु	55000रु	स्वै.सं.ने ज.स्वा.अ.वि. से अनुमान प्राप्त किये जिसने लागत की गणना ऐसे की मानोकि इसे निक्षेप कार्य के रूप में निष्पादित किया जाना हो। इसमें विभागीय प्रभार भी सम्मिलित थे।
जुलाई 1993	73000रु	65000रु	वृद्धि स्वै.सं. द्वारा प्रस्तुत प्रगति रिपोर्ट के आधार पर अनुमत की गई थी जिसमें दर्शाया कि 10 हैंडपम्पों की स्थापना 73000 रु की इकाई लागत पर की गई थी। परिषद् ने दरें विभागीय मॉनीटरों के मूल्यांकन के बिना स्वीकार कर लीं।

परिषद् ने भू.ज.प.अ.के.को जूलाई 1993 तक 11.5 लाख रु जारी किये। यद्यपि, अंतिम किस्त जारी करते समय इसने दर वृद्धि तथा परियोजना में वास्तविक प्रगति के सम्बन्ध में जिला समाहर्ता जम्मू से मूल्यांकन रिपोर्ट के लिए आदेश दिये थे, जुलाई 1997 तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मांगी गई थी। स्वै.सं. ने जुलाई 1993 में अंतिम किस्त प्राप्त करने के पश्चात् भी कोई प्रगति रिपोर्ट नहीं भेजी तथा परिषद् ने इस विषय में कोई प्रयास नहीं किया।

25.7.4.3 परिषद् ने फरवरी 1992 से सितम्बर 1993 के दौरान पटना में एक चाट शॉप के मालिक को चार परियोजनाओं के लिए 4.37 लाख रु संस्वीकृत किये। परियोजना के मूल्यांकन के लिए जुलाई 1994 में भेजे गए मॉनीटरों के एक पैनल ने यह पाया कि दिये गए पते पर स्वै.सं. उपलब्ध नहीं था। जब अन्य पते पर चाट शॉप मालिक को ढूँढा गया तो उसने परियोजनाओं पर कोई दस्तावेज

² लोक स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग-जो राज्य सरकार के लिये कार्य करता है।

प्रस्तुत करने से इन्कार कर दिया। जुलाई 1995 में स्वै.सं. को “अगली सहायता रोक दी गई” (अ स रो) श्रेणी में डाल दिया गया। तथापि राशि वसूल करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

25.7.4.4 मार्च 1991 में ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुशंसाओं पर राजस्थान के बिकानेर जिले के नथवाना-कृष्णासर -राजपुरिया गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए परिषद ने राजस्थान आधारित स्वै.सं. को 19.25 लाख रु की दो परियोजनाएं संस्वीकृत की। इस आधार पर कि दो गांव पहले ही राज्य ज.स्वा.अ.वि. द्वारा आवृत किये गए थे, राज्य सरकार ने अभी तक (जनवरी 1998) स्वै.सं. से सृजित परिसम्पत्तियां वापस नहीं ली थी। कार्य की द्विरावृत्ति से, प्रस्ताव की क्लीयरेंस के स्तर पर राज्य ज.स्वा.अ.वि. से पूर्व अपेक्षित समस्याग्रस्त ग्राम का प्रमाण-पत्र मांगा नहीं गया, जो कि पेयजल परियोजनाओं के लिए अनिवार्य था।

25.7.4.5 मार्च 1988 से जनवरी 1995 की अवधि के दौरान जहानाबाद (बिहार) आधारित स्वैच्छिक संगठन को 32.12 लाख रु की 12 परियोजनाएं संस्वीकृत की गई थी। यद्यपि, अप्रैल 1992 में, परिषद ने इस स्वै.सं. को “सन्देहपूर्ण श्रेणी” में रखा था फिर भी फरवरी 1993 से जनवरी 1995 के दौरान 18.30 लाख रु की अन्य पांच परियोजनाएं संस्वीकृत की गई थी। 5.54 लाख रु मूल्य की अंतिम परियोजना, परियोजना रिपोर्ट के बिना, इसे अक्टूबर 1991 के चार पूर्व वर्षों की अन्य संस्वीकृत परियोजनाओं के साथ जोड़ कर सम्बद्ध प्रभाग के निदेशक श्री सी.मिन्ज की अनुशंसा पर जनवरी 1995 में संस्वीकृत किया गया था। दिसम्बर 1996 में अन्य अधिकारी ने “परियोजना की पृष्ठभूमि को असामान्य मानते हुये” अच्छे मॉनीटर की नियुक्ति का सुझाव दिया। यद्यपि, मॉनीटर की नियुक्ति जनवरी 1997 में हो गई थी, जनवरी 1998 तक रिपोर्ट प्रतीक्षित थी।

25.7.4.6 यह भी देखा गया कि उसी निदेशक ने 12.39 लाख रु की दो अन्य परियोजनाएं, उन्हें पहले से संस्वीकृत दो अन्य परियोजनाओं से जोड़ते हुये, संस्वीकृत की इस प्रकार नए प्रस्तावों के लिए प्रवंचना करने की आवश्यकता है। पहले की एक परियोजना का मूल्यांकन भी उसके द्वारा किया गया था।

25.7.4.7 आन्ध्रप्रदेश आधारित एक स्वै. सं को, बिना किसी परियोजना प्रस्ताव के इसे पूर्व की एक परियोजना से जोड़ कर जो कि उसी निदेशक द्वारा मूल्यांकित की गई थी तथा पंजीकरण प्रमाण पत्र संगठन के उपनियम, गावों की सूची जहां पर हैंड पम्प स्थापित किये जाने थे कार्य के ब्यौरे जैसे गहराई, पाइपों का उपयोग इत्यादि तथा भू-जलविज्ञान रिपोर्ट की कापी संस्वीकृति पूर्व जांच के लिए अनिवार्य दस्तावेजों के बिना 7.03 लाख रु लागत की एक परियोजना सितम्बर 1994 में संस्वीकृति की गई थी। परियोजना का किसी भी स्तर पर मूल्यांकन/मॉनीटर नहीं किया गया था। जून 1996 में परियोजना के व्यापक मूल्यांकन के आदेश दिये गए, जनवरी 1998 तक रिपोर्ट प्रतीक्षित थी। इस अधिकारी के विरुद्ध दिसम्बर 1996/फरवरी 1997 से काली सूची/अ.स.रो श्रेणी के अन्तर्गत स्वै.सं. को निधियों के जारी करने के आधार पर अनुशासनिक मामले लम्बित पड़े थे।

25.7.4.8 परिषद द्वारा नियुक्त मॉनीटर की निधियन पूर्व पक्ष में दी गई रिपोर्ट के आधार पर बिहार आधारित स्वै.सं.को 1994 में 2.65 लाख रु की परियोजना संस्वीकृत की गई थी। तथापि, बाद के मूल्यांकन में स्वै.सं. विद्यमान नहीं पाया गया तथा परिणामस्वरूप उसे काली सूची में रखा गया। जांच/अनुदान की वसूली के लिए परिषद द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

25.7.4.9 परिषद् ने मार्च 1993 में बिजनौर (उ.प्र.) में तीन स्वैच्छिक संगठनों को 16.23 लाख रु की सहायता संस्वीकृत की। अभिलेखों ने दर्शाया कि तीनों संगठन एक ही व्यक्ति के अधीन कार्य कर रहे थे। तीन परियोजनाओं में 8.15 लाख रु की राशि की पहली किस्त के डिमांड-ड्राफ्ट जारी कर उस समय के उपनिदेशक श्री सी.मिन्ज की सिफारिश पर उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप में दिये गए थे। जुलाई 1993 में परिषद ने इन परियोजनाओं में से एक के मूल्यांकन के लिए एक मॉनीटर भेजा। मॉनीटरों को पैनल से लेने के बजाए परिषद के मुख्य लेखा अधिकारी को कार्य करने के लिए नियुक्त किया जिसने सभी तीनों स्वै.सं. का मूल्यांकन किया। मानीटर ने प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया परन्तु इसके बजाए कार्य के समापन के सम्बन्ध में बिजनौर के मुख्य विकास अधिकारी की रिपोर्ट पर विश्वास कर लिया।

25.7.4.10 परिषद ने मई 1993 में पटना स्थित स्वैच्छिक संगठन को 12.3 लाख रु संस्वीकृत किये तथा जून 1993 में 7.59 लाख रु की पहली किश्त जारी की। यद्यपि स्वै सं. ने प्रगति रिपोर्टें प्रस्तुत नहीं की थीं जून 1993 से दिसम्बर 1993 की अवधि के दौरान निधियां तीव्र किश्तों में जारी की गई थीं। जुलाई 1993 में मध्यावधि मूल्यांकन करने के लिए एक मॉनीटर की नियुक्ति की गई परन्तु इस सम्बन्ध में उसे कोई सूचना नहीं दी गई। इसके बजाए, सम्बद्ध प्रभाग का वरिष्ठ निदेशक मूल्यांकन के लिये चला गया। उसने संस्वीकृत किये गए 125 पम्पों में से केवल चार का निरीक्षण किया तथा सूचित किया कि ये सन्तोषजनक कार्य कर रहे थे। उसकी रिपोर्ट के आधार पर पांच और पम्पसैटों की स्थापना के लिए 0.5 लाख रु की अतिरिक्त सहायता जारी की गई। मार्च 1995 में निधियों के उपयोग न करने के आधार पर स्वै सं. को “अगली सहायता रोक दी गई” श्रेणी में डाल दिया गया। यह पता चला कि मार्च 1995 तक परिषद ने इस स्वै.सं. को लगभग एक करोड़ रु की कुल सहायता की 20 परियोजनाएं संस्वीकृत की। परिषद ने मई 1996 में विस्तृत जांच के आदेश दिये लेकिन स्वै.सं. ने निरीक्षण की अनुमति नहीं दी। विभाग के अभिलेखों के आधार पर 12.40 लाख रु की वसूली का सुझाव देते हुए मॉनीटर ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। परिषद ने जनवरी 1998 में बताया कि जांच के आदेश दिये जाने के अतिरिक्त 0.50 लाख रु की राशि पहले ही वसूल की जा चुकी है तथा शेष राशि की भी वसूली की जा रही थी।

25.7.4.11 एक अन्य मामले में परिषद ने निधियन पूर्व रिपोर्ट के आधार पर बिहार की एक स्वै.सं. को 2.12 लाख रु की राशि जारी की। रिपोर्ट परिषद के अपने निदेशक द्वारा तैयार की गई थी जिसने अपने बिहार के दौरे के दौरान स्वै. सं. की विश्वसनीयता प्रमाणित की। तथापि, फरवरी 1995 में की गई जांच पड़ताल में पता चला कि स्वै.सं. का अस्तित्व ही नहीं था। परिषद ने मार्च 1995 में स्वै.सं. को काली सूची में डाल दिया इसी बीच 2.29 लाख रु की एक अन्य परियोजना संस्वीकृत की गई थी। मामला जाचांधीन था (जनवरी 1998)।

25.8 अधूरी परियोजनाएं

यद्यपि परियोजना की संस्वीकृति प्रदान करने वाली शर्तों में यह अपेक्षित था कि स्वै.सं. परिषद को अर्ध-वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें, बहुत से स्वै.सं. ने

न तो अपेक्षित आवधिक प्रगति रिपोर्ट भेजी न ही परिषद द्वारा प्राप्त की गई थी, परिणामतः बहुत सी परियोजनाएं अधूरी रह गईं। 1995-96 तक अधूरी परियोजनाओं के साथ उनकी संस्वीकृति की वर्षवार स्थिति का विवरण नीचे दर्शाया गया है :

(करोड़ रु में)

वर्ष	संस्वीकृत परियोजनाओं का विवरण		चल रही परियोजनाओं का विवरण		
	संख्या	राशि	संख्या	संस्वीकृत राशि	जारी की गई राशि
1990-91 तक	4909	104.24	4411	92.99	55.82
1991-92	2656	44.71	2286	40.13	26.19
1992-93	2482	49.18	2284	45.17	26.63
1993-94	2402	60.26	2306	58.53	66.83
1994-95	1875	56.11	1834	54.94	20.51
1995-96	975	65.90	961	65.58	28.09
जोड़	15299	380.40	14082	357.34	224.07

इस प्रकार जुलाई 1997 तक केवल आठ प्रतिशत परियोजनाएं पूरी हुई थीं यद्यपि, परिषद द्वारा संस्वीकृत 95 प्रतिशत परियोजनाएं छः माह-एक वर्ष की लघु अवधि की थीं। 224.07 करोड़ रु की 14082 परियोजनाएं अधूरी थीं; अधूरी परियोजनाओं का 64 प्रतिशत चार से अधिक वर्षों से सम्बन्धित था।

25.8.1 दिसम्बर 1997 तक परिषद् ने 16 राज्यों में 248 स्वै.सं. को काली सूची में डाला था। इन स्वै.सं. को जारी की गई 4.05 करोड़ रु की सहायता में से 2.42 करोड़ रु अथवा 60 प्रतिशत का दुरुपयोग किया गया था। परिषद् ने केवल 209 स्वै.सं. को काली सूची में डालने के निम्न लिखित कारण प्रस्तुत किये:

(लाख रु में)

क्र. सं.	काली सूची में डालने के कारण	स्वै.सं की संख्या	संस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	संस्वीकृत राशि	जारी की गई राशि
1	स्वैच्छिक संगठन जो अस्तित्व में नहीं थे	67	127	199	143
2	कार्यान्वयन न करना, घटिया निष्पादन तथा परियोजनाओं में असन्तोषजनक प्रगति	53	199	334	202
3	तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करना तथा गलत तरीके अपनाना इत्यादि	31	47	112	78
4	नकली बैंक पत्र प्रस्तुत	10	23	37	19
5	निधियों का दुर्विनियोग/दुरुपयोग इत्यादि	18	32	59	33
6	परियोजना पर मॉनीटर/विभाग की प्रतिकूल रिपोर्ट	15	38	51	31
7	अन्य कारण	15	16	13	11
	जोड़	209	482	805	517

मॉनीटरों के पैनल द्वारा जिन्होंने जुलाई 1994-जनवरी 1996 के दौरान बिहार, कर्नाटक तथा आन्ध्रप्रदेश राज्यों के स्वैच्छिक संगठनों का निरीक्षण किया, विशेष जांच में स्वै.सं. के अस्तित्व में न होने का पता चला। बिहार में जांच किये गए 23 प्रतिशत स्वै.सं. अस्तित्व में नहीं पाये गये। काली सूची में डाले गए 248 स्वै.सं. में से परिषद ने 62 मामले केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (के.अ.ब्यू) को भेजे तथा 58 मामलों में विभागीय जांच आरम्भ की।

25.8.2 मई 1995 में काली सूची में डाले गए स्वै.सं. के 34 मामले के.अ.ब्यू. को भेजते हुये परिषद ने धोखेबाजी, जालसाजी, अपराधिक षडयंत्र तथा सरकारी निधियों के दुर्विनियोजन में “मॉनीटरों सहित परिषद के कर्मचारियों के बीच सम्बन्ध” को स्वीकार किया। यह भी स्वीकार किया गया था कि स्वै.सं. द्वारा प्रस्तुत किये गए दस्तावेज नकली पाये गये थे जिनकी परिषद में संवीक्षा नहीं की गई थी तथा स्वै.सं. को डिमांड ड्राफ्ट पंजीकृत डाक द्वारा भेजने की निर्धारित

विधि का पालन नहीं किया गया था। डिमांड ड्राफ्टों को परिषद के कर्मचारियों तथा बैंक के कर्मचारियों की मिलीभगत से भुनाया गया था।

संस्वीकृति प्रदान करने तथा मॉनीटरिंग में लापरवाही के कारण जाली स्वै. सं. जालसाजी के प्रकाश में आने से पूर्व, 5-8 वर्षों तक लगातार निधियां प्राप्त करने में कामयाब रहे।

25.8.3 नीचे दी गई सारणी निर्धारित क्रिया विधि का उल्लंघन करने के लिए परिषद के कर्मचारियों की एन.जी.ओ. के साथ सांठ-गांठ के स्तर तथा अनुशासनिक मामलों में परिषद की निष्क्रियता की द्योतक है:

(लाख रु में)

क्र. सं.	परियोजना के विवरण	परियोजना लागत	लगाये गये आरंभ का स्वरूप	सम्भलित अधिकारियों की संख्या	अनुशासनिक कार्यवाही आरंभ करने की तिथि	स्थिति
1	713-6/92-त्व.ग्रा.ज.आ.का. 612-12/92-ज.रो.यो	13.96	स्वैच्छिक संगठन, जिन्हे पहले अ.स. रो.श्रेणी के अन्तर्गत रखा गया था, की स्थिति का सत्यापन किये बिना निधियां जारी की	7	दिसम्बर 96 जनवरी 98	अन्तर्ग्रस्त, कुछ कर्मचारियों का स्पष्टीकरण प्रतीक्षित
2	704-57/93 त्व.ग्रा.ज.आ. का.	7.37	काली सूची में डाले गए स्वैच्छिक संगठनों को निधियां जारी की गई तथ्य कार्यालयीय टिप्पणी में दबा दिये गए	2	फरवरी 97	एक कर्मचारी का स्पष्टीकरण प्रतीक्षित
3	1325-2/94-95/4.07 टी. एम.एम/एम.डी.एन.पी.आर. इ./टी.एस	4.07	स्वैच्छिक संगठनों के प्रति पक्षपात किया गया	1	जुलाई 95	पांच वेतन वृद्धियां रोकी गई
4	501-34/92-पी.सी.	2.46	बिना कोई दस्तावेज मांगे दूसरी तथा अंतिम किश्त जारी करना	1	अगस्त 96	चेतावनी के बाद छोड़ दिया

5	1224-312/94-एस.ए.टी.	1.13	म.नि.के अनुमोदन के बिना संस्वीकृति जारी करना	4	जुलाई 95	लघु दण्ड दिया गया/निन्दा की गई
6	401-213/94-95 के.ग्रा. स्वा.का	उ.न.	वही	2	अगस्त 96	चेतावनी के बाद छोड़ दिया
7	724-401/93-94 के.ग्रा. स्वा.का.	उ.न.	मॉनीटर द्वारा इंगित की गई कमियां कार्यालय टिप्पणियों में नहीं दर्शायी गई तथा निधियां जारी करने की सिफारिश की गई।	2	जून 96 दिसम्बर 97	दो में से एक कर्मचारी की चार्जशीट का उत्तर जांचाधीन था। दूसरे अधिकारी को दिसम्बर 1997 में चार्जशीट दी गई थी।

25.8.4 226 अन्य स्वै.सं. जिन्होंने परिषद से 2.25 करोड़ रु प्राप्त किये को मॉनीटरों इत्यादि की प्रतिकूल रिपोर्ट के आधार पर "अगली सहायता रोक दी गई" श्रेणी में डाल दिया गया। परिषद ने इन स्वै.सं. के विरुद्ध अनुवर्ती कार्यवाही का विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाया।

25.9 योजनाओं के प्रभाव

25.9.1 त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (त्व.ग्रा.ज.आ.का.)

परिषद् द्वारा सामाजिक आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र नई दिल्ली के माध्यम से इस योजना पर फरवरी 1996 में करवाये गए नमूना अध्ययन से निम्नवत् पता चला :

- उत्तर प्रदेश में लगाए सूचित किये गये हैंडपम्पों के 33 प्रतिशत ने भू जलविज्ञान जांच के बिना कार्य आरम्भ करने, घटिया रखरखाव तथा निम्नस्तरीय सामग्री के उपयोग इत्यादि के कारण जल की उपयुक्त आपूर्ति नहीं की;
- 31 प्रतिशत पम्पों की स्थापना कुछ चुने हुये व्यक्तियों की पसन्द के स्थान पर की गई थी तथा कुछ ही परिवारों को लाभ पहुंचा था;

- 68 प्रतिशत हैंडपम्पों के लिए रख-रखाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी;
- स्थापित किये गए हैंडपम्पों के 50 प्रतिशत के सम्बन्ध में स्वै.सं. ने पम्पों के रख रखाव के लिए किसी व्यक्ति को प्रशिक्षित नहीं किया यद्यपि परिषद ने घटकों के लिए निधियां प्रदान की थीं।

25.9.2 केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (के.प्रा.स्व.का.)

इस योजना पर परिषद द्वारा जुलाई/अगस्त 1994 तथा दिसम्बर 1995 में किये गए नमूना मूल्यांकन अध्ययन से निम्नलिखित कमियों का पता चला :

- उत्तर प्रदेश में 75 प्रतिशत व्यक्तिगत शौचालयों का अनियमित रूप से अपात्र परिवारों को दिया गया था;
- निर्मित किये गये 42 प्रतिशत शौचालय घटिया किस्म के थे;
- 19 प्रतिशत शौचालय घटिया रखरखाव के कारण उपयोग में नहीं लाये गये थे तथा 14 प्रतिशत का उपयोग भण्डार, स्नानगृह इत्यादि के रूप में किया जा रहा था,
- स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित नहीं किया गया;
- व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण तथा अन्य गतिविधियों जैसे शुष्क शौचालयों का परिवर्तन इत्यादि पर दबाव डाला गया था, नालियों इत्यादि के निर्माण के माध्यम से गांव की पूर्ण स्वच्छता आरम्भ नहीं की गई थी।

25.10 अन्य रुचिकर बातें

25.10.1 बढ़ता हुआ ऊपरी खर्च

परिषद के ऊपरीप्रभार प्रशासनिक के साथ-साथ परियोजना से जुड़े व्यय, संवितरण के 1993-94 में 5.9 प्रतिशत से 1995-96 में 12.45 प्रतिशत तक बढ़ गए। यह मुख्यतः इसके अपने भवन के अनुरक्षण प्रभारों (93 लाख रु) के कारण था। इस अवधि में परियोजना से जुड़े व्ययों (कार्यशालाओं, सेमिनारों इत्यादि पर) ने भी 152 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई यद्यपि संस्वीकृत की गई परियोजनाओं की संख्या काफी हद तक घट गई थी जैसा कि परिशिष्ट XIV में विवरण दिया गया है।

25.10.2 पुराने कार्यालय भवन का अनुपयोग

इंडिया हैबिटेड सेन्टर (इ.है.से.) लोधी रोड़ पर मई 1995 में विद्यमान परिसर में स्थानान्तरित होने से पूर्व परिषद 80 लाख रु की लागत पर अधिप्राप्त, जनकपुरी, नई दिल्ली में अपने भवन में स्थित थी। परिषद ने ग्रामीण विकास मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त किये बिना विद्यमान कार्यालय स्थान को 6.75 करोड़ रु की अनंतिम लागत पर अधिप्राप्त किया। जनकपुरी का भवन मई 1995 से खाली पड़ा था जिस पर परिषद वैधानिक करों, अनुरक्षण इत्यादि के लिए 3.70 लाख रु वार्षिक खर्च कर रही थी। इसके अतिरिक्त भवन में स्थापित परिसम्पत्तियां जैसे 63.30 लाख रु के मूल्य के फर्नीचर तथा जुड़नार भी अनुपयोग पड़े हुये थे।

मामला मंत्रालय को सितम्बर 1997 में भेजा गया था; जनवरी 1998 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

जिला ग्रामीण विकास एजेन्सिया

26 जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत गलत शेष सूचित करने के कारण अनुदान का अधिक दावा

जवाहर रोजगार योजना (ज.रो.यो.) केन्द्र तथा राज्यों के बीच लागत के 80:20 के अनुपात में बटवारे के आधार पर एक केन्द्र प्रवर्तित योजना है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रत्येक वर्ष दो किश्तों में दी जानी थी। पहली किश्त, पिछले वर्ष के दौरान पहली किश्त के रूप में जारी निधियों के सम्बन्ध में उपयोग प्रमाण पत्रों की प्राप्ति पर जारी की जानी थी, दूसरी किश्त वित्तीय वर्ष के अक्टूबर के अन्त तक जारी की जानी थी बशर्ते कि जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी/जिला परिषद् तथा ग्राम पंचायतों के पास अथ शेष पिछले वर्ष के दौरान जिला आबंटन के 15 प्रतिशत से अधिक न थे। यदि अथ शेष सीमा से अधिक थे, दूसरी किश्त जारी करते समय आधिक्य का केन्द्रीय हिस्सा घटाया जाना था।

वर्ष 1995-96 के लिए हरियाणा में 4 जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों (जि.ग्रा.वि.ए.)³ के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि पिछले वर्ष के अव्ययित शेष के रूप में 10.49 लाख रु की राशि उपलब्ध होने के अतिरिक्त 1995-96 के दौरान 10.12 करोड़ रु की सहायता प्राप्त की गई थी। 10.22 करोड़ रु की कुल उपलब्ध निधियों के प्रति जि.ग्रा.वि.ए. ने, 99.75 लाख रु के अव्ययित शेष जोकि अगले वर्ष में उपयोग किया जाना था, को छोड़ते हुये राज्य सरकार को 9.22 करोड़ रु की निधियों का उपयोग सूचित किया। तथापि, लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि सूचित किये गए 99.75 लाख रु के प्रति 6.35 करोड़ रु के अव्ययित शेष छोड़ते हुये 3.88 करोड़ रु वास्तव में उपयोग किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप 1996-97 के लिए 4.83 करोड़ रु की सहायता का अधिक दावा किया गया था जो कि 1997 के दौरान 5.94 करोड़ रु की वार्षिक सहायता मंजूर करते समय काटा जाना था। जि.ग्रा.वि.ए. द्वारा सहायता की गलत सूचना देने के कारण ऐसा नहीं किया जा सका।

मामला मंत्रालय को सितम्बर 1997 में भेजा गया था; उनका उत्तर जनवरी 1998 तक प्रतीक्षित था।

27 इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत मकानों के निर्माण पर अनियमित व्यय

इंदिरा आवास योजना (इ.आ.यो), जवाहर रोजगार योजना की एक उप-योजना, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति (अ.जा), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) ग्रामीण क्षेत्रों में मुक्त बन्धुआ मजदूरों तथा गरीबी रेखा से नीचे के गरीब ग्रामीण गैर अ.जा./अ.ज.जा. के सदस्यों को निःशुल्क मकान उपलब्ध करवाना था, 1989 में आरम्भ की गई थी। प्रत्येक मकान के लिए लागत सीमा मैदानी क्षेत्र में 14000 रु तथा पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्र में 15800 रु थी। इस प्रकार के मकानों को निर्माण लाभभोगियों द्वारा स्वयं किया जाना था तथा उन्हें भुगतान निर्माण कार्य की प्रगति के आधार पर भिन्न-2 समय पर किया जाना था। मकानों के निर्माण का कार्य किसी सरकारी विभाग अथवा ठेकेदार को नहीं सौंपा जाना था। ठेकेदार के माध्यम

³ भिवानी, कैथल, हिसार तथा पानीपत

से निर्माण के मामले में भारत सरकार ने, उन मकानों के लिए राज्य को आबंटित की गई राशि वसूल कर लेनी थी।

मई 1996 तथा अप्रैल 1997 के बीच 7 जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों (जि.ग्रा.वि.ए.)⁴ के लेखाओं की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि 7 जि.ग्रा.वि.ए. में निर्मित किये गए 4342 मकानों में से केवल 2291 मकान ही लाभभोगियों द्वारा निर्मित किये गये थे। शेष 1490 मकान 2.03 करोड़ रु की लागत पर विभागीय रूप से निर्मित किए गए थे तथा 561 मकान 76.86 लाख रु की लागत पर खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारियों द्वारा संविदागत एजेन्सियों के माध्यम से निर्मित करवाये गये थे।

यह ज.रो.यो.के प्रावधानों के विपरीत था तथा परिणामस्वरूप 2.80 करोड़ रु का अनियमित व्यय हुआ। भारत सरकार ने योजना के प्रावधानों के अनुसार मकानों के निर्माण के लिए ठेकेदारों को भुगतान किये गए 76.86 लाख रु की हरियाणा सरकार से वसूली नहीं की।

मामला मंत्रालय को सितम्बर 1997 में भेजा गया था; उनका उत्तर जनवरी 1998 तक प्रतीक्षित था।

28 राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता का अनियमित उपयोग

65 वर्ष अथवा उससे अधिक के निःसहाय व्यक्तियों जिनके निर्वाह के नियमित साधन नहीं थे, को 75 रु प्रति माह की वृद्धावस्था पेंशन देने के लिए भारत सरकार (भा.स.) ने 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के रूप में एक राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (रा.वृ.पे.यो.) जो कि राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लागू की जानी थी, 15 अगस्त 1995 से प्रारम्भ की। इस योजना के अन्तर्गत लाभ राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गए लाभों से अतिरिक्त दिये जाने थे तथा राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता का उपयोग इसके अपने व्यय के स्थानान्तर के लिए नहीं किया जाता था। राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता का उपयोग इसके अपने व्यय के स्थानान्तरण के लिए नहीं किया जाता था। राज्य सरकार को स्वतन्त्र रूप से सामाजिक सहायता की राशि को जहां कहीं वह ऐसा करना चाहती थी, बढ़ाना था।

⁴ भिवानी, फरीदाबाद, हिसार, जींद, रिवाड़ी, सिरसा तथा यमुना नगर

हरियाणा सरकार ने 1971 से अपनी राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना (रा. वृ.पें.यो.) आरम्भ की थी जिसके माध्यम से 55 वर्ष अथवा इससे अधिक (जुलाई 1991 से 60 वर्ष अथवा इससे अधिक) आयु के व्यक्तियों को 100 रु मासिक पेंशन दी जा रही थी। केन्द्रीय योजना को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने उन व्यक्तियों को, जो कि रा.वृ.पें.यो के अन्तर्गत पहले ही पेंशन प्राप्त कर रहे थे, को 75 रु केन्द्रीय सहायता से पेंशन के रूप में तथा 25 रु राज्य निधियों से पेंशन के रूप में मानते हुये फरवरी 1996 में इस योजना के अन्तर्गत लाने का निर्णय किया।

राज्य सरकार ने फरवरी 1997 तक रा.वृ.पें.यो के अन्तर्गत भारत सरकार से 3.39 करोड़ रु की केन्द्रीय अनुदान प्राप्त किए। पेंशनभोगियों में संवितरण के लिए भारत सरकार से प्राप्त की गई राशि को राज्य सरकारों की प्राप्ति के रूप में लेखाबद्ध किया गया था क्योंकि राज्य सरकार अपनी रा.वृ.पें.यो के अन्तर्गत पहले ही व्यय कर रही थी तथा रा.वृ.पें.यो राज्य में अलग से लागू नहीं ही गई थी।

मंत्रालय ने नवम्बर 1997 में बताया कि केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी रा. वृ.पें.यो.निधियों को राज्य सरकार की प्राप्ति के रूप में दर्शाना ठीक नहीं था तथा भा.स. ने विद्यमान रा.वृ.पें.यो.में रा.वृ.पें.यो.के समावेशन को स्वीकार नहीं किया था।

इस प्रकार 3.39 करोड़ रु की केन्द्रीय सहायता का रा.वृ.पें.यो. में उपयोग करने के परिणामस्वरूप केन्द्रीय की निधियों का विपथन हुआ।

29 रोजगार आश्वासन योजना में से निधियों का अनियमित उपयोग

भारत सरकार (भा.स.) द्वारा लाभकर रोजगार उपलब्ध कराने तथा उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्वक उपयोग करने तथा दीर्घकालिक रोजगार और विकास हेतु आर्थिक अवसंरचना तथा सामुदायिक परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अक्टूबर 1993 में एक रोजगार आश्वासन योजना (रो.आ.यो) आरंभ की गई थी। योजना के अंतर्गत प्रशासनिक तथा वित्तीय संस्वीकृति और तकनीकी अनुमानों का अनुमोदन होने के बाद ही केवल नए कार्य आरंभ किए जाने थे। व्यय केन्द्रीय और राज्य सरकार के बीच 80:20 के अनुपात में बांटा जाना था।

तथापि, राज्य सरकार ने समस्त जिलाधीशों को भा.स का अनुमोदन प्राप्त किए बिना अकाल-सहायता के अंतर्गत श्रम तथा सामग्री पर किए गए व्यय को रो.आ.यो. में अंतरण करने के अनुदेश जारी किए (अगस्त 1994)। लेखापरीक्षा में यह भी पता चला था कि जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (जि.ग्रा.वि.ए.) डूंगरपुर ने अकाल-सहायता (संवत् 2050) के अंतर्गत दो मंडलों द्वारा पहले से निष्पादित 75 कार्यों पर जनवरी तथा जून 1994 के बीच किए गए 1.24 करोड़ रु के व्यय को रो.आ.यो. में अंतरित कर दिया था (जून 1994)।

इन दो मंडलों ने, इन कार्यों पर जुलाई 1994 से सितम्बर 1995 के दौरान 1.70 करोड़ रु का और व्यय किया। यह भी अनियमित था क्योंकि सभी कार्य पुराने थे तथा अकाल-सहायता के अंतर्गत मूल रूप में संस्वीकृत थे।

राजस्थान सरकार ने जुलाई-सितम्बर 1997 में बताया कि अकाल-सहायता के अंतर्गत निष्पादित कुछ कार्य भी रो.आ.यो. के अंतर्गत अनुज्ञेय थे तथा इसलिए संबंधित जिलाधीशों को, इन निर्माणकार्यों को उन पर हुए व्यय के साथ अंतरित करने के लिए कहा गया था जिसके लिए राज्य सरकार वित्त विभाग अथवा भारत सरकार के वित्त विभाग की अनुमति नहीं ली गई थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अकाल-सहायता के अंतर्गत संस्वीकृत निर्माणकार्य प्राकृतिक आपदाओं तथा अभाव स्थितियों पर काबू पाने के लिए थे जिसके लिए रो.आ.यो. के अंतर्गत 80 प्रतिशत के प्रति 75 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता ग्राह्य थी। इस प्रकार, व्यय का रो.आ.यो. में अंतरण करना योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन था तथा परिणामतः 2.94 करोड़ रु की निधियों का अनियमित उपयोग हुआ।

मामला मंत्रालय को जून 1997 में भेजा गया था; उनका उत्तर जनवरी 1998 तक प्रतीक्षित था।

30 रोजगार आशवासन योजना के अन्तर्गत प्रदान की गई निधियों का दुरुपयोग

जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (जि.ग्रा.वि.ए.) सवाई माधोपुर ने नदियों/बांधों आदि को फिर से चालू करने, उनके संरक्षण, लाइनिंग व अनुरक्षण से संबंधित 21 निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु रो.आ.यो. के अन्तर्गत 54.20 लाख रु संस्वीकृत किए (मार्च-अगस्त 1994) तथा इस प्रयोजन हेतु सिंचाई विभाग को 45 लाख रु उपलब्ध कराये (मई-दिसम्बर 1994)।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया था (अक्टूबर-दिसम्बर, 1996) कि मंडल ने ये निर्माण कार्य, जो कि नए नहीं थे, अप्रैल तथा अगस्त 1994 के बीच प्रारम्भ किए तथा मई 1995 तक 46.43 लाख रु का व्यय किया। इसी बीच, यह देखने पर (जनवरी 1995) कि ये कार्य रो.आ.यो. के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं आते थे, राज्य सरकार ने जि.ग्रा.वि.ए. सवाई माधोपुर को इन कार्यों को तत्काल रद्द करने तथा निधि की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए जवाहर रोजगार योजना (ज.रो.यो.)/संयुक्त निधि जैसी अन्य योजनाओं के अन्तर्गत प्रारम्भ करने का निदेश दिया (जनवरी-मई 1995)। तदनुसार, जि.ग्रा.वि.ए. सवाई माधोपुर में सभी कार्य निरस्त कर दिये (मई 1995) तथा सिंचाई विभाग से जारी की गई राशि की वापसी के लिये कहा। सितम्बर 1997 तक रो.आ.यो निधियों की भरपाई हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई थी तथा निर्माण कार्य मई 1995 से अधूरे पड़े थे।

इस प्रकार, योजना के अन्तर्गत न आने वाले कार्यों के निष्पादन के परिणामस्वरूप 46.43 लाख रु की राशि की निधियों का दुरुपयोग हुआ।

मामला मंत्रालय को जून 1997 में भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 1998)।

31 निधियों का अवरोधन

पत्तन जल संचालन योजना के अन्तर्गत, कलकत्ता पत्तन न्यास (क.प.न्या.) ने 22.26 करोड़ रु की मूल लागत पर उसके अपने ही संसाधनों से पूरा किये जाने वाले एक मार्गदर्शी जहाज़ के निर्माण तथा सुपुर्दगी का कार्य भारत सरकार के एक उपक्रम केन्द्रीय अन्तर्देशी जल परिवहन निगम (के.अ.ज.प.नि.) को जुलाई 1993 में सौंपा। जून 1993 में के.अ.ज.प.नि. के साथ निष्पादित अनुबन्ध के अनुसार, मूल्य के 10 प्रतिशत अर्थात् 2.23 करोड़ रु का अग्रिम भुगतान के.अ.ज.प.नि. को जारी किया जाना था ताकि वह कार्य प्रारम्भ कर सके। अगस्त 1993 से अक्टूबर 1993 के दौरान, क.प.न्या. ने अग्रिम भुगतान के संबंध में 70 लाख रु जारी किए। परन्तु उसके पश्चात् कठिन संसाधन परिस्थिति के कारण अग्रिम भुगतान के लिये कोई राशि जारी नहीं की गई थी। संचालन योजना का बाद में दर्जा घटा दिया गया था तथा उसे गैर-प्राथमिक मान लिया गया था। तथापि, अक्टूबर 1994 में, क.प.न्या. ने गलती से 10 लाख रु की राशि और जारी कर दी जिससे के.अ.ज.प.नि. को जारी कुल अग्रिम अदायगी की राशि 80 लाख रु हो गयी। तथापि, के.अ.ज.प.नि. ने क.प.न्या. द्वारा अग्रिम का पूर्ण भुगतान लम्बित होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया। अक्टूबर 1996 में, क.प.न्या. ने के.अ.ज.प.नि. को सूचित किया कि चूंकि उसकी, योजना को चालू रखने में कोई रूचि नहीं थी, अतः उसने आदेश को रद्द करने का विचार किया तथा अनुरोध किया कि उसे के.अ.ज.प.नि. के अन्य बकाया बिलों से 80 लाख रु के अग्रिम भुगतान की वसूली करने की अनुमति प्रदान की जाय। तथापि, इसका कोई परिणाम नहीं निकला।

अनुबन्ध में निरसन के लिये किसी विशेष धारा के अभाव में क.प.न्या. के कानूनी सलाहकार ने कहा कि अन्य बिलों से अग्रिम की वसूली अथवा बैंक गारंटी (फरवरी 1998 तक वैध) का सहारा लेने की कोई एकतरफा कार्यवाही नहीं की जा सकी।

इस प्रकार, घटिया संसाधन योजना तथा अग्रिम भुगतान के रूप में 80 लाख रु जारी करने के पश्चात् संचालन योजना को त्याग देने के कारण लगभग 3 वर्ष तक राशि अवरूद्ध तथा निष्फल रही जिसके परिणामस्वरूप 52.65 लाख रु के ब्याज की हानि हुई।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए क.प.न्या. ने जुलाई 1997 में बताया कि अनुबन्ध के निरसन पर 80 लाख रु की वसूली के लिए कार्यवाही की जाएगी। मंत्रालय ने क.प.न्या. के उत्तर का समर्थन किया (सितम्बर 1997)।

32 ब्याज का परिहार्य भुगतान

कलकत्ता पत्तन न्यास (क.प.न्या.) ने अपनी विभिन्न योजनागत विकास योजनाओं के वित्तपोषण तथा नौपरिवहन चैनल तलकर्षण हेतु 1976-87 के दौरान भारत सरकार से 9 से 11 प्रतिशत तक वार्षिक ब्याज की दर पर 88.51 करोड़ रु के ऋण लिए। मूलधन राशि की समय पर वापस अदायगी के लिए 1/4 प्रतिशत की दर से अनुमत ब्याज पर छूट अनुमत थी। ऋण की वापस अदायगी की अवधि 6 से 25 वर्ष के बीच थी।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि मई 1992-मार्च 1997 की अवधि के दौरान क.प.न्या. ने निर्धारित तिथियों को मूलधन की राशि के भुगतान में चूक की तथा परिणामस्वरूप कुल 68.11 लाख रु की छूट का लाभ नहीं उठा सका। यद्यपि क.प.न्या. ने उसी अवधि, मई 1992-मार्च 1997, के दौरान मूलधन तथा ब्याज की वापस अदायगी के संबंध में 37.13 लाख रु की औसत देयता के प्रति वापस अदायगी की देय तिथियों को 145.15 करोड़ रु का औसत नकद शेष बनाया हुआ था, तथापि उसने निर्धारित तिथियों को किशतों का भुगतान नहीं किया जिसके कोई कारण दर्ज नहीं थे।

इस प्रकार, निर्धारित तिथियों के अन्दर मूलधन राशि की किशतों का भुगतान न करने के कारण, क.प.न्या. को 68.11 लाख रु का परिहार्य अतिरिक्त ब्याज देना पड़ा।

क.प.न्या. ने अगस्त 1997 में बताया कि बैंक में पड़ा तथा हस्तगत नकद-शेष, प्रतिबद्ध व्यय को पूरा करने के लिए ही रखे गए थे। तथापि, लेखापरीक्षा में की गई नमूना जांच से ज्ञात हुआ कि मई 1996 से मार्च 1997 के दौरान किशतों की वापसी की देय तिथियों पर 253.78 करोड़ रु के औसत प्रतिबद्ध

व्यय 9.71 करोड़ रु था। मंत्रालय ने क.प.न्या. के उत्तर का समर्थन किया (अक्तूबर 1997)।

33 निधियों का अवरोधन

हुगली नदी के नदीमुख क्षेत्र के सर्वेक्षण की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए, कलकत्ता पत्तन न्यास (क.प.न्या.) ने, आदेश देने के 18 महीने के अन्दर 4.40 करोड़ रु की लागत पर एक समुद्री सर्वेक्षण जहाज के निर्माण तथा सुपुर्दगी हेतु एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ.) को आदेश दिया (अप्रैल 1993)। अप्रैल 1993 में, क.प.न्या. ने क्षतिपूर्ति बंधपत्र, जो क.प.न्या. द्वारा बैंक गारंटी की संविदात्मक प्रतिभूति के बदले स्वीकार कर लिया गया था, के प्रति सा.क्षे.उ. को 37.40 लाख रु की पहली अवस्था का भुगतान जारी किया।

सा.क्षे.उ.ने जहाज के निर्माण में विलम्ब किया तथा दिसम्बर 1993 में भुगतान की शर्तों को बदलने का प्रस्ताव किया जिन्हें क.प.न्या. द्वारा स्वीकार नहीं किया गया (सितम्बर 1994)। नवम्बर 1994 में क.प.न्या. ने ठेका समाप्त करने तथा भुगतान की गई राशि को वसूल करने का निर्णय लिया। तथापि, ठेके को समाप्त करने के लिए अभी तक (सितम्बर 1997) न्यासी बोर्ड की संस्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी। इसी बीच, जिस योजना के अन्तर्गत समुद्री सर्वेक्षण जलयान प्राप्त किया जाना था, उसकी प्राथमिकता भी जुलाई 1994 में समाप्त कर दी गई थी।

इस प्रकार ठेका समाप्त करने तथा दी गई पेशगी को वसूल करने में क.प.न्या.द्वारा कार्यवाही न किए जाने के कारण 37.40 लाख रु चार वर्षों से भी अधिक समय तक अवरूद्ध रहे इसके अतिरिक्त 26.93 लाख रु के ब्याज की भी हानि हुई। इसके अलावा बैंक गारंटी के बदले क्षतिपूर्ति-बंधपत्र की स्वीकृति के कारण भी क.प.न्या. के पास अनुबन्ध की शर्तों की पूर्ति न होने पर क्षतिपूर्ति करवाने का कोई विकल्प नहीं रहा। इसके अतिरिक्त आनम्य सर्वेक्षण जलयान के अभाव में नेमी सर्वेक्षण कार्य भी खतरे में था।

क.प.न्या. ने अगस्त 1997 में बताया कि ठेके को समाप्त करने की कार्यवाही प्रारंभ की जा रही थी तथा सा.क्षे.उ. को भुगतान-योग्य बकाया बिलों से पेशगी की वसूली की जानी थी। तथापि सच यह है कि ठेके में सा.क्षे.उ. को भुगतान-योग्य बकाया बिलों से पेशगी की वसूली करने का कोई प्रावधान नहीं था

तथा आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी। मंत्रालय ने भी क.प.न्या. के उत्तर का समर्थन किया (अक्टूबर 1997)।

34 प्राप्य राशि की वसूली न होना

कलकत्ता पत्तन न्यास (क.प.न्या.) ने मासिक किराए के आधार पर नगर कर सहित 1221.54 रु मासिक किराए पर स्कैप इकट्ठा करने के लिए एक भूखण्ड जनवरी 1972 में एक निजी फर्म को आबंटित किया। फर्म ने मार्च 1973 से किराए के भुगतान में चूक की, जिस पर क.प.न्या.ने फर्म को जून 1973 तक भूखण्ड को खाली करने का निदेश देते हुए अप्रैल 1973 में निष्कासन-नोटिस जारी किया। तथापि, फर्म ने किराए का भुगतान किए बिना भूमि पर कब्जा जारी रखा।

जुलाई 1974 में क.प.न्या. ने निष्कासन तथा किराए और क्षतियों की वसूली के लिए जिला न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया। दिसम्बर 1990 में प्राप्त न्यायालय के आदेश ने क.प.न्या. को मार्च से जून 1973 तक 1221.54 रु प्रति मास की दर पर किराए तथा जुलाई 1973 से अगस्त 1974 तक की अवधि के लिए 18000 रु की राशि की वसूली की अनुमति प्रदान कर दी। न्यायालय ने आगे क.प.न्या. को सितम्बर 1974 से खस का कब्जा लेने की तिथि तक क्षतियां वसूल करने का निदेश दिया जिसके लिए यदि फर्म आदेश की तिथि से 60 दिन के अन्दर भूमि का खस कब्जा देने में चूक करती है तो क.प.न्या. निर्णय को लागू करवाने के लिए न्यायालय के पास जाने के लिए स्वतंत्र था। फर्म ने अक्टूबर 1997 तक भूमि का खस कब्जा नहीं दिया था।

क.प.न्या. ने सितम्बर 1991 में निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त की। तत्पश्चात् यह देखा गया था कि निर्णय के संशोधन हेतु याचिका न्यायालय में दायर की जानी अपेक्षित थी क्योंकि निर्णय को तैयार करने में कुछ त्रुटियां रह गई थी। तथापि, क.प.न्या. ने मई 1997 में जा कर संशोधन याचिका दायर की। निर्णय संशोधित नहीं किया गया था तथा अक्टूबर 1997 तक उसे लागू नहीं किया गया था।

संशोधन याचिका को दायर करने में पांच वर्ष से अधिक के विलम्ब तथा परिणामतः निर्णय लागू न होने के कारण क.प.न्या. न्यायालय के आदेश के छः वर्ष के पश्चात् भी भूमि का खस कब्जा नहीं ले सका, अगस्त 1974 तक बकाया

किराया एकत्र नहीं कर सका तथा सितम्बर 1974 से क्षतियों की वसूली के लिए अलग से कार्यवाही नहीं कर सका।

न्यायालय के आदेशानुसार फर्म से पुरानी दरों पर बकाया, किराया क्षतियों तथा नगर कर की वसूली-योग्य राशि मार्च 1997 तक 6.91 लाख रु बनती थी। चूंकि फर्म ने किराए के भुगतान में चूक की थी, किराया-अनुसूची में निहित प्रावधानों के अनुसार किराए की बकाया राशि पर ब्याज का भी भुगतान किया जाना था। बकाया किराए, क्षतियां तथा नगर कर पर भुगतान योग्य ब्याज 11.16 लाख रु बनता था।

क.प.न्या.ने अप्रैल 1973 से कई बार किराए की दरें बढ़ाई, परन्तु वह बढ़े हुए किराए पर भुगतान हेतु न्यायालय के आदेश प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि वह बढ़े हुए किराए के दावे के समर्थन में संबंधित गजट अधिसूचनाएं दायर नहीं कर सका। इसके परिणामस्वरूप मई 1997 तक 25.32 लाख रु देय किराए की राशि वसूल नहीं की गई।

इस प्रकार, सामयिक तथा समुचित कार्यवाही के अभाव के कारण, क.प.न्या. 43.39 लाख रु के योग के किराए के बकाया, क्षतियां, बढ़ा हुआ किराया तथा ब्याज तथा बढ़िया क्षेत्र में भूखण्ड का खस कब्जा प्राप्त नहीं कर सका।

क.प.न्या.ने जून 1997 में बताया कि वह न्यायालय द्वारा निर्णय के संशोधन के पश्चात् ही निष्पादन कार्यवाही प्रारंभ करेगा तथा भूमि का खस कब्जा लेने के पश्चात् ही क्षतियों की वसूली के लिए अलग से कार्यवाही करेगा। मंत्रालय ने क.प.न्या. के उत्तर का समर्थन किया (अगस्त 1997)।

चेन्नई पत्तन न्यास

35 आन्तरिक बन्दरगाह में बर्थ को पट्टे पर देते समय दिखाए गए पक्षपात के कारण हानि

खुली निविदाओं के आधार पर चेन्नई पत्तन न्यास (चे.प.न्या.) ने भारती गोदी पर कंटेनर टर्मिनल में फर्म 'ख' को 200 मी.बर्थ का पट्टा दिसम्बर 1994 में दिया जिसने 90000 ट्वेन्टी इक्वेटिड यूनिट्स (टी ई यू) प्रतिवर्ष की अधिकतम गारंटी उद्धृत की।

कंटेनर टर्मिनल में फर्म 'ख' को बर्थ के आबंटन हेतु चे.प.न्या.के न्यासी बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करते समय, चेयरमेन, चे.प.न्या. ने बताया (नवम्बर 1994) कि निर्यात वृद्धि की उच्च श्रेणी को देखते हुए तथा कंटेनर टर्मिनल की रेंजिंग समस्याओं पर काबू पाने के लिए उपर्युक्त निविदा में भाग लेने वाली समस्त पांचों लाईनों को यह बताने का विकल्प दिया गया था कि वे अपने संभरक जहाज पश्चिमी घाट I तथा II (प.घा. I तथा II) में चलाएंगे अथवा कंटेनर टर्मिनल के मामले में विनिर्दिष्ट शर्तों पर ही चे.प.न्या. द्वारा आबंटित किसी अन्य बर्थ पर चलाएंगे। चेयरमेन चे.प.न्या. ने भी फर्म 'एक्स'; जिसने दिए गए विकल्प का उत्तर दिया था तथा निविदा में 50,000 टी.ई.यू. प्रतिवर्ष के न्यूनतम थ्रूपुट की गारंटी दी थी, को प.घा. I तथा II पर 200 मी. ट. का बर्थ आबंटित करने के लिए न्यासी-बोर्ड का अनुमोदन मांगा था। न्यासी-बोर्ड ने प्रस्तावों की जांच हेतु बनाई गई उप-समिति की सिफारिशों के आधार पर चेयरमेन के प्रस्तावों का अनुमोदन किया (दिसम्बर 1994)। परिणामस्वरूप फर्म 'एक्स' को 25 सितम्बर 1995 से दो वर्ष की अवधि के लिए प.घा. I तथा II का पट्टा दे दिया गया था।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि यद्यपि चेयरमेन ने यह दावा किया था कि निविदा में भाग लेने वाली सभी 5 फर्मों को समान अवसर दिए गए थे तथा केवल फर्म 'एक्स' ने ही प्रस्ताव का उत्तर दिया था, चे.प.न्या. की फर्म 'एक्स' तथा फर्म 'बी' के साथ हुई चर्चा के कार्यवृत्त से ज्ञात हुआ कि फर्म 'बी' को प. घा. I तथा II का पट्टा प्रस्तावित नहीं किया गया था। चे.प.न्या. ने अन्य निविदाकर्ताओं के साथ हुई चर्चा को रिकार्ड नहीं किया था।

आगे, फर्म 'एस', जिसने निविदा में 75600 टी.ई.यू. प्रति वर्ष के न्यूनतम थ्रूपुट का प्रस्ताव दिया था, ने फरवरी 1995 में बताया कि नवम्बर 1994 में हुई चर्चा के दौरान उसे आन्तरिक बन्दरगाह (प.घा. I तथा II) में बर्थ का प्रस्ताव नहीं दिया गया था, यद्यपि सितम्बर 1994 में हुई पूर्व चर्चा के दौरान उसने आन्तरिक बन्दरगाह में बर्थ के आबंटन हेतु अपनी सहमति व्यक्त की थी।

प्रतियोगी प्रस्तावों को प्राप्त करने अथवा सभी निविदाकारों को समान अवसर प्रदान करने में चे.प.न्या. की विफलता के फलस्वरूप फर्म 'एस' द्वारा गारन्टित न्यूनतम थ्रूपुट के आधार 1.38 करोड़ रु प्रति वर्ष की हानि हुई।

मामला मंत्रालय को जून 1997 में भेजा गया था; उनका उत्तर जनवरी 1998 तक प्रतीक्षित था।

36 चुंगी की गैरवसूली

चेन्नई पत्तन न्यास (चे.प.न्या.) तथा दक्षिणी रेलवे के बीच 1987 में किए गए कार्य-अनुबंध की धारा 9(ख) के अनुसार, क.प.न्या. समस्त विनिमय यातायात पर प्रति मास एक ओर की चुंगी को प्राप्त करने का हकदार था। दावा, चे.प.न्या. द्वारा एजेंटों से प्राप्त अथवा आवक/जावक माल पर चे.प.न्या. द्वारा जारी रेलवे रसीदों के आधार पर प्रस्तुत किया गया था।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि मासिक दावे का एक भाग दक्षिणी रेलवे द्वारा विभिन्न कारण दशति हुए जैसे:माल का प्राप्त न होना, इनवाइस का प्राप्त न होना आदि, से अनुमत नहीं किया गया था। इस तथ्य के बावजूद कि रेलवे रसीदें, जो कि दावा प्रस्तुत करने का मूल अभिलेख थी, चे.प.न्या. के पास उपलब्ध थी, 1993-97 की अवधि के दौरान (सितम्बर 1996 तक) इस प्रकार अनुमत न की गई राशि 1.84 करोड़ रु बनती थी। दक्षिणी रेलवे की आपत्तियों के निपटान हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए थे।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने अक्टूबर 1997 में बताया कि दावों के लिए रेलवे रसीद ही मूल अभिलेख थी, परन्तु दक्षिणी रेलवे ने गंतव्य स्टेशनों अथवा बुकिंग रेलवे से प्राप्त विवरण में विलम्ब अथवा विसंगति होने पर भी दावों के लिए अन्धाधुन्ध इन्कार कर दिया था। लेखापरीक्षा आपत्ति तथा लोक सभा की लोक लेखा समिति, जिसने जुलाई 1997 में पत्तन न्यास की कार्य-प्रणाली का पुनरीक्षण किया था, की अभ्युक्तियों के आधार पर 1993-97 के दौरान इन्कार किए गए 1.84 करोड़ रु में से 1.40 करोड़ रु दक्षिणी रेलवे को देय भाड़ा-प्रभारों में से वसूल कर लिए गए थे।

इस प्रकार पत्तन की राशि को वसूल करने में कार्यवाही करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप 53.41 लाख रु के ब्याज की हानि हुई। इसके अतिरिक्त,

भविष्य में इस प्रकार के दावों को इन्कार करने की पुनरावृत्ति से बचने के लिए दक्षिणी रेलवे के साथ कोई प्रणाली विकसित नहीं की गई थी।

कोचीन पत्तन न्यास

37 डिब्बा रखने के अहाते के विलम्बित उपयोग तथा पट्टा किराये के घटी दरों पर उद्ग्रहण के कारण राजस्व की हानि

कोचीन पत्तन न्यास (को.प.न्या.) के लिए खाली डिब्बों के संचालन तथा अन्तर्देशीय डिब्बा डिपो (अ.डि.डि) के डिब्बों के भण्डारण के लिए डिब्बा रखने के अहाते का निर्माण कार्य 2.36 करोड़ रु की लागत पर दिसम्बर 1992 में पूरा हुआ था। क्योंकि रेलवे लाईन के पुनः पंक्तिबद्ध करने तथा सीमा शुल्क विभाग द्वारा अहाते को “बंध्यित क्षेत्र” घोषित करने में विलम्ब हुआ था, न्यासी बोर्ड (न्या.बो.) ने अस्थायी उपाय के रूप में क्षेत्र को खाली डिब्बों के भण्डारण हेतु 400 रु प्रति 10 व.मी. प्रति माह या इसके भाग के लिए, प्राइवेट पार्टियों को किराये पर देने का सुझाव दिया (सितम्बर 1993)। तथापि मई-जुलाई 1995 के दौरान 29280 व.मी. के माप का क्षेत्र नौ पार्टियों को ग्यारह माह की अवधि के लिए 20 रु प्रति व.मी. (21590 व.मी.) तथा 15 रु प्रति व.मी. (7690 व.मी.) की दर पर पट्टे पर दे दिया गया। क्षेत्र का पट्टा घटी दर पर देने के परिणामस्वरूप जुलाई 1995 से जून 1996 तक की अवधि के लिए 74.89 लाख रु की हानि हुई।

को.प.न्या. ने नवम्बर 1996 में बताया कि घटी दरें न्या.बो. द्वारा बाद में अनुमोदित कर दी गई थी। उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि न्या.बो. ने केवल 1 जुलाई 1996 से ही 200 रु प्रति 10 व.मी. की घटी दरों को लागू करने का निर्णय लिया था (जून 1996) तथा इस प्रकार 400 रु प्रति 10 व.मी. की मूल दर जुलाई 1996 से पूर्व की अवधि के लिए लागू थी। मंत्रालय ने अक्टूबर 1997 में बताया कि अं.क.डि. में खाली कन्टेनरों का भण्डारण करने तथा ऐसे घाटों के समीप वाटर फ्रन्ट क्षेत्रों से लगते हुए कन्टेनर पार्किंग यार्डों को खाली करने के लिए परिचालकों को राजी करने हेतु दरें घटाई गई थीं जिनकी आयातित भारी सामग्री के भण्डारण के लिए जरूरत थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पत्तन सुविधाओं का लाभ उठाने वालों को संतुष्ट करने के लिए प्रयोक्ता प्रभार तदनुकूल नहीं होने थे बल्कि यह निर्धारित करने के लिए थे कि ऐसी सुविधाओं पर निवेशित

पूँजी पर आर्थिक प्रतिफल सुनिश्चित किया जा सके और पत्तन राजस्व को बढ़ाया जा सके। इसके अतिरिक्त, सितम्बर 1993 में न्या. बो. द्वारा स्वीकृत 400 रु प्रति 10 व.मी. की दर समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी मार्ग निर्देशनों के अनुसार निकाला गया था।

लेखापरीक्षा में आगे यह देखा गया कि यद्यपि निर्माण कार्य दिसम्बर 1992 में पूरा हो गया था तो भी इसके प्रभावी उपयोग पर नीति निर्णय लेने/लागू करने में विलम्ब के कारण अहाता जनवरी 1993 से अप्रैल 1995 तक 28 माह की अवधि तक बिना उपयोग पड़ा रहा। मंत्रालय ने अक्टूबर 1997 में बताया कि एर्नाकुलम घाट पर अ.डि.डि. के निरन्तर संचालन हेतु दबाव के कारण कर्मचारियों की भर्ती करने में श्रमिक विवाद होने के कारण नए स्थान पर अ.डि. डि. का संचालन आरम्भ नहीं किया जा सका तथा विद्यमान पट्टेधारियों द्वारा अ. डि.डि. को डिब्बा भण्डारण अहाता के रूप में उपयोग करने के लिए किये गए प्रस्ताव में भी विलम्ब हुआ क्योंकि किराया निर्धारित करने तथा लाइसेंस धारियों को सुविधा प्रदान करने में विलम्ब हुआ था।

बकाया श्रम समस्याओं के निपटाने, प्रशासनिक औपचारिकताओं को पूरा करने तथा पट्टे को अंतिम रूप देने में अत्यधिक विलम्ब के परिणामस्वरूप को प. न्या. को राजस्व की भारी हानि हुई। यदि जनवरी 1993 से दिसम्बर 1993 तक की एक वर्ष की अवधि भी वांछित औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए दी जाती तो पार्क करने के अहाते को जनवरी 1994 से पट्टे पर देकर उपयोग में लाया जा सकता था। 29280 व.मी. के लिए 400 रु प्रति 10 व.मी. की दर पर जनवरी 1994 से अप्रैल 1995 की अवधि के लिए पट्टे किराये की हानि 1.87 करोड़ रु बनती थी।

मामला मंत्रालय को जुलाई 1997 में भेजा गया था; जनवरी 1998 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

38 दो बोलाई कर्षणावों की अधिप्राप्ति

कोचीन पत्तन न्यास ने 8.06 करोड़ रु प्रति कर्षणाव की लागत पर दो ट्रैक्टर प्रणोदन कर्षणावों की आपूर्ति के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के उपक्रम को अक्टूबर 1991 में आदेश दिये। दो कर्षणावों का उद्देश्य, विद्यमान उन दो कर्षणावों को बदलना था जिनकी मितव्ययी अवधि समाप्त हो चुकी थी। नई

कर्षनावें कोची में क्रमशः अप्रैल 1993 तथा जुलाई 1993 में सुपुर्द व प्रवाहित की जानी थी। पहली कर्षनाव अगस्त 1995 में सुपुर्द की गई तथा चालू की गई थी। दूसरी कर्षनाव जनवरी 1998 तक चार वर्ष के अन्तराल के पश्चात् भी सुपुर्द नहीं की गई थी।

यद्यपि करार में प्रत्येक चरण के पूरा होने पर नौ चरणों में भुगतान की व्यवस्था थी, जून 1993 तथा जनवरी 1995 के बीच चार अवसरों पर को.प. न्या. ने अपनी वित्तीय चरमराहट को पार करते हुये फर्म को 2.83 करोड़ रु के अग्रिम भुगतान किये। चूंकि अग्रिम अदायगियां चार अपूर्ण चरणों से सम्बद्ध थी इसलिये को.प.न्या. के न्यासी बोर्ड (न्या.बो.) ने दो अग्रिमों (2.27 करोड़ रु) पर बैंक दर पर ब्याज उगाहने तथा शेष दो अग्रिमों (55.60 लाख रु) पर 12 प्रतिशत ब्याज उगाहने का निर्णय लिया। पहले सुपुर्द की गई कर्षनाव के लिए अग्रिमों के सम्बन्ध में देय ब्याज की राशि 88 लाख रु थी। न्या.बो. ने पहले दो अग्रिमों के सम्बन्ध में देय ब्याज के 50 प्रतिशत अर्थात् 42.86 लाख रु की राशि को छोड़ देने का निर्णय लिया (जनवरी 1996)। चूंकि को.प.न्या. की अपनी पूंजीगत परियोजनाएं उधार ली गई निधियों से वित्त पोषित थी इसलिये 42.86 लाख रु के ब्याज को छोड़ देना उसके हितों के विरुद्ध था।

लोक उद्यम ब्यूरो द्वारा अक्तूबर 1983 में जारी तथा जून 1991 में भारत सरकार (भा.स.) द्वारा पुनरावृत्त किये गए अनुदेशों के अनुसार अविलम्ब सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित अथवा करार के अन्तर्गत बढ़ाई गई अवधि में करार के निष्पादन में विफल रहने पर, क्रय करारों में निर्धारित जुमनि (नि.जु.) के लिए उपयुक्त प्रावधान किया जाना चाहिए। अनुमोदित विशिष्टाओं तथा सुपुर्दगी अनुसूची के उल्लंघन के लिए करार के मूल्य की 15 प्रतिशत तक की शास्ति तथा विलम्ब के लिए प्रति सप्ताह के 0.5 प्रतिशत तथा करार मूल्य के 5 प्रतिशत तक की सीमा तक के निर्धारित जुमनि का प्रावधान किया जाना चाहिए। तथापि, को.प. न्या. ने करार के निष्पादन में विलम्ब के लिए निर्धारित जुमनि को, पूरे न किये गए हिस्से के करार मूल्य हेतु प्रति सप्ताह अथवा उसके भाग के लिए एक प्रतिशत तथा अधिकतम 10 प्रतिशत तक सीमित करते हुये एक संशोधित धारा समाविष्ट कर दी। चूंकि पहली कर्षनाव की सुपुर्दगी में 28 माह का विलम्ब हुआ

था, आपूर्तिकर्ता से 28.21 लाख रु के निर्धारित जुमनि की वसूली की गई थी। यदि निर्धारित जुमनि की उगाही के बारे में भा.स. के निदेशों का पालन किया जाता जैसा कि अन्य पत्तन न्यासों जैसे न्या.म.प.न्या. तथा तूतीकोरन ने अपनाया है तो 80.60 लाख रु के निर्धारित जुमनि की वसूली की जा सकती थी।

मंत्रालय ने दिसम्बर 1997 में बताया कि 50 प्रतिशत ब्याज इसलिए छोड़ा गया था ताकि फर्म को वित्तीय सहायता मिल सके जिसके बगैर वह करार से मुकर गया होता जिससे फर्म के जोखिम व लागत पर को.प.न्या. द्वारा करार को रद्द करने पर मजबूर होना पड़ता और शेषकार्य वैकल्पिक एजेन्सी द्वारा कराना होता जिसके कारण अपेक्षाकृत अधिक लागत तथा अन्य कानूनी समस्याएं आती यह भी बताया गया कि लोक उद्यम ब्यूरो द्वारा जारी अक्टूबर 1983 के निर्देश जून 1991 में जारी परिपत्र के प्राप्त होने तक को.प.न्या. को ज्ञात नहीं थे और यह कि यदि अपेक्षाकृत अधिक प.क्ष. पर जोर दिया जाता तो करार मूल्य उसी के अनुरूप ऊंचे होते उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि मात्र इस पूर्वानुमान पर कि मानक धारा के शामिल होने की स्थिति में उद्धृत दरें ऊंची होंगी और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नीतिगत निर्देशों की जानकारी नहीं होने के कारण भा.स. के निर्देशों का पालन नहीं हुआ, का कोई औचित्य नहीं था। इसके अतिरिक्त, चूंकि फर्म को इस शर्त पर अग्रिम भुगतान किया गया था कि कर्जों पर उधार दर प्रभारित किया जाएगा, प्राप्य ब्याज पर रियायत देना फर्म को अनभिप्रेत लाभ पहुंचाना था।

इस प्रकार, भा.स. द्वारा अनुबद्ध प.क्ष. की धारा को न अपनाने तथा विभिन्न चरणों में कार्य पूरा होने से पहले ही अग्रिम भुगतान पर ब्याज को छोड़ देने के कारण फर्म को 95.25 लाख रु का अनभिप्रेत लाभ हुआ।

39 राजस्व की हानि

दिसम्बर 1991 में, भारत सरकार ने जहाज संबंधी प्रभारों को यू.एस. डॉलरों की शर्तों के अनुसार अधिसूचित करने तथा उन्हें जहाज के आगमन की तिथि से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित दरों पर भारतीय रूपयों के समान संग्रहीत करने का निर्णय लिया था। कोचीन पत्तन न्यास (को.प.न्या.) जुलाई 1992 से उसी के अनुसार ही जहाज संबंधी प्रभार संग्रहण कर रहा था तथा

जहाज संबंधी प्रभार, यू.एस. डॉलरों के बाजार विक्रय-दर के समान भारतीय रूपयों में संग्रहीत किए जा रहे थे। तथापि स्टीमर एजेंटों ने, यह कहते हुए कि जब प्रेषण विदेशी जहाज मालिकों से यू.एस. डॉलर में प्राप्त होने थे तो प्राप्तकर्ता बैंक 40 प्रतिशत सरकारी भा.रि.बैं. दरों तथा 60 प्रतिशत बाजार दरों पर परिवर्तित करते थे, बाजार विक्रय दर पर प्रभारों के संग्रहण का विरोध किया। एकल विनिमय दर प्रणाली पर भारतीय रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता के प्रारंभ होने पर, भूतल परिवहन मंत्रालय ने जहाज के आगमन की तिथि पर प्रचालित बाजार-क्रय दर पर भारतीय रुपये के समान जहाज संबंधी प्रभारों के परिवर्तन करने का निदेश दिया (अप्रैल 1993)। 3 अप्रैल 1993 से जहाज संबंधी प्रभार उसी के अनुसार ही वसूल किए जा रहे थे।

जहाज संबंधी प्रभारों को यू.एस. डॉलरों में अधिसूचित करने तथा उन्हें समान भारतीय रूपयों में संग्रहीत करने का भारत सरकार का निर्णय रुपये के अवमूल्यन के कारण राजस्व में होने वाली गिरावट को रोकना था। यू.एस. डॉलरों में दरों को अधिसूचित करना तथा उन्हें भारतीय रूपयों में संग्रहीत करना, यू.एस. डॉलरों को जहाज संबंधी प्रभारों को प्राप्त करने तथा यू.एस. डॉलरों को भारतीय रूपयों में बेचने के समान होगा। अतः यू.एस. डॉलरों का समान भारतीय रूपयों में परिवर्तन बाजार क्रय दर के बजाए बाजार विक्रय दर को अपना कर ठीक प्रकार से किया जाना चाहिए था। बाजार विक्रय दर, जो कि बाजार क्रय दर से 30 पैसे प्रति डॉलर से अधिक थी, पर गणना करते हुए 1993-97 वर्षों के दौरान को.प. न्या. द्वारा उठाई गई राजस्व की हानि 73.93 लाख रु थी।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने मार्च 1997 में बताया कि बाजार क्रय दर के बजाए बाजार विक्रय दर पर प्रभारों की वसूली से पत्तन की राजस्व आय को बढ़ाया जा सकता था तथा उसने यह भी बताया कि उसने वित्त मंत्रालय के साथ यह मामला उठा रखा था।

40 प्रयोक्ता भाड़ें का संशोधन करने में विफलता के कारण राजस्व की हानि

केवल उर्वरक तथा रसायन ट्रावनकोर लिमिटेड (उ.त.र.ट्रा.), एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, द्वारा प्रयोग किए गए उर्वरक बर्थ (क्यू 10) से संबंधित

बर्थ भाड़ा, कोचीन पत्तन न्यास (को.प.न्या.) द्वारा 24 मई 1994 से चालू किए गए बर्थों से संबंधित प्रयोक्ता भाड़े के आवधिक संशोधन के दौरान नहीं बढ़ाया गया था। चूंकि क्यू 10 से संबंधित बर्थ भाड़े का पिछला संशोधन 1 जून 1991 से किया गया था, अतः अगस्त 1990 में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, उसका संशोधन जून 1994 तक होना था। जून 1995 में लेखापरीक्षा द्वारा इस त्रुटि के बताए जाने पर, को.प.न्या. ने तटवर्ती तथा विदेशी दोनों जहाजों पर लागू 2 रु से 2.65 रु प्रति सकल पंजीकृत टनभार (जी.आर.टी.) प्रति दिन बर्थ भाड़ा 11 अप्रैल 1996 से बढ़ा दिया।

मई 1994 से प्रारम्भ किए गए अन्य बर्थों से संबंधित संशोधन के साथ-साथ उर्वरक बर्थ का भाड़ा संशोधित करने में विफलता के परिणामस्वरूप जून 1994 से मार्च 1996 की अवधि के लिए 72.34 लाख रु के राजस्व की हानि हुई।

को.प.न्या. ने बताया (मार्च 1997) कि क्यू 10 बर्थ, कोचीन पत्तन में अन्य बर्थों से भिन्न, ऊ.त.र.द्रा. को समर्पित किया गया था तथा अवस्थापना एवं घाट सुविधाओं पर पूंजीगत निवेश उ.त.र.द्रा. द्वारा स्वयं ही किया गया जबकि अन्य बर्थों में अवस्थापना सुविधाएं को.प.न्या. द्वारा स्थापित की गई थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि क्यू 10 बर्थ का अनुरक्षण भी को.प.न्या. द्वारा ही किया जा रहा था तथा भारत सरकार द्वारा अनुशंसित त्रिवार्षिक संशोधन, को.प.न्या. द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की लागत में वृद्धि को पूरा करने के लिए अभिप्रेत था। इसके अतिरिक्त पत्तन दर-सूची का आवधिक संशोधन, अवस्थापना के निवेश/प्रावधान अथवा परिचालन संभारतंत्र के प्रोत्साहन में स्थापना के कारण किसी प्राधिकृत स्थिति की परवाह किए बिना सभी पत्तन प्रयोक्ताओं पर लागू था तथा इस आशय का कोई अनुबंध नहीं किया गया था तथा उसका न्यासी-बोर्ड द्वारा अनुमोदन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त 1991 में बर्थ भाड़ा नियत करते समय निवेश की गई पूंजी, अनुरक्षण, तलकर्षण आदि की आनुपातिक वार्षिक लागत भी निकाली गई थी जिसने प्रत्याशित घाटे को पूरा करने के लिए आवधिक उर्ध्वगामी संशोधन की आवश्यकता को रेखांकित किया।

मंत्रालय ने अक्टूबर 1997 में बताया कि अन्य बर्थों की तुलना में क्यू 10 बर्थ का उपयोग अपेक्षाकृत अधिक था तथा उर्वरक द्वारा अर्जित राजस्व, उस बर्थ

की लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि संचालित नौभार/यातायात का महत्व तथा अर्जित किया गया अधिक राजस्व, जून 1994 से क्यू 10 बर्थ के भाड़े का संशोधन न करने के वैध आधार नहीं थे।

41 विस्तार प्रदान करने में चूक के कारण हानि

कोचीन पत्तन न्यास (को.प.न्या.) ने रेलवे यार्ड, अंतर्विष्ट पार्किंग यार्ड, कार्यशाला तथा पूर्ण विकसित कटेनर टर्मिनल के लिए अन्य सुविधाओं का कार्य 3.45 करोड़ रु की लागत पर एक ठेकेदार को सौंपा (नवम्बर 1989) जिसे पूरा करने की निर्धारित तिथि 15 दिसम्बर 1990 थी। पूरा करने की तिथि, मूल अनुबन्ध की ही दरों तथा शर्तों पर 31 दिसम्बर 1992 तक विभिन्न अवसरों पर पांच बार बढ़ाई गई थी। तथापि, विस्तार प्रदान करते समय, कार्य को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। कार्य दिसम्बर 1992 में पूरा किया गया था।

संविदात्मक विवाद उत्पन्न होने पर, मामला अगस्त 1992 में मध्यस्थ निर्णय हेतु भेज दिया गया था। निर्णायक ने अनुबंध की मूल अवधि से परे स्टील तथा सीमेंट की लागत में वृद्धि के प्रति 10.21 लाख रु जमा भुगतान की तिथि तक उस पर 15 प्रतिशत ब्याज के भुगतान हेतु दावेदार की मांग को मंजूर करते हुए अपना निर्णय पारित कर दिया (दिसम्बर 1992)। को.प.न्या. ने निर्णय को स्वीकार कर लिया तथा ठेकेदार को ब्याज सहित 14.84 लाख रु का भुगतान कर दिया (मई 1995)। अनुबंध के विलम्बित निष्पादन के लिए प्रतिपूर्ति के प्रति को.प.न्या. का दावा (34.46 लाख रु) निर्णायकों द्वारा अनुबंध की दरों, शर्तों में बिना किसी परिवर्तन के विस्तार की अनुमति प्रदान करने, कार्य को पूरा करने के लिए समुचित समय नियत करके समय को अनुबन्ध का तत्व न बनाने तथा क्षतिपूर्ति के उद्ग्रहण के लिए कारण बताओं नोटिस जारी न करने के आधार पर रद्द कर दिया गया था।

इस प्रकार दोषपूर्ण/अस्पष्ट विस्तार आदेशों तथा समय की बरबादी के लिए अनुबन्ध की शर्तों को लागू करने में विफलता के परिणामस्वरूप 49.30 लाख रु की हानि हुई।

मंत्रालय ने अक्टूबर 1997 में बताया कि अनुबंध के विलम्बित निष्पादन हेतु क्षतिपूर्ति की उगाही, को.प.न्या. द्वारा अपने कानूनी सलाहकार के परामर्श से तैयार की गई थी। तथापि, यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि विस्तार करने की अनुमति देते समय तथा निर्धारित हानि की उगाही करते समय, जैसा कि निर्णायकों ने कहा था, समय को अनुबंध का तत्व बनाने वाली समुचित प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गई थी।

42 किराए के गलत निर्धारण के कारण हानि

2.20 एकड़ अनुबद्ध भू-सम्पत्ति सहित मालाबार होटल आरंभ में कोयम्बटूर स्थित फर्म को 9 जुलाई 1969 से 8 जुलाई 1979 तक 10 वर्षों के लिए तथा बाद में 9 जुलाई 1979 से 8 जुलाई 1989 तक और 10 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर दिया गया था। विस्तारित अवधि के दौरान पट्टाधिकार 9 जुलाई 1989 से 7 वर्षों की आगे की अवधि के नवीकरण के अधिकार सहित चेन्नई स्थित कम्पनी को हस्तांतरित कर दिया गया था। तदनुसार, पट्टाधारी ने अपने पट्टे का 9 जुलाई 1989 से 8 जुलाई 1996 तक 7 वर्षों के लिए नवीकरण करने का अनुरोध किया, बोर्ड ने अक्टूबर 1989 में अनुरोध स्वीकार कर लिया और 12.77 लाख रु प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक पट्टा किराया नियत किया।

इसी बीच, पट्टाधारी ने जनवरी 1992 में अप्रैल 1992 से आरंभ होने वाले 30 वर्षों के लिए एक दीर्घकालीन पट्टे हेतु एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसको को.प.न्या. द्वारा फरवरी 1992 में अनुमोदित किया गया तथा मंत्रालय को अनुमोदनार्थ भेज दिया गया। तथापि, मंत्रालय ने प्रस्ताव में आंशिक संशोधन कि वर्तमान पट्टे (9 जुलाई 1989 से 8 जुलाई 1996 तक) को 31 मार्च 1992 को समाप्त कर दिया जाए तथा 1 अप्रैल 1992 से 30 वर्षों की अवधि के लिए एक नया पट्टा निष्पादित किया जाए, करते हुए उसका अनुमोदन कर दिया (सितम्बर 1992)। मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल 1992 से अनुमोदित पट्टा-किराया पट्टा- अवधि के अंत तक प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि के बाद 25 प्रतिशत उर्ध्वगामी संशोधन सहित 18.62 लाख रु प्रति वर्ष था।

तदन्तर, मार्च 1995 में (9 जुलाई 1989 से 31 मार्च 1992 की पट्टा- अवधि के लिए) तथा जून 1995 में (1 अप्रैल 1992 से आरंभ होने वाले 30 वर्षों

के पट्टे के लिए) दो पट्टा विलेख औपचारिक रूप से निष्पादित किए गए थे। यद्यपि 1 अप्रैल 1992 से आरंभ हुए 30 वर्षों के पट्टे के लिए 18.62 लाख रु की दर पर वार्षिक पट्टा किराए के परिकलन हेतु 75 प्रतिशत पर अधिभार की सही प्रतिशतता को लेखे में लिया गया था, 9 जुलाई 1989 से 31 मार्च 1992 की अवधि के लिए वार्षिक पट्टा-किराए का निर्धारण करने के लिए वर्तमान किराया दर पर केवल 20 प्रतिशत अधिभार को ही लिया गया था।

9 जुलाई 1989 से मार्च 1992 की अवधि के लिए 18.62 लाख रु की बजाय 12.77 लाख रु प्रति वर्ष की दर पर किराए का निर्धारण करने के परिणामस्वरूप पत्तन न्यास को 15.98 लाख रु की हानि हुई।

को.प.न्या. ने बताया (अप्रैल 1996) कि मालावार होटल की भूमि तथा भवनों को पट्टे पर देने के प्रयोजन के लिए एक इकाई के रूप में लिया गया था तथा विलिंगडन द्वीप में भूमि को पट्टे पर देने के संबंध में किराए के नियतन तथा 75 प्रतिशत की दर पर अधिभार का उद्ग्रहण, जैसाकि दर-मान में निर्धारित था, लागू नहीं था क्योंकि मालाबार होटल को न्यास के दर-मान की सीमा के बाहर निविदाओं/चर्चा के आधार पर पट्टे पर दिया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि :

i) 1985 के दौरान कम्पनी के पक्ष में पट्टे का समनुदेशन तथा 9 जुलाई 1989 से 31 मार्च 1992 तक उसका नवीकरण तथा 1 अप्रैल 1992 से आरंभ दीर्घकालीन पट्टा खुली प्रतियोगी निविदाओं पर आधारित नहीं थे।

ii) अप्रैल 1992 से पट्टे के नवीकरण हेतु वार्षिक किराए (18.62 लाख रु) को 16 जुलाई 1982 से लागू 75 प्रतिशत के अधिभार को हिसाब में लेकर अंतिम रूप दिया गया था। चूंकि 9 जुलाई 1989 से 31 मार्च 1992 तक पट्टे का समय-विस्तारण, 30 वर्षों की आगे की अवधि के लिए जून 1995 में दीर्घकालीन पट्टे का निष्पादन करने से थोड़ा पहले, मार्च 1995 में किया गया था, इसलिए 2 प्रकार के अधिभारों (अर्थात् 20 प्रतिशत तथा 75 प्रतिशत) पर आधारित दो विभिन्न किराया-दरों का अपनाया जाना न्यायोचित नहीं था तथा असंगत था।

मंत्रालय ने को.प.न्या. के उपरिलिखित विचार को दोहराया (मार्च 1997)। तथापि 9 जुलाई 1989 से 75 प्रतिशत की दर पर अधिभार का उद्ग्रहण न करना बुद्धिमानी नहीं थी।

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास

43 घाट-शुल्क की वसूली न करने के कारण 8.23 करोड़ रु के राजस्व की हानि

तरल संचय भंडारण क्षेत्र में 'ख' श्रेणी के पेट्रोलियम उत्पादों के लिए भण्डारण सुविधाओं के सृजन की दृष्टि से जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (ज. ने.प.न्या.) ने 15000 वर्ग मी. भूमि तथा 4354 व.मी. की मार्ग अनुज्ञा फर्म 'क' को 10 वर्षों के लिए तथा 5215 वर्ग मी. की मार्ग अनुज्ञा सहित 40000 व.मी. 15 वर्षों के लिए फर्म 'ख' को क्रमशः मई 1992 तथा फरवरी 1994 में पट्टे पर दी।

फर्म क तथा ख ने सुविधाओं के निर्माण तथा प्रतिष्ठापन हेतु दी गई एक वर्ष की रियायत अवधि के समाप्त होने के पश्चात् ही क्रमशः मई 1993 तथा फरवरी 1995 में कार्य प्रारम्भ करने थे।

पट्टा अनुबंध के अनुसार, फर्म 'क' ने कार्य के पहले, दूसरे तथा तीसरे वर्ष में न्यूनतम 0.0375 मि.ट., 0.075 मि.ट. तथा 0.1125 मि.ट. का थ्रूपुट प्राप्त करना था जबकि फर्म 'ख' ने 0.5 मि.ट. प्रति वर्ष प्राप्त करना था, जिसमें विफल होने पर घाट-शुल्क के रूप में 75 रु प्रति मि.ट. की दर से पूरा करना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि मई 1993 से मई 1996 की अवधि के दौरान, फर्म 'क' ने न्यूनतम गारंटी किए गए 225000 मि.ट. के थ्रूपुट के प्रति 63513 मि.ट. का थ्रूपुट प्राप्त किया जबकि फर्म 'ख' ने 1000000 मि.ट. के प्रति 252955 मि.ट. प्राप्त किया जिसके कारण 161487 मि.ट. तथा 747045 मि.ट. की कमी हुई जिसके परिणामस्वरूप 1.21 करोड़ रु तथा 5.60 करोड़ रु का घाट-शुल्क आकृष्ट हुआ। इन फर्मों से 6.81 करोड़ रु का घाट-शुल्क तथा 1.42 करोड़ रु के ब्याज की हानि को वसूल करने के लिए कोई कार्यवाही, जैसे पट्टा

अनुबंध को रद्द करना, सेवाओं के लिए इन्कार करना तथा मुकदमा दायर करना, नहीं की गई थी।

इस प्रकार, घाट-शुल्क की वसूली न करने तथा उस पर ब्याज की हानि के परिणामस्वरूप 8.23 करोड़ रु के राजस्व की हानि हुई।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 1997 तथा जनवरी 1998) कि पत्तन न्यास द्वारा क्रमशः अक्टूबर 1994 तथा दिसम्बर 1994 में फर्म 'क' तथा 'ख' को आबंटन-पत्र जारी किए गए थे और सुविधाओं के निर्माण के लिए एक वर्ष की खाली अवधि भूमि को पार्टियों को सौंपने की तारीख से गिनने के बजाय उन्हीं तारीखों से गिनी गई थी। मंत्रालय ने आगे बताया कि फर्म 'क' का न्यूनतम प्रत्याभूत थ्रूपुट दिसम्बर 1991 में मंत्रालय के पत्र के संदर्भ में फर्म के अभ्यावेदन के अनुसार 37500 मि.ट.पुनः नियत किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भूमि पार्टियों को उनके विशिष्ट अनुरोध पर आबंटन से पहले सौंप दी गई थी और इसलिए एक वर्ष के खाली समय को भूमि के सौंपे जाने की तारीख से गिना जाना चाहिए था और घाट प्रभार फर्म 'क' तथा 'ख' को जारी आबंटन पत्र की क्रमशः धारा 6 व 7 के अनुसार वसूल किया जाना चाहिए था इसके अतिरिक्त फर्म 'क' के संबंध में आबंटन-पत्र की धारा 6 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम थ्रूपुट का पुनः नियतन अनुचित था क्योंकि पत्तन द्वारा जारी आबंटन पत्र काफी सोच विचार तथा मंत्रालय की संस्वीकृति के पश्चात् जारी किया गया था।

44 व्हील लोडरों की खरीद पर निष्फल व्यय

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (ज.ने.प.न्या.) ने भारी नौभार को उतारने की प्रक्रिया के अन्तिम चरण के दौरान जहाज के अन्दर के फलके से शेष नौभार को उठाने के उद्देश्य से 32.78 लाख रु की लागत पर नवम्बर 1988 में एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ.) से तीन व्हील लोडर खरीदे।

व्हील लोडर अप्रैल 1989 में चालू किए गए थे। तथापि, लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि नवम्बर 1991 तक लोडर क्रमशः 1164, 806 तथा 725 घण्टे के लिए प्रयोग किए गए थे तथा उसके पश्चात् इंजनों के रूप में अतिरिक्त

पुरजे उपलब्ध कराने में सा.क्षे.उ. की अक्षमता के कारण वे खाली रहे। पत्तन भी अपने प्रयासों से इंजन खरीद कर लोडरों की मरम्मत करने में असमर्थ था।

मंत्रालय ने नवम्बर 1997 में बताया कि उपस्कर के कम उपयोग के मुख्य कारण सा.क्षे.उ. द्वारा पुरजों की सुपुर्दगी हेतु दूरगामी समय, अतिरिक्त पुरजों की निषेधक लागत तथा स्वदेशी पुरजों की अनुपलब्धता तथा शुष्क भारी नौभार जहाजों के तेजी से बीतते समय के साथ सामंजस्य करने के लिए उपस्कर की अक्षमता के कारण मांग में कमी थी।

इस प्रकार, जिन लोडरों की अनुमानित कार्य-अवधि बीस वर्ष थी वे उनकी कार्य-अवधि के केवल 10 प्रतिशत के लिए ही इस्तेमाल किए गए थे तथा पत्तन चार वर्ष की अवधि के पश्चात् भी लोडरों का निपटान नहीं कर सका। अतिरिक्त पुरजों की उपलब्धता तथा उसकी उपयोगिता के रूप में उसकी अनुरक्षण सेवा सुनिश्चित किए बिना व्हील लोडरों की खरीद के परिणामस्वरूप 33.48 लाख रु का निष्फल व्यय हुआ।

45 परिसर किराए पर लेने पर निष्फल व्यय

कंटेनर यार्डों को नीलामी हेतु विसंकलित करने के लिए चिन्हित पुराने कंटेनरों में माल रखने अथवा निकालने के उद्देश्य से, जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (ज.ने.प.न्या.) ने जुलाई 1995 में एक सा.क्षे.उ. से 72 रु प्रति व.मी. प्रति मास के पट्टा किराए पर कंटेनर भाड़ा स्टेशन द्रोणागिरी नोड पर 7000 व.मी. का आवृत क्षेत्र किराए पर लिया।

आबंटन आदेशानुसार, उस क्षेत्र का निकाले गए माल जो कि स्कैप, रद्दी कागज, कार्बन ब्लॉक तथा खतरनाक रसायन न हों, को रखने के लिए उपयोग किया जाना था। ज.ने.प.न्या. द्वारा कब्जा अगस्त 1995 में लिया गया था।

6000 व.मी. क्षेत्र को लेने के पांच महीने से अधिक तक रखने तथा उसका 21.60 लाख रु का पट्टा किराया देने के पश्चात् पत्तन प्राधिकारियों ने यह महसूस किया कि नीलामी हेतु चुने गए अधिकतर कंटेनरों में वह सामग्री रखी गई थी जिसे पट्टा अनुबंध के उपबंधों के अनुसार रखने की अनुमति नहीं थी। पत्तन ने 6000 वर्ग.मी. किराए का क्षेत्र जनवरी 1996 में छोड़ दिया तथा रद्दी कागज, स्कैप आदि को रखने के लिए एक नए आवृत क्षेत्र का निर्माण किया। यह

मार्च 1996 तक तैयार हो गया था, परन्तु जून 1997 तक इसका उपयोग नहीं किया गया था तथा 1000 वर्ग मी. किराए के क्षेत्र प्रतिधारित भाग में रखा हुआ नौभार, विशेषकर पुराने कंटेनरों को रखने हेतु नव निर्मित भण्डारण स्थान पर शिफ्ट नहीं किया गया था जिससे अप्रैल 1996 से मार्च 1997 तक 1000 वर्ग मी. के प्रतिधारित क्षेत्र के लिए 8.64 लाख रु का किराया बचाया जा सकता था।

इस प्रकार अगस्त 1995 से मार्च 1997 की अवधि के दौरान ज.ने.प.न्या. ने किराए पर लिए गए क्षेत्र के पट्टा किराए के भुगतान पर 30.24 लाख रु का व्यय किया था। भण्डार में रखे जाने वाले नौभार के प्रकार का विश्लेषण किए बिना आवृत क्षेत्र को किराए पर लेने तथा उसका उपयोग न होने के परिणामस्वरूप 30.24 लाख रु का निष्फल व्यय हुआ तथा इसके अतिरिक्त उस पर ब्याज की हानि भी हुई।

मंत्रालय ने अक्टूबर 1997 में बताया कि पट्टे की अवधि के दौरान, 22 कंटेनरों के नौभार का निपटान कर दिया गया था तथा पत्तन ने 91.43 लाख रु का राजस्व वसूल कर लिया था। तथापि, मंत्रालय ने यह स्पष्ट नहीं किया कि ज.ने.प.न्या. 6000 वर्ग मी. का क्षेत्र पांच महीने तक तथा इसके बाद नया क्षेत्र तैयार होने के पश्चात् दूसरा 1000 वर्ग मी. क्षेत्र क्यों रखे रखा।

मॉरमुगाव पत्तन न्यास

46 अनवरत नौका विसर्जकों के असंतोषप्रद निष्पादन के कारण हानि

मॉरमुगाव पत्तन न्यास (मा.प.न्या.) ने 6.21 करोड़ रु की लागत पर नवम्बर 1988 में एक निजी फर्म को अनवरत नौका विसर्जक (अ.नौ.वि.) के डिजाईन, निर्माण, आपूर्ति, स्थापना तथा उसे चालू करने का कार्य सौंपा। 12 जुलाई 1990 की अनुसूचित समापन अवधि के प्रति, कार्य 68 सप्ताह के विलम्ब के पश्चात् 6.66 करोड़ रु की लागत पर वास्तव में 31 अक्टूबर 1991 को पूरा किया गया था।

25 लाख टन अयस्क प्रति वर्ष की संचालन क्षमता वाला अ.नौ.वि. नवम्बर 1991 में चालू किया गया था। अ.नौ.वि., द्वारा पहले से ही विद्यमान 8 ग्राह नौका विसर्जकों (ग्रा.नौ.वि.) द्वारा संचालित भार के अतिरिक्त न्यूनतम 10 लाख

टन लौह अयस्क प्रति वर्ष को संचालित किया जान अनुमानित था। लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि प्रति वर्ष न्यूनतम 10 लाख टन की अनुमानित क्षमता के प्रति अ.नौ.वि. द्वारा 1991-97 वर्षों के दौरान संचालित मात्रा 3 लाख से 8.37 लाख टन के बीच थी।

मो.प.न्या. ने अ.नौ.वि.की प्राप्ति को इस आधार पर न्यायोचित ठहराया (नवम्बर 1995) कि इसे पत्तन के सलाहकारों के अध्ययन के बाद ही चुना गया था, विद्यमान ग्रा.नौ.वि.पुराने डिजाईन के थे तथा पुरानी नौकाओं की अधिक क्षमता को संचालित करने के लिए अपर्याप्त थे, तथा विद्यमान ग्रा.नौ.वि. को वही प्रारम्भिक समस्या थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि (i) पत्तन हेतु सलाहकारों द्वारा चुना गया (अ.नौ.वि.), ढेलेदार अयस्क को संचालित करने के लिए सक्षम नहीं था और इसलिये उसे मानसून के दौरान इस्तेमाल नहीं किया जा सका तथा अतः वह पत्तन के लिए उपयुक्त नहीं था (ii) उसके चालू होने के चार वर्षों के पश्चात् भी खराबी आदि के कारण काफी घण्टे बरबाद हो गए थे तथा इसीलिए उसे प्रारम्भिक समस्या नहीं कहा जा सकता तथा (iii) यह कहना कि ग्रा.नौ.वि. पुराने डिजाईन के थे बड़ी नौकाओं का संचालन करने के लिए अपर्याप्त थे, तथ्यों पर आधारित नहीं था क्योंकि 1996-97 के दौरान भी अ.नौ.वि. द्वारा संचालित 8.37 लाख टन के प्रति 74.86 लाख टन अयस्क ग्रा.नौ.वि. के द्वारा संचालित किया गया था।

इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया था कि मो.प.न्या. ने अ.नौ.वि. के चालू होने में 68 सप्ताह के विलम्ब के कारण 45.60 रु प्रति टन की दर पर संचालन प्रभारों के रूप में 6.49 करोड़ रु तथा खराबियों के कारण 494.95 दिनों की हानि के कारण 15.80 करोड़ रु (मार्च 1997 तक) के राजस्व की हानि उठाई थी।

मंत्रालय ने अक्टूबर 1997 में बताया कि (i) अस्सी दशक के मध्य में जब अ.नौ.वि. की संकल्पना की गई थी, तब पत्तन 95 प्रतिशत बारीक लौह अयस्क तथा केवल 5 प्रतिशत ढेलेदार अयस्क को संचालित कर रहा था तथा इसीलिए अ.नौ.वि.ढेलेदार अयस्क को संचालित करने के लिए डिजाईन नहीं किया गया था; (ii) यह सत्य था कि ग्रा.नौ.वि. बड़ी नौकाओं का संचालन नहीं कर सके तथा बड़ी नौकाओं के संचालने हेतु पत्तन, विद्यमान ग्रा.नौ.वि. को बदलने/फिर से नया

करने का प्रस्ताव कर रहा था, तथा (iii) अ.नौ.वि. का निष्पादन अब स्थिर था तथा 1995-96 तथा 1996-97 में उसने 8 लाख टन से अधिक अयस्क का संचालन किया था।

तथापि सच यह है कि चालू होने के पांच वर्ष पश्चात् भी अ.नौ.वि. 10 लाख टन प्रति वर्ष के न्यूनतम अनुमानित टनभार का भी संचालन नहीं कर सका तथा पत्तन अ.नौ.वि. पर किए गए निवेश पर विचारित प्रतिफल को भी वसूल नहीं कर सका।

मुम्बई पत्तन न्यास

47 राजस्व की हानि

मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 61 में पत्तन को किसी भी माल, जो उसकी अभिरक्षा में आ जाता है तथा जिस पर पत्तन-शुल्क का भुगतान नहीं किया गया हो, दो महीने के बाद बेचने की शक्ति प्रदान की गई है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि 1982 तथा 1994 के बीच मुम्बई पत्तन न्यास (मु.प.न्या.) के कंटेनर माल स्टेशनों में रखे गए 673 कंटेनर न तो क्लीयर किए गए थे और न ही उन्हें बेचा गया था। गोदी दर सूची के अनुसार प्राप्य किराया, मार्च 1997 तक 10.18 करोड़ रु बनता था।

दो महीने की अनिवार्य अवधि के पश्चात् किराया वसूल करने अथवा नौभार को बेचने में पत्तन की विफलता के परिणामस्वरूप 10.18 करोड़ रु के राजस्व की हानि हुई और 1.83 करोड़ रु वार्षिक ब्याज की भी हानि हुई इसके अतिरिक्त पत्तन क्षेत्र अवरूद्ध रखने, जिसका बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता था। आयातकर्ताओं द्वारा लम्बे समय तक भण्डारण को निरुत्साहित करने के लिए भी पत्तन द्वारा कोई अर्थदण्ड भी नियत नहीं किया गया था।

48 किराये की गैर वसूली

मुम्बई पत्तन न्यास (मु.प.न्या.) ने 103440.19 व.मी. के आठ भूमि प्लॉट एक फर्म को 50 वर्ष के लिए पट्टे पर दिये। पट्टा अनुबन्ध जो कि मार्च 1983 में समाप्त हो गया था, उसमें अप्रैल 1983 से अगले 49 वर्षों के लिए नवीकरण की धारा समाविष्ट थी बशर्ते कि पट्टेदार पट्टे की समाप्ति से छः माह पूर्व

नवीकरण हेतु आवेदन करे। तदनुसार पट्टेदार ने नवीकरण हेतु सितम्बर 1982 में आवेदन किया था।

नवीकरण प्रस्ताव मु.प.न्या. द्वारा अस्थगित रख दिया गया क्योंकि पट्टेदार प्रदूषण विरोधी उपयुक्त उपाय करने में, जैसा कि पट्टे की शर्तों में अपेक्षित था, विफल रहा। तथापि, तत्पश्चात् पट्टेदार द्वारा कुछ प्रदूषण विरोधी उपाय करने पर मु.प.न्या. ने नवम्बर 1986 में 202.56 रु प्रति व.मी. प्रतिवर्ष की दर पर अप्रैल 1983 से 30 वर्षों के लिए नया पट्टा प्रदान करने का निर्णय किया। मंत्रालय से अक्टूबर 1987 में शर्तों का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् पट्टेदार को शर्तें जनवरी 1989 में सूचित की गई थीं परन्तु पट्टे की घटाई गई अवधि तथा प्रस्तावित नई दरें पट्टेदार द्वारा स्वीकार नहीं की गई थी और उसने मई 1997 तक संविदागत दर पर किराया देना जारी रखा। मु.प.न्या. द्वारा न तो किराये के अन्तर की वसूली करने और न फर्म की वेदखली के लिए मुकदमा दायर करने के लिए कोई कार्यवाही की गई थी।

जून 1997 तक 9 वर्ष के लिए 29.64 करोड़ रु पट्टा किराये के बकाया को एकत्रित करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप राजस्व की हानि के साथ साथ उस पर 2.96 करोड़ रु के ब्याज की भी हानि हुई।

मंत्रालय ने सितम्बर 1997 में बताया कि पट्टेदार जून 1997 में समझौते के लिए तैयार हो गया था तथा मामला प्रक्रियाधीन था।

49 2.27 करोड़ रु के राजस्व की हानि

महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 48 बोर्ड को, पत्तन परिसर में भण्डार की गई वस्तुओं के लिए घाट शुल्क अथवा विलम्ब शुल्क प्रभारित करने के लिए दरमान बनाने की शक्तियां प्रदान करती है तथा उपरोक्त अधिनियम की धारा 61 पत्तन की अभिरक्षा में आई वस्तुओं की तिथि से दो माह की समाप्ति के बाद किसी भी वस्तु जिसके लिए दरमान के अनुसार विलम्ब प्रभारों का भुगतान न किया गया हो, को बेचने की पत्तन को शक्ति प्रदान करती है।

मुम्बई पत्तन न्यास (मु.प.न्या.) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से प्रकट हुआ कि 1976 से 1988 तक की अवधि से सम्बन्धित विभिन्न पैकेजों के 119 लॉट मु.प.न्या के विभिन्न स्थानों पर बिना छुड़ाये पड़े हुये थे। न तो इनकी

बिक्री के लिए सूची तैयार की गई थी और न ही इनको नष्ट करने के लिए कोई प्रस्ताव रखा गया था समय पर कार्यवाही करने में विफल रहने के कारण नवम्बर 1997 तक 2.27 करोड़ रु के विलम्ब प्रभारों का संचयन हुआ।

मंत्रालय ने दिसम्बर 1997 में बताया कि बारह लॉट रक्षा/दूतावास, असंगत बैगेज आदि से सम्बंधित थे जो कि मु.प.न्या. द्वारा निपटाये नहीं जा सके, पन्द्रह लॉटों में सीमा शुल्क कार्यवाही सम्मिलित थी, तथा तिरासी लॉटों के निपटान पुलिस विभाग तथा विस्फोटक निरीक्षक के अनापत्ति प्रमाणपत्र (अ.प्र.) के अभाव के कारण लम्बित थे। शेष नौ लॉट पहचान तथा नष्ट करने की प्रक्रिया के अधीन थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं हैं क्योंकि लॉट 1977 से 1986 तक लम्बित थे तथा मु.प.न्या. ने इन विभागों से शीघ्रता से अ.प्र. प्राप्त करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की थी। 9 लॉटों के बारे में 10-15 वर्षों के बीत जाने के पश्चात् अभी भी मु.प.न्या का मामलों की पहचान करनी थी।

अन्य एजेंसियों के साथ समन्वयन की कमी तथा वस्तुओं के निपटारे के लिए तुरन्त कार्यवाही करने में विफलता के परिणामस्वरूप नवम्बर 1997 तक 2.27 करोड़ रु के राजस्व की हानि हुई।

50 1.77 करोड़ रु का बकाया लाइसेंस-शुल्क

सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 60 के अन्तर्गत बंधित तथा पत्तन से संबंधित बंधित मालगोदाम तथा खुले प्रांगण में रखे गए माल पर लाइसेंस (भण्डार) शुल्क, गोदी दर अनुसूची की धारा III-ख के अनुसार प्रभारित किया जाना अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि पत्तन के बंधित मालगोदाम में रखे गए 8387 पैकेजों के 260 बाण्ड 1966-90 के बीच समाप्त हो गए थे। माल अभी भी बिना निपटान के पड़ा हुआ था तथा अप्रैल 1996 तक 1.77 करोड़ रु के किराए का न तो बिल बनाया गया था और न उसे आयातकर्ताओं से वसूल किया गया था। जिस माल पर मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम की धारा 49 के अन्तर्गत विलम्बन शुल्क आकृष्ट हुआ, उन्हें उसके बाद विक्रय हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही उनके ऊपर विलम्बन शुल्क का निर्धारण किया गया था।

मंत्रालय ने फरवरी 1998 में बताया कि उन्होंने बन्धकर्ताओं को व्यक्तिगत नोटिस जारी करके अप्रैल 1996 से बंधित मालगोदाम को अनअधिसूचित कर दिया था। तथापि, किराए की वसूली, सीमा-शुल्क विभाग द्वारा नौभार के निपटान के पश्चात् ही की गई थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 63 के अन्तर्गत मालगोदाम के मालिक को, राशि वसूल करने के लिए, माल के मालिक को देय नोटिस देने के पश्चात् तथा सीमा शुल्क विभाग की अनुमति से अपने प्राप्य की वसूली हेतु माल को बेचने का हक था। पत्तन द्वारा यह दिखाने के लिए, कि सीमा-शुल्क विभाग को बिक्री हेतु माल को प्रस्तुत करने सिफारिश की गई थी, कोई प्रमाण नहीं दिया गया था। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा के द्वारा इस विषय को उठाने के पश्चात् ही पत्तन द्वारा व्यक्तिगत नोटिस जारी किए गए थे तथा सीमा शुल्क विभाग के साथ इस मामले को उठाया गया था।

1966 से आयातकर्ताओं से किराया वसूल करने के लिए पत्तन द्वारा कार्यवाही न किए जाने के कारण 1.77 करोड़ रु के किराए तथा 31.81 लाख रु वार्षिक के ब्याज की हानि हुई।

51 माल की कम सुपुर्दगी के कारण 98.36 लाख रु की हानि

मुम्बई पत्तन न्यास (मु.प.न्या.), मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 62 की शर्तों के अनुसार आयातित तथा उसकी अभिरक्षा से दो महीने से अधिक तक न छुड़ाए गए माल को बेचने के लिए नियमित रूप से नीलामी करता रहा। मु.प.न्या. द्वारा इन मामलों में 1 लाख रु तथा अधिक के प्रतिदायों की नमूना जांच से ज्ञात हुआ कि 1994-97 के दौरान नीलाम किए गए 70 ढेरों में घोषित मात्रा तथा सुपुर्द की गई मात्रा में 40 कि.ग्रा. से 82857 कि.ग्रा. के बीच अन्तर थे। पत्तन को लापता माल के संबंध में क्रेताओं से पहले से ही संग्रहीत 7.22 करोड़ रु के विक्रय मूल्य में से 98.36 लाख रु वापिस करने पड़े।

इस प्रकार, माल का अभिरक्षण सुनिश्चित करने में मु.प.न्या. की विफलता के कारण, विक्रय मूल्य का 13 प्रतिशत से भी अधिक वापिस करना पड़ा। चूंकि सीमा शुल्क, आयातकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत आयात-पत्र के आधार पर देय था, अतः पत्तन पर लापता मात्रा पर सीमा शुल्क को वहन करने की अतिरिक्त देयता

होगी। तथापि, भुगतान-योग्य सीमा-शुल्क की देयता निर्धारित नहीं की जा सकी क्योंकि विक्रय-मूल्य का अन्तिम आबंटन अभी लम्बित था।

मु.प.न्या. ने जून 1997 में बताया कि दीर्घकृत भंडारण, वायुमंडलीय स्थितियां तथा धूप, वर्षा का प्रभावन निरंतर संचालन विखराव, बिक्री से पूर्व जगह बदलना आदि कुछ मामलों में माल की हानि के अंशदायी कारण थे तथा सीमा शुल्क वास्तविक सुपुर्द की गई मात्रा के मूल्य के अनुपात में बिक्री प्राप्तियों से आबंटित किया गया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि कम सुपुर्द किए गए माल की मर्दे लोहा, स्टील शीटें, प्लास्टिक स्कैप, पी.पी.सी. आदि थी जिनकी धूप, वर्षा आदि के प्रभाव से भार की कोई हानि नहीं होती थी। बिक्री का अनुबंध किए जाने के पश्चात् ये मर्दे भी कम पाई गई थीं। जहां तक सीमा शुल्क का प्रश्न है, वह सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 45 के अन्तर्गत माल के अभिरक्षक द्वारा माल-सूची में घोषित भार पर देय था।

इस प्रकार, आयातित माल का अभिरक्षण करने में विफलता के कारण देय सीमा शुल्क, जिसको अभी निर्धारण किया जाना था, की देयता के अतिरिक्त खरीदारों को 98.36 लाख रु वापस करने पड़े। इस माल द्वारा अधिकृत भण्डारण क्षेत्र की अनुपलब्धता के अतिरिक्त, खरीदारों को माल की कम सुपुर्दगी के कारण विलम्बन प्रभारों की परिणामी हानि भी होगी।

मामला मंत्रालय को जून 1997 में भेजा गया था; जनवरी 1998 तक उनका उत्तर प्रतिक्षित था।

पारादीप पत्तन न्यास

52 निष्क्रिय उपस्कर

पारादीप पत्तन में 2200 घंटे तक रात्रि नौसंचालन सुविधाएं प्रदान करने के लिए, पारादीप पत्तन न्यास (पा.प.न्या.) ने 22.82 लाख रु की लागत पर एक निजी फर्म से सौर्य पॉवर प्रकाश से फिट किए हुए छः एम.एस.प्लव खरीदे (फरवरी 1991)। उपकरण को चैनल में प्रतिष्ठापित कर दिया गया था तथा 1 अप्रैल 1991 तथा 6 सितम्बर 1991 के बीच रात्रि नौसंचालन किया गया था। तत्पश्चात् प्रतिकूल मौसम हालातों के कारण उपकरण को चैनल से हटा कर समुद्री स्थल कार्यालय में रख दिया गया था। उसी फर्म से फरवरी 1993 तक

3.04 लाख रु मूल्य के आवश्यक पुर्जे भी खरीदे गए थे तथा वे केन्द्रीय भण्डारों में रखे गए थे। पा.प.न्या. ने आज की तिथि (नवम्बर 1997) तक रात्रि नौसंचालन फिर से शुरू नहीं किया था।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 1997) कि एक सीमित ढंग से प्रारंभ किया गया रात्रि नौसंचालन, पॉयलटों की कमी के कारण बन्द कर दिया गया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि रात्रि नौसंचालन के परिचालन की अवधि के दौरान भी, पा.प.न्या. के पास मई 1991 तक दो पायलट थे तथा उसके पश्चात् केवल एक पायलट था। यद्यपि पा.प.न्या. ने दिसम्बर 1992 से ठेके के आधार पर एक अन्य पायलट की नियुक्ति करके संख्या बढ़ा ली थी तथा नवम्बर 1997 में 3 पायलट थे, उसने रात्रि नौसंचालन को फिर से शुरू करने के कोई प्रयास नहीं किए थे।

एम.एस. प्लवों तथा पुरजों की अविचारित तथा अनियोजित खरीद के परिणामस्वरूप 25.86 लाख रु का अवरोधन हुआ।

विशाखापत्तनम पत्तन न्यास

53 री-रेलिंग उपस्कर की खरीद पर निष्फल व्यय

प्रत्येक अवपथन के पश्चात् री-रेलिंग समय को कम से कम करने तथा टिपलिंग संचालनों में गड़बड़ी से बचने की दृष्टि से, विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वि.प.न्या.) ने 14.95 लाख रु की लागत पर केवल अयस्क संचालन परिसर अ. सं.प. में उपयोग हेतु नवम्बर 1994 में एक द्रवचालित वैगन री-रेलिंग उपस्करण खरीदा। उपस्कर को नवम्बर 1994 में प्रतिष्ठापित किया गया था, परन्तु जेनरेटर तथा अतिरिक्त परिचालन स्टाफ की कमी के कारण उसका उपयोग नहीं किया गया था तथा वर्तमान फेग ल्यूकाज उपस्कर के साथ मिलाने के लिए उसे मई 1996 में बड़ी लाईन (ब.ला.) लोको सेक्शन में अन्तरित कर दिया गया था। तथापि, ब.ला. लोको को उसके अन्तरण के पश्चात् भी उपकरण का उपयोग नहीं किया गया था क्योंकि ब.ला. लोको सेक्शन के स्टाफ ने उपस्कर के भारी होने के कारण उसके संचालन में प्रतिरोध व्यक्त किया था तथा वर्तमान फेग ल्यूकाज उपस्कर के माध्यम से री-रेलिंग संचालन किये जाने जारी रखे (जुलाई 1997)।

इस प्रकार, जिस उद्देश्य के लिए उपस्कर खरीदा गया था, उसे प्राप्त नहीं किया गया तथा उसकी खरीद पर किया गया 14.95 लाख रु का व्यय निष्फल रहा।

54 निविदाओं को अन्तिम रूप देने में विलम्ब के कारण अतिरिक्त व्यय

विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वि.प.न्या.) ने गोदी क्षेत्र में सड़कों तथा नालों के विकास हेतु अगस्त 1994 में निविदाएं आमंत्रित की। ठेकेदार 'क' की 60.92 लाख रु की निम्नतम निविदा स्वीकार नहीं की गई थी क्योंकि उस ठेकेदार का पिछला निष्पादन सही नहीं था। यद्यपि नई निविदाएं जून 1995 में आमन्त्रित की गई थी, कार्य निम्नतम निविदाकर्ता 'ख', जिसमें 64.19 लाख रु की दर उद्धृत की थी, को नहीं सौंपा जा सका क्योंकि निविदाओं को प्रस्ताव की वैधता अवधि, जो जनवरी 1996 में समाप्त हो गई थी, के अन्दर अन्तिम रूप नहीं दिया गया था। उसी कार्य के लिए फरवरी 1996 में नई निविदाएं आमन्त्रित की गई थी तथा ठेकेदार 'ग' का 75.62 लाख रु का निम्नतम प्रस्ताव अगस्त 1996 में स्वीकार किया गया था।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि यद्यपि प्रथम कॉल पर निविदाएं अक्टूबर 1994 में खोली गई थी, ठेकेदार 'क' के निम्नतम प्रस्ताव को रद्द करने का अन्तिम निर्णय, वि.प.न्या. द्वारा केवल मई 1995 में ही लिया गया था, जब तक दूसरे निम्नतम निविदाकर्ता के (61.22 लाख रु) के प्रस्ताव की वैधता अवधि समाप्त हो चुकी थी। पिछले घटिया कार्य के आधार पर निम्नतम प्रस्ताव को रद्द करने का निर्णय लेने में हुए छः मास के विलम्ब को टाला जा सकता था क्योंकि इस निविदाकर्ता द्वारा घटिया निष्पादन तथा निर्माण कार्य की धीमी प्रगति का तथ्य शुरू से ही स्पष्ट था तथा मामले पर निविदा समिति द्वारा दिसम्बर 1994 में भी चर्चा तथा जांच की गई थी।

मंत्रालय ने सितम्बर 1997 में बताया कि प्रथम निविदा कॉल पर निम्नतम निविदा उसके पिछले घटिया निष्पादन के कारण रद्द की गई थी तथा दूसरी कॉल की निम्नतम निविदा इसलिए रद्द की गई थी क्योंकि दरें व्यावहारिक प्रतीत नहीं होती थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि वि.प.न्या. को शुरू से निम्नतम निविदाकर्ता के घटिया निष्पादन के बारे में पता था।

इस प्रकार, दूसरे निम्नतम निविदाकर्ता के प्रस्ताव की वैधता अवधि के अन्दर प्रथम कॉल पर निविदाओं को अन्तिम रूप में वि.प.न्या. की विफलता के परिणामस्वरूप निष्पादन हेतु कार्य सौंपने में 15 महीने के विलम्ब के अतिरिक्त 14.40 लाख रु का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

55 1.19 करोड़ रु का अवरोधन

दि.वि.प्रा. ने लक्ष्मी नगर जिला केन्द्र के बाह्य विद्युतिकरण के लिए दिसम्बर 1991 तथा मार्च 1992 के बीच दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (दि.वि.प्र.सं) को 1.19 करोड़ रु की राशि का भुगतान किया। दि.वि.प्र.सं. के साथ यह परस्पर सहमति थी कि 11 कि.वां. परिधीय सेवाएं मुहैया कराने के लिए दि.वि.प्रा. द्वारा निर्मित स्थान सहित तीन स्विचिंग स्टेशन मुहैया किए जाएंगे। सौंपे जाने वाले अपेक्षित तीन स्थानों में से, एक स्थान उसका निर्माण पूरा होने के पश्चात् वृत्ताकार शॉपिंग केन्द्र (क्षेत्र में एक और शॉपिंग केन्द्र) के अन्दर ही मुहैया किया जाना था।

मामला दि.वि.प्रा. तथा दि.वि.प्र.सं. के बीच दिसम्बर 1995 तक पत्राचाराधीन रहा , परन्तु तीसरा स्थान, मुख्यतः नवम्बर 1994 में निविदाएं रद्द कर देने के पश्चात् दि.वि.प्रा. द्वारा वृत्ताकार शॉपिंग केन्द्र के निर्माण की योजना को आस्थगित कर देने तथा कोई वैकल्पिक स्थान निर्दिष्ट न करने के कारण दि. वि.प्र.सं. को नहीं सौंपा गया था। केवल मार्च 1996 में, दि.वि.प्रा. ने तीसरे स्विचिंग स्टेशन के लिए स्थान देने का निर्णय किया परन्तु स्थान नवम्बर 1997 तक नहीं सौंपा गया था तथा दि.वि.प्र.सं. विद्युतीकरण की योजना को प्रारम्भ नहीं कर सका।

इस प्रकार, तीसरे स्विचिंग स्टेशन के लिए स्थान ढूँढ कर देने में हुए विलम्ब के परिणामस्वरूप न केवल छः वर्षों तक 1.19 करोड़ रु की राशि का अवरोधन हुआ बल्कि इससे जिला केन्द्र के विकास पर भी प्रभाव पड़ा।

मामला मंत्रालय को दिसम्बर 1996 में भेजा गया था; जनवरी 1998 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

56 10.19 लाख रु का परिहार्य व्यय

बहुत अधिक उंचाई पर स्थित गंगोत्री एनक्लेव, अलकनन्दा में 48 फ्लैटों की जल आपूर्ति बढ़ाने की दृष्टि से मु.अ. (द.पू.क्षे.) ने बूस्टिंग के प्रावधान सहित 1.15 लाख लीटर की क्षमता वाले आर.सी.सी. भूमिगत टैंक के प्रावधान, पम्प गृह के निर्माण तथा क्षेत्र में बागवानी के उद्देश्य से बने वर्तमान ट्यूबवैल बोर को

विकसित करने के लिए अनुदेश जारी किए (मई 1991)। ये निर्माण कार्य 3-6 महीने की अवधि के अन्दर ही पूरे किए जाने थे। फरवरी 1992 में सौंपा गया आर.सी.सी.भूमिगत टैंक का निर्माण कार्य जो 3 महीने में पूरा किया जाना था, वास्तव में जून 1992 में पूरा किया गया था; अक्टूबर 1992 में शुरू किया गया पम्प-गृह का निर्माण कार्य जो दिसम्बर 1992 में पूरा किया जाना था, वास्तव में मार्च 1993 में पूरा किया गया था; तथा वर्तमान ट्यूबवैल बोर के विकास का कार्य मई 1994 में पूरा किया गया था। इस प्रकार समन्वित तथा कार्यवाही साथ-साथ करने में उनकी शुरू की विफलता के कारण अधिकारियों ने छः मास की निर्धारित अवधि के प्रति निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए 3 वर्ष का समय लिया।

पूरा होने के पश्चात् भी निर्माण कार्य ट्यूबवैल के साथ नहीं जुड़े थे। इसके बजाए, 100 मि.मी. घेरे की सी.आई. जल पाईपलाईन को बिछाने का कार्य फरवरी 1995 में प्रारम्भ किया गया था तथा दि.न.नि. की मुख्य जल आपूर्ति लाईन के साथ जोड़ने के इरादे से मार्च 1995 में पूरा किया गया था। ऐसा नहीं किया गया था तथा प्रणाली अन्ततः मई 1995 में ट्यूबवैल के साथ जोड़ी गई थी। जिसके परिणामस्वरूप सी आई लाइन के बिछाने पर 0.53 लाख रु का व्यय निष्फल हुआ।

इसी बीच दि.वि.प्रा. ने निवासियों को टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति पर अप्रैल 1991 से मई 1995 की अवधि के दौरान 10.19 लाख रु का परिहार्य व्यय किया।

दि.वि.प्रा. ने जनवरी 1997 में बताया कि दि.न.नि. मुख्य लाईन में लाईन बुस्टिंग व्यवस्था व्यवस्था प्रदान करने हेतु सहमत नहीं हुई। दि.न.नि. की असहमति को दि.वि.प्रा. ने माना जो विचार विमर्श पर आधारित था तथा किसी भी अभिलेख से समर्थित नहीं थे।

मामला मंत्रालय को सितम्बर 1997 में भेजा गया था; जनवरी 1998 तक उनका उत्तर प्रतिक्षित था।

57 20.49 लाख रु का व्यर्थ निवेश

राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान ने मेरूदण्डीय ऑपरेशनों को सरल बनाने के लिए उसके रेस्टोरेटिव सर्जिकल यूनिट हेतु फरवरी-अगस्त 1993 में एक 'सी. आर्म इमेज इन्टेंसिफायर' का आयात किया। उपकरण 20.49 लाख रु की कुल लागत से अगस्त 1993 में यूनिट में प्रतिष्ठापित किया गया था।

उपकरण का उसके प्रतिष्ठापन से किसी मेरूदण्डीय ऑपरेशन आदि शल्यचिकित्सा के लिए बिल्कुल उपयोग नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि उपकरण की प्राप्ति तथा उसके प्रतिष्ठापन के समय संस्थान में केवल एक अस्थि शल्य चिकित्सक था तथा कोई दूसरा कार्मिक उसका उपयोग करने के लिए औपचारिक रूप से प्रशिक्षित नहीं था। संस्थान की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करते समय भारत सरकार की एक समिति ने यह सिफारिश की थी (फरवरी/अप्रैल 1993) कि संस्थान को, मेरूदण्डीय सर्जरी यूनिट की स्थापना तथा इस उपकरण की खरीद, दोनों का प्रस्ताव यह ध्यान दिलाते हुए समाप्त कर देना चाहिए कि मेरूदण्डीय सर्जरी क्रियाकलाप से पोलियो, अधरांगाघात, कुष्ठ आदि रोगों से ग्रस्त कई व्यक्तियों के स्थान पर केवल कुछ लोगों को ही लाभ होगा। तदनुसार, संस्थान ने उपकरण के प्रतिष्ठापन के तीन महीनों के भीतर नवम्बर 1993 में परिष्कृत सर्जरी को निलंबित कर दिया।

इस प्रकार, मांग के उचित मूल्यांकन अथवा आवश्यकता के बिना परिष्कृत उपकरण की अधिप्राप्ति के कारण अगस्त 1993 से 20.49 लाख रु का निवेश व्यर्थ रहा। संस्थान ने बताया (अप्रैल 1997) कि नीति में परिवर्तन होने के कारण संस्थान द्वारा कोई मेरूदण्डीय सर्जरी नहीं की गई थी।

मामला मंत्रालय को जून 1997 में भेजा गया था; उनका उत्तर जनवरी 1998 तक प्रतीक्षित था।

58 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही-संक्षिप्त स्थिति


लोक सभा सचिवालय ने सभी मंत्रालयों से यह अनुरोध करते हुए कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सदन के पटल पर प्रस्तुत किये जाते ही इन प्रतिवेदनों में उल्लिखित विभिन्न पैराग्राफों पर उनके द्वारा की गई उपचारात्मक/शोधक कार्यवाही को दर्शाते हुए टिप्पणियां, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) को प्रस्तुत करने के अनुदेश जारी किए (अप्रैल 1982)।

लोक लेखा समिति ने 1995-96 के दौरान की गई कार्यवाही टिप्पणियों (का.टि.) के प्रस्तुतीकरण की स्थिति का पुनरीक्षण किया और अधिकांश मंत्रालयों द्वारा लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर का.टि. देने में अत्यधिक विलम्ब और निरन्तर विफलता पाई। समिति ने का.टि. के इस विलम्ब और प्रस्तुत न करने को गम्भीरता से लिया और 1995-96 के अपने एक सौ पांचवे प्रतिवेदन (10वीं लोकसभा) के माध्यम से सभी मंत्रालयों को 31 मार्च 1993 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित सभी शेष लेखापरीक्षा पैराग्राफों के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र में का.टि. उनके प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की तारीख से तीन महीनों के भीतर भेजने के निदेश दिए। समिति ने आगे सिफारिश की कि भविष्य में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल सभी पैराग्राफों चाहे वे पैरे लो.ले.स. द्वारा विस्तृत जांच के लिए चुने गए हो अथवा नहीं, के संबंध में का.टि. निरपवाद रूप से भेजी जानी चाहिए, जो पैरे लो.ले.स. द्वारा विस्तृत जांच के लिए चुन लिए गए हो उन पर का.टि. उनके चयन की सूचना की तारीख से तीन माह के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए।

31 मार्च 1996 को समाप्त हुई अवधि तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (अन्य स्वायत्त निकाय) में शामिल पैराग्राफों पर का.टि. की प्राप्ति से सम्बन्धित स्थिति की समीक्षा से प्रकट हुआ कि अनुदेशों के बावजूद, मंत्रालयों ने उनसे सम्बन्धित अधिकांश पैराग्राफों के सम्बन्ध में उपचारात्मक/शोधक का.टि. प्रस्तुत नहीं की थी। 164 पैराग्राफों, जिन पर कार्यवाही टिप्पणियां भेजी जानी अपेक्षित थीं, में से 80 पैराग्राफों (49 प्रतिशत) पर उपचारात्मक/शोधक का.टि. दिसम्बर 1997

तक प्रतीक्षित थीं। 80 पैराग्राफों में से 62, 1988-89 से 1994-95 तक की अवधि के प्रतिवेदनों से सम्बन्धित थे।

विभिन्न मंत्रालयों से प्रतीक्षित का.टि.की संक्षिप्त स्थिति परिशिष्ट XV में दर्शाई गई है।



(अ.ल. गणपति)


नई दिल्ली

दिनांक : 20.5.1998

महानिदेशक लेखापरीक्षा

केन्द्रीय राजस्व

प्रतिहस्ताक्षरित



(विजय कृष्ण शुंगलू)

नई दिल्ली

दिनांक : 25.5.1998

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट I
(पैराग्राफ 1(i) देखें)

स्वायत्त निकायों द्वारा वार्षिक लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब:

क्र.स.	संगठन का नाम	लेखा प्राप्त होने की तिथि
(क) तीन से छः माह तक		
1.	नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली	06.12.96
2.	इलाहाबाद संग्रहालय समिति	22.10.96
3.	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, कानपुर	23.10.96
4.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, नई दिल्ली	06.11.96
5.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली	13.11.96
6.	योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली	03.12.96
7.	गान्धी स्मृति तथा दर्शन समिति, नई दिल्ली	03.10.96
8.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली	27.11.96
9.	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली	04.10.96
10.	दिल्ली प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली	18.12.96
11.	उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग	11.11.96
12.	कॉफी बोर्ड (सामान्य निधि लेखा), बंगलौर	03.10.96
13.	चाय बोर्ड, कलकत्ता	29.11.96
14.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर	08.10.96
15.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद	24.10.96

क्र.सं.	संगठन का नाम	लेखा प्राप्त होने की तिथि
16.	राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा	23.10.96
17.	भारतीय दन्त परिषद, नई दिल्ली	18.10.96
(ख) छः माह से अधिक		
1.	भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता	16.01.97
2.	क्षेत्रीय इन्जीनियरी महाविद्यालय, श्रीनगर	03.02.97
3.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली	19.03.97
4.	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, नई दिल्ली	13.04.97
5.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी	08.01.97
6.	भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली	03.04.97
7.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	03.02.97
8.	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	19.03.97
9.	नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली	01.07.97
10.	नियति जांच एजेन्सी, नई दिल्ली	18.03.97
11.	राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली	04.02.97
12.	काफी बोर्ड (पूल निधि लेखे), बंगलौर	01.10.97
13.	नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा	16.07.97

परिशिष्ट II
(पैराग्राफ 1 (i) देखें)

स्वायत्त निकायों द्वारा वार्षिक लेखाओं का प्रस्तुत न किया जाना

क्र.सं.	संगठन का नाम
1.	राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली
2.	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल
3.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नई दिल्ली*
4.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली*
5.	दि.न.नि.कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली
6.	भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विधि समिति, नई दिल्ली

* कल्याण मंत्रालय के दिनांक 24.11.97 के अ.शा. पत्र के अनुसार ये निकाय कोई अनुदान प्राप्त नहीं कर रहे हैं। उन्हें भु.ले.का. (कल्याण) से भुगतान किया जा रहा है। इस प्रकार कोई पृ.ले.प्र. तैयार नहीं किया जाना है तथा संसद को प्रस्तुत नहीं किया जाना है।

परिशिष्ट III
(पैराग्राफ 1(ii) देखें)

1996-97 के दौरान केन्द्रीय स्वायत्त निकायों, जिनकी लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. (क.श.) अधिनियम 1971, की धारा 19(2) तथा 20(1) के अंतर्गत की गई है, द्वारा प्राप्त किए गए अनुदानों/कर्जों का विवरण

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान	कर्ज
मानव संसाधन विकास			
1.	राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली	300.00	शून्य
2.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली	6509.16	शून्य
3.	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	2080.42	शून्य
4.	इंदिरा गान्धी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	2205.94	शून्य
5.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	3293.70	शून्य
6.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली	4048.64	शून्य
7.	राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली	50.00	शून्य
8.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई	3529.00	शून्य
9.	अयूरोवाईल प्रतिष्ठान, अयूरोवाईल	92.03	शून्य
10.	कला क्षेत्र प्रतिष्ठान, चेन्नई	129.00	शून्य
11.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी	639.74	शून्य
12.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर	4694.46	शून्य
13.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	8936.31	शून्य
14.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	7505.84	शून्य
15.	रामपुर रज़ा पुस्तकालय, रामपुर	55.22	शून्य
16.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर	3318.29	शून्य
17.	विश्वभारती, शांति निकेतन	2191.32	शून्य
18.	एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता	243.39	शून्य

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान	कर्म
19.	सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद	223.39	शून्य
20.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	1224.10	शून्य
21.	असम विश्वविद्यालय, सिलचर	502.53	शून्य
22.	तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर	269.32	शून्य
23.	उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग	2277.53	शून्य
24.	क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर	298.04	शून्य
25.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई	4464.32	शून्य
26.	नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा	564.15	शून्य
27.	बाल भवन सोसायटी, नई दिल्ली	308.20	शून्य
28.	सांस्कृतिक स्रोत तथा प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली	494.00	शून्य
29.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली	30523.13	शून्य
30.	ललित कला अकादमी, नई दिल्ली	280.70	शून्य
31.	संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली	474.38	शून्य
32.	योजना और वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली	418.48	शून्य
33.	नैशनल स्कूल आफ ड्रामा, नई दिल्ली	328.00	शून्य
34.	नैशनल म्युजियम इन्स्टीट्यूट आफ आर्ट कन्सर्वेशन एण्ड म्युजियोलोजी, नई दिल्ली	44.25	शून्य
35.	भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली	269.76	शून्य
36.	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली	194.57	शून्य
37.	साहित्य अकादमी, नई दिल्ली	374.96	शून्य
38.	राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली	736.64	शून्य
39.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली	1004.19	शून्य

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान	कर्जे
40.	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली	193.83	शून्य
41.	गान्धी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली	202.00	शून्य
42.	नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, नई दिल्ली	288.78	शून्य
43.	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली	969.49	शून्य
44.	दिल्ली लायब्रेरी बोर्ड, दिल्ली	333.18	शून्य
45.	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली	3910.00	शून्य
46.	केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, नई दिल्ली	966.32	शून्य
47.	नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली	25351.00	शून्य
48.	नैशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली	486.73	शून्य
49.	राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली	197.59	शून्य
50.	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, नई दिल्ली	267.00	शून्य
51.	दिल्ली प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली	शून्य	शून्य
52.	प्रादेशिक इन्जीनियरिंग महाविद्यालय, राउरकेला	547.04	शून्य
53.	प्रादेशिक इन्जीनियरिंग महाविद्यालय, जालंधर	310.14	शून्य
54.	मालवीय प्रादेशिक इन्जीनियरिंग महाविद्यालय, जयपुर	503.50	शून्य
55.	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, चेन्नई	813.26	शून्य
56.	भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली	4600.00	शून्य
57.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली	68764.88	शून्य
58.	तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नई	397.00	शून्य
59.	भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ	506.50	शून्य
60.	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, कानपुर	250.39	शून्य

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	मंत्रालय/निकाश का नाम	अनुदान	कर्म
61.	इलाहाबाद संग्रहालय समिति, इलाहाबाद	51.50	शून्य
62.	मोती लाल नेहरू प्रादेशिक इंजीनियरिंग महाविद्यालय, इलाहाबाद	624.69	शून्य
63.	केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा	353.50	शून्य
64.	केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ	118.00	शून्य
65.	तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, कलकत्ता	368.00	शून्य
66.	व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (ई.आर.) कलकत्ता	237.10	शून्य
67.	राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्, कलकत्ता	1860.00	शून्य
68.	राजा राम मोहन राय लायब्रेरी फाउण्डेशन, कलकत्ता	515.95	शून्य
69.	भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता	269.05	शून्य
70.	भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता	656.78	शून्य
71.	क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, वारंगल	632.52	शून्य
72.	पूर्वोत्तर प्रादेशिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, निरजूलि, इटानगर	749.00	शून्य
73.	सरदार वल्लभ भाई प्रादेशिक इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, सूरत	328.57	शून्य
74.	प्रादेशिक इंजीनियरिंग महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र	349.74	शून्य
75.	तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, चंडीगढ़	342.82	शून्य
76.	भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, शिमला	184.64	शून्य
77.	प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज, हमीरपुर	511.93	शून्य
78.	केन्द्रीय बुद्ध संबंधित अध्ययन संस्थान, लेह	88.50	शून्य
79.	भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर	783.95	शून्य
80.	प्रादेशिक इंजीनियरिंग महाविद्यालय, कोजीकोड	408.64	शून्य
81.	विश्वश्वरैया प्रादेशिक इंजीनियरिंग महाविद्यालय, नागपुर	491.66	शून्य

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान	कर्जे
82.	राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान, मुम्बई	525.00	शून्य
83.	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, मुम्बई	530.64	शून्य
84.	खुदा बक्श ओरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना	85.48	शून्य
85.	नैशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ फाउन्डरी एण्ड फोर्ज टैक्नोलोजी, रांची	282.70	शून्य
86.	तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल	348.00	शून्य
87.	मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, भोपाल	553.88	शून्य
88.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल	300.00	शून्य
89.	प्रादेशिक इंजीनियरिंग महाविद्यालय, श्रीनगर	546.11	शून्य
90.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	198.03	शून्य
91.	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनउ	364.50	शून्य
	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण		
92.	भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली	28.00	शून्य
93.	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़	6367.04	शून्य
94.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	15067.77	शून्य
95.	भारतीय भेषजी परिषद, नई दिल्ली	7.00	शून्य
96.	केन्द्रीय भारतीय औषध परिषद, नई दिल्ली	51.00	शून्य
97.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर	416.85	शून्य
98.	राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कलकत्ता	135.11	शून्य
99.	चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कलकत्ता	325.00	शून्य
100.	राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पूणे	20.00	शून्य
101.	केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	367.25	शून्य

(लाख रुपयों में)

क्र.स.	संस्थान/विभाग का नाम	अनुदान	कृषि
102.	केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली	66.00	शून्य
103.	केन्द्रीय योग अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली	66.57	शून्य
104.	केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली	647.45	शून्य
105.	केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्धा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली	1392.00	शून्य
106.	राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली	18.54	शून्य
107.	केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, नई दिल्ली	71.80	शून्य
108.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली	659.27	शून्य
109.	राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली	20.00	शून्य
110.	भारतीय परिचर्या परिषद्, नई दिल्ली	8.00	शून्य
111.	भारतीय चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली	105.00	शून्य
	कृषि		
112.	राष्ट्रीय तिलहन तथा वनस्पति तेल विकास बोर्ड, गुड़गांव	338.12	शून्य
113.	नारियल विकास बोर्ड, कोची	2000.00	शून्य
114.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली	1789.90	9001.61
115.	भारतीय पशुधन परिषद्, नई दिल्ली	60.00	शून्य
116.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद	831.00	शून्य
117.	राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान, हैदराबाद	150.00	शून्य
118.	लोक कार्रवाई एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रगति परिषद्, नई दिल्ली	5047.07	शून्य

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान	कृजे
	पर्यावरण एवं वन		
119.	भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, चेन्नई	221.97	शून्य
	वित्त		
120.	भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, मुम्बई	शून्य	300.00
	सूचना और प्रसारण		
121.	भारतीय प्रैस परिषद्, नई दिल्ली	99.12	शून्य
	उद्योग		
122.	कॉयर बोर्ड, कोची	899.00	5.00
123.	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई	29706.00	26224.00
	वाणिज्य		
124.	निर्यात निरीक्षण एजेंसी, मुम्बई	शून्य	शून्य
125.	निर्यात निरीक्षण एजेंसी, नई दिल्ली	शून्य	शून्य
126.	तम्बाकू बोर्ड, गुन्टूर	शून्य	शून्य
127.	मसाला बोर्ड, कोची	490.19	शून्य
128.	समुद्री उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण, कोची	1278.09	शून्य
129.	निर्यात निरीक्षण परिषद्, कलकत्ता	40.00	शून्य
130.	निर्यात निरीक्षण एजेंसी, कलकत्ता	शून्य	शून्य
131.	निर्यात निरीक्षण एजेंसी, कोचीन	शून्य	शून्य
132.	निर्यात निरीक्षण एजेंसी, चेन्नई	शून्य	शून्य
133.	कृषि एवं संसाधित खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली	1899.00	शून्य
134.	कॉफी बोर्ड (सामान्य निधि लेखा), बंगलौर	1280.00	50.00
135.	रबर बोर्ड, कोट्टायम	3789.79	शून्य

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान	कर्म
136.	चाय बोर्ड, कलकत्ता	362.00	1757.00
	भूतल परिवहन		
137.	नाविक भविष्य निधि संगठन, मुम्बई	शून्य	शून्य
138.	मारमुगांव पत्तन न्यास	शून्य	शून्य
139.	जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास, मुम्बई	शून्य	शून्य
140.	मुम्बई पत्तन न्यास	शून्य	1770.00
141.	मुम्बई गोदी श्रम बोर्ड, मुम्बई	शून्य	शून्य
142.	कोचीन पत्तन न्यास, कोची	शून्य	शून्य
143.	कोचीन गोदी श्रम बोर्ड, कोची	शून्य	शून्य
144.	नया मंगलौर पत्तन न्यास पेनाम्बूर, मंगलौर	शून्य	शून्य
145.	चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई	शून्य	811.00
146.	चेन्नई गोदी श्रम बोर्ड, चेन्नई	शून्य	शून्य
147.	तुतीकोरिन पत्तन न्यास, तुतीकोरिन	शून्य	शून्य
148.	कलकत्ता पत्तन न्यास, कलकत्ता	शून्य	शून्य
149.	कलकत्ता गोदी श्रम बोर्ड, कलकत्ता	शून्य	शून्य
150.	विशाखापट्टनम पत्तन न्यास, विशाखापट्टनम	शून्य	शून्य
151.	विशाखापट्टनम गोदी श्रम बोर्ड, विशाखापट्टनम	शून्य	शून्य
152.	कांडला पत्तन न्यास, कांडला	शून्य	शून्य
153.	कांडला गोदी श्रम बोर्ड, कांडला	शून्य	शून्य
154.	मारमुगांव गोदी श्रम बोर्ड	शून्य	शून्य
155.	पारादीप पत्तन न्यास	113.00	1801.00
	कपड़ा		
156.	पटसन विनिर्माता विकास परिषद्, कलकत्ता	2660.00	शून्य

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान	कर्रें
157.	केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर	9101.00	25.00
158.	कपड़ा समिति, मुम्बई	2750.00	शून्य
159.	राष्ट्रीय फैशन टेक्नालॉजी संस्थान, नई दिल्ली	641.00	शून्य
जल संसाधन			
160.	ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहटी	968.00	शून्य
161.	बेतवा नदी बोर्ड, झांसी	शून्य	शून्य
162.	नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इन्दौर	शून्य	शून्य
163.	राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, नई दिल्ली	650.00	शून्य
शहरी मामले तथा रोजगार			
164.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली	4070.00	शून्य
165.	दिल्ली शहरी कला आयोग, नई दिल्ली	82.81	शून्य
166.	राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली	85.00	शून्य
नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण			
167.	भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली	116.11	शून्य
रक्षा			
168.	नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी	49.68	शून्य
169.	हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, दार्जीलिंग	94.24	शून्य
170.	जवाहर पर्वतारोहण तथा शीतकालीन खेलकूद संस्थान, बटोटे	16.41	शून्य
विद्युत			
171.	राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद	2421.00	शून्य
रेलवे			
172.	रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र, नई दिल्ली	शून्य	शून्य

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान	सर्ज
	कल्याण		
173.	अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, मुम्बई	369.70	शून्य
174.	केन्द्रीय वक्फ परिषद्, नई दिल्ली	165.00	शून्य
175.	भारतीय पुनर्वासि परिषद्, नई दिल्ली	36.00	शून्य
176.	विकलांग जन संस्थान, नई दिल्ली	261.80	शून्य
177.	राष्ट्रीय पुनर्वासि प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, ओलातपुर, कटक	387.00	शून्य
178.	राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान, देहरादून	258.00	शून्य
179.	राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कलकत्ता	257.00	शून्य
180.	राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, हैदराबाद	318.20	शून्य
181.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर	1160.00	शून्य
	विधि एवं न्याय		
182.	राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, नई दिल्ली	शून्य	शून्य
	श्रम		
183.	वी.वी.गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा	185.00	शून्य
184.	केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर	997.00	शून्य
185.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली	शून्य	शून्य
186.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली	शून्य	शून्य
	विदेशी मामले		
187.	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्, नई दिल्ली	2570.00	शून्य
	खान		
188.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद	2881.00	शून्य
	गृह		
189.	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली	365.00	शून्य
	जोड़	328766.46	41744.61

परिशिष्ट IV

(पैराग्राफ 1 (ii) देखें)

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा 1996-97 के दौरान प्राप्त अनुदानों के विवरण

(लाख रु. में)

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	अनुदान
1.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	1224.10
2.	असम विश्वविद्यालय, सिलचर	502.53
3.	तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर	269.32
4.	उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग	2277.53
5.	नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा	564.15
6.	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	2080.42
7.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	2205.94
8.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	3293.70
9.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	8936.31
10.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	7505.84
11.	विश्वभारती, शांतिनिकेतन	2191.32
12.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी	639.74
13.	बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ	364.50
	जोड़	32055.40

परिशिष्ट V
(पैराग्राफ 1 (ii) देखें)

निकायों का विवरण जिनके लेखे/सूचनाएं 31 दिसम्बर, 1997 तक प्राप्त नहीं हुये- नि. म.ले.प. (क.श.से.) अधिनियम, 1971 की धारा 19 और 20 के अंतर्गत लेखा परीक्षित

क्र.सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम
	मानव संसाधन विकास
1.	दिल्ली विश्वविद्यालय तथा अनुरक्षित संस्थाएं, नई दिल्ली
2.	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल
3.	राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली
4.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहटी
5.	नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली
6.	संत लोंगोवाल इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान
	वाणिज्य
7.	कॉफी बोर्ड (पूल निधि लेखा), बंगलौर
	कल्याण
8.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली*
9.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नई दिल्ली*
	भूतल परिवहन
10.	दि.प.नि. कर्मचारी निधि लेखा, नई दिल्ली
	विदेशी मामले
11.	भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विधि समिति, नई दिल्ली
	शहरी मामले तथा रोजगार
12.	दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली

* कल्याण मंत्रालय के दिनांक 24-11-97 के अ.शा. पत्र के अनुसार ये निकाय कोई अनुदान प्राप्त नहीं कर रहे हैं। उन्हें भु.ले.का. (कल्याण) से भुगतान किया जा रहा है। इसलिए कोई पृ.ले.प्र. तैयार नहीं किया जाना था और संसद को प्रस्तुत नहीं किया गया।

परिशिष्ट VI
(पैराग्राफ 1(iii) देखें)

नि.म.ले.प. (क.श.से.) अधिनियम, 1971 की धारा 14(1) एवं 14(2) के अंतर्गत लेखापरीक्षित केन्द्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा 1996-97 के दौरान प्राप्त अनुदानों के विवरण
(लाख रु. में)

क्र. सं.	संस्थान/निकाय का नाम	अनुदान
	कृषि	
1.	राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली	643.00
	वाणिज्य	
2.	इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता	253.42
3.	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता	58.36
	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	
4.	4 परिवार सेवा संस्थान, नई दिल्ली	10.60
	मानव संसाधन विकास	
5.	भारतीय विश्वविद्यालय संगठन, नई दिल्ली	23.37
6.	भारतीय शिक्षा संस्थान, पुणे	12.30
7.	उत्तर पूर्व क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, कोहिमा	17.60
8.	विक्टोरिया मेमोरियल हाल, कलकत्ता	282.50
9.	मौलाना अब्दुल कलाम आजाद एशिया अध्ययन संस्थान, कलकत्ता	35.00
10.	रामकृष्ण मिशन संस्कृति संस्थान, कलकत्ता	103.50
11.	सामाजिक विज्ञान अध्ययन केन्द्र, कलकत्ता	41.50
12.	भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कलकत्ता	2276.95
13.	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली	5268.67
14.	केन्द्रीय तकनीकी समिति, नई दिल्ली	125.00

(लाख रु. में)

क्र. सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम	अनुदान
	उद्योग	
15.	फल्यूड नियंत्रण अनुसंधान संस्थान, पालाकाड	153.00
16.	सैट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर, कलकत्ता	218.00
17.	केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर	45.00
18.	केन्द्रीय मशीन टूल संस्थान, बंगलौर	435.00
19.	केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर	25.00
20.	आटोमोटिव अनुसंधान संघ, पुणे	772.57
21.	केन्द्रीय पल्प एवं पेपर अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर	193.00
	सूचना और प्रसारण	
22.	भारतीय फिल्म तथा टेलिविजन संस्थान, पुणे	874.00
	विद्युत	
23.	ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्र, नई दिल्ली	80.00
24.	महता रिसर्च इंस्टीच्यूट आफ मैथेमेटिकल फिजिक्स, इलाहाबाद,	195.00
	ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार	
25.	जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी, त्रिची	781.21
26.	जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी लक्ष्यद्वीप, क्वारथी	246.39
	कपड़ा	
27.	भारतीय जूट अनुसंधान संघ, कलकत्ता	478.03
28.	ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर	150.00
	पर्यटन एवं नागर विमानन	
29.	होटल प्रबंधन तथा खान-पान प्रौद्योगिकी संस्थान, केरल	224.68
30.	खान-पान प्रौद्योगिकी, होटल प्रबंध तथा प्रायोगिक पोषण संस्थान, कलकत्ता	20.07
31.	भारतीय ऐरोक्लब, नई दिल्ली	शून्य

(लाख रु. में)

क्र. सं.	संघ/निकाय का नाम	अनुदान
32.	होटल प्रबंधन, खान-पान प्रौद्योगिकी तथा प्रायोगिक पोषण संस्थान, भुवनेश्वर	25.80
	जल संसाधन	
33.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान, तेजपुर	15.00
	कल्याण	
34.	भारतीय शिक्षा परिषद, नई दिल्ली	शून्य
35.	भारतीय बाल कल्याण परिषद, नई दिल्ली	606.80
36.	भारत में सामाजिक स्वास्थ्य संघ	49.56
	जोड़	14739.88

परिशिष्ट VII
(पैराग्राफ 1(iii) देखें)

नि.म.ले.प. (क.श.से.) अधिनियम, 1971 की धारा 14 (1) एवं 14(2) के अंतर्गत लेखा परीक्षित निकायों के विवरण जिन से लेखे/सूचना प्राप्त नहीं हुए

क्र. सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम
	कृषि
1.	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुड़गांव
	वित्त
2.	भारतीय निवेश केन्द्र, नई दिल्ली
3.	औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली
4.	राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली
	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
5.	धान संसाधन अनुसंधान केन्द्र, तंजावूर
6.	राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी फ़ैडरेशन, नई दिल्ली
	मानव संसाधन विकास
7.	उत्तर पूर्वी आंचलिक सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला
8.	भारतीय तकनीकी शिक्षा समिति, नई दिल्ली
9.	भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत न्यास, नई दिल्ली
10.	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली
11.	अरबिन्दो शिक्षा समिति, नई दिल्ली
12.	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, नई दिल्ली
13.	हरिजन सेवक संघ, दिल्ली
14.	दक्षिण अंचल सांस्कृतिक केन्द्र, तंजावूर
15.	पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़
16.	भारत स्काऊट एवं गाइड, नई दिल्ली
17.	भारत ज्ञान विज्ञान समिति, नई दिल्ली

क्र. सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम
18.	पश्चिमी क्षेत्रा सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर
19.	उत्तर केन्द्रीय क्षेत्रा सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद
	सूचना और प्रसारण
20.	भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली
21.	राष्ट्रीय बाल एवं युवा जन फिल्म केन्द्र, नई दिल्ली
	उद्योग
22.	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली
23.	केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिक संस्थान, चेन्नई
24.	भारतीय प्लाडवुड अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर
	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन
25.	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली
26.	केन्द्रीय सिविल सेवाएं, सांस्कृतिक व खेल बोर्ड, नई दिल्ली
	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण
27.	लाला राम स्वरूप क्षय रोग एवं सम्बद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली
28.	गांधी ग्राम-ग्रामीण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, गांधी ग्राम (त.ना.)
29.	राष्ट्रीय जीव विज्ञान संस्थान
30.	परियोजना निदेशक, सूखा ग्रस्त क्षेत्रा कार्यक्रम (वी.ओ.सी.) (त.ना.)
	योजना और सांख्यिकी
31.	जनसाधन अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
32.	आर्थिक विकास संस्थान, नई दिल्ली
	विद्युत
33.	केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर
	भूतल परिवहन
34.	राष्ट्रीय राजमार्ग इंजीनियर प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली

क्र. सं.	संघालय/निकास का नाम
	ग्रामीण क्षेत्रा तथा रोजगार
35.	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, तिरुअनंतपुरम
36.	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, कोल्लम
37.	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, कोट्टायम
38.	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, पठानामथिट्टा
39.	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, इडुक्क
40.	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, अलप्पुझा
41.	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, इर्नाकुलम
42.	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, थ्रिस्सूर
43.	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, पालक्काड
44.	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, कोझीकोड
45.	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, वायानाड
46.	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, कन्नूर
47.	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, मालाप्पुरम
48.	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, कासरगॉड
49.	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, उत्तरी अरकोट
50.	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, दक्षिणी अरकोट
51.	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, तिरुवअन्नामलाई
52.	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, पुडुकोट्टाई
53.	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, तंजावुर
54.	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, तिरुनेलवेली
55.	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, कमरजार
56.	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, मदुरई
57.	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, डिंडीगुल
58.	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, नागर कौथल

क्र. सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम
59.	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, कांचीपुरम
60.	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, पेरियार
61.	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, कोयम्बटूर
62.	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, सेलम
63.	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, निलगिरि
64.	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, विल्लुपुरम
65.	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, चिन्गई, एम.जी.आर.
66.	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, चिदम्बरानार
67.	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, पासुमपोन
68.	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, रामनाड
69.	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, क्वादे मिलान्द
70.	राष्ट्रीय कृषि विपणन केन्द्र संस्थान, जयपुर
	पर्यटन
71.	होटल प्रबंध, खान-पान व पोषण संस्थान, नई दिल्ली
72.	होटल प्रबंध, खान-पान व पोषण संस्थान, दादर, मुम्बई
73.	होटल प्रबंध, खान-पान प्रौद्योगिकी एवं प्रायोगिक पोषण संस्थान, चेन्नई
74.	होटल प्रबंध, खान-पान प्रौद्योगिकी एवं प्रायोगिक पोषण संस्थान, जयपुर
	कपड़ा
75.	दक्षिण भारतीय वस्त्रा अनुसंधान एसोसिएशन, तमिलनाडु
	शहरी मामले और रोजगार
76.	राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान, नई दिल्ली
77.	भवन सामग्री प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद, नई दिल्ली
	कल्याण
78.	पश्चिम बंगाल अ.जा./अ.ज.जा. तथा अल्पसंख्यक कल्याण संघ, कलकत्ता
79.	डा. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, नई दिल्ली

क्र. सं.	मंत्रालय/निकाय का नाम
80.	पर्वतीय क्षेत्रा विकास कार्यक्रम (त.ना.)
	जल संसाधन
81.	राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की
	वाणिज्य
82.	भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली
83.	क्षेत्रीय कार्यालय इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली
84.	प्रादेशिक मंडल इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली
	विदेशी मामले
85.	निर्गुट तथा अन्य विकासशील देशों के लिए अनुसंधान तथा सूचना प्रणाली, नई दिल्ली
86.	भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्ध अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
	विधि एवं न्याय
87.	अन्तर्राष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद उपशमन केन्द्र, नई दिल्ली

परिशिष्ट VIII

(पैराग्राफ 2 देखें)

बकाया उपयोग प्रमाण-पत्र

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान सम्बन्धित है (सितम्बर 1995 तक)	मार्च 1997 के अंत तक बकाया उपयोग प्रमाण पत्र	
		संख्या	राशि (लाख रु. में)
कृषि	1976-77	2	2.71
	1978-79	1	166.47
	1979-80	5	132.80
	1980-81	6	119.38
	1982-83	2	29.78
	1983-84	10	3.00
	1984-85	27	11.00
	1985-86	5	0.60
	1986-87	1	0.10
	1987-88	15	239.98
	1988-89	4	134.57
	1989-90	2	390.61
	1990-91	14	96.86
	991-92	57	2228.11
	1992-93	19	93.00
	1993-94	73	3221.77
	1994-95	102	6856.26
	1995-96	19	10986.56
		364	24713.56
अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन	1993-94	11	106.93
	1994-95	18	376.45
	1995-96	02	0.37
		31	483.75
वाणिज्य एवं कपड़ा (i) वाणिज्य			
	1984-85	5	75.00
	1985-86	2	35.00
	1986-87	5	95.00
	1987-88	4	90.00

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान सम्बन्धित है (सितम्बर 1995 तक)	मार्च 1997 के अंत तक बकाया उपयोग प्रमाण पत्र	
		संख्या	राशि (लाख रु. में)
	1988-89	8	1216.00
	1989-90	10	45.26
	1990-91	13	2027.52
	1991-92	14	1719.62
	1994-95	08	3432.06
	1995-96	04	72.50
		73	8807.96
(ii) हस्तकला विकास आयुक्त, दिल्ली	1978-79	14	60.87
	1979-80	6	18.64
	1980-81	5	5.27
	1982-83	14	8.64
	1983-84	4	2.93
	1984-85	15	11.51
	1985-86	14	16.05
	1986-87	9	3.94
	1987-88	9	8.67
	1988-89	7	5.39
	1989-90	17	16.04
	1990-91	19	33.54
	1991-92	29	96.37
	1992-93	50	95.16
	1993-94	161	409.04
	1994-95	309	410.91
	1995-96	52	116.91
		734	1319.88
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	1988-89	1	0.02
	1991-92	1	0.08
	1993-94	4	0.62
	1994-95	18	0.72
	1995-96	4	0.92
		28	2.36

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान सम्बन्धित है (सितम्बर 1995 तक)	मार्च 1997 के अंत तक बकाया उपयोग प्रमाण पत्र	
		संख्या	राशि (लाख रु. में)
नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता कार्य एवं सार्वजनिक वितरण	1981-82	2	1.40
	1983-84	8	7.39
	1984-85	2	2.90
	1985-86	2	1.37
	1987-88	1	5.00
	1988-89	1	4.34
	1989-90	3	13.90
	1992-93	1	2.50
	1993-94	1	4.00
	1994-95	1	4.00
		22	46.80
रसायन एवं उर्वरक (i) उर्वरक	1994-95	2	100.00
		2	100.00
विदेश	1987-88	1	1.00
	1988-89	1	1.00
	1989-90	3	260.00
	1991-92	10	28.00
	1993-94	4	1.90
	1994-95	6	7.15
	1995-96	3	3.60
		28	302.65
वित्त (i) आर्थिक कार्य*	1990-91	1	0.04
	1993-94	11	2361.85
	1994-95	13	3481.87
	1995-96	7	212.46
		32	6056.22
(ii) राजस्व	1994-95	1	0.21
		1	0.21

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान सम्बन्धित है (सितम्बर 1995 तक)	मार्च 1997 के अंत तक जकाया उपयोग प्रमाण पत्र	
		संख्या	राशि (लाख रु में)
खाद्य	1994-95	5	19.31
	1995-96	18	178.01
		23	197.32
खाद्य संसाधन उद्योग	1988-89	1	0.50
	1990-91	1	4.19
	1991-92	13	224.48
	1992-93	36	491.59
	1993-94	69	404.56
	1994-95	67	411.24
	1995-96	14	142.98
	201	1679.54	
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (i) स्वास्थ्य	1976-77	81	32.28
	1978-79	8	3.34
	1979-80	9	7.03
	1980-81	2	1.46
	1981-82	14	17.58
	1982-83	9	24.35
	1983-84	18	193.87
	1984-85	28	128.29
	1985-86	31	164.51
	1986-87	38	235.96
	1987-88	5	5.84
	1988-89	87	3002.90
	1989-90	53	245.85
	1990-91	31	424.69
	1991-92	41	703.85
	1992-93	10	670.25
	1993-94	128	3565.93
	1994-95	203	8909.20
	1995-96	156	8223.90
		952	26561.08

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान सम्बन्धित है (सितम्बर 1995 तक)	मार्च 1997 के अंत तक चकाया उपयोग प्रमाण पत्र	
		संख्या	राशि (लाख रु में)
(ii) परिवार कल्याण	1976-77	2	0.48
	1981-82	5	30.00
	1982-83	8	7.17
	1984-85	2	3.92
	1986-87	9	23.32
	1987-88	11	31.76
	1988-89	4	23.71
	1989-90	31	111.40
	1990-91	9	39.74
	1991-92	2	14.57
	1992-93	5	16.18
	1993-94	122	278.22
	1994-95	400	4587.70
	1995-96	170	1623.18
	780	6791.35	
गृह भु.ले.का. (सचिवालय)	1987-88	2	0.30
	1988-89	15	1.88
	1989-90	1	0.06
	1990-91	11	1.66
	1991-92	10	1.55
	1992-93	6	1.68
	1993-94	9	3.43
	1994-95	9	2.44

	1995-96	3	0.37
		66	13.37
मानव संसाधन विकास (i) महिला एवं बाल विकास	1986-87	301	2214.00
	1987-88	400	3607.00
	1988-89	505	2880.00
	1989-90	582	4969.00
	1990-91	624	7934.00

संघ/विभाग	अवधि जिससे अनुदान सम्बन्धित है (सितम्बर 1995 तक)	मार्च 1997 के अंत तक लकाया उपयोग प्रमाण पत्र	
		संख्या	राशि (लाख रु. में)
	1991-92	678	7517.00
	1992-93	816	11496.00
	1993-94	1059	10452.00
	1994-95	1196	16553.00
	1995-96	160	4954.00
			6321
(ii) युवा कार्य एवं खेलकूद	1987-88	20	10.04
	1988-89	109	78.94
	1989-90	177	75.01
	1990-91	191	104.79
	1991-92	142	118.78
	1992-93	496	1209.47
	1993-94	490	3073.11
	1994-95	418	4650.85
	1995-96	173	1299.01
			2216
(iii) शिक्षा	1977-78	73	127.00
	1978-79	226	357.00
	1979-80	216	144.00
	1980-81	77	155.00
	1981-82	86	195.00
	1982-83	139	270.00
	1983-84	148	339.00
	1984-85	279	635.00
	1985-86	557	2045.00
	1986-87	382	866.00
	1987-88	608	3877.00
	1988-89	773	4344.00
	1989-90	672	4904.00
	1990-91	275	1390.00
1991-92	395	3608.00	
1992-93	595	10894.00	

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान सम्बन्धित है (सितम्बर 1995 तक)	मार्च 1997 के अंत तक सकाया उपयोग प्रमाण पत्र	
		संख्या	राशि (लाख रु. में)
	1993-94	1020	21179.00
	1994-95	1163	42055.00
	1995-96	203	4721.00
		7887	102105.00
(iv) संस्कृति	1982-83	02	0.45
	1983-84	04	0.53
	1984-85	11	2.59
	1985-86	03	0.61
	1986-87	08	2.57
	1987-88	05	1.38
	1988-89	14	2.87
	1989-90	14	2.71
	1990-91	75	12.86
	1991-92	112	999.27
	1992-93	899	4196.44
	1993-94	877	7280.87
	1994-95	589	2997.65
	1995-96	170	2449.68
		2783	17950.48
उद्योग			
(i) भारी उद्योग	1994-95	3	1447.00
		3	1447.00
(ii) लघु उद्योग एवं कृषि और ग्रामीण उद्योग	1993-94	37	8916.35
	1994-95	23	1606.84
	1995-96	25	13935.63
		85	24458.82
(iii) औद्योगिक विकास एवं औद्योगिकी नीति व प्रोत्साहन	1993-94	5	9.88
	1994-95	35	1165.57
	1995-96	23	590.53
		63	1765.98

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान सम्बन्धित है (सितम्बर 1995 तक)	मार्च 1997 के अंत तक सकल काया उपयोग प्रमाण पत्र	
		संख्या	राशि (लाख रु में)
श्रम	1979-80	1	0.01
	1982-83	2	0.13
	1985-86	6	1.81
	1987-88	4	3.19
	1988-89	7	7.88
	1989-90	20	20.70
	1990-91	19	25.54
	1991-92	12	29.06
	1992-93	13	4.16
	1993-94	24	63.73
	1994-95	13	48.11
	1995-96	286	1313.87
		407	1518.19
	खान	1995-96	1
		1	5.00
कार्मिक, लोक शिकायतें तथा पेंशन प्रशिक्षण मंडल	1992-93	1	0.50
	1993-94	1	3.35
	1994-95	5	8.28
		7	12.13
योजना एवं सांख्यिकी (i) सांख्यिकी	1995-96	1	9.57
		1	9.57
(ii) योजना आयोग एवं नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेन्टर	1990-91	18	13.09
	1991-92	19	19.26
	1992-93	19	14.79
	1993-94	15	34.65
	1994-95	47	799.78
	1995-96	19	117.04
		137	998.61

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान सम्बन्धित है (सितम्बर 1995 तक)	साल 1997 के अंत तक सकाया उपयोग प्रमाण पत्र	
		संख्या	राशि (लाख रु. में)
विद्युत	1992-93	54	673.32
	1993-94	16	410.53
	1994-95	38	1700.76
	1995-96	6	67.40
		114	2852.01
ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन)	1989-90	1	19.08
	1990-91	1	67.45
		1	3.00
	1993-94	1992-93	245.54
	1994-95	9	852.36
	1995-96	52	3146.27
		67	4333.70
भूतल परिवहन	1992-93	2	6.50
	1993-94	4	5.25
	1994-95	12	437.25
	1995-96	15	919.10
		33	1368.10
शहरी मामले तथा रोजगार	1981-82	4	3.31
	1982-83	7	4.40
	1983-84	11	9.35
	1984-85	9	10.77
	1985-86	20	17.15
	1986-87	7	5.36
	1987-88	7	10.20
	1988-89	15	5.35
	1989-90	25	40.87
	1990-91	27	1227.99
	1991-92	11	3012.14
	1992-93	39	451.38
	1993-94	104	6242.00
	1994-95	124	3376.15
	21	245.87	
	431	14662.39	

सत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान सञ्चालित है (सितम्बर 1995 तक)	मार्च 1997 के जल तक बकाया उपयोग प्रमाण पत्र	
		संख्या	राशि (लाख रु. में)
जल संसाधन	1985-86	1	1.27
	1986-87	4	32.01
	1987-88	12	66.78
	1988-89	7	19.21
	1989-90	9	12.36
	1990-91	11	31.58
	1991-92	8	47.78
	1992-93	5	14.78
	1993-94	2	7.88
	1994-95	14	137.63
	1995-96	25	307.98
		98	679.26

* बैंकिंग डिवीजन भु.ले.का., आपात जोखिम बीमा योजना तथा बैंकिंग के संबंध में उपयोग प्रमाण-पत्र सम्मिलित नहीं है।

परिशिष्ट IX
(पैराग्राफ 20 देखें)

दस्तावेजों की सूची जो स्था.लो.उ.स. के अभिलेख में नहीं है

1. आरम्भिक परियोजना रिपोर्ट।
2. सभी ठेकों के लिए बोलियों का ग्राफ तुलनात्मक विवरण।
3. निर्माण कार्यो के निष्पादन पर म.प्र. वास्तुकारों समन्वयकों अथवा किसी अन्य प्राधिकारी की निरीक्षण रिपोर्टें।
4. अवरोधन रजिस्टर।
5. स्थूणा नींव, खुदाई तथा स्थल कार्यालय के मूल अभिलेख (ये के.अ.ब्यू. के पास हैं)
6. आवास हेतु सा.क्षे.उ. से प्रार्थना पत्र।
7. परियोजना आरम्भ करने से पूर्व के लो.नि.वि. पद्धति के अनुसार प्राप्त किये गए क्लीयरेन्सों का विवरण।
8. अनुमानों के लिए विस्तृत परिकलन।
9. के.लो.नि.वि. के मानदण्डों के अनुसार अनुमानों के लिए प्रशासनिक और तकनीकी अनुमोदन
10. वास्तुकारों/ठेकेदारों की भरती करने के लिए तथा निर्माण कार्य सौंपने हेतु अपनाई जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया को दर्शाने वाले दस्तावेज
11. नवम्बर 1995 से पूर्व रा.औ.वि.नि/वास्तुकारों की निष्पादन रिपोर्टें
12. मीनार परियोजना के लिए दि.श.क.आ. का अनुमोदन

परिशिष्ट X
(पैराग्राफ 25.1 देखिये)

1991-97 की अवधि के दौरान लो.का.ग्रा.प्रा.प्र.प. द्वारा कार्यान्वित योजनाओं तथा प्राप्त की गई सहायता के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रु में)

क.सं.	केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
1.	जवाहर रोजगार योजना (ज.रा.यो)	3.0	12.0	10.0	12.0	13.0	13.0
2.	त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (त्व.ग्रा.ज.आ.का.)	5.0	7.5	17.0	20.0	20.0	--
3.	केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (के.ग्रा.स्व.का.)	-	6.0	8.6	12.0	1.7	9.5
4.	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (ए. ग्रा.वि.का.)	1.0	1.2	1.4	1.5	1.5	--
5.	ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास (ग्रा.क्षे.म.बा.वि.)	1.3	2.8	4.5	3.0	1.2	2.0
	जोड़	10.3	29.5	41.5	48.5	37.4	24.5
ख	अन्य योजनाएं						
6.	ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक कार्यवाही की उन्नति (पी.सी.)	5.0	6.5	9.5	9.5	2.9	10.0
7.	गरीबी विरोधी कार्यक्रम के लाभभोगियों का संगठन (ला.सं.)	0.5	1.4	2.5	2.5	0.9	3.5
8.	ग्रामीण प्रौद्योगिकी योजना का विकास (ग्रा.प्रौ.यो.वि.)*	1.8	2.2	2.3	2.3	2.8	2.4
	जोड़	7.3	10.1	14.3	14.3	6.6	15.9
ग.	अन्य मंत्रालय	-	-	-	0.3	0.9	0.3
घ.	विदेशी सहायता प्राप्त योजना	1.2	2.4	1.9	1.8	1.5	0.6

* अन्य योजनाओं की तरह इस शीर्ष के अन्तर्गत अलग से निधियां प्राप्त नहीं हुईं। इसलिए इस योजना के अन्तर्गत व्यय को भी प्राप्त सहायता के रूप में माना गया है।

परिशिष्ट XI

(पैराग्राफ 25.7.2 देखिये)

स्वैच्छिक संगठन जो लो.का.प्रा.प्रा.प्र.प. की विभिन्न समितियों के सदस्य हैं को सौंपी गई परियोजनाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु में)

क्र. सं.	स्वै. सं. का नाम	सौंपी गई परियोजनाओं की कुल संख्या	राशि	माह के दौरान दी गई परियोजनाओं की संख्या		
				माह	परियोजनाओं की संख्या	राशि
1.	गांवों के लिए विज्ञान केन्द्र वर्धा (महाराष्ट्र)	25	141	जुलाई, 1992	2	11.46
2.	रायलसीमा सेवा समिति, आं.प्र.	24	135	जन., 1996	2	17.00
3.	संत यादव बाबा परसरन शिक्षण मण्डल, महाराष्ट्र	10	85.86	मई, 1992	2	18.53
4.	पीपलस साईंस इन्स्टीच्यूट, देहरादून (उ.प्र.)	7	80.85	जून तथा जुलाई, 1995	2	8.88
5.	मर्यादा, कर्नाटक	49	137	फर. तथा मार्च, 1990	3	16.45
				अक्तूबर, 1992	2	4.22
				नवम्बर, 1992	8	18.99
				फरवरी, 1993	10	18.69
				मार्च, 1993	3	7.22
				सितम्बर तथा अक्तूबर, 1994	4	14.67
6.	ग्रामोद्योग समिति, बिहार	20	131	अगस्त, 1989	3	2.63
				अक्तूबर, 1989	2	22.28
				जनवरी, 1990	3	18.84
				मार्च, 1990	4	11.93

क्र. सं.	स्व. सं. का नाम	सौपी गई परियोजनाओं की कुल संख्या	राशि	माह के दौरान दी गई परियोजनाओं की संख्या		
				माह	परियोजनाओं की संख्या	राशि
7.	ग्राम भारतीय सर्वोदय आश्रम, बिहार	15	150	नवम्बर, 1985	4	16.00
				अप्रैल, 1993	2	11.00
8.	एन.एम.सदगुरू जल एवं विकास प्रतिष्ठान, गुजरात	27	139	अप्रैल, 1990	3	15.73
				अक्टूबर 1990	2	8.32
				जुलाई, 1991	2	11.94
				फरवरी, 1992	2	3.45
				मार्च, 1992	4	17.44
				मार्च, 1993	5	22.12
				फरवरी, 1994	5	23.61
9.	विकसित सोसाइटी हेतु ग्रामीण शिक्षा, कर्नाटक	4	37.33	जनवरी, 1992	2	18.42
				अप्रैल, 1992	2	18.42
10.	श्री विवेकानन्द अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण संस्थान, गुजरात	72	458	अगस्त, 1991	3	24.16
				दिसम्बर, 1991	3	23.83
				मार्च, 1993	4	8.61
				जून, 1992	7	51.84
				मार्च, 1993	2	12.71
				मई, 1993	5	49.09
				जून, 1993	4	43.69
				अगस्त, 1993	5	26.25

क्र. सं.	स्व. सं. का नाम	सौपी गई परियोजनाओं की कुल संख्या	राशि	माह के दौरान दी गई परियोजनाओं की संख्या		
				माह	परियोजनाओं की संख्या	राशि
				जून, 1994	6	12.29
				अगस्त, 1994	4	26.43
				सितम्बर, 1994	5	25.87
				अक्तूबर, 1994	5	35.30
11.	शिशु शैक्षिक स्वास्थ्य एवं अनुसन्धान हेतु हिमालयन अध्ययन केन्द्र, उ.प्र.	14	46.40	अक्तूबर, 1991	3	20.65
12.	शिक्षा एवं विकास हेतु लीग, ता.ना.	13	63.64	अप्रैल तथा मई 1992	3	21.44
13.	हरिजन सेवक संघ हावड़ा(पश्चिम बंगाल)	16	67.17	नवम्बर 1991	2	9.89
14.	टेगोर ग्रामीण विकास समिति, कलकत्ता	26	175	मई 1988	2	5.73
15.	सामाजिक कार्य एवं अनुसन्धान केन्द्र, राजस्थान	54	276	मई 1987	2	17.65
				दिसम्बर 1992	2	7.28
16.	ए.एम.एम. मुर्गेप्पा चेट्टियार अनुसन्धान केन्द्र, तमिलनाडु	18	88.83	अक्तूबर 1995	2	8.91

परिशिष्ट XIII
(पैराग्राफ 25.7.2 देखें)

मॉनीटर द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट न/विलम्ब से भेजने का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	फा.सं.	संस्वीकृत राशि (लाख रु में)	मॉनीटर की नियुक्ति की तिथि	रिपोर्ट प्राप्ति की तिथि	विलम्ब (माह में)
1	2	3	4	5	6
1.	713-11/94-95-त्व.ग्रा.ज.आ.का.	11.87	20.12.96	मई 1997 तक प्राप्त नहीं हुई	-
2.	710-1/92- त्व.ग्रा.ज.आ.का.	11.50	24.08.92	- उपरोक्त -	-
3.	722-5/93- त्व.ग्रा.ज.आ.का.	2.19	22.02.95	- उपरोक्त -	-
4.	701-6/92- त्व.ग्रा.ज.आ.का.	5.74	19.07.94	19.12.95	14 माह
5.	715-17/93- त्व.ग्रा.ज.आ.का.	7.94	-	26.09.95	-
6.	721-15/91- त्व.ग्रा.ज.आ.का.	5.27	08.11.96	अभी प्राप्त नहीं	-
7.	704-78/94-95- त्व.ग्रा.ज.आ.का.	5.85	19.02.97	- उपरोक्त -	-
8.	722-26/93- त्व.ग्रा.ज.आ.का.	7.30	17.02.97	- उपरोक्त -	-
9.	701-172/94-95- त्व.ग्रा.ज.आ. का.	7.03	18.06.96	- उपरोक्त -	-
10.	701-16/91- त्व.ग्रा.ज.आ.का.	5.54	12.03.93	24.09.93	5 माह
11.	701-31/92- त्व.ग्रा.ज.आ.का.	6.24	03.09.93 11.11.94	11.03.94 07.04.95	4.6 माह 3 माह
12.	714-1/92- त्व.ग्रा.ज.आ.का.	6.80	अभी नहीं	-	
13.	704-95/92-के.ग्रा.स्व.का.	9.44	04.02.94	अभी दौरा नहीं किया	
14.	725-19/91- के.ग्रा.स्व.का.	7.92	15.09.93	28.02.94	4 माह
15.	725-157/93- के.ग्रा.स्व.का.	7.08	11.03.96	अभी नहीं किया गया	
16.	726-1/92- के.ग्रा.स्व.का.	5.29	14.02.94	अभी नहीं किया गया	
17.	725-286/93-94	6.58	24.02.97	अभी नहीं किया गया	

क्र. सं.	फा.सं.	संस्वीकृत राशि (लाख रु में)	मॉनीटर की नियुक्ति की तिथि	रिपोर्ट प्राप्ति की तिथि	विलम्ब (माह में)
1	2	3	4	5	6
18.	701/263/93-94- के.ग्रा.स्व.का.	5.67	01.11.96	अभी नहीं किया गया	
19.	715-48/93-94- क.ग्रा.स्व.का.	6.75	09.07.96	28.12.96	लगभग 4 माह
20.	704-99/93-94- के.ग्रा.स्व.का.	8.12	16.09.96	अभी नहीं किया गया	
21.	704-22/91- के.ग्रा.स्व.का.	6.59	10.11.93 22.10.96	16.03.94 अभी नहीं किया गया	26 माह
22.	727-3/92- क.ग्रा.स्व.का.	906	25.02.97	अभी नहीं किया गया	
		155.77			

परिशिष्ट XIII
(पैराग्राफ 25.7.4 देखें)

ऐसे मामलों के ब्यौरे दशनि वाला विवरण जिनमें अनियमितताओं का पता चला

क्र. सं.	परियोजना का नाम	जारी की गई सहायता (लाख रु में)	संस्वीकृति का वर्ष	टिप्पणियाँ
1.	मध्य प्रदेश में उपरी ढांचा सहित 250 कम लागत के शौचालयों का निर्माण	4.03	1994	परियोजना 8.21 लाख रु की लागत की पहले से चल रही परियोजनाओं का संदर्भ दिये बिना संस्वीकृत की गई थी। जनवरी 1998 तक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थीं और कोई मॉनीटर भी प्रतिनियुक्त नहीं किया गया था।
2.	नागालैंड में 412 कम लागत के शौचालयों का निर्माण	9.06	1993	स्वैच्छिक संगठन के नए प्रवेशी होने के कारण निधियन पूर्व मूल्यांकन अनिवार्य था जो कि नहीं किया गया था। आगे चार किशतों में निधियों के जारी करने के लिए म.नि. के अनुदेशों के विपरीत, कार्यालयीय टिप्पणियों में तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करके निर्गम दो किशतों में किये गए थे।
3	हिमाचल प्रदेश में पर्वतों के लिए प्रौद्योगिक उष्माचित्र (अवसंरचना निर्माण) की स्थापना	14.94	1993	भूमि स्वैच्छिक संगठनों से सम्बंधित नहीं थी, जिसके बारे में परिषद के अधिकारी जिसे परियोजना की सम्भाव्यता निर्धारित करने के लिए नियुक्त किया था, द्वारा सूचित नहीं किया। मामला कानूनी संवीक्षा अधीन था।
4.	मशरूम उत्पादन प्रौद्योगिकी का उड़ीसा के ग्रामीण गरीबों को अन्तरण	4.54	1994	स्वैच्छिक संगठन को इस क्षेत्र में कोई विशेषज्ञता नहीं थी। चूंकि स्वैच्छिक संगठन लाभभोगियों के लिए अवसंरचना निर्माण हेतु आवश्यक 6.2 लाख रु के बैंक ऋण की व्यवस्था करने में विकल रहा इसलिए मशरूम उत्पादन आरम्भ नहीं हो सका।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	जारी की गई सहायता (लाख रु में)	संस्वीकृति का वर्ष	टिप्पणियाँ
5.	हिमालय (उत्तर प्रदेश) में एक प्रभावी एन.जी.ओ. नेटवर्क का गठन	7.23	1995	परियोजना के सभी चारों घटकों से वांछित परिणाम नहीं निकले। यद्यपि मॉनीटर ने परियोजना के कार्यान्वयन में भारी कमियों की सूचना दी थी, फिर भी उसकी व्याख्या "अच्छे" के रूप में की गई तथा शेष राशि जारी कर दी गई। परिषद ने सूचित किया कि परियोजनाओं का अंतिम रूप से मूल्यांकन पूर्णता रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात् किया जाएगा।
6.	बिहार में ए.ग्रा.वि.का. के अन्तर्गत डेरी इकाईयाँ	0.85	1989	निधियाँ म.नि. द्वारा दिए गए निधियन पूर्व मूल्यांकन आदेश के बिना जारी की गई थी। स्वैच्छिक संगठन को परियोजना के कार्यान्वयन न करने के कारण काली सूची में डाला गया था। परिषद का यह उत्तर कि इस मामले में निधियन पूर्व मूल्यांकन के आदेश नहीं दिये गए थे तर्कसंगत नहीं है क्योंकि म.नि. का दिनांक 2.8.1988 का टिप्पण इस तथ्य का स्पष्ट रूप से संकेत देता था।
7.	बिहार में 100 कम लागत के शौचालयों का निर्माण	2.06	1993	स्वै.सं. का इस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं था। इसने परियोजना का निष्पादन नहीं किया तथा इसे अगस्त 1994 में काली सूची में डाला गया था।
8(i)	गुजरात में 325 कम लागत के शौचालयों का निर्माण	3.28	1994	स्वै. सं. को तीन दिनों के अंतराल से दो परियोजनाएं संस्वीकृत की गई थी। दूसरी परियोजना की संस्वीकृति प्राप्त करते समय म. नि. की संस्वीकृति से बचने के लिए प्रथम प्रस्ताव के तथ्यों को छुपा लिया गया था

क्र. सं.	परियोजना का नाम	जारी की गई सहायता (लाख रु में)	सस्वीकृति का वर्ष	टिप्पणियाँ
8(ii)	गुजरात में 320 कम लागत के शौचालयों का निर्माण	3.24	1994	यद्यपि स्वैच्छिक संगठन संबद्ध क्षेत्र में नया प्रवेशी था फिर भी निधियन पूर्व मूल्यांकन नहीं किया गया था। परिषद ने बताया कि निधियन पूर्व मूल्यांकन अप्रैल 1998 से अनिवार्य किया गया था तथा स्वै.सं. के पास संबंधित अनुभव था परन्तु इसके समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।
9	महाराष्ट्र में पेय जल की आपूर्ति	7.00	1992	स्वै.सं. शैक्षिक गतिविधियों के लिए पंजीकृत समिति थी तथा इस क्षेत्र में उसकी कोई सुविज्ञता नहीं थी। राज्य ज.स्वा.अ.वि. से समस्याग्रस्त ग्राम का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया था। जुलाई 1997 तक पश्च मूल्यांकन नहीं किया गया था यद्यपि इसके लिए जुलाई 1996 में आदेश किये गए थे।
10	उत्तर प्रदेश में अग्नि अवरोधक छप्पर प्रौद्योगिकी की उन्नति	1.13	1992	सितम्बर 1994 में परियोजना बिना मूल्यांकन के बन्द हो गई थी। बाद में परिषद द्वारा करवाए गए प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन ने दर्शाया कि स्वै.सं. ने निधियों का दुर्विनियोजन किया था। मामले के समाप्त करने के आदेश देते समय म.नि. ने बताया कि वसूली के लिए कानूनी कार्यवाही लाभदायक नहीं होगी।
11	गाजीपुर (उ.प्र.) में अग्नि अवरोधक छप्पर प्रौद्योगिकी की उन्नति	1.11	1992	उपयुक्त ग्रामीण प्रौद्योगिकी में स्वै.सं. का कोई अनुभव नहीं था। मूल्यांकन से पता चला कि निधियों का दुरुपयोग किया गया था तथा स्वै.सं. अप्रैल 1995 में काली सूची में डाला गया था।
12	बिहार में 250 कम लागत के शौचालयों का निर्माण	2.65	1994	125 शौचालयों जिनके लिए निधियां जारी की गई थी, में से 122 शौचालय परिषद के अनुमोदन के बिना, अनुमोदित गांवों के अलावा कहीं और निर्मित किये गए थे।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	जारी की गई सहायता (लाख रु में)	संस्वीकृति का वर्ष	टिप्पणियाँ
13.	उ.प्र. में 358 शौचालयों का निर्माण	3.79	1994	स्वै.सं. ने प्रगति रिपोर्ट नहीं भेजी। पहली किश्त जारी करने के 27 माह तक मूल्यांकन नहीं किया गया था।
14.	राजस्थान में जल विकास कार्य	6.89	1993	स्वै.सं. ने रिगों की मरम्मत पर 2 लाख रु की संस्वीकृत राशि के प्रति परिषद के अनुमोदन के बिना 4.22 लाख रु का व्यय किया। रिग चालू नहीं किये जा सके तथा केवल चार गहरे बेधन कुए खोदे जा सके थे, जिसमें से एक को छोड़ देना पड़ा, दूसरे ने नमकीन पानी दिया तथा बिजली की अनुपलब्धता के कारण अन्य एक को उपयोग में नहीं लाया जा सका। अंतिम कुये का उपयोग स्वैच्छिक संगठन द्वारा उसके चारा फार्म की सिंचाई के लिए किया जा रहा था। इस प्रकार सारा व्यय निष्फल गया।
15.	एन.ए.डी.इ.पी. कम्पोस्ट तकनीक का प्रसार, उड़ीसा	3.17	1994	स्वै.सं. ने निधियां विपथित की, कार्य की गुणवत्ता घटिया थी तथा सामुदाय की भागीदारी कोई नहीं थी। मॉनीटर द्वारा जांच किये गए 77 टैंको में से एक टैंक का भी उपयोग वानस्पतिक खाद के लिए नहीं किया गया था।
16.	उ.प्र. में भूगणितीय गुम्बद आधारित हरित गृह पौधशालाओं का उत्थान	4.44	1992	निधियन पूर्व मूल्यांकन नहीं किया गया। दूसर किश्त मध्यावधि मूल्यांकन के बिना जारी क गई। फरवरी 1995 में किये गए मूल्यांकन दर्शाया कि स्वै.सं. ने निधियां विपथित कर द तथा उसे अ.स.रो. श्रेणी में डाल दिया गया था।

सं.		सहायता (लाख रु में)	का वर्ष	
17.	i) उ.प्र में बढईगीरी प्रशिक्षण कार्यक्रम	2.25	1992	अभिलेखों से पता चला कि दोनों मामलों में मूल्यांकन उस मॉनीटर द्वारा किया गया था जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत नहीं किया गया था।
	(ii) उ.प्र में शोसल एनिमेटरो का प्रशिक्षण	0.38	1994	दस्तावेजों में जालसाजी का सन्देह होने पर बढईगीरी परियोजना का पुनः मूल्यांकन किया गया था जिससे भारी अनियमितताओं का पता चला। स्वैच्छिक संगठन को काली सूची में डाल दिया गया था। स्वैच्छिक संगठन को छः परियोजनाओं के लिए 6.48 लाख रु जारी किये गए थे।
18.	गुजरात में त्व.ग्र.ज.आ का के अन्तर्गत जनजाति गावों में पेयजल.	5.76	1992	मार्च 1992 में 2.05 लाख रु की जारी की गई पहली किश्त के प्रति स्वैच्छिक संगठन ने 7.41 लाख रु का व्यय दशति हुये समापन रिपोर्ट मई 1995 में प्रस्तुत की। इस आधार पर परियोजना का मूल्यांकन करवाए बिना अगस्त 1995 में 3.17 लाख रु की दूसरी तथा अन्तिम किश्त जारी की गई थी। अन्तिम मूल्यांकन के आदेश अगस्त 1995 में जारी किये गए थे। मॉनीटर को अभी जनवरी 1998 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी।

परिशिष्ट XIV
(पैराग्राफ 25.10.1 देखें)

1993-96 की अवधि के दौरान उसके विपरीत किये गए उपरिव्यय के साथ संवितरणों के वर्षवार विवरण

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	किया गया संवितरण	उपरिव्यय		जोड़	उपरिव्यय की प्रतिशतता (कालम 5 से 2)
		प्रशा. व्यय	परियोजना से सम्बन्धित व्यय		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1993-94	55.92	1.74	1.57	3.31	5.90
1994-95	45.42	2.50	2.03	4.53	9.97
1995-96	54.60	2.85	3.95	6.80	12.45

परिशिष्ट-XV
(पैराग्राफ 58 देखें)

31.12.1997 को बकाया कार्यवाही टिप्पणियां

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	प्रतिवेदन का वर्ष	पैराग्राफों की संख्या जिन पर कार्यवाही टिप्पणियां	
			प्राप्य	प्रतीक्षित
1.	वाणिज्य			
	वाणिज्य विभाग	1995-96	2	1
2.	मानव संसाधन विकास			
(i)	संस्कृति विभाग	1994-95	1	1
(ii)	शिक्षा विभाग	1993-94	14	1
		1994-95	12	2
		1995-96	7	2
(iii)	युवा कार्य एवं खेल विभाग	1993-94	1	1
(i)	महिला एवं बाल विकास विभाग	1995-96	1	1
3.	उद्योग	1995-96	3	3
4.	श्रम	1995-96	2	1
5.	योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन			
	सांख्यिकीय विभाग	1995-96	1	1
6.	ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार	1993-94	1	1
7.	भूतल परिवहन	1994-95	20	1
		1995-96	32	7
8.	शहरी मामले और रोजगार			
	शहरी मामले का विभाग	1988-89	8	5
		1989-90	6	6
		1990-91	10	8
		1991-92	10	9
		1992-93	13	12
		1993-94	6	5
		1994-95	11	10
		1995-96	3	2
			164	80

